खण्ड-466, अंक-2
बुधवार, 09 कार्तिक, शक संवत् 1929
(31 अक्टूबर, 2007 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2007)

खण्ड 466 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2007

---

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

# विषय-सूची


| विषय | | | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|---|---|
| उपस्थित सदस्य | ... | ... | ... | क-च |
| नियम 311 के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाओं को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग | | | ... | 1-7 |
| प्रश्नोत्तर | ... | ... | ... | 7-88 |
| वित्तीय वर्ष 2007-2008 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण (प्रस्तुत किया गया) | ... | ... | ... | 88 |
| वित्तीय वर्ष 2007-2008 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान | | | ... | 88-89 |
| अनुदान संख्या-02, आवास विभाग (स्वीकृत) | ... | | ... | 89 |
| अनुदान संख्या-03, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) | | | ... | 89 |
| अनुदान संख्या-05, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत) | | | ... | 89-90 |
| अनुदान संख्या-07, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) | | | ... | 90 |
| अनुदान संख्या-09, ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) | ... | | ... | 90 |
| अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत) | ... | ... | ... | 90 |
| अनुदान संख्या-11, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) | | | ... | 91 |
| अनुदान संख्या-13, कृषि तथा अन्य सम्[illegible] विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत) | | | ... | 91 |
| अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) | | | ... | 91 |
| अनुदान संख्या-16 तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत) | | | | 91-92 |
| अनुदान संख्या-19, कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) | | | ... | 92 |
| अनुदान संख्या-22, खेल विभाग (स्वीकृत) | ... | | ... | 92 |
| अनुदान स[illegible]-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत) | | | ... | 92 |
| अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) | | | ... | 93 |
| अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) | ... | | ... | 93 |
| अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत) | | | ... | 93 |
| अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत) | | | ... | 93-94 |
| अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) | | | ... | 94 |
| अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत) | | | ... | 94 |
| अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत) | | | ... | 95 |
| अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) | | | ... | 95 |
| अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग (स्वीकृत) | ... | | ... | 95 |
| अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) | ... | | ... | 96 |

| विषय | | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|---|
| अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग (स्वीकृत) | ... | ... | 96 |
| अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग (स्वीकृत) | ... | ... | 96 |
| अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग (स्वीकृत) | ... | ... | 96-97 |
| अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग (स्वीकृत) | ... | ... | 97 |
| अनुदान संख्या-46, प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत) | ... | ... | 97 |
| अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) | ... | ... | 97 |
| अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत) | ... | ... | 98 |
| अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) | | ... | 98 |
| अनुदान संख्या 52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) | | ... | 98 |
| अनुदान संख्या-53, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) | ... | ... | 98-99 |
| अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत) ... | | ... | 99 |
| अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) (स्वीकृत) | | ... | 99 |
| अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पति निदेशालय) (स्वीकृत) | | ... | 99 |
| अनुदान संख्या-60, वन विभाग (स्वीकृत) ... | ... | ... | 100 |
| अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) | | ... | 100 |
| अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत) ... | | ... | 100 |
| अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा-अल्प बचत आदि) (स्वीकृत) | | ... | 101 |
| अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) | ... | ... | 101 |
| अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत) | | ... | 101 |
| अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) | | ... | 101-102 |
| अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत) ... | | ... | 102 |
| अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) | ... | ... | 102 |
| अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ... | | ... | 102-103 |
| अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत) | ... | ... | 103 |
| अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) | | ... | 103 |
| अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) (स्वीकृत) | ... | ... | 103-104 |
| अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत) | ... | ... | 104 |
| अनुदान संख्या-86, सूचना विभाग (स्वीकृत) | ... | ... | 104 |
| अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत) | ... | ... | 104 |

| विषय | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|
| अनुदान संख्या-88, संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) | ... | 105 |
| अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृत) | ... | 105 |
| अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) | ... | 105 |
| अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग (स्वीकृत) | ... ... | 105-106 |
| अनुदान संख्या-95, सिंचाइ विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) | ... | 106 |
| अनुदान संख्या-96, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) | ... | 106 |
| उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 (पारित) | ... | 106-121 |
| नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... | ... | 121-122 |
| वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल अनापूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | ... | 122-123 |
| 'माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड' इलाहाबाद द्वारा चयनित एल0टी0 प्रवक्ताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ... | 123 |
| आगरा शमसाबाद राजाखेड़ा मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | ... | 123 |
| प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत सभी विद्युत उपकेन्द्रों का उचित रख-रखाव एवं विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | ... | 124 |
| जनपद झांसी में अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत राजकीय आई0 टी0 पालीटेक्निक की स्थापना करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | ... | 124-125 |
| जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन के ग्राम केरटू में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूरा कराने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | ... | 125 |
| गोरखपुर महानगर में बन्द पड़े वीर बहादुर सिंह तारामण्डल को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ... | 125-126 |
| गांधी विचार प्रचार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुर्रिया कलां, शाहजहांपुर में पूर्णकालिक प्रबन्धक एवं प्रबन्ध तन्त्र का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | ... | 126 |
| बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चण्डीगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति की गई टिप्पणी से भावनाएं आहत होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... ... | ... | 126-127 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| मा0 मुख्य मंत्री द्वारा प्रदेश को तीन भागों में बांटे जाने के पक्ष में बयान दिये जाने तथा नए राज्यों के गठन एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... | 127-130 |
| उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 उपाध्यक्ष का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... ... ... | 130 |
| प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की भांति पेयजल के लिए हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... ... | 130-133 |
| मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान न किये जाने पर उनके विरुद्ध आर0सी0 जारी न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... | 133-134 |
| उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 134 |
| उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 134 |
| उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... | 134 |
| उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 134 |
| उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 135 |
| उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 135 |
| उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 135 |
| उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 135 |
| उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 135 |
| छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 135 |
| उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 135 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 136 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 136 |
| उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 136 |
| छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 136 |
| उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 136 |
| उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 136 |
| उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 136 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी) ... | 137 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उन्नीसवां संशोधन)नियमावली, 2006 से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 137 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (बीसवां संशोधन) नियमावली, 2007 (सदन के पटल पर रखी गयी) ... | 137 |
| उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 137-138 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 138 |
| उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 138 |
| उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 138-139 |
| उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 139 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... | 139 |
| उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघो का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... | 139 |
| उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 139 |
| उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... ... | 140 |
| उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... ... | 140 |
| किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 140 |
| उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... ... | 140 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... ... | 140-141 |
| उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 141 |
| उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 141 |
| उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... ... | 141-142 |
| उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... ... | 142 |
| विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ... ... | 142-143 |
| पिराई सत्र 2007-2008 में चीनी मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ना मूल्य के निर्धारण की जानकारी ... ... ... | 143-144 |
| उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) ... | 144-145 |
| उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) ... ... ... | 145 |

| विषय | | | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) | ... | | | 145 |
| छत्रपति शाहू जी महाराज, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) | ... | | | 146 |
| उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) | ... | | | 146 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) | ... | | | 146-147 |
| उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) | ... | ... | ... | 147 |
| उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) | ... | | | 147 |
| उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) | ... | | | 147-148 |
| उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) | ... | | | 148 |
| उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) | ... | | | 148 |
| उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) | ... | ... | ... | 149 |
| उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) | ... | | | 149 |
| छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) | ... | ... | ... | 149-150 |
| उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) | ... | ... | ... | 150 |
| उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) | ... | ... | ... | 150 |
| नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी) | ... | ... | ... | 151-152 |
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक श्री माधव पासवान पर हुए प्राणघातक हमले तथा भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मोबाइल पर हत्या की धमकी दिये जाने विषयक प्रकरण | ... | ... | ... | 152-153 |
| नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं | ... | ... | ... | 153-182 |
| श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजे जाने के सम्बन्ध में सूचना | ... | ... | ... | 182 |
| नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं | ... | ... | ... | 182-184 |
| नत्थियां | ... | ... | ... | 185-205 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

**उपस्थित सदस्य 353**

| | | | |
|---|---|---|---|
| अंगद यादव, श्री | आजमगढ़ | अमेरिका प्रधान, श्री | गाजीपुर |
| अकबर हुसैन, श्री | मुरादाबाद | अयोध्या प्रसाद पाल, श्री | फतेहपुर |
| अर्कीलुर्रहमान, श्री | मुरादाबाद | अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री | बाराबंकी |
| अजय कपूर, श्री | कानपुर देहात | अरविन्द सिंह यादव, श्री | कन्नौज |
| अजय तोमर, डा0 | बागपत | अरशद खान, श्री | पीलीभीत |
| अजय पाल सिंह, कुंवर | रायबरेली | अरूण कुमार यादव, श्री | आजमगढ़ |
| अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री | गोण्डा | अरूणा तोमर, श्रीमती | कानपुर नगर |
| | | अर्चना सरोज, श्रीमती | सन्तरविदास नगर (भदोही) |
| अजय यादव, श्री | एटा | अलाउद्दीन, श्री | बलरामपुर |
| अजय सिंह, श्री | जालौन | अलीम हाजी, श्री | बुलन्दशहर |
| अनिल कुमार, श्री | कन्नौज | अवध पाल सिंह यादव, श्री | एटा |
| अनिल कुमार, श्री | बुलन्दशहर | अवधेश कुमार वर्मा, श्री | शाहजहांपुर |
| अनिल कुमार, श्री | मुजफ्फरनगर | अवधेश प्रसाद, श्री | फैजाबाद |
| अनिल कुमार अहिरवार, श्री | महोबा | अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे, श्री | महराजगंज |
| अनिल कुमार मौर्य, श्री | मिर्जापुर | अवस्थी बाला प्रसाद, श्री | लखीमपुर खीरी |
| अनिल कुमार सिंह यादव, श्री | एटा | अशोक कुमार दोहरे, श्री | औरैया |
| अनिल चौधरी, डा0 | हाथरस (महामायानगर) | अशोक कुमार कंसल, श्री | मुजफ्फरनगर |
| अर्नास अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री | पीलीभीत | अशोक कुमार राणा, श्री | बिजनौर |
| अनुग्रह नारायण सिंह, श्री | इलाहाबाद | अशोक कुमार सिंह, श्री | रायबरेली |
| अनूप कुमार गुप्ता, श्री | सीतापुर | अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री | हमीरपुर |
| अनूप सण्डा, श्री | सुल्तानपुर | अशोक सिंह चौहान, श्री | मैनपुरी |
| अब्दुल मन्नान, श्री | हरदोई | आदित्य पाण्डेय, श्री | फतेहपुर |
| अब्दुल वारिस खां, श्री | मुजफ्फरनगर | आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री | इलाहाबाद |
| अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री | वाराणसी | आनन्द सेन, श्री | फैजाबाद |
| अमरेश कुमार शुक्ल, श्री | बाराबंकी | आर0 ए0 उस्मानी, श्री | लखीमपुर खीरी |
| अमीता सिंह, श्रीमती | सुल्तानपुर | आर0 के0 चौधरी, श्री | लखनऊ |
| अम्बिका चौधरी, श्री | बलिया | आर0 के0 शर्मा, पंडित | बरेली |
| अम्बिका सिंह, श्री | गोरखपुर | आरिफ अनवर हाशमी, श्री | गोण्डा |

| | |
|---|---|
| आलोक कुमार शाक्य, श्री | मैनपुरी |
| आसिफ, श्री | हरदोई |
| इकबाल महमूद, श्री | मुरादाबाद |
| इन्द्रजीत सरोज, श्री | कौशाम्बी |
| इमरान मसूद, श्री | सहारनपुर |
| ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री | सिद्धार्थनगर |
| उदयभान करवरिया, श्री | इलाहाबाद |
| उदयराज, श्री | उन्नाव |
| उमेश पाण्डेय, श्री | मऊ |
| ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री | सुल्तानपुर |
| ओमवती देवी, श्रीमती | बिजनौर |
| कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री | कानपुर देहात |
| काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब | रामपुर |
| कादिर राणा, श्री | मुजफ्फरनगर |
| कामेश्वर उपाध्याय, श्री | देवरिया |
| कालीचरन राजभर, श्री | गाजीपुर |
| काशीराम, श्री | रामपुर |
| कुवेर सिंह, श्री | एटा |
| कुलदीप सिंह गंगवार, श्री | फर्रुखाबाद |
| कुलदीप सिंह सेंगर, श्री | उन्नाव |
| कृपा शंकर सिंह, श्री | उन्नाव |
| कृष्ण कुमार, श्री | बहराइच |
| कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री | हरदोई |
| कृष्णाराज, श्रीमती | लखीमपुर खीरी |
| के0 के0 सचान, डा0 | जौनपुर |
| केदारनाथ वर्मा, श्री | बलिया |
| कैलाश चौरसिया, श्री | मिर्जापुर |
| कैलाश सिंह राजपूत, श्री | कन्नौज |
| कौकब हमीद खां, श्री | बागपत |
| कौशल किशोर, डा0 | लखीमपुर खीरी |
| गजेन्द्र सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| गिरीश चन्द्र, श्री | मुरादाबाद |
| गुटियारी लाल दुबेश, श्री | आगरा |
| गुरू प्रसाद मौर्य, श्री | इलाहाबाद |
| गुलाम मोहम्मद खान, श्री | बहराइच |
| गेंदा लाल चौधरी, श्री | हाथरस (महामायानगर) |
| गौरी शंकर एडवोकेट, श्री | लखनऊ |
| घूराराम, श्री | बलिया |
| चन्द्रदेव, श्री | आजमगढ़ |
| चन्द्र प्रकाश मिश्र "भटियारी", श्री | सुल्तानपुर |
| चन्द्रभद्र सिंह, श्री | सुल्तानपुर |
| चन्द्रवीर सिंह, श्री | मेरठ |
| चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री | सिद्धार्थनगर |
| छोटे सिंह, श्री | जालौन |
| जगदीश नारायण, श्री | जौनपुर |
| जगन प्रसाद गर्ग, श्री | आगरा |
| जगपाल, श्री | सहारनपुर |
| जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री | महराजगंज |
| जमीरउल्लाह, श्री | अलीगढ़ |
| जमुना निषाद, श्री | गोरखपुर |
| जयवीर सिंह, श्री | मैनपुरी |
| जयवीर सिंह, ठाकुर | अलीगढ़ |
| जसवन्त सिंह उर्फ अतुल, श्री | कुशीनगर |
| जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री | चन्दौली |
| जितेन्द्र कुमार, श्री | बस्ती |
| जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री | फैजाबाद |
| जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री | आगरा |
| जोखू लाल यादव, श्री | इलाहाबाद |
| ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 | वाराणसी |
| ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री | फर्रुखाबाद |
| तौफीक अहमद, श्री | सिद्धार्थनगर |
| त्रिभुवन दत्त, श्री | अम्बेडकरनगर |
| ददन मिश्रा, श्री | श्रावस्ती |
| ददू प्रसाद, श्री | चित्रकूट |
| दयाराम, श्री | कौशाम्बी |
| दशरथ प्रसाद चौहान, श्री | सन्तकबीर नगर |
| दाउद अहमद, श्री | हरदोई |
| दिनेश प्रसाद, श्री | चित्रकूट |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| दीनानाथ कुशवाहा, श्री | देवरिया |
| दीनानाथ पाण्डेय, श्री | वाराणसी |
| दीपक कुमार, श्री | उन्नाव |
| दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री | झांसी |
| दुर्गा प्रसाद यादव, श्री | आजमगढ़ |
| दूधराम, श्री | बस्ती |
| धनीराम, श्री | औरैया |
| धर्मपाल, श्री | गाजियाबाद |
| धर्मपाल यादव | |
| डी0पी0 यादव, श्री | बदायूं |
| धर्मराज निषाद, श्री | अम्बेडकरनगर |
| धर्म सिंह सैनी, डा0 | सहारनपुर |
| धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री | बरेली |
| धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | बलरामपुर |
| धू राम लोधी, चौधरी, श्री | हमीरपुर |
| नकुल दुबे, श्री | लखनऊ |
| नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री | इलाहाबाद |
| नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री | हरदोई |
| नसीरुद्दीन, श्री | फिरोजाबाद |
| नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री | ललितपुर |
| नारायण सिंह, श्री | आगरा |
| निर्मल वर्मा, श्री | सीतापुर |
| नीरज कुशवाहा, श्री | शाहजहाँपुर |
| पंकज कुमार, श्री | मुजफ्फरनगर |
| पशुपति, श्री | गाजीपुर |
| पी0 के0 राय, डा0 | कुशीनगर |
| पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री | बाँदा |
| पूजा पाल, श्रीमती | इलाहाबाद |
| पूरन प्रकाश, श्री | मथुरा |
| प्रजापालन, श्री | एटा |
| प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती | कानपुर देहात |
| प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री | बदायूं |
| प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री | झाँसी |
| प्रदीप माथुर, श्री | मथुरा |
| प्रमोद तिवारी, श्री | प्रतापगढ़ |
| प्रमोद सिंह, श्री | देवरिया |
| प्रवीण पटेल, श्री | इलाहाबाद |
| प्रेमलता कटियार, श्रीमती | कानपुर नगर |
| फतेह बहादुर, श्री | महराजगंज |
| फरीद महफूज किदवई, श्री | बाराबंकी |
| फागू, श्री | मऊ |
| बजरंग बहादुर सिंह, श्री | महराजगंज |
| बलबीर, श्री | मुजफ्फरनगर |
| बिरजू राम, श्री | जौनपुर |
| बृजेश सौरभ, श्री | प्रतापगढ़ |
| बैजनाथ दुबे, श्री | गोण्डा |
| ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री | देवरिया |
| भगवती प्रसाद सागर, श्री | झांसी |
| भगवान दास, श्री | सन्तकबीरनगर |
| भगवान सिंह कुशवाहा, श्री | आगरा |
| भगेलू राम, श्री | सुल्तानपुर |
| भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री | इटावा |
| भोला, श्री | आजमगढ़ |
| मंजू, श्रीमती | बलिया |
| मदन भैया, श्री | बागपत |
| मदन चौहान, श्री | गाजियाबाद |
| मधुसूदन शर्मा, श्री | आगरा |
| मनोज चौधरी, श्री | सहारनपुर |
| ममतेश शाक्य, श्री | एटा |
| मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री | रायबरेली |
| महिपाल सिंह, श्री | सहारनपुर |
| महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री | सीतापुर |
| महेन्द्र सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री | इटावा |
| महेश चन्द्र, श्री | कानपुर देहात |
| महेश चन्द्र गुप्ता, श्री | बदायूं |
| माता प्रसाद पाण्डेय, श्री | सिद्धार्थनगर |
| माधव पासवान, श्री | गोरखपुर |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| मिथिलेश कुमार, श्री | शाहजहाँपुर |
| मिथलेश कटियार, श्रीमती | कानपुर देहात |
| मीता गौतम, कु0 | बाराबंकी |
| मुख्तार अंसारी, श्री | मऊ |
| मुरलीधर, श्री | फतेहपुर |
| मुस्लिम खां, श्री | बदायूं |
| मोहम्मद आजम खां, श्री | रामपुर |
| मोहम्मद इकबाल, श्री | बिजनौर |
| मोहम्मद इरशाद खान, श्री | लखनऊ |
| मोहम्मद गाजी, श्री | बिजनौर |
| मोहम्मद जलील खान, श्री | गोण्डा |
| मोहम्मद ताबीश खां, श्री | सन्तकबीरनगर |
| मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री | इलाहाबाद |
| यशपाल सिंह, श्री | बिजनौर |
| यशपाल सिंह चौहान, श्री | अलीगढ़ |
| यशवन्त सिंह, डा0 | मुजफ्फरनगर |
| यसपाल सिंह रावत, श्री | गोरखपुर |
| योगराज सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| योगेन्द्र सागर, श्री | बदायूँ |
| योगेश वर्मा, श्री | मेरठ |
| रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0 | कानपुर देहात |
| रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया" | |
| कुंवर, श्री | प्रतापगढ़ |
| रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर | कुशीनगर |
| रतनलाल अहिरवार, श्री | झांसी |
| रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री | कुशीनगर |
| रमेश गौतम, श्री | गोण्डा |
| रमेश चन्द्र विन्द, डा0 | मिर्जापुर |
| रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री | जौनपुर |
| रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री | सहारनपुर |
| राकेश कुमार गोस्वामी, श्री | महोबा |
| राकेश धर त्रिपाटी, डा0 | इलाहाबाद |
| राकेश बाबू, श्री | फिरोजाबाद |
| राघव लखन पाल, श्री | सहारनपुर |
| राजकुमार सिंह गौतम, डा0 | गाजीपुर |
| राजकुमार रावत, श्री | मथुरा |
| राजपाल सिंह, श्री | गाजियाबाद |
| राजबली जैसल, श्री | इलाहाबाद |
| राजाराम त्यागी, श्री | रायबरेली |
| राजीव कुमार सिंह, श्री | बाराबंकी |
| राजीव चन्ना, श्री | मुरादाबाद |
| राजेन्द्र कुमार, श्री | मऊ |
| राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री | बस्ती |
| राजेन्द्र सिंह, डा0 | आगरा |
| राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री | गोरखपुर |
| राजेश अग्रवाल, श्री | बरेली |
| राजेश कुमार, श्री | लखीमपुर खीरी |
| राजेश त्रिपाठी, श्री | गोरखपुर |
| राजेश यादव, श्री | शाहजहांपुर |
| राजेश्वरी, श्रीमती | हरदोई |
| राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 | गोरखपुर |
| राधे लाल रावत, श्री | उन्नाव |
| राधे श्याम गुप्ता, श्री | फतेहपुर |
| राधेश्याम जायसवाल, श्री | सीतापुर |
| राम अचल राजभर, श्री | अम्बेडकरनगर |
| राम किशुन, श्री | चन्दौली |
| राम कुमार तिवारी, पण्डित | ललितपुर |
| रामपाल राजवंशी, श्री | सीतापुर |
| रामपाल वर्मा, श्री | हरदोई |
| राम प्रकाश कुशवाहा, श्री | कानपुर नगर |
| राम प्रकाश यादव, श्री | फिरोजाबाद |
| राम प्रसाद चौधरी, श्री | बस्ती |
| राम प्रसाद जायसवाल, श्री | देवरिया |
| राम विशुन आजाद, श्री | गोण्डा |
| रामवीर उपाध्याय, श्री | हाथरस |
| राम सागर अकेला, श्री | श्रावस्ती |
| राम सिंह, डा0 | अलीगढ़ |
| राम सेवक, श्री | सुल्तानपुर |

| | |
|---|---|
| राम सेवक सिंह पटेल, श्री | बदायूं |
| रामस्वरूप सिंह, श्री | कानपुर देहात |
| रामहेत भारती, श्री | सीतापुर |
| रिजवान अहमद खाँ, श्री | ज्योतिबाफूलेनगर |
| रियाज अहमद, श्री | पीलीभीत |
| रोशन लाल वर्मा, श्री | शाहजहाँपुर |
| लक्ष्मी नारायण, श्री | मथुरा |
| लखीराम नागर, श्री | मेरठ |
| लल्लू सिंह, श्री | फैजाबाद |
| लालजी टण्डन, श्री | लखनऊ |
| लालजी यादव, श्री | सिद्धार्थनगर |
| लालजी वर्मा, श्री | अम्बेडकरनगर |
| वकार अहमद शाह, डा0 | बहराइच |
| वाचस्पति, श्री | कौशाम्बी |
| वारिस अली, श्री | बहराइच |
| वासुदेव सिंह "बाबा", श्री | बुलन्दशहर |
| विजय कुमार, श्री | गाजीपुर |
| विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री | मुरादाबाद |
| विजय पाल सिंह, श्री | बरेली |
| विजय बहादुर यादव, श्री | गोरखपुर |
| विद्या चौधरी, श्रीमती | आजमगढ़ |
| विद्यासागर गुप्त, श्री | लखनऊ |
| विनोद कुमार, श्री | प्रतापगढ़ |
| विनोद सिंह, श्री | सुल्तानपुर |
| विनोद कुमार हरित, श्री | मेरठ |
| विनोद चतुर्वेदी, श्री | जालौन |
| विवेक कुमार सिंह, श्री | बांदा |
| विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री | बांदा |
| विशम्भर सिंह यादव, श्री | बांदा |
| विश्वनाथ, श्री | कुशीनगर |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | बरेली |
| वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री | बुलन्दशहर |
| वेदराम भाटी, श्री | बुलन्दशहर |
| शम्भू चौधरी, श्री | कुशीनगर |
| शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री | बरेली |
| शारदा प्रसाद, श्री | चन्दौली |
| शहनवाज, श्री | बिजनौर |
| शाहिद मंजूर, श्री | मेरठ |
| शिव गणेश, श्री | रायबरेली |
| शिवबालक पासी, श्री | रायबरेली |
| शिवशंकर, श्री | बलिया |
| शीशराम, श्री | बिजनौर |
| शेखर तिवारी, श्री | औरैया |
| शेर बहादुर, श्री | अम्बेडकरनगर |
| शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री | जौनपुर |
| श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री | वाराणसी |
| श्याम नरायण यादव, श्री | आजमगढ़ |
| श्याम लाल, श्री | बलरामपुर |
| श्याम सुन्दर शर्मा, श्री | मथुरा |
| श्रीपति आजाद, श्री | महराजगंज |
| श्रीभगवान पाठक, श्री | बलिया |
| संग्राम सिंह, श्री | बाराबंकी |
| संजय कुमार त्रिपाठी, श्री | प्रतापगढ़ |
| संजय कपूर, श्री | रामपुर |
| संजीव दरियाबादी, श्री | कानपुर नगर |
| संध्या, कुमारी | मैनपुरी |
| सत्य नारायण जैसल, श्री | सोनभद्र |
| सत्यपाल सिंह, चौ0 | अलीगढ़ |
| सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री | मेरठ |
| सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री | गौतमबुद्धनगर |
| सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 | बागपत |
| सदल प्रसाद, श्री | गोरखपुर |
| सनातन पाण्डेय, श्री | बलिया |
| सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री | आजमगढ़ |
| सलिल विश्नोई, श्री | कानपुर नगर |
| सिनोद कुमार शाक्य, श्री | बदायूं |
| सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री | गाजीपुर |
| सी0 एम0 प्रसाद, श्री | सोनभद्र |
| सीमा द्विवेदी, श्रीमती | जौनपुर |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | | | |
|---|---|---|---|
| सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री | फतेहपुर | सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री | लखनऊ |
| सुखदेव राजभर, श्री | आजमगढ़ | सुल्तान बेग, श्री | बरेली |
| सुखलाल, श्री | पीलीभीत | सुशील कुमार, श्री | चन्दौली |
| सुधीर कुमार, श्री | उन्नाव | सूरजपाल ठाकुर, श्री | आगरा |
| सुनील शर्मा, श्री | गाजियाबाद | सूरज सिंह शाक्य, श्री | एटा |
| सुन्दर लाल लोधी, श्री | उन्नाव | सूर्यभान, श्री | मिर्जापुर |
| सुभाष, श्री | बलिया | सोबरन सिंह, श्री | मैनपुरी |
| सुभाष पाण्डेय, श्री | जौनपुर | हरगोविन्द भार्गव, डा0 | सीतापुर |
| सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री | आजमगढ़ | हरपाल सिंह, श्री | मुरादाबाद |
| सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री | वाराणसी | हरिओम, श्री | जालौन |
| सुरेश तिवारी, श्री | देवरिया | हसरत उल्ला, श्री | एटा |
| सुरेश कुमार खन्ना, श्री | शाहजहांपुर | हुकुम सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री | लखनऊ | होराम सिंह, श्री | गौतमबुद्धनगर |

**नोट** :–आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) व वित्त मंत्री (श्री कमलाकान्त गौतम) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नियम 311 के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाओं को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

श्री अम्बिका चौधरी-

जब से प्रदेश में यह सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब आप प्रश्नकाल होने दें। आपकी महत्वपूर्ण समस्या है प्रश्नकाल के बाद अपनी बात कह लीजिएगा।

(इसी मध्य कांग्रेस पार्टी के प्रदीप जैन आदित्य व राष्ट्रीय लोक दल के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गए)

श्री अध्यक्ष-

कौकब साहब आप अपने सदस्यों को बुला लें। मैं सुन लूंगा।

(वेल में उपस्थित सदस्य हरित प्रदेश और बुन्देलखण्ड को ले करके प्रदेश विभाजन के नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

आप अपने आसन पर जाकर अपनी बात कहिए। मैं पूरी बात सुनूंगा।

(प्रदेश पुनर्गठन की मांग को लेकर सदन के फ्लोर पर आए लोकदल के सदस्यगण श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर वापस चले गये)

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी, हमने नियम 311 में अपनी सूचना दी है पूरे प्रदेश में इस सरकार के बनने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें अफसोसजनक बात यह है कि हम विधान सभा में अपनी बात नहीं कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

विधायक का मसला है मैं सुन लूंगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने नियम 311 में सूचना दी है। जो उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों के साथ ज्यादती हो रही है विशेष रूप से गन्ना किसानों का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

मैं उसको सुन लूंगा। उसे सुनने के लिए प्रथम वरीयता में चयनित किया है। हुकुम सिंह जी आपकी सूचना सुनने के लिये प्रथम वरीयता में चयनित किया है। आप कह लीजियेगा सिंह साहब। आपको सुना जायेगा। यह किसानों से जुड़ा हुआ मसला है और आपका भी अम्बिका साहब माननीय विधायक से जुड़ा मसला है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जनता की बात यहां कहने के लिये आते हैं अगर यहां सदन में आते समय भी हमारी गिरफ्तारी इतनी जरूरी हो गयी है और मान्यवर वह इस कारण से नहीं और मान्यवर, अरविन्द गिरि कोई अपराधी नहीं हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूटे मुकदमे लगाये जा रहे हैं वे कोई अपराधी नहीं हैं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सर्वश्री डा0 आर0 ए0 उस्मानी, उदयराज, राम बिशुन आजाद, विशम्भर प्रसाद निषाद, बैजनाथ दुबे, सनातन पाण्डेय तथा श्री दुर्गा प्रसाद यादव आदि नारे लगाते रहे और श्री अरविन्द गिरि की रिहाई की मांग करने लगे)

श्री अध्याक्ष-

मौका मिलेगा तो उस समय कहियेगा। चौधरी साहब सब कह लेंगे तो बचेगा क्या ? आपको जब सुना जायेगा तब कहियेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

नहीं श्रीमन्, इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है ? श्रीमन्, हमारा अनुरोध है आप नियमावली देख लें। हमारा अनुरोध है कि नियम 311 में सदन के सारे नियमों को निलम्बित करके।

श्री अध्यक्ष-

हमारा भी अनुरोध सुन लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, अगर माननीय अरविन्द गिरि और दूसरे माननीय विधायक सदन में आ ही नहीं पायेंगे.....

श्री अध्यक्ष-

हमारा भी अनुरोध सुन लें। 311 में कब आप सुने हैं और कब निलम्बित किये हैं सारे नियमों को। उसको नियम-56 में सुना जाता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मेरा अनुरोध आप सुन लें। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। आप ही संरक्षण दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इस सदन के बाहर सरकार जो कर रही है, वह कर रही है। आप ही नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा ? मान्यवर, हम विधान सभा में चले आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब बैठिये। मैंने कहा है मैं सुनूंगा। 311 में उसको सुन लूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

नहीं मान्यवर, इससे जरूरी कुछ नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अच्छा आप बताइये अग्रवाल साहब 311 में कभी सुने हैं। 311 में नहीं बनता है। कब सुना है ? जब मैंने सुनने के लिये कहा है तो सुनूंगा। मैं 56 में सुन लूंगा। अरे उदयराज जी इधर न बढ़ें। आप कानून, संयम और परम्परा का पालन करें। चौधरी साहब, मैं आपको सुनने को तैयार हूं। मैंने कहा कि मैं आपको नियम-56 में सुन लूंगा तो किसलिये 311 में। 311 में कभी आपने सुना है तो कहें चलिये हम परम्परा कायम करते हैं। अच्छा चौधरी साहब आप कहिये अपनी बात और माननीय सदस्य आप लोग शांत रहिये। 311 में कभी सुना है। 311 को मैंने 56 में परिवर्तित कर दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी, आपकी कृपा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने 56 में परिवर्तित कर दिया है तो आपकी भी कृपा आ जाय तब तो हम कृपा देंगे। दोनों के बीच टकराव कैसे हो जायेगा ?

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है।

श्री अध्यक्ष-

आजाद जी, आप चौधरी साहब को बोलने नहीं दे रहे हैं। आजाद जी, आप चौधरी साहब को क्यों नहीं बोलने द रहे हैं ? जब वे बोल रहे हैं तो व्यवधान क्यों पैदा कर रहे हैं ? जब चौधरी साहब बोल रहे हैं तो आप किसलिये बीच में आ गये ? उन्हें बोलने दें।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, सीट पर से बोलें। सीट पर से अनुमति दें। यहां से बोलने की अनुमति न दें ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

यहां से बात करने का कोई चौचित्य नहीं हैं आजाद जी, बैठ जायं। आपको मैं सुनूंगा। विधायक जी के मसले पर आप जो कहना चाहेंगे मैं सुनूंगा। सरकार जो कहना चाहेगी मैं सुनूंगा। मैं सुनूंगा चौधरी साहब। अरे अग्रवाल साहब मैं सुनूंगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

कार्य-स्थगन तो मान्यवर, सबसे आखिर में है। हम शुरू में कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा तो आप कहें न। आप कहें मैं सुनने के लिये तैयार हूं आप सब बैठ जायं। पहले प्रश्न काल होने दें। मैंने कहा है, मैं सुनूंगा।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। आज किसान भुखमरी की कगार पर है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं। मैं आपकी बात सुनने के लिये तैयार हूं। यह इतने महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं। आप ही के प्रश्न है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न काल हो जाने दें। आपकी बात सुन ली जायेगी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। बदले की भावना से गिरफ्तार किया गया है। यह हमारे लिये ज्यादा महत्वपूर्ण है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा फ्लोर से नारे लगाये जाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब सदस्यों को बैठा लीजिये मैं सुनूंगा। आप आसन ग्रहण कर लीजिये। चलिये मैं सुनूंगा। चलिये माननीय चौधरी साहब आप आसन ग्रहण कर लें।

('नत्थी क' अल्पसूचित तारांकित प्रश्न-1 पुकारे जाने पर सपा के सदस्यगण पुनः माननीय सदस्य अरविन्द गिरि को रिहा किये जाने के नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायं और अपनी बात कहें। हम सदन चलाना चाहते हैं। आप भी चलाने में मदद करें। आपकी बात मैंने कहा सुनूंगा चौधरी साहब लेकिन आप जिद कर रहे हैं कि सारे नियमों को निलम्बित करके सुना जाय। जब आप हमारा निवेदन नहीं मान रहे हैं तो हम कार्यवाही आगे बढ़ायेंगे कि नहीं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इनसे कहिये अरविन्द गिरि को सदन में ले आयं। मान्यवर, सरकार को निर्देशित करें कि अरविन्द गिरि को सदन में लायें।

(घोर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इन लोगों के पास कुछ कहने को तो है नहीं, प्रदेश की जनता ने इनको अस्वीकृत करने का काम किया है आज जनता की समस्याओं के लिए इनके पास समय नहीं है। केवल अपराधों को बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी लगी हुई है, तो जब इनके पास कुछ कहने को है ही नहीं तो क्या कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मैं निवेदन कर रहा हूं। चौधरी साहब आप बैठकर बात कह लीजिए। अपने आसन पर जाकर बात कह लें। मा0 विधायक जी की बात भी कहना नहीं चाहते। आप अगर उस माननीय के घटनाक्रम में कुछ कहना चाहते हैं तो आप आसन ग्रहण करके मा0 विधायक के बारे में कुछ कहें। आप आसन ग्रहण नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं हल्ला गुल्ला में पास

करा लेना चाहते हैं। आप बैठ जाय और अपनी बात कहें। आप मा0 विधायक जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नियम-56 में कहें। आपकी बात मैं सुनने को तैयार हूं आप अपने मा0 सदस्यों को आसन ग्रहण करा लें मैं सुनूंगा।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी,

श्री अध्यक्ष-

आप व्यवस्थित करें मा0 सदस्यों को .....

श्री लालजी वर्मा-

व्यवस्थित होने दें मान्यवर,

श्री अध्यक्ष-

आपसे कह रहा हूं थोड़ा इनको बुलाकर कह दें, फिर जो भी करेंगे आपका स्वतंत्र अधिकार है। आप मा0 सदस्यों को बुला लें इसमें कहने का क्या औचित्य है सदन व्यवस्थित नहीं है उस बीच में आप रखेंगे भी तो उसका क्या औचित्य है ? आज़म साहब जी मैं निवेदन कर रहा हूं आप कहेंगे मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मा0 अध्यक्ष जी, हम भी यह नहीं चाहते कि प्रश्नकाल न हो और प्रश्नकाल विपक्ष का ही होता है यह भी सही है लेकिन सदन में ऐसी परिस्थितियां अबसे पहले भी बहुत बार आई है जब प्रश्न काल स्थगित हुआ है और प्रश्नकाल में ही सुना गया है उस पीठ से।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, वह ठीक है। लेकिन 311 में चौधरी साहब ने एक सूचना दी है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

आप हमें इतना कहने का तो अधिकार देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपको तो पूरा कहने का अधिकार है। यह तो अधिकार सुरक्षित है आपके सभी सदस्यों का।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हमें बस आपको सुनना है। अपनी बात भी न कहें। आपको ही सुनते रहें।

श्री अध्यक्ष-

हमको सुनते रहें या न सुनते रहें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह आपत्तिजनक बात है। इस तरह की भाषा का प्रयोग उचित नहीं है और मान्यवर, जब सदन अव्यवस्थित है ऐसी स्थिति में मान्यवर, सुनना नहीं चाहिए।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं कह रहा हूं आप सदन व्यवस्थित कराके अपनी बात कह दीजिए हो सकता है आपको हमारी व्यवस्था पसन्द आये या न आये उसको बाद में देख लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप सुनेंगे अभी ऐसा आश्वस्त कीजिए। सभी वापस आ जायेंगे अपनी सीटों पर।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो मैंने कहा कि नियम-56 में मैंने सुनने का मौका दे दिया है। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं 311 में हम कहेंगे सारे नियम निलम्बित कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, क्या इससे भी गम्भीर परिस्थिति हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष-

परिस्थितियां तो बहुत आईं। आप तो वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। 311 में आपने कितनी सूचनाओं को स्वीकारा था यह भी बता दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जिन विधायकों से सदन है उनको सदन में आने से रोका जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मैं कह रहा हूं अगर माननीय विधायकों के अधिकार का हनन है उससे जुड़ा मसला है तो उसको सदन में कहें। सरकार अपना पक्ष कहे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ऐसे सदन को बुलाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री लालजी वर्मा-

क्या किसी विधायक को अपराध करने की छूट दी जा सकती है ? मान्यवर, क्या किसी विधायक को कानून अपने हाथ में लेने की छूट दी जा सकती है ?

(व्यवधान के मध्य)

या किसी विधायक को थाने पर आक्रमण करने की छूट दी जा सकती है ? अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही होगी और निश्चित रूप से इसके लिए सरकार को बधाई देनी चाहिए। सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने का फैसला किया है।

(वेल में आए हुए समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री अरविन्द गिरि को रिहा किये जाने सम्बन्धी नारे लगा रहे थे। श्री अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सदन में शान्ति बनाए रखने और अपने-अपने स्थानों पर जाने का अनुरोध किया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब 311 में सुनेंगे, हम कह रहे हैं। आप 311 में सुनने के लिए कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सुनेंगे। मैं सुनूंगा, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैं तो सुनना चाहता हूं।

(श्री अध्यक्ष के आश्वासन की अनसुनी करते हुए फ्लोर पर आए सदस्यगण नारे लगाते हुए अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे जिन्हें विधान सभा के सुरक्षा सहायकों ने मजबूती से रोक लिया)

श्री अध्यक्ष-

मैं 10 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 16 मिनट पर 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 11 बजकर 26 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12.00 बजे तक बढ़ा दिया है। 12 बजे मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12.19 बजे तक बढ़ा दिया है। 12 बजकर 19 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई )

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्यगण श्री अरविन्द गिरि की रिहाई को लेकर तथा राष्ट्रीय लोक दल के सदस्यगण प्रदेश की पुनर्गठन की मांग करते हुए सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगणों से अनुरोध है कि वह शान्तिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लें।

## प्रश्नोत्तर

### अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण तथा अवकाश यात्रा सुविधा बहाली की मांग

**1-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण तथा अवकाश यात्रा सुविधा पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त सुविधा पुनः बहाल की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री कमलाकान्त गौतम)-

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के सेवा अवधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण को फिलहाल स्थगित किया गया है।

अवकाश यात्रा सुविधा पर प्रतिबन्ध नहीं है।

प्रदेश शासन की वित्तीय स्थिति एवं विकास संबंधी अन्य प्रतिबद्धताओं को देखते हुए अवकाश नकदीकरण की सुविधा फिलहाल बहाल किया जाना सम्भव नहीं प्रतीत होता।

---

नोट :-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

**पश्चिमी उ0 प्र0 के कतिपय जिलों में डेंगू के प्रकोप से हुई मौतों की रोकथाम हेतु कार्य योजना**

**2-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि पश्चिमी उ0 प्र0 के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद आदि जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ने से कई मौतें हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिये कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्र)-

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में डेंगू रोग के 08, सहारनपुर में 04, गाजियाबाद में 24 रोगी पाये [illegible] मेरठ में डेंगू का कोई भी रोगी नहीं पाया गया है। उक्त जनपदों में किसी भी डेंगू ग्रसित रोगी की मृत्यु नहीं हुई है।

जी हां।

डेंगू रोग की रोकथाम हेतु डेंगू नियंत्रण कार्य योजना 2007 बनायी गयी है जिसमें डेंगू रोगियों की समय से पहचान तथा तत्काल उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा, मच्छरों पर नियंत्रण हेतु लार्वानाशकों का छिड़काव, वेक्टर सर्वलेन्स, प्रशिक्षण एवं अन्तर्विभागीय सहयोग आदि मुख्य बिन्दु सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

## तारांकित प्रश्न

*1-चौ0 सत्यपाल सिंह-

[1ले मंगलवार के तारां0 प्र0 सं0-12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**प्रदेश में स्थित सहकारी चीनी मिलों को बिक्री करने/लीज पर देने सम्बन्धी जानकारी**

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में स्थित सहकारी चीनी मिलें जो घाटे में चल रही हैं, को जून-जुलाई, 2007 में बिक्री करने/लीज पर देने का निर्णय लिया गया है ? क्या जो मिलें घाटे में नहीं चल रही हैं उनको भी लीज पर देने/बिक्री करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो वे कौन सी चीनी मिलें हैं ? क्या सरकार मुनाफे में चल रही चीनी मिलों की बिक्रीलीज जनहित में रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

प्रदेश सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलों के वर्षानुवर्ष घाटे पर रहने एवं शासन पर बढ़ते व्यय भार के दृष्टिगत सहकारी चीनी मिलों में निजी पूंजी निवेश/विक्रय का सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 2005-06 में डामर व ग्रिट की खरीद में हुई वित्तीय अनियमितता की जांच**

*3-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005-06 में प्रान्तीय खण्ड मैनपुरी में अतिरिक्त सी0सी0एल0 से लगभग 2 करोड़ रुपये का डामर खरीदा गया है और इसी वित्तीय वर्ष में भोगांव जनपद मैनपुरी डम्प पर 3054 एस0आर0एफ0 मद में उक्त कार्य स्वीकृत न होने के बावजूद लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपये की ग्रिट की खरीद की गयी ? क्या इस राशि को राजस्व मद में वर्ष 2006-07 में जमा किया गया ? क्या वर्ष 2005-06 में पूर्ण हो चुके कार्य जिसकी राशि वर्ष 2006-07 में प्राप्त हुई उसे राजस्व मद में जमा किया गया ? क्या इस वित्तीय अनियमितता की सरकार जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। 2 करोड़ 50 लाख रुपये की ग्रिट न खरीद कर 1 करोड़ 64 लाख रुपये की ग्रिट खरीद कर प्रश्नगत मद में लेखांकित की गयी है।

जी नहीं।

जी नहीं।

जी हां। प्रारम्भिक जांच में दोष सिद्ध पाये जाने पर तथा गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। कोतवाली मैनपुरी तथा कोतवाली थाना हजरतगंज में एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में जनसंख्या के अनुरूप खाद्यान्न वितरण हेतु गेहूं का भण्डारण**

*4-श्री हुकुम सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि खाद्यान्न वितरण हेतु प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में इस वर्ष में कितने गेहूं की आवश्यकता है ? क्या प्रदेश सरकार के पास आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में गेहूं का भण्डारण है ? यदि नहीं, तो आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय किये गये हैं ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

प्रदेश में खाद्यान्न का वितरण सम्प्रति बी0पी0एल0/अन्त्योदय लाभार्थियों को किया जा रहा है। लाभार्थियों की कुल संख्या के अनुपात में इस वर्ष 796571.570 मी0 टन गेहूं की आवश्यकता है।

प्रदेश सरकार के पास केन्द्रीय पूल में प्रदेश के लिए उपलब्ध गेहूं की मात्रा को मिलाकर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में गेहूं का भण्डारण है।

प्रश्न नहीं उठता।

**पत्रकारों, साहित्यकारों व प्रख्यात वैज्ञानिकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की शासन की नीति**

*5-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ राजधानी की भांति प्रदेश के अन्य जनपदों में भी पत्रकारों, साहित्यकारों व प्रख्यात वैज्ञानिकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की कोई नीति शासन बना रहा है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास प्राधिकरणों द्वारा स्थानीय मांग, आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं का लाभ पत्रकारों, साहित्यकारों एवं प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा लिया जा सकता है।

**जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी स्थित तेरह मोरी बांध का पुनर्निर्माण कराने की मांग**

*6-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-आगरा में फतेहपुर सीकरी स्थित तेरह मोरी बांध वर्तमान में जर्जर अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बांध का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-आगरा में फतेहपुर सीकरी स्थित तेरह मोरी बांध वर्तमान में कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त है।

उक्त बांध के सुदृढ़ीकरण की परियोजना तैयार की जा रही है। परियोजना की स्वीकृति तथा बजट व्यवस्था होने पर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश की सहकारी एवं निगम की चीनी मिलों में घाटे के कारण की उच्च स्तरीय जांच**

*7-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की सहकारी एवं निगम की मिलों को घाटे से उबारने के लिये घाटे के कारणों की प्रदेश स्तर पर उच्च स्तरीय जांच करवाई गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा क्या घाटे के दोषी अधिकारियों पर दायित्व का निर्धारण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## सरकार द्वारा प्रदेश के गन्ना कृषकों को प्रोत्साहन हेतु कार्य योजना

*8-श्री मदन भैया-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश के गन्ना कृषकों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

सरकार द्वारा प्रदेश के गन्ना कृषकों को प्रोत्साहन देने हेतु वर्तमान में निम्न योजनायें प्रचलित हैं :-

(1) सघन गन्ना विकास योजना।

(2) अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना।

(3) अम्बेडकर ग्राम में अनुसूचित जाति के कृषकों को गन्ने की खेती करने हेतु प्रोत्साहित करने की योजना।

(4) मैक्रोमोड आफ एग्रीकल्चर शुगरकेन डेवलपमेन्ट योजना।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश के किसानों को सुनिश्चित तिथि तक गन्ना मूल्य की बकाया धनराशि के भुगतान न करने वाले मिल मालिकों/प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही

*9-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री राम बिशुन आजाद तथा श्री अवधेश प्रसाद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 अगस्त, 2007 तक प्रदेश के किसानों को गन्ना मूल्य बकाया धनराशि के भुगतान की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त तारीख तक कुल कितनी धनराशि का भुगतान मिल मालिकों/प्रबन्धकों द्वारा किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि भुगतान न करने वालों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

दिनांक 31-8-2007 तक प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा कुल बकाया गन्ना मूल्य रु0 11010.66 करोड़ के सापेक्ष रु0 9117.55 करोड़ का भुगतान कर दिया गया था।

बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाली निजी क्षेत्र 64 चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। निजी क्षेत्र की 07 चीनी मिलों के विरुद्ध विधिक बाध्यता के कारण वसूली की कार्यवाही प्रभावित है। निजी क्षेत्र की 14 चीनी मिलों द्वारा तथा संघ की 04 चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। सहकारी/निगम क्षेत्र की बकायेदार चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध कराने का प्रकरण विचाराधीन है।

**झांसी जनपद के गरौठा क्षेत्र में अवर्षण की स्थिति के कारण नये राजकीय नलकूप लगाने व लिफ्ट एरीगेशन के निर्माण कार्य की मांग**

*10-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गरौठा क्षेत्र में 4 वर्ष से अवर्षण की स्थिति के कारण हजारों हेक्टेयर भूमि असिंचित पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिये वित्तीय वर्ष 2007-08 में नये राजकीय नलकूप लगाने एवं लिफ्ट एरीगेशन के निर्माण की कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। जनपद-झांसी के गरौठा क्षेत्र में विगत 4 वर्षों में वर्ष 2003 को छोड़कर औसत से कम वर्षा हुयी है।

वर्ष 2007-2008 में जनपद झांसी में चौधरी चरण सिंह नलकूप परियोजना के अन्तर्गत 02 नलकूप प्रस्तावित हैं। जिसमें गरौठा क्षेत्र सम्मिलित है। उक्त नलकूपों के निर्माण के सम्बन्ध में रजिस्टीविटी सर्वे में साध्य पाये जाने के उपरान्त जिला स्थल चयन समिति से अनुमोदित होने की स्थिति में यथास्थिति अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। गरौठा विधान सभा क्षेत्र में नदियों में नयी लिफ्ट इरीगेशन योजना लगाने के लिये पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**विधायकों को रहने हेतु दारुलशफा में निवास आवंटन**

*11-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों को रहने हेतु दारुलशफा लखनऊ में एक निवास आवंटित होता है, जिससे विधायकों को बहुत परेशानी होती है ? क्या सरकार विधायकों को रहने हेतु दारुलशफा में दो निवास देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कु0 मायावती)-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली, 1963 में विधायकों को रहने हेतु विधायक निवासों में कमरों का एक कक्ष आवंटित किये जाने की व्यवस्था है।

(ख) इस निमित्त उच्चादेश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के स्थाई समाधान हेतु कार्य योजना**

*12-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के स्थाई समाधान हेतु किसी कार्य योजना को बनाने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

पूर्वी जिलों की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान एवं जल ग्रहण क्षेत्र नेपाल राष्ट्र में होने के कारण बाढ़ के स्थाई समाधान हेतु नेपाल के सहयोग की आवश्यकता होगी। अन्तर्राष्ट्रीय विषय निहित होने के कारण निश्चित समय-सीमा बता पाना सम्भव न होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**किसानों के गन्ने के मूल्य निर्धारण तथा गन्ना नीति में संशोधन विषयक पत्र पर कार्यवाही**

*13-श्री उदयभान करवरिया-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21/25-06-2007 जो गन्ने के उत्पाद व सह उत्पाद के मूल्य के आधार पर किसानों के गन्ने का मूल्य निर्धारण तथा गन्ना नीति में संशोधन विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

पत्र जांचकर यथोचित कार्यवाही हेतु गन्ना आयुक्त को भेज दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

## अतारांकित प्रश्न

**जनपद-लखीमपुर खीरी में लखीमपुर से शारदानगर होते हुए ढखेरवा चौराहे तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने संबंधी जानकारी**

1-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में लखीमपुर से शारदा नगर होते हुए ढखेरवा चौराहा तक सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिससे जनता को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है ? क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग का कुछ भाग क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-लखीमपुर खीरी में ढखेरवा चौराहे से शारदानगर तक शारदा पोषक नहर के दोनों तरफ जलमग्न भूमि की समस्या का निराकरण**

2-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में ढखेरवा चौराहे से शारदानगर तक शारदा पोषक नहर दोनों तरफ सैकड़ों एकड़ भूमि सीपेज के कारण जलमग्न है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इसका निराकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

शारदा सहायक प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना लागत रु0 269.73 करोड़ बतायी गयी है जो केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार में परीक्षणाधीन है। इस परियोजना में सीपेज ड्रेनों की पुनर्स्थापना का कार्य भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**अधिशासी अभियन्ता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड नं0-2 लखनऊ में कर्मचारियों की वरिष्ठता क्रम से पदोन्नति की मांग**

3-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड नं0-2 लखनऊ में जुलाई, 1985 से कार्यरत हेल्परों की वायर मैन/इलेक्ट्रीशियन के पद पर पदोन्नति/पद परिवर्तन में वरिष्ठ कर्मचारियों की अनदेखी करते हुए जूनियर कर्मचारियों की पदोन्नति वर्ष 2001 में कर दी गयी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा वरिष्ठता क्रम में पदोन्नति से वंचित हेल्परों की पदोन्नति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जुलाई, 1985 से कार्यरत किसी श्रेणी के हेल्परों की वायरमैन/इलेक्ट्रीशियन के पद पर पदोन्नति/पद परिवर्तन 2001 में नहीं किया गया है। अतः वरिष्ठ कर्मचारियों की अनदेखी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**लखनऊ महानगर में प्रारम्भ की गयी हैदर कैनाल हाईवे योजना का विवरण**

4-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर में प्रारम्भ की गयी हैदर कैनाल हाईवे योजना का विवरण क्या है ? इस योजना में सड़कों का निर्माण किस स्थान से प्रारम्भ होकर किस स्थान तक किया जायेगा ? इस योजना की कुल लागत क्या है तथा इसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

"राइट्स" द्वारा लखनऊ नगर में राजाजीपुरम् के डी0 ब्लाक से कालीदास मार्ग चौराहे तक लगभग 11.20 कि0मी0 लम्बाई में हैदर कैनाल पर एक्सप्रेस हाईवे निर्मित करने हेतु फिजिबिलिटी स्टडी की गई थी। इस परियोजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध रूप से किया जाना है। प्रथम चरण में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से सदर पुल तक हैदर कैनाल पर स्लैब डालकर सड़क निर्मित करने व उसके दोनों ओर के क्षेत्र का विकास व सौन्दर्यीकरण किये जाने की योजना है। वर्तमान में विस्तृत डिजाइन व ड्राइंग तैयार की जा रही है जिसके उपरान्त ही परियोजना की लागत का पूर्ण आंकलन किया जा सकेगा तथा तत्पश्चात् परियोजना की अवधि निर्धारित की जा सकेगी।

**जानकीपुरम् लखनऊ में आवंटी के आवंटित भवन को अवैध कब्जेदार से खाली कराकर कब्जा दिलाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही**

5-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री को जानकारी है कि श्री कमलेश कुमार पुत्र स्व0 जयदयाल, भाजपा विधान मण्डल दल के कार्यालय विधान भवन, लखनऊ का पत्र दिनांक 28-11-06 जो सेक्टर-जे, जानकीपुरम्, लखनऊ में उनके नाम आवंटित भवन सं0 1/792 को अवैध कब्जेदार से खाली कराकर कब्जा दिलाये जाने विषयक था, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत भवन पर अवैध रूप से काबिज व्यक्ति के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा भवन खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

6-डा0 धर्मपाल सिंह-

[2सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0-36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद-सिद्धार्थनगर के बांसी-मेंहदावल क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराने की मांग**

7-श्री लालजी यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-सिद्धार्थनगर के बांसी-मेंहदावल क्षतिग्रस्त मार्ग को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-सिद्धार्थनगर में पड़ने वाले भाग के कि0मी0 4,14 एवं 16 में नवीनीकरण का कार्य कराया जा चुका है तथा कि0मी0 18 का नवीनीकरण नवम्बर, 2007 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। शेष भाग का मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-सिद्धार्थनगर के बांसी-धानी मार्ग के राप्ती नदी पर पुल निर्माण की मांग**

8-श्री लालजी यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर के बांसी-धानी मार्ग के राप्ती नदी पर बने पुल के निर्माण में कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या उक्त पुल का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो सरकार पुल निर्माण का कार्य कब तक पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

माह अगस्त, 2007 तक रु0 455.43 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

जी हां।

पुल निर्माण कार्य मार्च, 2008 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में जिला सम्परीक्षा अधिकारियों व निदेशकों के चयन, वेतनमान व स्थायीकरण का मामला**

9-श्री लालजी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग के अधीन स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में जिला सम्परीक्षा अधिकारियों के चयन, वेतनमान एवं सहायक निदेशकों के स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रकरण कब तक निस्तारित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलाकान्त गौतम-

जिला लेखा सम्परीक्षा अधिकारियों को चयन वेतनमान नहीं अपितु समयमान वेतनमान देने का प्रकरण विचाराधीन है, जिस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा। जहां तक सहायक निदेशकों के स्थायीकरण के प्रस्ताव का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के नियम-5(1) के अनुसार सहायक निदेशक के पद पर स्थायीकरण आवश्यक नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-मथुरा की मण्डी समिति की मुख्य मण्डी में जलभराव के कारण मार्ग को ठीक कराने की मांग**

10-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा की मण्डी समिति की मुख्य मंडी में आने-जाने का मार्ग जलभराव के कारण ध्वस्त हो गया है तथा समस्त दुकानदार अपना कारोबार बन्द करने की स्थिति में पहुंच गये हैं ? क्या सरकार उक्त मार्ग को तत्काल ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मण्डी समिति के सामने 600 मीटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है किन्तु दुकानदारों द्वारा कारोबार बन्द करने की कोई स्थिति नहीं है।

उपलब्ध संसाधनों से आबादी वाले भाग में मरम्मत का कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**लखनऊ स्थित सचिवालय के मुख्य भवन के कमरों में लगे पुराने ए0सी0 से गरम व प्रदूषित हवा को रोकने का उपाय**

11-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित सचिवालय के मुख्य भवन के कमरों में लगे पुराने ए0सी0 से गरम एवं प्रदूषित हवा का उत्सर्जन होने के कारण गलियारों में निकलने वाले मंत्रीगण, विधायक एवं कर्मियों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रदूषण को रोके जाने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं। सचिवालय के मुख्य भवन के कमरों में लगे पुराने ए0सी0 में उत्सर्जित हवा प्रदूषित नहीं होती है अपितु गर्म होती है, जो शीघ्र ही गलियारों से निकल जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

आवश्यकता नहीं है।

**जनपद-अलीगढ़ में खैर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बरसाती पतवाया नाला में जलभराव से उत्पन्न स्थिति से बचाव के उपाय**

12-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खैर विधान सभा क्षेत्र, जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत बरसाती पतवाया नाला जो शादीपुर नगतिया, बिजना, दमुआंका उसरहा, रसूलपुर, भरतपुर बझैड़ा करनपुर, जड़ाना बरकीगढ़ी आदि दर्जनों गांव से होकर गुजरता है, में सिल्ट जमा होने के कारण बरसात के दिनों में जलभराव से किसानों की फसलों का नुकसान होता है ? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त नाले की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। अत्यधिक वर्षा होने पर क्षेत्र में जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है।

पथवाया नाले की क्षमता पुनर्स्थापना हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण के उपरान्त योजना बनाकर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

परियोजना स्वीकृति के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

**भूमि के गिरते जल स्तर को सुधारने के लिए पतवाया नाला अलीगढ़ में चेकडैम बनाने सम्बन्धी जानकारी**

13-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि के गिरते जल स्तर को सुधारने के लिये खैर विधान सभा क्षेत्र पतवाया नाला अलीगढ़ में नियमित दूरी पर छोटे-छोटे चेकडैम बनाने के लिये सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-अलीगढ़ के विकास खण्ड टप्पल जो विधान सभा क्षेत्र खैर के अन्तर्गत आता है, में गिरते हुए भूगर्भीय जल स्तर को सुधारने के लिये बरसात के पानी को भिन्न-भिन्न नालों पर चेक डैम एवं रिचार्ज बेल के निर्माण की परियोजना तैयार की गयी, जिसके अन्तर्गत पथवाया नाला के कि0मी0 32.100, कि0मी0 36.300 एवं कि0मी0 41.100 पर 3 नं0 चेक डैम का निर्माण वर्ष 2003-04 में कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-मुजफ्फरनगर के पूर्वी यमुना नहर प्रणाली के अन्तर्गत रजवाहों में पानी पहुंचाये जाने के निर्देश**

14-श्री हुकुम सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जनपद के पूर्वी यमुना नहर प्रणाली के अन्तर्गत दर्जनों रजवाहे वर्षों से सूखे पड़े हैं ? क्या जुलाई, 2007 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मा0 सिंचाई मंत्री द्वारा 15 दिन के अन्दर टेल तक पानी पहुंचाने का आश्वासन शामली में दिया गया था, परन्तु अभी भी जनपद के अधिकांश रजवाहे पानी से वंचित हैं जिसके परिणामस्वरूप हजारों किसानों की फसलें सिंचाई सुविधा से वंचित रही ? यदि हां, तो क्या सरकार जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी एवं प्रभावित कृषकों को मुआवजा दिलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

खरीफ 1415 फसली वर्ष 2007-08 में जनपद-मुजफ्फरनगर में पूर्वी यमुना नहर प्रणाली की 43 टेले हैं। दिनांक 23-07-07 को जनपद-बागपत एवं शामली के मेरे भ्रमण के समय पूर्वी यमुना नहर प्रणाली की 43 नहरों में से जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत 06 टेलों पर पानी नहीं पहुंच पाया था। मेरे द्वारा 15 दिन के अन्दर समस्त नहरों की टेलों पर पानी पहुंचाने के निर्देश दिये गये थे। निर्धारित अवधि में शेष 06 टेलों पर भी पानी पहुंचाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र बारा के विभिन्न विकास खण्डों में मार्ग निर्मित कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही**

15-श्री उदयभान करवरिया-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-7-07 जो विधान सभा क्षेत्र बारा, जनपद-इलाहाबाद में विभिन्न विकास खण्डों में मार्ग निर्मित कराये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या संदर्भित मार्गों का सर्वेक्षण कराकर उनका प्राक्कलन प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो उनमें से कौन-कौन से मार्ग किस-किस योजना में स्वीकृत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं, किन्तु पत्र में वर्णित मार्गों में से एक कार्य जिला पंचायत, इलाहाबाद द्वारा निर्माणाधीन है तथा एक कार्य राज्य सड़क निधि से स्वीकृत है।

वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण।

16-श्री अनूप सण्डा-

[2सरे सोम0 के अता0प्र0सं0-143 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**सुल्तानपुर नगर से कुड़वार बाजार तक की जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग**

17-श्री अनूप सण्डा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर नगर से कुड़वार बाजार तक की सड़क जर्जर है जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो उक्त सड़क का मरम्मत कार्य कब तक पूरा करा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सुल्तानपुर नगर से कुड़वार बाजार तक कुल लम्बाई 14.00 कि0मी0 लम्बाई का अन्य जिला मार्ग की श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग के कि0मी0 12, 13 व 14 में आबादी भाग होने के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

इस मार्ग के कि0मी0 12 में विशेष मरम्मत कार्य की स्वीकृति दी जा चुकी है जिसे मार्च, 2008 तक पूरा कराया जाना लक्षित है। प्रश्नगत मार्ग के कि0मी0 13 और 14 में विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**यमुना नदी पर स्थित ओखला बैराज का पानी आगरा नहर को दिये जाने की मांग**

18-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में यमुना नदी पर स्थित ओखला बैराज में पानी की मात्रा वर्तमान में पर्याप्त है ? यदि हां, तो क्या आगरा नहर को 4000 क्यूसेक पानी दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

यमुना नदी पर स्थित ओखला बैराज पर खरीफ फसल में यमुना नदी में प्रायः पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। रबी फसल में जल की उपलब्धता कम हो जाती है और इसकी प्रतिपूर्ति हेतु अपर गंगा कैनाल का पानी हिन्डन नदी एवं हिन्डन कट के माध्यम से ओखला बैराज पर उपलब्ध कराया जाता है।

जी नहीं।

टिहरी डैम का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा इससे उपलब्ध होने वाले 4000 क्यूसेक जल में से 1100 क्यूसेक जल आगरा नहर को दिया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये समानान्तर हिण्डन कट नहर का निर्माण एवं आगरा नहर की क्षमतावृद्धि परियोजना के कार्य प्रगति में है।

**जनपद-आगरा की नहरों व रजवाहों को सफाई कराकर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने की मांग**

19-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा की नहरें आगरा टर्मिनल, आगरा रजवाहा, गोपऊ रजवाहा व श्यामो माइनर सूखी पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहरों व रजवाहों की पूर्ण सफाई करवाकर अन्तिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

खरीफ 1415 फसली में सींच कराई जा चुकी है। आगरा मुख्य नहर बंदी के कारण जनपद आगरा में आगरा टर्मिनल आगरा रजवाहा, गोपऊ रजवाहा व श्यामी माइनर इस समय बन्द हैं। रबी 1415 फसली का रोस्टर तैयार कर लिया गया है। रबी 1415 फसली के रोस्टर अनुसार नहरें चलाना प्रस्तावित हैं।

वर्ष 2007-2008 की रबी 1415 फसली के अन्तर्गत आगरा टर्मिनल, आगरा रजवाहा, गोपऊ रजवाहा व श्यामी माइनर की इस वर्ष 2007-08 में सफाई कराया जाना प्रस्तावित है। रबी 1415 फसली में नहरों को रोस्टर/जल उपलब्धता के अनुसार चलाकर टेल तक जलापूर्ति करायी जानी प्रस्तावित है।

सिल्ट सफाई उपरान्त रबी 1415 फसली के अन्तर्गत।

प्रश्न नहीं उठता।

**किसानों की सिंचाई का समाधान हेतु मथुरा के सब डिवीजन लोअर आगरा कैनाल मथुरा को मथुरा के अन्तर्गत अपर आगरा कैनाल मथुरा में शामिल किये जाने की मांग**

20-श्री पूरन प्रकाश-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मथुरा में गोवर्धन क्षेत्र में सिंचाई का मुख्य साधन लोअर आगरा कैनाल मथुरा है जिसके अधिशासी अभियन्ता मथुरा में न बैठकर आगरा में बैठते हैं एवं किसानों की सिंचाई का समाधान नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार मथुरा के सब

डिवीजन लोअर आगरा कैनाल मथुरा को मथुरा के अन्तर्गत अपर आगरा कैनाल मथुरा में शामिल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद मथुरा में गोवर्धन क्षेत्र की नहरों का रख-रखाव एवं सिंचाई संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा के एक उपखण्डीय कार्यालय, दो जिलेदारी कार्यालय मथुरा मुख्यालय पर ही स्थित है। कृषकों की सिंचाई संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए सहायक अभियन्ता, लोअर खण्ड आगरा नहर आगरा, मथुरा में ही रहते हैं।

वर्तमान में आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-मथुरा के अपर आगरा कैनाल एवं लोअर आगरा कैनाल नहर एवं रजवाहों की सफाई किये जाने की मांग**

21-श्री पूरन प्रकाश-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा में अपर आगरा कैनाल एवं लोअर आगरा कैनाल नहर एवं राजवाहों की सफाई न होने के कारण किसी भी माइनर के आखिरी छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त माइनरों की सफाई कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

फसली वर्ष 1415 के लिए अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा के अन्तर्गत 335.65 कि0मी0 लम्बाई में नहरों की सफाई का प्रस्ताव विभागीय मद से तथा 111.55 कि0मी0 जिला स्तरीय मद से तथा लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा के अन्तर्गत इस क्षेत्र में पड़ने वाली 52 कि0मी0 रजवाहों की सफाई विभागीय मद से तथा 129.94 कि0मी0 माइनरों की सफाई जिला स्तरीय मद से माह नवम्बर, 07 तक कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-बागपत के मुख्य उपनगर-बड़ौत पर आबादी वाले भाग पर डिवाइडर डाल कर चार लेन करने की मांग**

22-डा0 अजय तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के मुख्य उपनगर बड़ौत जो दिल्ली यमुनोत्री राज्य मार्ग सं0 57 पर स्थित है, पर अधिक यातायात होने के कारण अक्सर घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार आबादी वाले भाग के कि0मी0 55, 56, 57, 58 व 59 को डिवाइडर डालकर चार लेन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मार्ग का पुनरीक्षित आगणन मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, मेरठ द्वारा मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्रेषित किया गया है।

डिवाइडर डालकर चार लेन किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद-बागपत में राज्य योजना से स्वीकृत मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाना**

23-डा0 अजय तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में वर्ष 2006-07 में राज्य योजना से स्वीकृत बड़ौत-अमीननगर सराय मार्ग, दाहा बरनावा मार्ग, बंथला-ढिकौली मार्ग, बागपत-मुरादनगर मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य पूर्ण करने की कोई समय सीमा निर्धारित की गयी थी ? क्या उक्त कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य समय से पूर्ण नहीं किया जा सका, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-बागपत के बड़ौत-छपरौली टाण्डा मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण की योजना**

24-डा0 अजय तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के बड़ौत-छपरौली टाण्डा मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

मार्ग पर यातायात घनत्व दस हजार प्रतिदिन से कम होने के कारण चौड़ीकरण के मानकों में नहीं आता है।

**बस्ती-गोरखपुर मुख्य मार्ग से जिला बस्ती के क्षतिग्रस्त मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण किये जाने की मांग**

25-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती-गोरखपुर मुख्य मार्ग से ग्राम-छपिया मंझरिया, मुण्डेरवा, जिला-बस्ती तक के क्षतिग्रस्त मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य के खाद्यान्न के कोटेदारों को कमीशन बढ़ाने की मांग**

26-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य के खाद्यान्न के कोटेदारों को कितने प्रतिशत कमीशन दिया जाता है ? सरकार द्वारा दिये जाने वाला कमीशन अपर्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कमीशन बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

सरकार द्वारा कोटेदारों को नियंत्रित मूल्य के खाद्यान्न पर रु0 6.00 प्रति कुन्तल कमीशन एवं खाली बोरा दिया जाता है।

जी नहीं।

सम्प्रति नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**सुल्तानपुर जनपद में राजकीय नलकूपों की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी**

27-श्री अनूप सण्डा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जनपद में कुल कितने राजकीय नलकूप हैं तथा उनमें से 31-8-07 तक कितने नलकूप खराब पड़े हुए हैं ? सरकार खराब नलकूपों को कब तक ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद सुल्तानपुर में कुल 757 चलित राजकीय नलकूप हैं, उनमें से कुल 31 राजकीय नलकूप यांत्रिक दोष एवं विद्युत दोष से दिनांक 31-08-07 तक खराब थे।

यांत्रिक दोष से बन्द 14 नलकूपों को निर्धारित अवधि में चालू कर दिया गया है एवं विद्युत दोष से बन्द 17 नलकूपों को विद्युत विभाग द्वारा चालू करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-हाथरस व जनपद-मथुरा से गुजरने वाले सादाबाद राया मार्ग का चौड़ीकरण व मरम्मत की योजना**

28-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हाथरस व जनपद-मथुरा से गुजरने वाले सादाबाद राया मार्ग का चौड़ीकरण व मरम्मत करने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सम्प्रति चौड़ीकरण की कोई योजना नहीं है। लगभग 6 कि0मी0 में नवीनीकरण का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है।

नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-हाथरस व जनपद-मथुरा से गुजरने वाले मई-बल्देव मार्ग का चौड़ीकरण व मरम्मत की मांग**

29-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हाथरस व जनपद-मथुरा से गुजरने वाले मई-बल्देव मार्ग का चौड़ीकरण व मरम्मत करने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सम्प्रति चौड़ीकरण की कोई योजना नहीं है। जनपद हाथरस में पड़ने वाले 16.00 कि0मी0 लम्बाई में से 7.00 कि0मी0 में नवीनीकरण का कार्य प्रस्तावित है तथा जनपद मथुरा में पड़ने वाले मार्ग की दशा संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार नवीनीकरण का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

30-डा0 अनिल चौधरी-

[दूसरे सोम0 के अता0प्र0सं0-184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद-महराजगंज की गण्डक-नहर प्रणाली की सबमा रजवाहा नहर के निर्माण में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग**

31-श्री राजीव कुमार सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-महराजगंज की गण्डक नहर प्रणाली की सबमा रजवाहा नहर की निर्माण में ग्राम सबमा, सिसवाखुर्द आदि में पड़ने वाली बागों और उनके वृक्षों का अधिग्रहण एवं मुआवजे का भुगतान सम्बन्धित कृषकों को नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रकरण में धनावंटन कराकर सम्बन्धित कृषकों को भू-प्रतिकर का भुगतान शीघ्र करा दिया जायेगा।

**जनपद सिद्धार्थनगर के वि0 स0 क्षेत्र बांसी में पनघटिया बांध के निर्माण हेतु किसानों की जमीनों के मुआवजा का भुगतान**

32-श्री लालजी यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर के वि0 स0 क्षेत्र बांसी में पनघटिया बांध के निर्माण हेतु किसानों की ली गयी जमीनों का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

बांसी पनघटिया तटबंध के 16 ग्रामों में से 14 ग्रामों के अधिकांश कृषकों के भू-प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है। शेष दो ग्रामों तालनटवा एवं दुल्ही के किसानों का भू-प्रतिकर अवशेष है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

धनावंटन कराकर अवशेष किसानों के भू-प्रतिकर का भुगतान शीघ्र करा दिया जायेगा।

**जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील मुख्यालय पर खाद्यान्न भण्डार हेतु गोदाम बनाये जाने की योजना**

33-श्री लालजी यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के वि0 स0 क्षेत्र बांसी मुख्यालय के सरकारी राशन के खाद्यान्न गोदाम किराये पर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी गोदाम बनवाकर खाद्यान्न सामग्री रखने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

वर्तमान में बांसी तहसील मुख्यालय पर खाद्यान्न भण्डार हेतु गोदाम बनाये जाने की कोई योजना नहीं है।

**प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के पास बी0 पी0 एल0 कार्ड की जानकारी**

34-श्री सतीश महाना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या क्या है ? क्या प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों के पास उक्त बी0पी0एल0 कार्ड है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

प्रदेश में बी0 पी0 एल0 राशन कार्डों की संख्या-106.79 लाख है।

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का अधिकतम लक्ष्य 106.79 लाख निर्धारित है। अतः इस सीमा के अन्तर्गत ही बी0पी0एल0 कार्ड जारी किये गये हैं।

**सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता श्री राम नयन के देयकों के भुगतान की अनुमति शासन द्वारा दिया जाना**

35-श्री मदन भैया-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30-10-2002 के अनुपालन में वित्त नियंत्रक सिंचाई विभाग के पत्रांक 1028/पे0अनु0/सि0 दिनांक 14-11-2005 द्वारा श्री राम नयन, सेवानिवृत्त अवर अभियंता के देयकों के भुगतान की अनुमति हेतु सचिव, सिंचाई, उ0 प्र0 शासन को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो क्या देयक के भुगतान की अनुमति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

36-श्री अशोक सिंह चौहान-

[ 1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0-160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**लखनऊ के टिकैतराय स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनी में आवासों की आवश्यक मरम्मत कार्य कराये जाने की मांग**

37-श्री सुखलाल-

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ के टिकैतराय स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनी के कितने ऐसे आवास हैं जिनमें खिड़की दरवाजे आदि क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? क्या यह सत्य है कि आर0 एस0 2/308 की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार इस आवास के साथ-साथ अन्य आवासों की भी आवश्यक मरम्मत कार्य करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

टिकैतराय कालोनी में वर्तमान में लगभग 159 आवास ऐसे हैं जिनमें दरवाजे क्षतिग्रस्त हैं। 10 ऐसे आवास हैं जिनकी खिड़कियां क्षतिग्रस्त हैं।

आवास संख्या-आर0एस0-2/308 में अध्यासी द्वारा इंगित सामान्य मरम्मत से सिविल/विद्युत सम्बन्धित [illegible] विशेष मरम्मत के अनुरक्षण कार्यों हेतु प्राप्त आगणन के समक्ष सिविल अनुरक्षण कार्य हेतु रु0 10,000/- एवं विद्युत अनुरक्षण कार्य रु0 5,000/- की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**सिंचाई हेतु नहरों की स्थापना विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही**

38-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 397519 दिनांकित 8-5-07 पर जो सिंचाई हेतु नहरों की स्थापना के विषय में था पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नकर्ता का पत्रांक 397519, दिनांकित 8-5-07 प्राप्त होना नहीं पाया गया है। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद रामपुर में तहसील मिलक, विलासपुर एवं कैमरी में स्थित कैनाल का गेस्ट हाउस के जीर्णोद्धार की योजना**

39-श्री संजय कपूर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-रामपुर के त0 मिलक, विलासपुर व कैमरी में स्थित कैनाल का गेस्ट हाउस जर्जर स्थिति में है ? यदि हां, तो उसके जीर्णोद्धार हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद रामपुर में मिलक, विलासपुर एवं कैमरी के निरीक्षण भवनों की स्थिति सामान्य है।

**जनपद रामपुर के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः निर्माण कार्य कराये जाने की मांग**

40-श्री संजय कपूर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रामपुर की तहसील-मिलक के ग्राम डण्डिया से तिलई बड़ा गांव सम्पर्क मार्ग धमौरा से ऐचोरा सम्पर्क मार्ग तथा तहसील-बिलासपुर के ग्राम-धनौरा मोड़ से रमपुरा सम्पर्क मार्ग एवं रुद्रपुर रोड से बंगाली कालोनी तक सम्पर्क मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम डण्डिया से सिलई बड़ा गांव, सम्पर्क मार्ग के पुनः निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष 2007-08 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम धमौरा से ऍचोरा ग्रामीण सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

तहसील बिलासपुर में ग्राम धमौरा मोड़ से रमपुरा सम्पर्क मार्ग का कार्य वित्तीय वर्ष 2007-08 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

रुद्रपुर रोड से बंगाली कालोनी तक सम्पर्क मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित है जो भारत सरकार से स्वीकृत होने पर ही सम्भावित है।

उपरोक्तानुसार।

41-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[ 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-102 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**लखनऊ स्थित डालीबाग में बहुखण्डी मंत्री आवास (पुराना) के भवनों की मरम्मत कराया जाना**

42-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बहुखण्डीय मंत्री आवास (पुराना) डालीबाग, लखनऊ के भवनों की मरम्मत कई वर्षों से नहीं हुई है, जिसमें 403-मंत्री आवास (पुराना) बहुखण्डी की हालत बहुत खराब है ? यदि हां, तो इसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

बहुखण्डी मंत्री आवास (पुराना) डालीबाग, लखनऊ की मरम्मत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमा में नियमित रूप से आवश्यकतानुसार करायी जाती है। भवनों की सामान्य दशा संतोषजनक है। आवास सं0-403 की मरम्मत नियमित रूप से करायी जाती रही है। पिछली पुताई मई, 2007 में कराई गई थी। विशेष मरम्मत कार्यों का सत्यापन वित्तीय उपलब्धता पर निर्भर रहता है।

प्रश्न नहीं उठता।

43-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

[ 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**जनपद हाथरस में तहसील सादाबाद के ग्राम-हरदोई से कोकना कला को जोड़ने वाले मार्ग के लेपन स्तर तक निर्माण की प्रस्तावित कार्य योजना**

44-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सादाबाद जनपद हाथरस के ग्राम हरदोई से रसगवां होकर कोकना कला को जोड़ने वाले मार्ग के लेपन स्तर तक निर्माण की कोई कार्ययोजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कोकना कला अम्बेडकर ग्राम सादाबाद-जलेसर-अवागढ़ मार्ग द्वारा पूर्व में ही जुड़ा हुआ है।

**जनपद हाथरस के सादाबाद से पूरा मार्ग के चौड़ीकरण की कार्य योजना**

45-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हाथरस के सादाबाद से पूरा मार्ग के चौड़ीकरण की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मार्ग पर यातायात घनत्व कम होने के कारण चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है।

**जनपद हाथरस में अवस्थित भाग पर नेशनल हाइवे-93 से कुसण्डा मार्ग तक पटरी पर सड़क निर्माण की प्रस्तावित कार्य योजना**

46-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मांट. ब्रांच गंग नहर सादाबाद रजवाहा के जनपद-हाथरस में अवस्थित भाग पर नेशनल हाइवे 93 से कुसण्डा मार्ग तक पटरी पर सड़क निर्माण की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

परियोजना की परीक्षणोपरान्त स्वीकृति एवं धनावंटन के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हाथरस की मांट शाखा गंगा नहर के रजवाहा की पटरी की रीच को पक्का करने की योजना**

47-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मांट ब्रांच गंग नहर के चौगसना रजवाहा की हाथरस जनपद में पड़ने वाली पटरी के ग्राम गुमानी गढ़ी से धनौती पुल तक के शेष भाग पर लेपन स्तर तक सड़क निर्माण की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मांट शाखा खण्ड के कार्य क्षेत्र में चौगसना नाम से कोई रजवाहा नहीं है, अपितु मांट शाखा गंगा नहर से राजवाहा जुगराना निकलता है। सादाबाद विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली 17.5 कि0मी0 लम्बाई में नहरों की पटरी को पक्का करने की एक योजना परीक्षणाधीन है जिसमें जुगसना रजवाहा की पटरी की रीच को पक्का करना भी सम्मिलित है।

परियोजना की स्वीकृति एवं धनावंटन के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**हाथरस जनपद स्थित नगरई से नगला गरीबा तक पटरी तक सड़क निर्माण की कार्य योजना**

48-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मांट गंग नहर के राजवाहा जुगसना के हाथरस जनपद-स्थित नगरई से नगला गरीबा तक पटरी तक सड़क निर्माण की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

परीक्षणोपरान्त परियोजना स्वीकृत कराकर कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जायगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**सुल्तानपुर-आजमगढ़ मार्ग पर सुल्तानपुर से कादीपुर के मध्य सड़क के चौड़ीकरण की योजना**

49-श्री अनूप सण्डा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सुल्तानपुर-आजमगढ़ मार्ग पर सुल्तानपुर से कादीपुर के मध्य सड़क के चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य वर्तमान में किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

**जिला खीरी की तहसील लखीमपुर के ग्राम श्रीनगर में बी0पी0एल0 व अन्त्योदय कार्ड उपलब्ध कराया जाना**

50-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील लखीमपुर जिला खीरी के ग्राम श्रीनगर के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त लोगों को बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है ? क्या यह सही है कि इस श्रेणी के पात्र व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप कार्डों की स्वीकृति संख्या में भारी अन्तर है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर पात्रों को कार्ड उपलब्ध करायेगी तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिये निर्धारित संख्या के अन्तर्गत ग्राम सभा श्रीनगर के लिये बी0पी0एल0 के 248 एवं अन्त्योदय के 162 परिवारों को राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

जी हां। सभी बी0पी0एल0 परिवारों को राशन कार्ड दिये जाने के लिये भारत सरकार से लक्ष्य बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त राशन कार्ड दिये जाने में असमर्थता व्यक्त की गई है।

ग्राम पंचायत श्रीनगर में जारी किये गये बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्डों का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कराया गया है जिसमें सभी राशन कार्ड धारक पात्र पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

**घाटे में चल रही जनपद रामपुर स्थित "रुद्र विलास किसान सहकारी चीनी मिल" की जीर्णोद्धार की योजना**

51-श्री संजय कपूर-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रामपुर स्थित "रुद्र विलास किसान सहकारी चीनी मिल", वर्तमान में कितने घाटे में चल रही है ? क्या सरकार उक्त चीनी मिल के जीर्णोद्धार हेतु कोई ठोस कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्तमान में जनपद रामपुर स्थित "रुद्र विलास किसान सहकारी चीनी मिल" कुल रु0 6611.00 लाख के घाटे में चल रही है।

वर्तमान में उक्त चीनी मिल के अन्तरण अथवा अन्यथा भविष्य निर्धारण के सम्बन्ध में निबन्धक, उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल समितियां उत्तर प्रदेश लखनऊ को यह संस्तुति की गयी है कि उनके द्वारा विहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्वस्तर से सम्यक् विचारोपरान्त यथोचित निर्णय लिया जाय।

52-श्री उदयभान करवरिया-

[ 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-101 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही**

53-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-496168 दिनांकित 12-6-07 सचिव सिंचाई/नलकूप को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त पत्र में स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार, अंशकालीन नलकूप चालक के मृतक आश्रित को सेवायोजित करने हेतु अनुरोध किया गया था। अंशकालीन नलकूप चालक के मृतक आश्रित को सेवायोजित किये जाने की व्यवस्था न होने के कारण मृतक आश्रित श्रीमती प्रेम कुमारी को सेवायोजित नहीं किया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सिद्धार्थनगर में लुम्बनी दुद्धी राजमार्ग में क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण**

54-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-सिद्धार्थनगर में लुम्बनी दुद्धी राजमार्ग के 11वें कि0मी0, 24वें कि0मी0 तक मार्ग जर्जर हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कब तक करायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। (कि0मी0 24 छोड़कर)

निविदा के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश है। उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही उक्त भाग में कार्य किया जाना सम्भव है। कि0मी0-24 की दशा ठीक है।

**सुल्तानपुर के कुड़वार वि0 खं0 अन्तर्गत करहवा ड्रेन की सफाई की मांग**

55-श्री अनूप सण्डा-

सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर के कुड़वार वि0खं0 अन्तर्गत करहवा ड्रेन में जलकुम्भी आदि के बहुतायत होने तथा सफाई न होने से ड्रेन लगभग पट गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सीतापुर में महमूदाबाद में शारदा सहायक नहर से सीपेज ग्रस्त कृषि भूमि को सीपेज मुक्त कराने की योजना**

56-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर में शारदा सहायक नहर से सीपेज ग्रस्त हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सीपेज से मुक्त कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**गन्ना विकास परिषद् महमूदाबाद द्वारा निर्मित जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग**

57-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील महमूदाबाद जिला-सीतापुर के अन्तर्गत गन्ना विकास परिषद् महमूदाबाद के द्वारा निर्मित महमूदाबाद-बाबूपुर मार्ग,

बाबा कुटी-खपूरा मार्ग जर्जर हो गये हैं ? यदि हां, तो उक्त जर्जर मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गन्ना विकास परिषद्, महमूदाबाद के द्वारा निर्मित महमूदाबाद-बाबूपुर मार्ग, बाबाकुटी खपूरा मार्ग आंशिक रूप से जर्जर है।

धनाभाव के कारण उक्त सड़कों की मरम्मत का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

**शाहजहांपुर-शाहाबाद मार्ग, शाहजहांपुर-पुवायां, शाहजहांपुर-मोहम्मदी मार्ग व शाहजहांपुर-सीतापुर मार्ग से आगे ग्रामों को जोड़ने वाले मार्गों की मरम्मत/पुनर्निर्माण की मांग**

58-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर-शाहाबाद मार्ग से रौसर, दनियापुर तथा ग्राम उटहा को जाने वाला रास्ता तथा शाहजहांपुर-पुवायां रोड से बढ़ावन जाने वाला रास्ता तथा शाहजहांपुर-मोहम्मदी मार्ग से हथौड़िया व जमलापुर जाने वाला मार्ग तथा शाहजहांपुर-सीतापुर मार्ग में ग्राम बरनई, हुसेनापुर, रुकनापुर व रामापुर जाने वाला मार्ग जिसका निर्माण वर्षों पहले किया गया था, क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। सभी मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

उपर्युक्त मार्गों में से दानियापुर सम्पर्क मार्ग गन्ना विभाग एवं रुकनापुर तथा निगोना नकरनपुर से रामापुर सम्पर्क मार्ग मण्डी परिषद् के स्वामित्व का है। लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले शाहजहांपुर-पुवायां मार्ग से बड़ावन, शाहजहांपुर-मोहम्मदी मार्ग से हथौड़िया तथा शाहजहांपुर-सीतापुर मार्ग से बरनई हुसेनापुर सम्पर्क मार्गों के मरम्मत का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है। उटहा सम्पर्क मार्ग की दशा संतोषजनक है।

**जनपद सिद्धार्थनगर अन्तर्गत राजमार्ग लुम्बनी-दुद्धी मार्ग में कार्य की प्रगति**

59-श्री लालजी यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर अन्तर्गत राजमार्ग सं0-5 लुम्बनी-दुद्धी मार्ग वर्ष 2004-05 में राज्य योजना (ए0आर0) से स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर कितना कार्य हो चुका है तथा कितना अवशेष है ? अवशेष कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं ? तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जनपद सिद्धार्थनगर में कुल 66 किमी0 लम्बाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में स्वीकृत है जिसमें 'पी-1 स्तर पर 8.5 किमी0 बी0 एम0 स्तर पर 17 किमी0, एस0डी0बी0सी0 स्तर पर 19.5 किमी0 तथा अवशेष 21 किमी0 कार्य विभिन्न स्तर पर प्रगति में है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के समाप्त होने के पश्चात्।

प्रश्न नहीं उठता।

**कानपुर विकास प्राधिकरण के सुपरवाइजर के सेवानैवृत्तिक देयों के भुगतान से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही**

60-श्री अनूप सण्डा-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विश्वनाथ, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 9-7-2007 जोकि रमाशंकर त्रिपाठी सुपरवाइजर कानपुर विकास प्राधिकरण के सेवानैवृत्तिक देयों के भुगतान के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

सेवानिवृत्ति के उपरान्त श्री रमाशंकर त्रिपाठी को उनके भविष्य निधि धन का भुगतान किया जा चुका है। चूंकि श्री त्रिपाठी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की गयी जांच व आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने हेतु दोषी पाया गया है तथा इनके विरुद्ध न्यायालय, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण संगठन, लखनऊ में अभियोग विचाराधीन है। अतः अन्य सेवानैवृत्तिक देयों का भुगतान नहीं किया गया है।

मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा में कार्यवाही लम्बित है।

**प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति वेतन में महंगाई भत्ते का पचास प्रतिशत मर्ज कर देने पर अन्य भत्तों की सुविधा**

61-श्री सुल्तान बेग-

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन में मंहगाई भत्ते का पचास प्रतिशत मर्ज कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति प्रदेश के कर्मचारियों के इस बढ़े हुये मूल वेतन पर मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमला कान्त गौतम-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारियों के वेतनमान उच्चीकृत करने का निर्णय**

62-श्री सुल्तान बेग-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुछ माह पूर्व वित्त विभाग ने वित्त (वेतन आयोग) को प्रदेश के सचिवालय में कार्यरत सहायक समीक्षा अधिकारियों का वेतनमान रु0 5500-9000 किये जाने के परामर्श हेतु पत्रावली भेजी थी ? यदि हां, तो क्या वित्त वेतन आयोग ने सहायक समीक्षा अधिकारियों का वेतनमान रु0 5500-9000 किये जाने हेतु सहमति दे दी है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त पद का वेतनमान बढ़ाने का निर्णय शीघ्र लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमला कान्त गौतम-

जी हां।

जी नहीं। सचिवालय प्रशासन विभाग से मामले में कुछ सूचनाएं मांगी गयी हैं।

सचिवालय प्रशासन विभाग से सूचना प्राप्त होने पर परीक्षण किया जायेगा।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

63-श्री सुल्तान बेग-

[ दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

64-श्री सुल्तान बेग-

[ दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**मांट ब्रांच की क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना में रजवाहों व अल्पिकाओं की टेल तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य**

65-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मांट ब्रांच की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना जो 2007-2008 में पूर्ण होनी है, से जनपद-हाथरस की सादाबाद तहसील को आपूर्ति करने वाली मांट ब्रांच व हाथरस ब्रांच गंग नहर के रजवाहों व अल्पिकाओं की टेल तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मांट ब्रांच की क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना को मार्च, 2008 तक पूर्ण किया जाना है।

जनपद हाथरस की सादाबाद तहसील को आपूर्ति करने वाली मांट ब्रांच 7 एवं हाथरस ब्रांच गंग नहर के 3, कुल 10 राजवाहों व अल्पिकाओं की टेल तक रबी 1415 में पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**मथुरा सादाबाद से मई बल्देव मार्ग को जोड़ने वाली पटरी पर सड़क निर्माण की कार्य योजना**

66-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मांट ब्रांच गंग नहर के रजबाहा धमैटा जनपद हाथरस के भाग पर मथुरा-सादाबाद से मई बल्देव मार्ग को जोड़ने वाली पटरी पर सड़क निर्माण कार्य की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**मांट गंग नहर के अमौली रजवाहा धमेटा जनपद हाथरस पर पटरी पर सड़क निर्माण की कार्य योजना**

67-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मांट गंग नहर के अमौली रजवाहा धमेटा जनपद-हाथरस पर गढ़ उमराद से जनपद-आगरा के ग्राम पतखेड़ा तक पटरी पर सड़क निर्माण की कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**मांट ब्रांच गंग नहर रजवाहा अमौली पर सड़क निर्माण**

68-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मांट ब्रांच गंग नहर रजवाहा अमौली पर सरौट पुल से लेकर ग्राम नगलिया नाला जनपद हाथरस तक पटरी पर सड़क निर्माण की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

सादाबाद विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली 17.5 कि0मी0 लम्बाई में नहरों की पटरी को पक्का करने की एक परियोजना प्रस्तावित है, जिसमें प्रश्नगत राजबहा की पटरी की रीच को पक्का करने का कार्य भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा के गांवों को सड़कों से जोड़ने हेतु पत्र पर कार्यवाही**

69-श्री उदयभान करवरिया-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-इलाहाबाद के तहसील बारा के गांवों को (जिनमें अम्बेडकर ग्राम भी शामिल है) सड़कों से जोड़ने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-397491 दिनांक 20-7-2007 जो प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रेषित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

पत्र में वर्णित मार्गों का सर्वेक्षण करके आगणन गठन की प्रक्रिया में है।

**प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मैनपुरी में बाउचरों का व्यय अनुबंधित में अंकित मार्गों में न डालकर अन्य मार्गों पर डाले जाने सम्बन्धित जानकारी**

70-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मैनपुरी में वर्ष 2006-07 के माह मार्च, 2007 में बाउचर सं0-23, 26, 31, 36, 43, 47, 64, 87, 90, 91, 92, 98, 99, 110, 124, 129, 130, 133, 134, 137, 138, 163, 164, 165, 166, 167, 186, 187, 188, 189, 192 से 195 तक तथा 250, 263, 268, 275, 276 का व्यय विभाग द्वारा ठेकेदार से हुए अनुबन्ध में अंकित मार्गों पर न डाल कर अन्य मार्गों पर डाला गया ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, बाउचर सं0-23, 26, 64, 87, 98, 99, 110, 124, 129, 130, 134, 137, 138, 163, 164, 165, 166, 167, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195 एवं 286 का व्यय भारण अनुबन्ध से इतर मार्गों पर किया गया, शेष बाउचर संख्या-31, 36, 43, 47, 90, 91, 92, 133, 250, 263, 275 एवं 276 का व्यय अनुबन्धित मार्गों पर ही भारित है।

इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है।

**मृतक आश्रित कोटे के तहत कार्यरत सामयिक लिपिक परेन्दा, जिला महराजगंज को नियमित करने सम्बन्धित पत्र पर कार्यवाही**

71-श्री उदयभान करवरिया-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक आश्रित कोटे के तहत कार्यरत श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी सामयिक लिपिक परेन्दा जिला-महराजगंज को नियमित करने से सम्बन्धित पत्र प्रमुख सचिव गन्ना को दिनांक 1-6-07/285 पत्रांक संख्या से प्राप्त हुआ ? यदि हां तो क्या शासनादेश के अनुसार नियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी का नाम सामयिक लिपिकों की प्रकाशित ज्येष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक 365 पर है तथा इनसे 364 सामयिक लिपिक वरिष्ट हैं। इस प्रकार श्री त्रिपाठी स्थायी लिपिक के पद पर नियमित किये जाने हेतु सम्प्रति अर्ह नहीं हैं।

**उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) सेवा नियमावली के अनुसार डिग्री धारी अवर अभियन्ताओं के पदोन्नति कोटे की जानकारी**

72-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग में 1993 की नियमावली के अन्तर्गत द्वितीय संशोधन 2001 के अनुसार प्रोन्नत कोटे में डिग्रीधारी सहायक अभियन्ता जू0ई0 के कितने पद

रिक्त हैं ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान में कितने डिग्री धारी जू0 ई0 नियमित व तदर्थ कार्यरत हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह-ख) सेवा नियमावली, 1998 के द्वितीय संशोधन 2001 अनुसार डिग्रीधारी अवर अभियन्ताओं के सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति कोटे में सिविल संवर्ग में अनुसूचित जाति के 21 पद तथा अनुसूचित जनजाति के 02 पद अर्थात कुल 23 पद रिक्त हैं तथा यांत्रिक संवर्ग में सामान्य वर्ग के 28, अनुसूचित जाति के 09 तथा अनुसूचित जनजाति के 01 पद अर्थात कुल 38 पद रिक्त हैं।

वर्तमान में सिविल संवर्ग में 229 तथा यांत्रिक संवर्ग में 41 डिग्रीधारी अवर अभियन्ता कार्यरत हैं। विभाग में कोई डिग्रीधारी अवर अभियन्ता तदर्थ रूप से कार्यरत नहीं है।

**जनपद रामपुर में मिलक तहसील में नई चीनी मिल लगाया जाना**

73-श्री संजय कपूर-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद-रामपुर की मिलक, तहसील में गन्ने के अधिक उत्पादन को देखते हुए क्या सरकार इस क्षेत्र में कोई चीनी मिल लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद रामपुर की तहसील मिलक में निजी क्षेत्र की कम्पनी मेसर्स त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा 5500 टी0सी0डी0 क्षमता की नई चीनी मिल स्थापित की जा चुकी है।

**जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भाखड़ा पुल का चौड़ा किया जाना**

74-श्री संजय कपूर-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद-रामपुर के विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भाखड़ा पुल सकरा होने के कारण कई-कई घण्टों तक जाम लगा रहता है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पुल को चौड़ा कराकर निर्माण कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

राष्ट्रीय मार्ग संख्या-87 रामपुर नैनीताल मार्ग के किमी0 31 में भाखड़ा नदी पर वर्तमान में एक सकरा स्टील पुल 3.7 मीटर चौड़ा स्थित है तथा यातायात अधिक होने पर कभी-कभी जाम की स्थिति बन जाती है। इस स्थान पर नया 07 मीटर चौड़ा सेतु का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा माह 07/2006 में प्रारम्भ कर दिया गया है तथा कार्य प्रगति में है। पुल के निर्माण कार्य के पूर्ण होने की सम्भावित तिथि 05/2008 है।

उपरोक्तानुसार।

**इलाहाबाद स्थित नजूल भूमि संख्या-23 सिविल स्टेशन महात्मा गांधी मार्ग का अधिग्रहण**

75-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद स्थित नजूल भूमि संख्या-23 सिविल स्टेशन महात्मा गांधी मार्ग का अधिग्रहण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका उद्देश्य क्या है ? क्या मा0 मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि उस भूमि पर लगभग 50 गरीब सागर पेशावासी लगभग 3 पुश्त से निवासित हैं ? यदि हां, तो क्या उनके पुर्नवास की भी कोई व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनहित याचिका संख्या-2547/2005-आनन्द मोहन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में प्रस्तुत सिविल मिसलेनियस प्रार्थना-पत्र संख्या-50698/2007 को निर्णीत करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-03-07 के अनुपालन में प्रश्नगत भूखण्ड का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

**शाहजहांपुर में ग्राम-ऐठा हुसेनपुर में गरीबी रेखा व अन्त्योदय के कार्डों पर अनाज वितरण**

76-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-ऐठा हुसेनपुर ब्लाक भावल खेड़ा शाहजहांपुर में गरीबी रेखा व अन्त्योदय के कितने कार्ड बने हैं ? क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि ग्राम-ऐठा हुसेनपुर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को पिछले कई माह से अनाज नहीं मिल रहा है ? क्या सरकार अनाज का वितरण कराने की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

ग्राम ऐठा हुसेनपुर ब्लाक भावन खेड़ा में बी0पी0एल0 योजना के 55 राशन कार्ड तथा अन्त्योदय योजना के 24 राशन कार्ड वर्तमान में बने हैं।

ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रतिमाह वितरण हो रहा है।

उचित दर दुकानों से राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराने हेतु मुनादी करा कर पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में सभी कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरण कराने के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना मिलों से बकाये का भुगतान**

77-श्री पंकज मलिक-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 31-8-07 तक प्रदेश के गन्ना किसानों का गन्ना मिलों में कितना बकाया है ? किसानों के बकाये का मिलवार ब्यौरा क्या है ? गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

दिनांक 31-08-2007 तक प्रदेश की समस्त चीनी मिलों पर कुल गन्ना मूल्य रु0 1893.11 करोड़ बकाया था।

उक्त तिथि को प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य का मिलवार ब्यौरा निम्नवत् है :--

**निगम क्षेत्र**

**चीनी मिल का नाम**

| क्रमांक | नाम | जनपद | अवशेष |
|---|---|---|---|
| 1 | सहारनपुर | सहारनपुर | 2093.50 |
| 2 | रोहाना | मु0 नगर | 903.56 |
| 3 | सकौती | मेरठ | 830.39 |
| 4 | मोहिउद्दीनपुर | मेरठ | 1323.42 |
| 5 | बुलन्दशहर | बुलन्दशहर | 1763.23 |
| 6 | बिजनौर | बिजनौर | 717.86 |
| 7 | चांदपुर | बिजनौर | 1338.07 |
| 8 | अमरोहा | जे0 पी0 नगर | 2184.99 |
| 9 | छाता | मथुरा | 1559.65 |
| 10 | घाटमपुर | कानपुर | 817.26 |
| 11 | दरियापुर | रायबरेली | 689.30 |
| 12 | बुढ़वल | बाराबंकी | 506.67 |
| 13 | जरवलरोड | बहराइच | 2049.39 |
| 14 | पिपराईच | गोरखपुर | 285.78 |
| 15 | सिसवा बाजार | महराजगंज | 2096.24 |
| 16 | भटनी | देवरिया | 200.96 |
| 17 | देवरिया | देवरिया | 316.47 |
| 18 | बैतालपुर | देवरिया | 599.07 |
| 19 | लक्ष्मीगंज | कुशीनगर | 536.17 |
| 20 | रामकोला (के) | कुशीनगर | 693.68 |
| 21 | खड्डा | कुशीनगर | 1615.28 |
| 22 | शाहगंज | जौनपुर | 184.17 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सहकारी क्षेत्र

| क्रमांक | नाम | जनपद | अवशेष |
|---|---|---|---|
| 1 | सरसावा | सहारनपुर | 312.97 |
| 2 | ननौता | सहारनपुर | 1335.72 |
| 3 | मोरना | मु0 नगर | 1007.70 |
| 4 | बागपत | बागपत | 1036.15 |
| 5 | रमोला | बागपत | 0.00 |
| 6 | अनूपशहर | बुलन्दशहर | 1312.81 |
| 7 | स्नेह रोड | बिजनौर | 0.00 |
| 8 | गजरौला | जे0पी0 नगर | 973.54 |
| 9 | बिलासपुर | रामपुर | 758.06 |
| 10 | साथा | अलीगढ़ | 508.15 |
| 11 | मझौला | पीलीभीत | 925.53 |
| 12 | बीसलपुर | पीलीभीत | 1170.76 |
| 13 | पूरनपुर | पीलीभीत | 1071.02 |
| 14 | सेमीखेड़ा | बरेली | 1205.70 |
| 15 | बदायूं | बदायूं | 554.17 |
| 16 | पुवांया | शाहजहांपुर | 649.74 |
| 17 | तिलहर | शाहजहांपुर | 1261.75 |
| 18 | कायमगंज | फर्रुखाबाद | 574.10 |
| 19 | बेलरायां | लखीमपुर | 2464.30 |
| 20 | सम्पूर्णानगर | लखीमपुर | 2487.12 |
| 21 | महमूदाबाद | सीतापुर | 1231.00 |
| 22 | नानपारा | बहराइच | 1268.65 |
| 23 | सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | 620.24 |
| 24 | रसड़ा | बलिया | 84.77 |
| 25 | घोसी | मऊ | 833.14 |
| 26 | सठियांव | आजमगढ़ | 62.13 |
| 27 | औराई | वाराणसी | 0.00 |
| 28 | धुरियापार | गोरखपुर | 0.00 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

निजी क्षेत्र

| क्रमांक | नाम | जनपद | अवशेष |
|---|---|---|---|
| 1 | देवबन्द | सहारनपुर | 3786.26 |
| 2 | टोडरपुर | सहारनपुर | 1556.96 |
| 3 | गागलहेडी | सहारनपुर | 360.28 |
| 4 | गांगनौली | सहारनपुर | 2275.54 |
| 5 | शेरमऊ | सहारनपुर | 215.50 |
| 6 | मसूरपुर | मु:नगर | 2374.44 |
| 7 | खतौली | मु:नगर | 3179.15 |
| 8 | शामली | मु:नगर | 1139.26 |
| 9 | तितावी | मु:नगर | 2253.57 |
| 10 | ऊन | मु:नगर | 00.00 |
| 11 | टिकौला | मु:नगर | 745.82 |
| 12 | थाना भवन | मु:नगर | 3079.32 |
| 13 | बुढ़ाना | मु:नगर | 3192.33 |
| 14 | खाई खेडी | मु:नगर | 804.32 |
| 15 | दौराला | मेरठ | 1646.95 |
| 16 | मवाना | मेरठ | 3358.84 |
| 17 | किनौनी | मेरठ | 4019.85 |
| 18 | नगलामल | मेरठ | 679.88 |
| 19 | मलकपुर | बागपत | 3935.30 |
| 20 | मोदी नगर | गाजियाबाद | 3503.38 |
| 21 | सिम्भावली | गाजियाबाद | 2675.82 |
| 22 | बृजनाथपुर | गाजियाबाद | 276.77 |
| 23 | अगौता | बुलन्दशहर | 1302.93 |
| 24 | सावितगढ़ | बुलन्दशहर | 1279.67 |
| 25 | धामपुर | बिजनौर | 4018.48 |
| 26 | स्योहारा | बिजनौर | 4184.05 |
| 27 | बुन्दकी | बिजनौर | 1342.47 |
| 28 | बिलाई | बिजनौर | 3103.97 |
| 29 | बहादुरपुर | बिजनौर | 1472.95 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्रमांक | नाम | जनपद | अवशेष |
|---|---|---|---|
| 30 | बरकातपुर | बिजनौर | 2626.98 |
| 31 | मझावला | मुरादाबाद | 745.82 |
| 32 | बिलारी | मुरादाबाद | 625.29 |
| 33 | रानी नागल | मुरादाबाद | 640.30 |
| 34 | अगवानपुर | मुरादाबाद | 1580.46 |
| 35 | असमौली | मुरादाबाद | 1926.64 |
| 36 | बेलवाड़ा | मुरादाबाद | 108.31 |
| 37 | चन्दनपुर | जे0पी0 नगर | 837.08 |
| 38 | धनौरा | जे0पी0 नगर | 1726.58 |
| 39 | मिलक नारायनपुर | रामपुर | 265.12 |
| 40 | पीलीभीत | पीलीभीत | 2397.80 |
| 41 | बरखेडा | पीलीभीत | 2552.01 |
| 42 | बहेड़ी | बरेली | 1824.48 |
| 43 | मीरगंज | बरेली | 1995.51 |
| 44 | नवाबगंज | बरेली | 1665.44 |
| 45 | रजपुरा | बदायूं | 929.54 |
| 46 | न्योली | एटा | 1617.83 |
| 47 | गोपी | अलीगढ़ | 206.64 |
| 48 | रोजा | शाहजहांपुर | 539.29 |
| 49 | निगोही | शाहजहांपुर | 121.75 |
| 50 | रूपापुर | हरदोई | 564.23 |
| 51 | हरियांवा | हरदोई | 594.64 |
| 52 | लोनी | हरदोई | 974.78 |
| 53 | गोला | लखीमपुर | 5620.17 |
| 54 | ऐरा | लखीमपुर | 2152.52 |
| 55 | पलिया | लखीमपुर | 4829.96 |
| 56 | खम्भार खेड़ा | लखीमपुर | 2852.41 |
| 57 | अजबापुर | लखीमपुर | 2505.92 |
| 58 | कुम्भी | लखीमपुर | 00.00 |
| 59 | हरगांव | सीतापुर | 3056.96 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्रमांक | नाम | जनपद | अवशेष |
|---|---|---|---|
| 60 | बिसवां | सीतापुर | 1015.89 |
| 61 | रामगढ़ | सीतापुर | 1815.09 |
| 62 | कमलापुर | सीतापुर | 1074.69 |
| 63 | जवाहरपुर | सीतापुर | 634.48 |
| 64 | हैदरगढ़ | बाराबंकी | 610.57 |
| 65 | रोजागांव | बाराबंकी | 1650.21 |
| 66 | मोतीनगर | फैजाबाद | 1911.04 |
| 67 | मिझाडा | अम्बेडकर नगर | 1952.23 |
| 68 | दतौली | गोण्डा | 1978.15 |
| 69 | मंजापुर | गोण्डा | 38.33 |
| 70 | चिलवरिया | बहराइच | 1331.34 |
| 71 | परसेन्डी | बहराइच | 00.00 |
| 72 | तुलसीपुर | बलरामपुर | 2114.47 |
| 73 | बलरामपुर | बलरामपुर | 3729.14 |
| 74 | बभनान | बस्ती | 2709.15 |
| 75 | बस्ती | बस्ती | 1743.20 |
| 76 | बोल्टरगंज | बस्ती | 1212.42 |
| 77 | सरदार नगर | गोरखपुर | 493.09 |
| 78 | गडारा | महाराजगंज | 1812.70 |
| 79 | प्रतापपुर | देवरिया | 599.57 |
| 80 | कप्तानगंज | कुशीनगर | 1446.60 |
| 81 | रामकोला (पी0) | कुशीनगर | 3729.14 |
| 82 | सेवरही | कुशीनगर | 824.48 |
| 83 | पडरौना | कुशीनगर | 662.39 |

बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाली निजी क्षेत्र 64 चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। निजी क्षेत्र की 07 चीनी मिलों के विरुद्ध विधिक बाध्यता के कारण वसूली की कार्यवाही प्रभावित है। निजी क्षेत्र की 14 चीनी मिलों द्वारा तथा संघ की 04 चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। सहकारी/निगम क्षेत्र की बकायेदार चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध कराने का प्रकरण विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत ड्रेनेज खण्ड के सागर से निकलने वाली नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था**

78-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-सिद्धार्थनगर की तहसील-नौगढ़ एवं तह0 शोहरतगढ़ में ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत कौन-कौन सागर हैं ? क्या सभी सागरों से निकलने वाली नहरों के टेल तक पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांचोपरान्त सभी नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-सिद्धार्थनगर में ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत शोहरतगढ़/नौगढ़ तहसील में सेमरासागर/मसई सागर/बजहा सागर/मोती सागर/बटुआ सागर/सेसवां सागर/जर्थी सागर/मझौली सागर/मउली सागर एवं शिवपति सागर हैं।

सागर से निकलने वाली 40 नहरों में से 28 नहरों के टेल तक पानी पहुंच रहा है, शेष 12 टेलों तक वर्तमान में पानी नहीं पहुंच रहा है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के मार्ग के निर्माण हेतु अधिगृहीत हुयी भूमि के मुआवजे का विचाराधीन प्रकरण**

79-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-रामपुर, अगरौरा, कनरखी तहसील-महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर के मार्ग के निर्माण हेतु श्रीमती दुलारी देवी ग्राम-तिगड़ा की भूमि का अधिग्रहण किया गया था ? यदि हां, तो क्या श्रीमती दुलारी देवी को उनकी अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो कब एवं कितना ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए तत्काल मुआवजा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, परन्तु मार्ग निर्माण में आपसी सहमति से श्रीमती दुलारी देवी ग्राम-तिगड़ा की आंशिक भूमि प्रयुक्त हुई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण में मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही विचाराधीन है।

**जनपद-सीतापुर में चहलारी घाट पर स्वीकृत पुल का निर्माण**

80-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर में चहलारी घाट पर स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद सीतापुर में चहलारीघाट पर स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य दिनांक 17-02-2007 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

**आगरा जनपद में एत्मादपुर से रुदौली मार्ग का चौड़ीकरण व अनुरक्षण की योजना**

81-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद में एत्मादपुर से खदौली मार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को राष्ट्रीय राजमार्ग 93 से जोड़ता है के चौड़ीकरण व अनुरक्षण हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नर्सीमुद्दीन सिद्दीकी-

चौड़ीकरण की कोई कार्य योजना नहीं है। अनुरक्षण का कार्य नियमित रूप से कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद-हाथरस में मई से नयाबाग (सादाबाद-मथुरा मार्ग) को जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण व अनुरक्षण की योजना**

82-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हाथरस में मई से नयाबाग (सादाबाद-मथुरा मार्ग) को जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण व अनुरक्षण की कोई कार्य योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नर्सीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-हाथरस में मई से नयाबाग (सादाबाद-मथुरा मार्ग) को जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण की कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है। मार्ग का अनुरक्षण कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हाथरस के टाउन एरिया सहपऊ को मथुरा-जलेसर मार्ग से जोड़ने वाला क्षतिग्रस्त मुख्य मार्ग की मरम्मत की मांग**

83-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हाथरस के टाउन एरिया लखनऊ को मथुरा-जलेसर मार्ग से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग जो थरौरा बाईपास के नाम से जाना जाता है विगत 10 वर्षों से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-हाथरस के टाउन एरिया सहपऊ को मथुरा-जलेसर मार्ग से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त है। यह मार्ग सांसद निधि के धन से बनाया गया है।

प्रश्नगत मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद हाथरस के मई से बल्देव-कैलाश मार्ग को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराये जाने की मांग**

84-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हाथरस के मई से बल्देव-कैलाश मार्ग वाया मिढावली को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग कब तक ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 6.50 कि0मी0 है जिसके कि0मी0 1 व 2 में पी0सी0 का कार्य तथा कि0मी0 3,4 व 5 में दाग मरम्मत का कार्य अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत प्रगति में है तथा कि0मी0 6 व 7 (500) में नवीनीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-आगरा में फतेहपुर सीकरी से कागारौल मार्ग के अधूरे चौड़ीकरण कार्य के पूर्ण कराया जाना**

85-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-आगरा में फतेहपुर सीकरी से कागारौल मार्ग के अधूरे चौड़ीकरण कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

**नलकूप खण्ड प्रथम-इटावा द्वारा मृतक नलकूप चालक की पत्नी को पुनरीक्षित वेतनमान का भुगतान**

86-श्री आलोक कुमार शाक्य-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2007 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0-23 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालय के आदेशानुसार मृतक राम किशन नलकूप चालक की पत्नी राम प्यारी को पुनरीक्षित वेतनमान का भुगतान नलकूप खण्ड प्रथम इटावा द्वारा कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-5-2003 के अनुपालन में श्री राम कृष्ण पुत्र मैकूलाल तत्कालीन नलकूप चालक को दिनांक 1-7-1988 से सींच पर्यवेक्षक का वेतनमान स्वीकृत करते हुए उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31-8-1995 तक के देयकों का भुगतान श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री राम कृष्ण, नलकूप चालक को नलकूप खण्ड प्रथम इटावा द्वारा कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**इलाहाबाद में नजूल भूखण्ड संख्या-141, सिविल स्टेशन व नजूल भूखण्ड संख्या-एच-1,38 एलगिन रोड की पट्टावधि व नवीनीकरण**

87-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या आवास एवं नगर नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में स्थित नजूल भूखण्ड संख्या-141 सिविल स्टेशन, 8 हेस्टिंग्ज रोड एवं नजूल भूखण्ड संख्या-एच-1,38 एलगिन रोड का पट्टेदार कौन-कौन है तथा इन भूमियों की पट्टावधि कब तक है ? क्या इसका नवीनीकरण किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्तमान समय में इन भूमियों पर कौन-कौन काबिज है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

नजूल भूखण्ड संख्या-141 सिविल स्टेशन, 8 हेस्टिंग्ज रोड की पट्टे की अवधि दिनांक 07-06-1975 को समाप्त हो चुकी है तत्पश्चात् अभी तक पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया गया है। सम्प्रति पट्टेदार एवं पट्टे का नवीनीकरण का प्रकरण सबजुडिस है। उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या-32950/1994 आर0के0एस0 गांधी व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 तथा अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-05-98 तथा रिट संख्या-20379/2003 आर0के0एस0 गांधी व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 तथा अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-08-05 के अन्तर्गत याचीगण के पक्ष में पट्टा नवीनीकरण संबंधी निर्देश दिये गये हैं। उक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध मा0 उच्चतम् न्यायालय में उ0प्र0 राज्य की ओर से विशेष अनुज्ञा याचिका योजित की गयी है, जो विचाराधीन है। भूखण्ड पर बने भवनों में किरायेदारों का कब्जा है।

नजूल भूखण्ड संख्या-एच-1,38 एलगिन रोड, सिविल स्टेशन की पट्टावधि दिनांक 31-03-1962 को समाप्त हो चुकी है। रिट याचिका संख्या-17616/1993 पारसी पंचायत सूरत बनाम स्टेट आफ यू0पी0 तथा अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29-10-98 के अनुपालन में पट्टे का नवीनीकरण औचित्यपूर्ण न होने के कारण नवीनीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 11-07-98 को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध याची द्वारा दायर की गयी रिट याचिका संख्या-34324/1998 मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है। भूखण्ड पर बने भवनों में किरायेदारों का कब्जा है।

**जनपद-प्रतापगढ़ में मोदहा नाले पर सेतु एवं सड़क निर्माण हेतु पूर्वांचल निधि राज्यांश से प्रस्ताव/आगणन पर शासन के पत्र पर कृत कार्यवाही**

88-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में मोदहा नाले पर सेतु एवं एक किमी0 सड़क निर्माण हेतु पूर्वांचल निधि राज्यांश से प्रस्ताव/आगणन हेतु मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण, इलाहाबाद को शासन के अनु0-14 का पत्र संख्या-सी0एम0-468/23-14-06 दिनांक 28-9-2006 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध आगणन में त्रुटियों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद-इलाहाबाद के ग्राम सभा बेलामूड़ी के अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 कार्डों की जांच विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही**

89-श्री उदयभान करवरिया-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-7-07 को ग्राम सभा बेलामूड़ी विकास खण्ड जसरा जनपद-इलाहाबाद के अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 कार्डों की जांच कराये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

ग्राम सभा बेलामुड़ी के बी0पी0एल0 व अन्त्योदय योजना के राशन कार्डों का सत्यापन गठित 03 सदस्यीय संयुक्त समिति से कराया गया, जिनमें से अपात्रों को जारी किये गये 17 बी0पी0एल0 कार्ड निरस्त कर निर्धन लाभार्थियों का चयन कर उन्हें जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**गोरखपुर-महानगर में तरंग रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण**

90-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में तरंग रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु के निर्माण प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त सेतु का निर्माण कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, तरंग रेलवे क्रासिंग पर रेल उपरिगामी सेतु का प्रस्ताव रेलवे वर्क्स कार्यक्रम 2006-07 में सम्मिलित है और सेतु निगम द्वारा आगणन गठित किया जा रहा है।

आगणन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-सीतापुर में बन्द पड़े राजकीय नलकूप चालू करने की योजना**

91-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर में कुल कितने राजकीय नलकूप हैं, उनमें से कितने कार्यशील हैं तथा कितने बन्द हैं ? बन्द नलकूपों को चालू करने की कोई योजना बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

दिनांक 01-04-07 की स्थिति के अनुसार जनपद-सीतापुर में कुल 691 राजकीय नलकूप चलित नलकूपों की श्रेणी में वर्गीकृत थे। दिनांक 18-10-07 की स्थिति के अनुसार 469 राजकीय नलकूप कार्यशील हैं तथा 11 नलकूप यांत्रिक दोष से एवं 211 नलकूप विद्युत दोष से अस्थाई रूप से बन्द हैं।

जी हां, यांत्रिक दोष अस्थाई रूप से बन्द 11 नलकूपों में से 06 नलकूप दिनांक 21-10-2007 तक ठीक कराये जा चुके हैं। शेष 05 नलकूप ठीक कराये जाने की प्रक्रिया में हैं जो शीघ्र ठीक करा दिये जायेंगे। विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 22-10-07 की अधिशासी अभियन्ताओं की संयुक्त बैठक में विद्युत दोष से अस्थाई रूप से बन्द 211 नलकूपों में से 150 नलकूप दिनांक 21-10-07 तक ठीक किया जाना सूचित किया गया है तथा शेष 61 नलकूपों को भी जल्द ठीक कराये जाने की कार्य योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

**लोक निर्माण मंत्री द्वारा जनपद-मैनपुरी भ्रमण के औचक निरीक्षण में निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतने में अनियमितताओं के विरुद्ध निलम्बन व जांच**

92-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उनके द्वारा दिनांक 22 जून, 2007 को जनपद-मैनपुरी भ्रमण के समय मार्गों के निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया था ? क्या यह भी सत्य है कि निर्माण कार्यों में अनियमितता पाये जाने पर पांच अभियन्ता तत्काल निलम्बित कर दिये तथा कलेक्ट्रेट से दीवानी तक भावावत होकर जाने वाले मार्ग के निर्माण में दोषी अधिशासी अभियन्ता

श्री लईक अहमद जहूरी के विरुद्ध जांच बैठा दी गयी है ? यदि हां, तो जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं। कोई अभियन्ता निलम्बित नहीं किया गया है। कलेक्ट्रेट से दीवानी तक भावावत होकर जाने वाले मार्ग के निर्माण में दोषी अधिशासी अभियन्ता श्री लईक अहमद जहूरी के विरुद्ध शासन के आदेश दिनांक 29-08-07 द्वारा उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए मुख्य अभियन्ता, आगरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जांच की कार्यवाही नियमानुसार यथाशीघ्र पूरी कर ली जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

**उत्तर प्रदेश में माननीय विधायकों की संस्तुति पर सड़कों का निर्माण**

93-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में माननीय विधायकों की संस्तुति पर उनके विधान सभा क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार सड़कों का निर्माण कराने पर गत वर्षों की भांति विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण।

**जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम बूरेबल्हू से लालापुर तक सड़क निर्माण कार्य**

94-श्री उदयभान करवरिया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील-बारा जनपद-इलाहाबाद के ग्राम-बूरेबल्हू से लालापुर तक सड़क निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

**गोरखपुर महायोजना-2021 को शासन द्वारा स्वीकृति**

95-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महायोजना-2021 कब से शासन में लम्बित है ? गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भेजी गयी महायोजना में उच्च स्तरीय समिति ने क्या-क्या कमियां पायी हैं ? कितनी बार यह प्रस्तावित महायोजना पुर्न संशोधन हेतु गोरखपुर विकास प्राधिकरण को वापस की गयी ? इस योजना को कब तक स्वीकृति दी जायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गोरखपुर महायोजना-2021 अगस्त, 2004 से शासन में विचाराधीन थी। उक्त प्रस्तावित महायोजना के सम्बन्ध में महायोजनाओं के परीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा कतिपय तकनीकी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक संशोधन करते हुए शासन स्तर पर उक्त महायोजना-2021 अनुमोदित कर दी गयी है। उक्त प्रस्तावित महायोजना दो बार पुर्नसंशोधन हेतु गोरखपुर विकास प्राधिकरण को वापस की गई थी। शासन स्तर पर उक्त महायोजना अनुमोदित हो गई है।

**गोरखपुर महानगर में चार फाटक (मोहद्दीपुर) रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण**

96-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में चार फाटक (मोहद्दीपुर) रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

चार फाटक रेलवे क्रासिंग पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**गोरखपुर महानगर में सूर्यकुण्ड रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण**

97-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में सूर्यकुण्ड रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कब से प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सूर्यकुण्ड रेलवे क्रासिंग पर रेल उपरिगामी सेतु का प्रस्ताव रेलवे वर्क्स कार्यक्रम 2006-07 में सम्मिलित है और सेतु निगम द्वारा आगणन गठित किया जा रहा है। आगणन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की ग्राम सभा धरौली मुफरिद के मार्गों का निर्माण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही**

98-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ग-3/568207 दिनांक 08-08-07 जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की ग्राम सभा धरौली मुफरिद के 3 मार्गों के निर्माण हेतु प्रस्ताव एवं आगणन ग्राम प्रधान के पत्र के साथ उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रस्ताव के स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

**सिंचाई विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को निर्माण हेतु दी गयी परियोजनाएं**

99-श्री हुकुम सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अक्टूबर, 2003 से लेकर मार्च, 2007 की अवधि में सिंचाई विभाग द्वारा कौन-कौन सी परियोजनायें उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को निर्माण हेतु दी गई ? उक्त परियोजनाओं की कुल लागत क्या थी तथा अभी तक कितनी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं ? क्या उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन को प्रश्नगत प्रोजेक्ट्स के निर्माण का पूर्ण अनुभव था ? यदि नहीं, तो इतना महत्वपूर्ण कार्य देने के लिये कौन उत्तरदायी है, तथा उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में माह अक्टूबर, 2003 से मार्च, 2007 की अवधि में विभिन्न परियोजनाओं/कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड के साथ 204 एम0ओ0यू0 †(सूची संलग्न है) किये गये। जिनकी कुल लागत रु0 664.80 करोड़ है। दिनांक 31-03-2007 तक 58 एम0ओ0यू0 के कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-गाजीपुर अन्तर्गत माइनर का टेल खुला होने के कारण ग्राम तिवारीपुर की खेती योग्य भूमि के जल भराव के कारण क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाना**

100-श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-गाजीपुर की तहसील-जमनियां में सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गयी देवरिया-तिवारीपुर माइनर का टेल खुला होने के कारण ग्राम तिवारीपुर की खेती योग्य

---

† (छापी नहीं गयी।)

जमीन पूरे वर्ष जलमग्न रहती है ? क्या यह सही है कि लोक आयुक्त द्वारा दिनांक 28-06-1999 को अपने प्रतिवेदन में उक्त टेल को बन्द कराते हुये पीड़ित कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने का सुझाव दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जल भराव को समाप्त कराकर कृषकों को क्षतिपूर्ति दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त क्षतिपूर्ति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

जी हां।

नहर के पानी से प्रश्नगत क्षेत्र में जल भराव नहीं होता है। अतएव विभाग द्वारा कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद उन्नाव के ग्राम-डीह के राशन की दुकान को गलत आवंटित किये जाने संबंधी शिकायती-पत्र**

101-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के ग्राम डीह के राशन की दुकान शासनादेश संख्या-एफ 3967/29 खाद्य-06 खाद्य तथा रसद-06 दिनांक 3 जुलाई, 1990 का उल्लंघन करते हुये आवंटित किये जाने का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता ने दिनांक 8-8-07 को जिला अधिकारी उन्नाव को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

प्राप्त शिकायती-पत्र पर जांचोपरान्त ग्राम सभा डीह की ग्राम प्रधान श्रीमती कुंवारा के पति श्री कालीचरन उचित दर विक्रेता की दुकान का अनुबन्ध पत्र दिनांक 24-10-2007 को निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद उन्नाव अन्तर्गत ग्राम पंसरिया में राशन की दुकान चलाने हेतु कोटेदार की नियुक्ति होने के बावजूद दुकान चालू न होने का कारण**

102-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के विकास क्षेत्र सिकन्दरपुर कर्ण के ग्राम पंसरिया में राशन की दुकान चलाने हेतु कोटेदार की नियुक्ति खुली बैठक में

दिनांक 5-7-07 को सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक दुकान चालू न होने के क्या कारण हैं ? क्या दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

प्रकरण में पंसारी गांव के निवासीगण श्री कमल सिंह आदि द्वारा आपत्ति की गयी थी कि शासनादेश के अनुसार चयनित व्यक्ति उसी ग्राम सभा का निवासी होना चाहिए जबकि ग्राम सभा के प्रस्ताव दिनांक 5-7-07 में चयनित व्यक्ति स्थानीय निवासी नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान द्वारा आरक्षण के बदलने की मांग की गयी। जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा ग्राम सभा पंसारी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है और दिनांक 19-10-2007 को खण्ड विकास अधिकारी, सिकन्दरपुर कर्ण से ग्राम सभा पंसारी के कोटे की दुकान के चयन हेतु प्रस्ताव मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद महराजगंज के निचलौल ब्लाक में नारायणी नदी द्वारा जंगल तथा कृषि योग्य भूमि को कटान से रोकना**

103-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-महराजगंज के निचलौल ब्लाक में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित टेलफाल के पास नारायणी नदी द्वारा तेजी से हो रही कटान के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों एकड़ जंगल तथा कृषि योग्य भूमि नदी में कटकर विलीन हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कटान को रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

कृषि भूमि जो फ्लड प्लेन में हो उसका बचाव शासन की नीति में नहीं आता है।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन की नीति में नहीं आता है।

**जनपद-महराजगंज के निचलौल ब्लाक अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण में गण्डक स्टोन बैलास्ट प्रयुक्त किये जाने की जांच**

104-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-महराजगंज के निचलौल ब्लाक अन्तर्गत डोमा सम्पर्क मार्ग व परागपुर सम्पर्क मार्ग व धमउर सम्पर्क मार्ग का निर्माण लो0 नि0 वि0 प्रान्तीय खण्ड, महराजगंज द्वारा कराया गया है ? क्या इन सम्पर्क मार्गों के निर्माण में नान गण्डक बुटवल स्टोन की जगह गण्डक स्टोन बैलास्ट, जो चिकने होने के कारण तारकोल नहीं पकड़ते हैं, को प्रयुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद-उन्नाव की ब्लाक बिछिया के अन्तर्गत ग्राम तारगांव में राशन की नई दुकानें खोलने विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही**

105-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव की ब्लाक बिछिया के अन्तर्गत ग्राम तारगांव, जिसकी आबादी 10 हजार से भी अधिक है, में शासनादेश के अनुसार राशन की नई दुकानें खोलने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 20-06-07 प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

उप जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा ग्राम सभा तारगांव के मजरा गढ़ी एवं जगवां में आरक्षण के आधार पर 02 दुकानें चयनित किये जाने हेतु ग्राम सभा तारगांव की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी, बिछिया से मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**आगरा में दक्षिणी बाईपास का निर्माण कार्य की प्रगति**

106-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा में दक्षिणी बाईपास का निर्माण कार्य टी0 टी0 जैड के अन्तर्गत लगभग 60 प्रतिशत पूरा हो गया है ? यदि हां, तो शेष कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। कार्य की प्रगति 30 प्रतिशत है।

शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु वर्ष 2002 से भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है। कार्य को पूर्ण कराने हेतु समय सीमा का निर्धारण भारत सरकार से धन प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

**आगरा जनपद के अन्तर्गत ग्राम रामनगर पिनानी में खारी नदी पर बने बांध की दीवारों को ऊंचा किये जाने की मांग**

107-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद के ब्लाक अकोला के ग्राम रामनगर पिनानी में खारी नदी पर बने बांध की साईड की दीवारों तथा बांध को ऊंचा बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह बांध कंकरीट का बनाया गया है। यदि इसकी ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो इससे परिकल्पना प्रभावित होगा जिससे स्ट्रक्चर फेल होने की सम्भावना बनी रहेगी।

**जनपद-महराजगंज के अन्तर्गत ग्राम सुकरहर के समीप झरही नदी से भूमि के कटान को रोकने की कार्य योजना**

108-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महंत दुबे-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-महराजगंज के निचलौल ब्लाक में ग्राम सुकरहर के समीप झरही नदी से हो रहे कृषि योग्य सैकड़ों एकड़ भूमि के कटान को रोकने हेतु कोई कार्य योजना विचाराधीन है यदि हां, तो क्या और उसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-सीतापुर अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद में सेतु निगम द्वारा स्वीकृत पुलों का निर्माण कार्य**

109-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेतु निगम द्वारा तहसील महमूदाबाद जनपद-सीतापुर में स्वीकृत पुल कटुआ घाट, बासुराघाट, धरमपुर घाट का निर्माण कार्य पूर्ण करा कर यातायात हेतु चालू कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

बासुराघाट सेतु पर यातायात चालू कर दिया गया है, जबकि कटुआ घाट सेतु का पहुंच मार्ग एवं धर्मपुर घाट पर सेतु निर्माणाधीन होने के कारण इन पर अभी यातायात चालू नहीं हो पाया है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद सीतापुर के नगरीय क्षेत्रों में प्रति यूनिट मिट्टी के तेल का आवंटन पूर्व की भांति कराये जाने की मांग**

110-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के नगरीय क्षेत्र में प्रति यूनिट मिट्टी के तेल का आवंटन उपभोक्ताओं को कम कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगरीय उपभोक्ताओं को पूर्व की भांति निर्धारित प्रति यूनिट मिट्टी का तेल वितरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

जिलाधिकारी द्वारा जनपद के उचित दर विक्रेताओं के आवंटन की समीक्षा की गई। विभिन्न नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित आवंटन में एकरूपता न पाये जाने के कारण जनपद को आवंटित मासिक मिट्टी के तेल का प्रति व्यक्ति समानुपातिक दर से आवंटन जिलाधिकारी द्वारा किया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सीतापुर अन्तर्गत आवश्यक वस्तु निगम के गोदामों में खाद्य आपूर्ति के टेण्डर की कार्यवाही**

111-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद में वर्ष 2006-07 में आवश्यक वस्तु निगम के गोदामों से ब्लाक के गोदामों तक खाद्य आपूर्ति के टेण्डर डाले गये थे ? यदि हां, तो क्या टेण्डर स्वीकृत न होने से विभाग को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

सीतापुर जनपद में वर्ष 2006-07 में ब्लाक गोदामों तक खाद्यान्न आपूर्ति के टेण्डर डलवाये गये थे, किन्तु निविदादाताओं द्वारा एक ही रेट दिये जाने के कारण जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा टेण्डर की कार्यवाही निरस्त कर दी गयी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-सीतापुर अन्तर्गत नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की रिक्त दुकानों को स्थापित किया जाना**

112-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन की कुल कितनी दुकानें रिक्त हैं ? सरकार द्वारा रिक्त दुकानों को कब तक स्थापित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कोई दुकान रिक्त नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में 140 दुकानें रिक्त हैं।

इन रिक्त दुकानों में 52 दुकानों के लिये विभिन्न न्यायालयों का स्थगन आदेश लागू है। शेष 88 रिक्त दुकानों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-मैनपुरी अन्तर्गत ब्लाक बेबर, सुल्तानगंज व जागीर में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करने की मांग**

113-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के ब्लाक बेबर, सुल्तानगंज व जागीर में सड़क निर्माण के लिये वर्ष 2005-06 व 2006-07 में लोक निर्माण विभाग द्वारा त्वरित योजना के अन्तर्गत धन स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कार्य जो अभी अधूरा है कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत नियोजन विभाग द्वारा जनपद-मैनपुरी के ब्लाक बेबर सुल्तानगंज व जागीर में वर्ष 2005-06 व 2006-07 में सड़क निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया था।

नियोजन विभाग के शासनादेश सं0-832/35-4-2007, दि0 08-06-2007 में की गयी व्यवस्थानुसार उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2005-06 व 2006-07 में स्वीकृत 09 कार्यों में से एक कार्य को मिट्टी स्तर तक पूर्ण करा दिया गया है। शेष आठ कार्यों को जिन्हें अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है, उनको उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 की व्यवस्थानुसार निरस्त मानते हुये नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

**जिला खीरी में अलीगंज से बिजुआ मार्ग पर बीच के मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग**

114-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी में अलीगंज से बिजुआ मार्ग पर बीच के लगभग एक कि0 मी0 मार्ग का पुनर्निर्माण न कराये जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नर्सामुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग की कुल लम्बाई 17.20 कि0मी0 में से लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का कि0मी0 1.00 से कि0मी0 12.00 तक की लम्बाई वाले भाग में से 0.5 कि0मी0 भाग का निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। शेष भाग का स्वामित्व गन्ना विभाग का है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले मार्ग के 0.5 कि0मी0 लम्बाई का भाग नवनिर्माण का है जिसका निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र गोहना से मढ़ा तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करने की मांग**

115-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र गोहना से मढ़ा तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नर्सीमुद्दीन सिद्दीकी-

गोहना से मढ़ा का सम्पर्क मार्ग 4.800 किलोमीटर है। इसमें ग्राम गोहना से गोहना मोड़ तक 2.800 किलोमीटर मार्ग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्माणाधीन है तथा ग्राम मढ़ा से गोहना मोड़ तक 2.00 किलोमीटर मार्ग कच्चा है जो किसी योजना में स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं है।

ग्राम गोहना से गोहना मोड़ तक 2.800 किलोमीटर मार्ग निर्माण का कार्य मई, 2008 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। शेष मार्ग के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह किसी योजना में स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

**जिला लखीमपुर-खीरी के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने की मांग**

116-श्री आर0 ए0 उस्मानी-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर-खीरी के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान अभी तक नहीं किया गया है जबकि सरकार द्वारा बकाया गन्ने का पूर्ण भुगतान दिनांक 31-08-2007 तक करने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली निजी क्षेत्र की चीनी मिल अजबापुर तथा ऐरा के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया गया है। बजाज ग्रुप की चीनी मिल गोला, पलिया एवं खम्भारखेड़ा

की मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में वसूली की कार्यवाही बाधित है। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल बेलराया एवं सम्पूर्णानगर पर अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15-11-2007 तक का समय दिया गया है सहकारी/निगम क्षेत्र की बकायेदार चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध कराने का प्रकरण विचाराधीन है।

**जनपद-मैनपुरी अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भोगांव में पी0 डब्लू0 डी0 व त्वरित योजनाओं में सड़क का निर्माण**

117-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद-मैनपुरी वर्ष 2005-06 व 2006-07 में पी0 डब्लू0 डी0 व त्वरित योजनाओं में कितनी सड़कें पेन्टिंग स्तर तक स्वीकृत हुई थीं किन्तु गिट्टी स्तर तक बनी है ? क्या सरकार उक्त सड़कों पर पेन्टिंग करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद-मैनपुरी वर्ष 2005-06 व 2006-07 में लोक निर्माण विभाग की 98 सड़कें एवं त्वरित योजना के अन्तर्गत 09 सड़कें अर्थात् कुल 107 सड़कें पेन्टिंग स्तर तक स्वीकृत हुई थीं जिनमें से लोक निर्माण विभाग की 98 सड़कों में से 36 सड़कें लेपन स्तर तक तथा 18 सड़कें गिट्टी स्तर तक पूर्ण हैं। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 09 सड़कों में से किसी भी सड़क का निर्माण गिट्टी स्तर तक नहीं हुआ है।

लोक निर्माण विभाग की अवशेष सड़कों को पेन्टिंग स्तर तक पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित है। जबकि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों के सम्बन्ध में नियोजन विभाग के शासनादेश सं0-832/35-4-2007, दिनांक 08-06-2007 में की गयी व्यवस्थानुसार प्रारम्भ किये जा चुके कार्य को उपयोगिता स्तर तक पूर्ण किये जाने तथा अनारम्भ कार्य की स्वीकृति निरस्त मानते हुये अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद-हाथरस के सादाबाद से मथुरा मार्ग के चौड़ीकरण की कार्य योजना**

118-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हाथरस के सादाबाद से मथुरा मार्ग के चौड़ीकरण की क्या कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सादाबाद से मथुरा मार्ग के जनपद मथुरा में पड़ने वाले 25 कि0मी0 लम्बाई के भाग के चौड़ीकरण की कार्य योजना प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से शासन में प्राप्त हुई है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-इलाहाबाद के अन्तर्गत तहसील-करछना के देवरा (पूरा लोकमन) की सड़क एवं पुलिया के अधुरे निर्माण को पूर्ण किये जाने की मांग**

119-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत पिपरहटा तहसील-करछना जनपद-इलाहाबाद के अन्तर्गत देवरा (पूरा लोकमन) की सड़क एवं पुलिया के अधूरे निर्माण को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

**जनपद-लखीमपुर खीरी में महेवागंज से अमकोटवा तक जर्जर मार्ग का निर्माण**

120-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर-खीरी में महेवागंज से सिंगनियां होते हुये अमकोटवा तक मार्ग जर्जर हो गया है जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

121-श्री प्रदीप माथुर-

[दूसरे सोमवार के अता0प्र0सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**आगरा में पथकर निधि एवं अवस्थापना निधि से हुए विकास कार्य का विवरण**

122-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पथकर निधि एवं अवस्थापना निधि से पिछले तीन वर्षों में आगरा शहर में कितनी धनराशि से और कहां-कहां कितने विकास कार्य विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जा चुके हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पथकर एवं अवस्थापना निधि से वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा वर्ष 2006-07 में विभिन्न स्थलों पर विभिन्न कार्य कराये गये हैं। पथकर निधि से वर्षवार कराये गये कार्यों की सूची संलग्नक-1 तथा अवस्थापना निधि से वर्षवार कराये गये कार्यों की सूची संलग्नक-2 पर अंकित है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ट 185-199 पर।)

**जनपद-जौनपुर अन्तर्गत विकास खण्ड करन्जा कलां में गोमती नदी के छुन्छा घाट पर पुल का निर्माण**

123-श्री जावेद अंसारी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर की सदर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड करन्जा कलां में गोमती नदी के छुन्छा घाट पर पुल का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद महामायानगर (हाथरस) सिकन्दराराऊ राजवाहा की भदवास और कचौरा माइनर की पुनर्स्थापना**

124-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद महामायानगर (हाथरस) के सिकन्दराराऊ राजवाहा की भदवास और कचौरा माइनर में टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनरों एवं रजवाहों की पुनर्स्थापना हेतु धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्राप्त जानकारी अनुसार जनपद महामायानगर (हाथरस) के सिकन्दाराऊ राजवाहा के टेल भाग से निकली भदवास और कचौरा माइनर में पानी पहुंचता है।

वर्ष 2007-08 में भदवास व कचौरा माइनर की सिल्ट सफाई का कार्य जिला स्तरीय मद से कराया जाना प्रस्तावित है। भदवास एवं कचौरा माइनर की हेड जनपद हाथरस में तथा टेल जनपद एटा में पड़ती है। एटा जनपद से 50 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध हो गयी है तथा हाथरस जनपद से माह नवम्बर, 2007 तक धन मिलने की सम्भावना है।

उक्त दोनों माइनरों की सिल्ट सफाई का कार्य माह नवम्बर, 2007 तक कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**मैनपुरी नगर में करहल रोड चौराहे से लेकर बड़े चौराहे तक जीर्ण-शीर्ण सड़क का निर्माण**

125-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैनपुरी नगर में करहल रोड चौराहे से लेकर बड़े चौराहे तक की जीर्ण-शीर्ण सड़क के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में कोई राशि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद मैनपुरी में करहल चौराहे से बड़ा चौराहा होकर छोटी खानगाह (देवी रोड) तक सी0सी0 मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 2006-07 में जिला योजना के अन्तर्गत रु0 89.19 लाख आवन्टित किया गया था लेकिन मैनपुरी नगर के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में सीवर लाइन का कार्य स्वीकृत हो जाने के कारण आवण्टित धनराशि समर्पित कर दी गयी। सीवर लाइन डालने के उपरान्त मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में यथासमय विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद झांसी के गरौठा क्षेत्र में फसल की सिंचाई हेतु नहरों को टेल तक पानी उपलब्ध कराने की कार्य योजना**

126-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गरौठा क्षेत्र में फसल की सिंचाई हेतु नहरों को नियमित चलाने तथा इन नहरों में प्रचुर मात्रा में टेल तक पानी उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसको कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

योजना तकनीकी रूप से साध्य नहीं पायी गयी है।

**जनपद बहराइच के निवासी श्री विश्राम पाण्डेय का गन्ना पर्ची से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही**

127-श्री उदयभान करवरिया-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विश्राम पाण्डेय निवासी ग्राम-प्यारेपुर ब्लाक-फखरपुर जनपद-बहराइच का शिकायती-पत्र दि0 06-02-2007 जो पिपरसण्डी सुगर मिल (पारले जी) के गन्ना पर्ची से संबंधित था उप गन्ना आयुक्त उ0 प्र0 के आदेश दिनांक 20-03-2007 सहित जिला गन्ना अधिकारी बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

श्री पाण्डेय की देय पर्चियों का निर्गमन दिनांक 27-02-2007 से चीनी मिल द्वारा किया गया है।

**शासन की चीनी नीति के अनुसार गन्ना किसानों को गन्ना मिलों द्वारा देय सुविधा**

128-श्री उदयभान करवरिया-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 शासन की चीनी नीति के अनुसार गन्ना मिलों द्वारा गन्ना किसानों के लिये क्या-क्या सुविधायें देय होती है ? क्या पारले जी चीनी मिल पिपरसण्डी जनपद बहराइच इन सुविधाओं को किसानों को उपलब्ध करा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-**

वर्तमान में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति 2004 तात्कालिक प्रभाव से समाप्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-हाथरस के सादाबाद से जनपद एटा के जलेसर को जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण हेतु कार्य योजना**

129-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हाथरस के सादाबाद से जनपद-एटा के जलेसर को जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

**जनपद-हाथरस के अन्तर्गत नेशनल हाइवे 93 से कुरसण्डा होकर मई जाने वाले मार्ग की मरम्मत की मांग**

130-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हाथरस के अन्तर्गत नेशनल हाइवे 93 से कुरसण्डा होकर मई जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

एन0एच0 93 से निकलने वाला कुरसण्डा मई मार्ग 9.50 कि0मी0 लम्बाई का ग्रामीण मार्ग है। कि0मी0 1.00 से कि0मी0 7.00 तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जिसे इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है। मार्ग के शेष भाग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**शाहजहांपुर महायोजना 2021 के परिप्रेक्ष्य में खण्डेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स, तहसील-सदर जनपद-शाहजहांपुर के भू-उपयोग के छूटे हुए भाग को शामिल किये जाने सम्बन्धी-पत्र**

131-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर महायोजना-2021 के परिप्रेक्ष्य में खण्डेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स मोहम्मदी रोड, ग्राम हथौड़ा बुजुर्ग, तहसील सदर, जनपद शाहजहांपुर के भू-उपयोग के छूटे हुये भाग को शामिल किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 12 जुलाई, 2007 एवं संलग्न प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, विनियमित क्षेत्र शाहजहांपुर द्वारा प्रेषित पत्र सं0 532/वि0 क्षे0 शाह0/एन0 के खण्डेलवाल/07 दिनांक 18-7-07 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उक्त पत्रों पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को शासन के पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 2007, 18 अक्टूबर, 2007 एवं 26 अक्टूबर, 2007 द्वारा आख्या/संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, किन्तु प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न नियत प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, विनियमित क्षेत्र शाहजहांपुर को पत्र दिनांक 18-7-07 का न होकर दिनांक 18-5-2007 का है।

**जनपद मुख्यालय महराजगंज में यातायात को देखते हुए रिंग रोड की योजना**

132-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुख्यालय महराजगंज में आये दिन यातायात की समस्या को देखते हुये रिंग रोड की योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद मुख्यालय महराजगंज के लिये रिंग रोड बनाने की कोई योजना सम्प्रति शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नही उठता।

वर्तमान में फरेन्दा महराजगंज मार्ग, गोरखपुर महराजगंज मार्ग एवं महराजगंज निचलौल मार्ग से होकर यातायात सुचारु रूप से चल रहा है।

**प्रदेश में भांग के अनुज्ञापियों को भांग की आपूर्ति**

133-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में भांग के अनुज्ञापियों को भांग की आपूर्ति कहां से होती है और वर्ष 2006-07 में कितने टन भांग की आपूर्ति किन-किन एजेन्सियों के माध्यम से

करायी गयी ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उत्तर प्रदेश में भांग अनुज्ञापियों को भांग की आपूर्ति जनपदों में स्थित बंधित आबकारी गोदामों से की जाती है। वर्ष 2006-07 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित बंधित आबकारी गोदामों में भांग की थोक आपूर्ति द्वारा अनुमोदित 17 आपूर्तकों द्वारा 359.5 टन (359466 किलोग्राम) कराई गई।

वर्ष 2006-07 के लिये थोक भांग आपूर्ति हेतु अनुमोदित थोक भांग आपूर्तकों की सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ट 200-202 पर।)

**जनपद-गोण्डा में मसकनवां हथियागढ़-गौरा चौकी मार्ग पर सिंगार घाट पुल का निर्माण**

134-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा तहसील मनकापुर में मसकनवां हथियागढ़-गौरा चौकी मार्ग पर बिसही नदी पर सिंगारघाट पुल का निर्माण सेतु निगम द्वारा कराया जा रहा है ? इसका निर्माण कब तक पूरा करने का लक्ष्य था ? क्या यह सत्य है कि उक्त पुल का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है जिससे आम जनता को काफी कठिनाई उठानी पड रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण शीघ्र पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

निर्माण जून, 2008 में पूर्ण करना लक्षित है।

जी नहीं।

कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि जून, 2008 है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में यमुना नदी पर स्थित ओखला बैराज से आगरा नहर को पानी की आपूर्ति**

135-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में यमुना नदी पर स्थित ओखला बैराज में वर्तमान में पर्याप्त पानी की मात्रा है ? यदि हां, तो क्या आगरा नहर को 4000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

यमुना नदी पर स्थित ओखला बैराज पर खरीफ फसल में यमुना नदी में प्रायः पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। रबी फसल में जल की उपलब्धता कम हो जाती है और इसकी प्रतिपूर्ति हेतु अपर गंगा कैनाल का पानी हिण्डन नदी एवं हिण्डन कट के माध्यम से ओखला बैराज पर उपलब्ध कराया जाता है।

जी नहीं।

टिहरी डैम का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा इससे उपलब्ध होने वाले 4000 क्यूसेक जल में से 1100 क्यूसेक जल आगरा नहर को दिया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये समानान्तर हिण्डन कट नहर का निर्माण एवं आगरा नहर की क्षमतावृद्धि परियोजना के कार्य प्रगति में है।

**देवी पाटन मण्डल में स्थापित चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान**

136-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवी पाटन मण्डल में स्थापित किन-किन चीनी मिलों ने गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान 31-8-07 तक कर दिया है तथा 31-8-07 के बाद इनमें से किन-किन चीनी मिलों पर किसानों का कितना धन बाकी है ? बकाया धन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

देवीपाटन मण्डल में स्थापित चीनी मिलों में से निजी क्षेत्र की केवल परसेन्डी चीनी मिल द्वारा दिनांक 31-8-2007 तक सम्पूर्ण बकाये का भुगतान कर दिया गया था। मैजापुर चीनी मिल द्वारा उक्त तिथि के बाद सम्पूर्ण बकाये का भुगतान कर दिया गया है। देवीपाटन मण्डल की बकायेदार चीनी मिलों पर दिनांक 25-10-2007 तक बकाये का विवरण निम्नवत् है :-

| चीनी मिल का नाम | देय | भुगतान | अवशेष |
|---|---|---|---|
| 1-बलरामपुर | 25771.22 | 22819.31 | 2951.91 |
| 2-मनकापुर | 15496.35 | 13716.49 | 1779.86 |
| 3-तुलसीपुर | 14531.33 | 12866.95 | 1664.38 |
| 4-चिलवरिया | 9638.86 | 8460.33 | 1178.53 |
| 5-जरवल रोड | 4555.21 | 3046.11 | 1509.10 |
| 6-नानपारा | 5568.30 | 4601.39 | 966.91 |

निजी क्षेत्र की चीनी मिल बलरामपुर, मनकापुर, तुलसीपुर तथा चिलवरिया के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया गया है। सहकारी/निगम क्षेत्र की बकायेदार चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध कराने का प्रकरण विचाराधीन है।

**अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं संचालित संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया जाना**

137-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं संचालित संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने के सम्बन्ध में शासन में विचाराधीन है ? इन संस्थाओं को कब तक अल्पसंख्यक संस्था घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू)-

जी हां।

37 माध्यमिक एवं 33 बेसिक स्तर के विद्यालयों के प्रस्ताव अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु विचाराधीन है।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर विशेष अपील सं0-903/2006 में पारित आदेश दिनांक 24-8-2006 द्वारा अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने पर रोक लगा दी गयी है। उक्त रोक हटाने के बाद अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

138-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[दूसरे सोम0 के अता0प्र0सं0-186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**गोरखपुर महानगर में लो0नि0वि0 व राष्ट्रीय राजमार्ग इकाई द्वारा बनायी हुई क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण**

139-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में लोक निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग इकाई द्वारा बनवाई गयी सडकें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं ? क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मैनपुरी अन्तर्गत ब्रांच मैनपुरी की नहर की सफाई की मांग**

140-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज अलीपुर खेड़ा से न0 देवीपुर तक बेबर ब्रान्च मैनपुरी की नहर की सफाई न होने के कारण किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो सरकार उक्त नहर की सफाई कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज में अलीपुर खेड़ा बेवर ब्रान्च के कि0मी0 73.3 पर तथा नगला देवीपुर कि0मी0 75.6 पर स्थित है। इस ब्रांच का आन्तरिक सेक्शन संकुचित हो गया है फिर भी शाखा के कि0मी0 73.3 (जलालपुर रेगुलेटर) पर परिकल्पित डिस्चार्ज 418 क्यूसेक के सापेक्ष औसतन 318 क्यूसेक जल उपलब्ध होता है।

सिंचाई विभाग में ब्रांच नहरों की सफाई का कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

**खाद्य एवं रसद विभाग में इंस्पेक्टरों की तैनाती की अधिकतम सीमा**

141-श्री सिबगतुल्ला अंसारी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य एवं रसद विभाग में इंस्पेक्टरों की तैनाती की अधिकतम सीमा जनपद के अन्तर्गत 6 वर्ष और मण्डल के अन्तर्गत 10 वर्ष निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या वाराणसी मण्डल में इस नीति का पालन कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

इंस्पेक्टरों की जनपद में तैनाती की अधिकतम सीमा 06 वर्ष निर्धारित है। मण्डल में तैनाती की वर्तमान में कोई नीति निर्धारित नहीं है।

वाराणसी मण्डल में स्थानान्तरण नीति का पालन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मथुरा अन्तर्गत तहसील बल्देव में विसावर ऊचागांव मार्ग का अनुरक्षण कार्य**

142-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बल्देव जनपद-मथुरा के अम्बेडकर ग्राम रदोई व सराय दाउद को जोड़ने वाले विसावर ऊचागांव मार्ग के अनुरक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग की कुल लम्बाई 4.20 कि0मी0 के सापेक्ष 3.20 कि0मी0 में नवीनीकरण का कार्य किया गया है शेष 1.00 कि0मी0 वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

**शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में बी0पी0एल0 राशन कार्ड का वितरण**

143-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बतायेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक भावलखेड़ा में कितने बी0पी0एल0 कार्ड बने है तथा इनको कितना गल्ला एक माह में मिलता है ? क्या स्थानीय स्तर पर

बी0पी0एल0 व्यक्तियों की पात्रता के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में 5765 बी0पी0एल0 राशन कार्ड जारी किये गये हैं। वर्तमान में इन्हें 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह मिलता है।

जी हां।

शिकायतों की जांच करायी गई जांच में 18 अपात्र व्यक्तियों को दिये गये बी0पी0एल0 योजना के राशन कार्ड निरस्त कर पात्र व्यक्तियों/परिवारों को दे दिये गये।

**जनपद महराजगंज में उत्तरी नारायणी नहर पर बने जर्जर पुलों का निर्माण**

144-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि महराजगंज जनपद में उत्तरी नारायणी नहर पर बने दोनों पुल जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दोनों पुलों का निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष में करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां, वर्तमान वित्तीय वर्ष में धन उपलब्ध कराकर निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्वीकृत मार्ग व पुलिया के निर्माण की वर्तमान स्थिति**

145-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 2001-2002 से अब तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कौन-कौन से मार्ग स्वीकृत हैं ? स्वीकृत प्रत्येक मार्ग तथा पुलिया की वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या स्वीकृत मार्ग में से कुछ मार्ग पर अब भी निर्माण शुरू नहीं हो सके हैं और कुछ का लेपन कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2001-02 से अब तक स्वीकृत कुल 91 कार्यों की सूची संलग्न है।

64 कार्यों पर पुलिया निर्माण तथा मार्ग निर्माण का कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण है। 23 कार्यों पर पुलिया निर्माण तथा लेपन का कार्य प्रगति पर है तथा 04 कार्यों पर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 203-205 पर।)

**जनपद झांसी में विधान सभा क्षेत्र गरौठा में भसनेह बांध का जल स्तर सूखे से नीचे जाने की स्थिति का निराकरण**

146-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र गरौठा जनपद झांसी में भसनेह बांध के माध्यम से विगत कई वर्षों से नगरपालिका गुरसराय एवं आस-पास के गांवों में पीने का पानी एवं हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित होती रही है ? क्या यह सत्य है कि सूखे के कारण बांध का जल स्तर अत्यधिक नीचे चला गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस समस्या के निराकरण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा बनायी गयी योजनानुसार इसे मुख्य नहर से जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना तकनीकी रूप से साक्ष्य नहीं पायी गयी।

**जनपद झांसी के गरौठा क्षेत्र की ग्राम सभाओं में सभी पात्र व्यक्तियों का बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड उपलब्ध कराया जाना**

147-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि झांसी जनपद के गरौठा क्षेत्र की ग्राम सभाओं में शासन सभी पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए निर्धारित संख्या के अन्तर्गत गरौठा तहसील में बी0पी0एल0 के 14868 तथा अन्त्योदय के 9244 पात्र परिवारों को कार्ड जारी किये गये हैं।

सभी बी0पी0एल0 परिवारों को राशन कार्ड दिये जाने के लिए भारत सरकार से लक्ष्य बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त राशन कार्ड दिये जाने में असमर्थता व्यक्त की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**बल्देव (मथुरा) को कैलाश (आगरा) से जोड़ने वाले मार्ग पर यमुना नदी पर सेतु निर्माण**

148-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बल्देव (मथुरा) को कैलाश (आगरा) से जोड़ने वाले मार्ग पर यमुना नदी पर सेतु निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्रांक 48/रालोद/विमदल/विस दिनांक

27-06-2007 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

सेतु निर्माण के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मथुरा अन्तर्गत नगला गुखरौली (मगला) को कैलाश बल्देव मार्ग को जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्ग के निर्माण की कार्य योजना**

149-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील बल्देव जनपद मथुरा के अम्बेडकर ग्राम नगला गुखरौली (मगला) को कैलाश बल्देव मार्ग से जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की क्या कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

नगला गुखरौली (मगला) बल्देव बरौली कैलाश मार्ग के कि0मी0 13 में स्थित है। यह गांव पूर्व से ही मार्ग से जुड़ा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद-हाथरस की तहसील सादाबाद के विकास खण्ड सादाबाद व सहपऊ में नदी नालों के अनुरक्षण सम्बन्धी-पत्र पर कृत कार्यवाही**

150-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सादाबाद तहसील जनपद हाथरस के डार्क घोषित विकास खण्ड सादाबाद व सहपऊ में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु नहर व नदी-नालों के अनुरक्षण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्रांक 47/रालोद/विमदल/विस दिनांक 27-06-2007 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद व सहपऊ डार्क घोषित है तथा नहर के टेल पर अवस्थित है। नहरी रोस्टर के अनुसार दोनों विकास खण्ड में पड़ने वाली नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाया जाता है। खरीफ 1415 फसली में दोनों विकास खण्ड में पड़ने वाली 10 नहर की टेलों में से 9 टेलों पर पानी पहुंचाया गया है। वर्तमान में नहरी पानी का कोटा बढ़ाकर देने की कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं है। तहसील क्षेत्र से गुजरने वाली करवन नदी तथा भीगला गंगदा नाला पर

चैक डैम बनाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद चित्रकूट में सम्पर्क मार्गों के निर्माण में मानक के विरुद्ध कार्य करने पर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही**

151-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चित्रकूट में कर्वी-राजापुर, चित्रकूट-बेड़ीपुलिया, सीतापुर रामघाट, राजापुर-रैपुरा वाया मानिकपुर लौढिया माफी, सुरौधा से तांडी सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त मार्गों का निर्माण मानक के विरुद्ध कराया जा रहा है ? क्या उक्त मार्गों की टी0 ए0 सी0 से जांच कराकर दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**लो0 नि0 विभाग बांदा द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही**

152-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 08-09-2007 जो लो0 नि0 विभाग बांदा द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, जिलाधिकारी, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त पत्र अनियमितता के सम्बन्ध में नहीं है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा यथावांछित प्रगति विवरण मा0 विधायक जी को उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

153-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0-191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद प्रतापगढ़ में एस0आर0पी0 2 के अन्तर्गत निर्माणाधीन मार्ग में अनियमितता संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही**

154-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0आर0पी0 2 के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन मार्ग ढखवा से चिलबिला मार्ग में ढखवा बाजार में निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है और निर्माण कार्य में मानकों, स्वीकृत आगणन, डी0पी0आर0, टी0एस0 का अनुपालन नहीं हो रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-2/998963 दिनांक 16-8-07 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ तथा अधिशासी अभियन्ता राज्य सड़क परियोजना खण्ड प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

ढकवा बाजार में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा इसे नवम्बर, 2007 के अन्त तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। बेला पट्टी ढकवा मार्ग एवं पट्टी बाईपास का निर्माण कार्य स्वीकृत आगणन के प्राविधानों के अनुसार प्रगति में है।

प्राप्त सूचना के आधार पर उपरोक्त पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फतेहपुर में विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही**

155-श्री राधेश्याम गुप्ता-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जनपद फतेहपुर में रामगंगा नहर में पानी का आवंटित कोटा 1100 क्यूसेक है जिसके सापेक्ष अभी तक मात्र 300 क्यूसेक पानी मिला है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जनपद फतेहपुर में रामगंगा नहर(पश्चिमी इलाहाबाद शाखा) में आवंटित जल 950 क्यूसेक के सापेक्ष पानी की कमी के कारण औसतन 518 क्यूसेक पानी उपलब्ध हुआ है।

पश्चिमी इलाहाबाद शाखा प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

156-श्री राधेश्याम गुप्ता-

[1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0-192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**जनपद हाथरस में विधान सभा क्षेत्र हाथरस में सड़क निर्माण में मानक अनुरूप कार्य न होने सम्बन्धी विषय पर दोषियों के विरुद्ध जांच**

157-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस में कहां-कहां से कुल कितने कि0मी0 सड़कों का निर्माण कराया गया एवं उन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सत्य है कि उक्त सड़कें मानक के अनुरूप न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराते हुए जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में जिला योजना एवं आर0आई0डी0एफ0-11 योजना से कुल 05 मार्गों, जिनकी कुल लम्बाई 6,600 कि0मी0 है, का निर्माण कुल रु0 90.29 लाख की धनराशि से कराया गया है।

जी नहीं। निर्माण कार्य मानक के अनुरूप हुआ है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा, ग्राम बिरवल का नलकूप ठीक कराया जाना**

158-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बिरवल, तहसील बारा, जनपंद इलाहाबाद का नलकूप संख्या के0सी0 103 विगत कई वर्षों से खराब पड़ा है ? यदि हां, तो क्या उक्त नलकूप ठीक करने हेतु धन आवंटित कर नलकूप ठीक करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, नलकूप संख्या-103 के0सी0 ग्राम बिरवल तहसील-बारा, जनपद-इलाहाबाद का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण दिनांक 10-07-07 से पूर्ण क्षमता से कार्यशील नहीं था। दिनांक 11-09-07 को कालम पाईप बढ़ाने हेतु नलकूप का पम्प सेट खोला गया एवं दिनांक 17-09-07 को ठीक कर सिंचाईरत कर दिया गया, किन्तु दिनांक 17-10-07 को नलकूप का ट्रान्सफार्मर जल जाने के कारण पुनः बन्द हो गया।

उक्त नलकूप दिनांक 20-10-2007 को ठीक करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग बांदा खण्ड-1 को विकास निधि, त्वरित योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण में अनियमितताओं की जांच के सम्बन्धी-पत्र पर कृत कार्यवाही**

159-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-07-2007 अधि0 अभि0 लोक निर्माण विभाग बांदा खण्ड-1 को विकास निधि, त्वरित योजना अन्तर्गत नवीनीकरण एवं सड़क मरम्मत व नये कार्यों में अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त पत्र अनियमितता के सम्बन्ध में नहीं है।

वांछित प्रगति विवरण मा0 विधायक जी को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0 बांदा के पत्रांक 1983/एम-18 दिनांक 23-10-07 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जिला सीतापुर अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद में स्वीकृत डामर रोड का निर्माण कार्य**

160-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि त्वरित विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम असईपुर तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर हेतु स्वीकृत डामर रोड के लिए धन अवमुक्त कर उक्त मार्ग का निर्माण पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

तत्समय आचार संहिता प्रभावी रहने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था। तत्पश्चात् नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश सं0-832/35-4-2007 दिनांक 08-06-2007 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के सभी अनारम्भ कार्य निरस्त कर दिये गये हैं तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

**लखनऊ स्थित दारूलशफा विधायक निवास में दूषित जल की आपूर्ति**

161-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित दारूलशफा विधायक के सरकारी निवास में दूषित पेयजल की आपूर्ति के कारण विधायकों को अक्सर बीमारियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त आवासों पर शुद्ध पानी की आपूर्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

लखनऊ स्थित दारूलशफा विधायक निवास में दूषित जल की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फिरोजाबाद में लो0 नि0 वि0 व त्वरित योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण**

162-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2004-05, 2005-06 व 2006-2007 में लो0 नि0 विभाग व त्वरित योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कें स्वीकृत हुई थीं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त वर्ष की स्वीकृत सड़कों का पेन्टिंग कार्य करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद फिरोजाबाद के लिये वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06 व 2006-2007 में लो0 नि0 वि0 के अन्तर्गत 451 तथा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत 48 मार्ग स्वीकृत हुये हैं।

उक्त वर्षों में कुल स्वीकृत 499 मार्गों में से 186 मार्गों का पेन्टिंग कार्य करा दिया गया है।

लो0नि0वि0 के अन्तर्गत 143 सड़कों का पेन्टिंग कार्य 22 अक्टूबर, 2007 तक पूर्ण करा दिया गया है। शेष मार्गों का पेन्टिंग कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत 43 मार्गों का पेन्टिंग कार्य सितम्बर 2007 तक पूर्ण करा दिया गया है। शेष 05 मार्गों पर मार्च 2008 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद मैनपुरी में लो0 नि0 वि0 व त्वरित विकास योजनाओं के अन्तर्गत सड़क निर्माण**

163-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में वर्ष 2005-2006, 2006-2007 में लोक निर्माण विभाग व त्वरित विकास योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी सड़कें पेन्टिंग स्तर तक स्वीकृत हुई थीं ? सरकार अधूरी पड़ी सड़कों की पेन्टिंग कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद मैनपुरी में वर्ष 2005-2006 व 2006-2007 में लोक निर्माण विभाग की 321 सड़कें एवं त्वरित विकास योजना की 51 सड़कें अर्थात् कुल 372 सड़कें पेन्टिंग स्तर तक स्वीकृत हुयी थीं।

लोक निर्माण विभाग की 321 सड़कों में से 172 सड़कों की पेन्टिंग पूर्ण है। शेष सड़कों पर लेपन कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 51 सड़कों में से केवल 03 सड़कें मिट्टी स्तर तक पूर्ण हो पायी है। तत्समय आचार संहिता प्रभावी रहने के कारण शेष सड़कों का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था। तत्पश्चात नियोजन विभाग के शासनादेश सं0-832/35-4-07,

दि0 08-06-07 में की गयी व्यवस्थानुसार प्रारम्भ किये जा चुके कार्य को उपयोगिता स्तर तक पूर्ण किये जाने तथा अनारम्भ कार्य की स्वीकृत निरस्त मानते हुये अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

**आयुक्त आवास विकास परिषद् लखनऊ को प्रेषित संस्था लेखराज बिल्डर के विरुद्ध पत्र पर कृत कार्यवाही**

164-श्री उदय राज यादव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में राजाजीपुरम् के सेक्टर-17, लेखराज रेजीडेन्सी फेज-2 के फ्लैट धारकों को वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने हेतु आवश्यक कागजात/अभिलेख, फ्लैट बेचने वाली संस्था लेखराज बिल्डर द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने विषयक अनु सचिव, मुख्य मंत्री का पत्र रजि-27/2007/1(9)2007/ लो0शि0-3, दिनांक 27-6-07 आयुक्त, आवास विकास परिषद् लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

इस सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के सम्पत्ति प्रबन्धक, राजाजीपुरम् द्वारा फ्लैट धारक श्रीमती तसनीम बानो के समस्या के निराकरण हेतु श्रीमती कनक गर्ग (लेखराज बिल्डर्स) के पक्ष मे आवंटित व्यवसायिक भू-खण्ड की आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निष्पादित रजिस्ट्री एवं स्वीकृत मानचित्र की प्रति श्रीमती तसनीम बानो को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हाथरस अन्तर्गत मथुरा जिले का शेष भाग (भरतिया से पटलौनी) के चौड़ीकरण व मरम्मत की कार्य योजना**

165-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हाथरस में मई से मथुरा जनपद के भरतिया होकर आगरा-बल्देव मार्ग के पटलौनी तक के मथुरा जिले का शेष भाग (भरतिया से पटलौनी) के चौड़ीकरण व मरम्मत की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त मरम्मत कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

166-श्री प्रदीप माथुर-

[पहले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**बागपत लोक सभा क्षेत्र में मार्गों के लेपन कार्य की मांग**

167-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागपत लोक सभा क्षेत्र में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने मार्गों का लेपन कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गई है तथा उसमें कितने मार्गों का लेपन कार्य पूर्ण हो गया है और कितने अवशेष हैं ? सरकार उक्त शेष मार्गों का कार्य कब तक लेपन स्तर तक पूर्ण करा देगी ? नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में लोक सभा बागपत क्षेत्र में माह 9/07 तक 25 मार्गों के लेपन कार्य हेतु रु0 133.90 लाख धनराशि आवंटित की गयी है जिसमें 08 कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा 17 कार्य अवशेष हैं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**भारत सरकार द्वारा नये पेटी-डीजल डीलरों की नियुक्ति**

168-श्री राजा राम त्यागी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि भारत सरकार के आदेश दिनांक 19-12-2005 के द्वारा नये पेटी-डीजल डीलर की नियुक्तियों पर जिलाधिकारी को लाइसेन्स दिये जाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की असुविधा को देखते हुए नये पेटी डीलरों की नियुक्ति हेतु पूर्व की भांति जिलाधिकारियों को अधिकार दिलाने हेतु प्रदेश सरकार केन्द्र से अनुरोध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मथुरा में गोवर्धन गिरिराज महाराज की मरम्मत फर्जी भुगतान के आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही**

169-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मथुरा में गोवर्धन गिरिराज महाराज की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु मुड़िया पूर्णिमा मेला के लिये लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड को पिछले छः माह में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त मेला की सड़कों की मरम्मत न कराकर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा फर्जी भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराते हुए दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मुड़िया पूर्णिमा मेला हेतु वर्ष 2007-08 में रु0 23.93 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत**

170-श्री लालजी यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत सुनकर हाटा मार्ग जिन्हावा से डड़वा मार्ग एवं बासी से इटवा मार्ग जो काफी क्षतिग्रस्त हो गये है तथा आवागमन भी बाधित है ? क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है किन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-सिद्धार्थनगर में बाढ़ से सुरक्षा हेतु आकस्मिक परियोजनाओं की तैनाती**

171-श्री लालजी यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती एवं बूढ़ी राप्ती नदियों पर बने तटबन्धों की बाढ़ से सुरक्षा हेतु इमरजेन्सी परियोजनायें बनाकर मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग को वर्ष 2007 में भेजा गया है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी एवं बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे तटबन्धों की 9 आकस्मिक परियोजनायें लागत रु0 132.98 लाख की तैयार की गयी हैं।

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा आपदा राहत निधि से एक परियोजना रु0 9.63 लाख की स्वीकृत हो गयी है। शेष परियोजनाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**उ0 प्र0 सेतु निगम निर्माण इकाई द्वारा पुलों का निर्माण पूर्ण कराये जाने की मांग**

172-श्री उदय राज यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 सेतु निगम निर्माण इकाई द्वारा लोन नदी साइड एक अतरसाई पुल को मार्च, 07 में पूर्ण दिखा दिया गया है, जबकि उक्त पुल अभी भी पूर्ण नहीं है ? क्या यह सत्य है कि सई नदी करदहा में पुल का निर्माण रुका हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पुल का कार्य पूर्ण है। सुरक्षात्मक कार्य एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है।

प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य जारी है तथा माह जून, 2008 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

**जनपद-उन्नाव, हरदोई तथा रायबरेली में नहरों के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही**

173-श्री उदय राज यादव-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव, हरदोई तथा रायबरेली में नहरों के सुदृढ़ीकरण हेतु शासन को भेजे गये 105 करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

हरदोई शाखा की क्षमता पुनर्स्थापना हेतु रु0 105.2997 करोड़ लागत की एक परियोजना स्वीकृत हो गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 20.00 करोड़ का आवंटन किया जा चुका है। परियोजना में हरदोई, उन्नाव एवं रायबरेली जनपद में पड़ने वाली अधिकांश नहरों की क्षमता पुनर्स्थापना के कार्य सम्मिलित हैं। परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**उ0 प्र0 खादी ग्रामाद्योग विभाग बोर्ड में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत श्रीमती विमला देवी के मरणोपरान्त अवशेष देयों का भुगतान**

174-श्री उदय राज यादव-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 श्री राम, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग विभाग बोर्ड, कार्मिक अनुभाग-8 तिलक मार्ग, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत थीं और जिनका सेवाकाल में ही दिनांक 20-1-2007 को स्वर्गवास हो गया था, के अवशेष देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्रीमती ओमवती)-

स्व0 विमला देवी, चपरासी/चौकीदार के अवशेष देयों का भुगतान किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत जी0आई0एस0 का भुगतान बैंक ड्राफ्ट संख्या-669868 दिनांक 28-9-2007 द्वारा रु0 38921.00 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जी0पी0एफ0 धनराशि रु0 1,22,059.00 का

भुगतान उनकी नामित पुत्री श्रीमती ऊषा देवी को बैंक ड्राफ्ट सं0-923789 दिनांक 23-10-07 द्वारा किया जा चुका है।

अवकाश नकदीकरण रु0 53069.00 के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। परन्तु नकदीकरण में किसी व्यक्ति का नामांकन न होने के कारण वारिसाना हक प्राप्त कर भुगतान किया जायेगा।

उक्त भुगतान उपरान्त सेवा पुस्तिका पेंशन प्रकोष्ठ को मृत ग्रेच्युटी भुगतान हेतु भेज दी जायेगी।

175-श्री संजीव दरियाबादी-

[पहले मंगलवार के अता0प्र0सं0-166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद इलाहाबाद की टोंस नदी पर देवरा लिफ्ट कैनाल की क्षमता बढ़ाने की मांग**

176-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की टोंस नदी पर देवरा लिफ्ट कैनाल की क्षमता बढ़ाने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में उक्त पम्प कैनाल की क्षमता बढ़ाने हेतु प्राविधान नहीं है।

**जनपद चन्दौली के अन्तर्गत गड़ई नदी की पुनर्स्थापना योजना में खुदाई के लिए उपयोग की गई किसानों की जमीन के मुआवजे का भुगतान**

177-श्री राम किशुन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के अन्तर्गत गड़ई नदी की पुनर्स्थापना योजना के अन्तर्गत गड़ई नदी की खुदाई के लिए उपयोग की गई किसानों की जमीन का मुआवजा समस्त किसानों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

मुआवजा वितरण का कार्य प्रगति में है। शीघ्र भुगतान करा दिया जायेगा।

**जनपद चन्दौली के नरायनपुर नहर प्रणाली के विस्तार में ली गई जमीनों का किसानों को मुआवजे का भुगतान**

178-श्री राम किशुन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के नरायनपुर नहर प्रणाली के विस्तार के लिए ली गयी जमीनों के मुआवजे का भुगतान अब तक कितने किसानों को कर दिया गया है तथा कितनों का शेष है, उन्हें कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

नरायनपुर नहर प्रणाली के विस्तार के लिए ली गई जमीन के मुआवजे का अब तक 248 किसानों को भुगतान कर दिया गया है। अभी 1245 किसानों का भुगतान शेष है, जिनके मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।

**जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद की गंगेहरा माइनर का सुदृढ़ीकरण एवं लाइनिंग कार्य की प्रगति**

179-श्री राम किशुन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के विकास खण्ड-नियमताबाद की गंगेहरा माइनर का सुदृढ़ीकरण एवं लाइनिंग का कार्य प्रस्तावित है ? यदि हां, तो प्रस्ताव के अनुसार आवश्यक धन उपलब्ध कराते हुए कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

परियोजना लागत रु0 19.25 लाख परीक्षणाधीन है। स्वीकृति उपरान्त यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद की बखरा माइनर में पक्के छलके का निर्माण**

180-श्री राम किशुन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के विकास खण्ड-नियमताबाद की बखरा माइनर में पक्के छलके का निर्माण न कराये जाने से किसानों के खेतों की सिंचाई करने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर में किसानों की सुविधानुसार छलका बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थान पर छलका निर्माण तकनीकी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

**गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों की बी0पी0एल0 सूची की जानकारी**

181-श्री राजाराम त्यागी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों को बी0पी0एल0 सूची में किस वर्ष सर्वे कर सूचीबद्ध किया गया तथा सूचीबद्ध करने का मानक क्या था ? क्या सरकार जनपद-रायबरेली के बछरावां विधान सभा की पूरी सूची हिन्दी में प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों की बी0पी0एल0 सूची का सर्वे वर्ष 2002 में करके सूचीबद्ध किया गया था।

सूचीबद्ध करने के मानक भूमि की क्रियाशील जोतों का आकार, आवास का प्रकार, वर्ष में सामान्य पहनने के कपड़ों की उपलब्धता, खाद्य की सुरक्षा, स्वच्छता, उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, परिवार के सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति का शैक्षिक स्तर, परिवार में उपलब्ध श्रम शक्ति का स्तर, जीविका के साधन, बच्चों का स्तर, गरीब होने का प्रकार, घर से बाहर जाने के कारण सहायता की प्राथमिकता निर्धारित किये गये थे।

जी हां, उक्त सूची विस्तृत है, जो मेरे कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे मा0 सदस्य अपनी सुविधानुसार किसी कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ में लो0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड द्वारा बनायी जा रही सड़क पूरब पट्टी कल्याणी मार्ग में मानकों का अनुपालन न करने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही**

182-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड द्वारा बनायी जा रही सड़क पूरब पट्टी-कल्याणी, मार्ग के निर्माण में निर्धारित मानकों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र ख-2-998961 दिनांक 16-8-07 एवं ख-2/998959 दिनांक 1-8-07 एवं ख-2/998958 दिनांक 1-8-07 अधि0 अभियन्ता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग का नाम नरहरपुर-लाखीपुर कि0मी0-3 से पूरब पट्टी सम्पर्क मार्ग है। इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-2/998961 दि0 16-8-07 एवं ख-2/998958 दि0 01-08-07 अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़ के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। पत्र संख्या-ख-2/998959, दि0 01-08-07 प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

मार्ग के निर्माण में निर्धारित मानक के अनुपालन न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मार्ग की जांच प्राविधिक परीक्षक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से करायी गयी। मार्ग पर स्टोन बैलास्ट ओवर साईज का पाये जाने पर प्राविधिक परीक्षक द्वारा रु0 2,059.00 की कटौती किये जाने की संस्तुति की गयी। तद्नुसार परीक्षणोपरान्त ठेकेदार के देयक से रु0 6,863.00 की कटौती कर ली गयी है।

उपरोक्तानुसार।

**जिलाधिकारी, इलाहाबाद को सिंचाई हेतु नहरों की स्थापना संबंधी प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही**

183-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0-397519 दिनांकित 8-5-07 जो सिंचाई हेतु नहरों की स्थापना के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जिलाधिकारी, इलाहाबाद से प्राप्त सूचनानुसार पत्रांक-397519 दिनांकित 8-5-07 प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

184-श्री उदयभान करवरिया-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

**लखनऊ , टिकैतगंज, महमूदाबाद मार्ग का चौड़ीकरण**

185-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ, टिकैतगंज, महमूदाबाद मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

लखनऊ-टिकैतगंज-महमूदाबाद तक मार्ग की कुल लम्बाई 54.00 कि0मी0 है। जिसमें से 19.50 कि0मी0 भाग को 3.70 मीटर से बढ़ाकर 7.00 मीटर की चौड़ाई में चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है शेष भाग पूर्व से ही 7.00 मीटर चौड़ा है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-बांदा में दौलतपुर पम्प कैनाल, त्रिवेणी, अलोना, मदनपुर, कनवारा, औगासी, जौहरपुर पम्प कैनारा की सिल्ट सफाई एवं पम्प मरम्मत कार्य में भारी अनियमितता संबंधी पत्र पर जांच व कृत कार्यवाही**

186-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-07-2007 अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर बांदा को जो जनपद बांदा में दौलतपुर पम्प कैनाल, त्रिवेणी, अलोना, मदनपुर कनवारा, औगासी, जौहरपुर पम्प कैनाल की वर्ष 2005-06 व 2006-07 में सिल्ट सफाई एवं पम्प मरम्मत कार्य आदि में भारी अनियमितताओं से सम्बन्धित था. प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, माननीय सदस्य, विधान सभा का एक पत्र सं0-15/एमएलए, दिनांक 16-7-07, जो दिनांक 15-7-07 को हस्ताक्षरित है, अधिशासी अभियन्ता,

लघु डाल नहर खण्ड, बांदा के कार्यालय में दिनांक 23-7-07 को सीधे प्राप्त हुआ है, जो अनियमितता की जांच से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि जनपद-बांदा के दौलतपुर पम्प कैनाल त्रिवेणी, अलोना, मदनपुर, कनवारा, औगासी, जौहरपुर पम्प कैनाल की वर्ष 2005-06 व 2006-07 में सिल्ट सफाई कार्य व पम्प मरम्मत कार्य में व्यय की गयी धनराशि का विवरण व नवीन प्रस्तावित पम्प कैनालों का विवरण मांगे जाने से सम्बन्धित है।

जांच का प्रश्न नहीं उठता है। अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड-बांदा के पत्र संख्या-सी-257/सिल्ट सफाई/दिनांक 25-7-07 द्वारा वांछित विवरण माननीय सदस्य विधान सभा को उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-बांदा में नये सम्पर्क मार्गों का निर्माण एवं पुराने मार्गों की मरम्मत में की गयी अनियमितता संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही**

187-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-07-2007 जो जनपद-बांदा में वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक नये सम्पर्क मार्गों का निर्माण एवं पुराने मार्गों की मरम्मत में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग खण्ड-2 बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त पत्र अनियमितता के सम्बन्ध में नहीं है।

वांछित प्रगति विवरण मा0 विधायक जी को अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0 बांदा के पत्रांक 1 कैम्प/बांदा दिनांक 23-10-07 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

188-डा0 अनिल चौधरी-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

**जनपद-चन्दौली के खराब राजकीय नलकूपों को ठीक कराने की मांग**

189-श्री राम किशुन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के खराब राजकीय नलकूपों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-चन्दौली में कुल 225 क्रियाशील राजकीय नलकूप हैं, जिनमें से दिनांक 24-9-07 को कुल 36 नलकूप बन्द थे, जिनमें 03 नलकूप यांत्रिक दोष तथा 33 नलकूप विद्युत दोष में बन्द थे। उपरोक्त सभी बन्द नलकूप दिनांक 08-10-07 तक चालू हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-इलाहाबाद अन्तर्गत देवरा (पुरा लोकमन) की सड़क की पुलिया को पूर्ण कराये जाने की मांग**

190-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत पिपरहटा, तहसील करछना, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत देवरा (पूरा लोकमन) की सड़क की पुलिया अधूरी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त सड़क एवं पुलिया को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

**जनपद मैनपुरी अन्तर्गत डिगिया सात विक्रमपुर से छाली नदी हिमायूपुर तक नहर की सफाई व खुदाई संबंधी कार्य की जानकारी**

191-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ब्लाक सुल्तानगंज जनपद-मैनपुरी के डिगिया सात विक्रमपुर से छाली नदी हिमायूपुर तक नहर की सफाई व खुदाई न होने से सिंचाई में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त नहर की सफाई कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वर्ष 2007-08 में रबी 1415 फसली से पूर्व इस रजवाहे के हेड से कि0मी0 20.260 (टेल) तक सिल्ट सफाई/पुनर्स्थापना का कार्य 30-11-07 तक कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**वित्तीय वर्ष 2007-2008 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण**

श्री अध्यक्ष-

मैं मद संख्या-3 ले रहा हूं।

वित्त मंत्री (श्री कमलाकान्त गौतम)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2007-2008 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित कर दी जायं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

**वित्तीय वर्ष 2007-2008 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान**

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक अनुदानों की मांगों सम्बन्धी प्रस्तावों की अनुपूरक कार्य-सूची अनुपूरक अनुदानों के प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त वितरित कर दी जाय।

(अनुपूरक कार्य-सूची वितरित की गयीं)

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे)।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगणों से अनुरोध है कि वे कृपया शान्तिपूर्वक अपने स्थान पर बैठ जायें, हम सुनने के लिये तैयार हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जायें। मैं मद संख्या-04(1) ले रहा हूं।

**अनुदान संख्या-02, आवास विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत 3,81,25,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन की वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिससे घोर व्यवधान की स्थिति बनी रही)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 3,81,25,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-03, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 9,27,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 9,27,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-05, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-05, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-05, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-07, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-07, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 35,50,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-07, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 35,50,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-09, ऊर्जा विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-09, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 7,70,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-09, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 7,70,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 4,48,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 4,48,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-11, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 5,36,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 5,36,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 87,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 87,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-19, कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-22, खेल विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-22 खेल विभाग के अन्तर्गत 2,27,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-22 खेल विभाग के अन्तर्गत 2,27,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 1,87,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 1,87,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

**अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,33,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,33,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 51,00,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 51,00,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 4,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 4,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(वेल में आये हुये सदस्यों द्वारा अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, आप लोग कहां जा रहे हैं ? उदयराज यादव जी आप कहां जाना चाहते हैं ? बाहर जाना चाहते है तो निकल जायें। आप सभी माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जायें।

(पुन अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह सदन बोलने के लिये है। यह ताकत दिखाने के लिये नहीं है। कृपया इस सदन की गरिमा बनाये रखें।

**अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 3,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 3,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 59,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 59,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(विपक्ष के श्री मदन चौहान, श्री इमरान मसूद एवं हाजी अब्दुल समद अंसारी आदि अनेक सदस्य, रिपोर्टस मेज पर, चढ़कर नारेबाजी करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात् सुरक्षा सहायकों ने उन्हें मेज से उतार दिया।)

**अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 2,67,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 2,67,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 5,21,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 5,21,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 14,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 14,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 60,05,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 60,05,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 19,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 19,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-46, प्रशासनिक सुधार विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 30,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक विभाग के अन्तर्गत 30,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 48,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 48,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-53, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 5,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 5,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत 50,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत 50,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पति निदेशालय)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 38,09,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 38,09,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-60, वन विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत 26,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत 26,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

**अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 10,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 10,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

जो भी किसानों की समस्या है, गन्ना किसानों की समस्या है सभी पर मैं सुनूंगा।

**अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा-अल्प बचत आदि)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा-अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा-अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इसी मध्य विपक्ष के कुछ सदस्य रिपोर्ट्स टेबल पर चढ़ गये)

**अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 43,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 43,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 4,36,70,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 4,36,70,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,52,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,52,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,10,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,10,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

(सदन के फ्लोर से लोकदल के सदस्यों ने पुनर्गठन सम्बन्धी नारे लगाये)

(व्यवधान के मध्य)

**अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,40,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,40,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री अम्बिका चौधरी अपने दल के सदस्यों के साथ नारे लगाते हुये सदन से बाहर चले गये)

**अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 10,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 10,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर फ्लोर पर आये लोक दल के सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये)

**अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 9,28,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 9,28,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 3,43,30,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 3,43,30,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 10,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 10,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-86, सूचना विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-86, सूचना विभाग के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-86, सूचना विभाग के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 10,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 10,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-88, संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-88, संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 30,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-88, संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 30,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 21,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 21,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग ( मनोरंजन तथा बाजीकर ) के अन्तर्गत 9,33,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग ( मनोरंजन तथा बाजीकर ) के अन्तर्गत 9,33,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 90,21,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 90,21,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-95, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-95, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 15,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-95, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 15,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या-96, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-96, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 1,55,00,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-96, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 1,55,00,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007**

वित्त मंत्री (श्री कमलाकान्त गौतम)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित कर दी जाएं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)।

श्री कमलाकान्त गौतम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री कमलाकान्त गौतम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, विचार के लिये जो यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है। यदि आपकी आज्ञा हो तो दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि जो बहुत ही अल्प अवधि में यह अनुपूरक लाया गया है, उसे देखने का अवसर मिला। लगता है यह अनुपूरक लखनऊ की केवल एक बस्ती तक सीमित है। यह अनुपूरक मान्यवर, गोमती नगर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। जितनी भी बातें आयी हैं, अगर आप देखें तो अनुपूरक का 80 प्रतिशत से ज्यादा अंश केवल गोमती नगर तक सीमित रह गया है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, हम उम्मीद करते थे कि जो अनूपूरक आप ला रहे हैं तो जो प्रदेश की समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए आप धन लेंगे। मान्यवर, प्रदेश में समस्या आज सिंचाई की है, आज किसान सिंचाई की समस्या से परेशान है। जितनी भी नहरें हैं, जितने भी रजबहे हैं, मान्यवर, अक्टूबर समाप्त होने जा रहा है, एक की भी सफाई अभी शुरू नहीं हुई है। बिजली की समस्या है, बार-बार आश्वासन देने के बावजूद भी किसानों को नए कनेक्शन मिलने अब तक शुरू नहीं हुए, बजट में प्राविधान भी था, आपने आश्वासन भी दिया था लेकिन मैं खासतौर से अपने जनपद के लिए कह सकता हूं, अभी तक एक भी कनेक्शन इस 5 महीने की अवधि में किसानों को नहीं मिला। आप को पैसे की आवश्यकता थी तो उसके लिए अनुपूरक में प्राविधान करते। जब नहरों में पानी नहीं होगा, वैसे भी इस बार बारिश की कमी रही है, बिजली मिलेगी नहीं, अनुपूरक में प्राविधान होगा नहीं तो क्या फायदा अनुपूरक लाने का ?

मान्यवर, मैं एक समस्या आपके सामने रखना चाहता हूं, न जाने कितनी योजनाएं केन्द्र सरकार से आती हैं, पैसा केन्द्र सरकार से आता है, आज के अनुपूरक में भी इसका जिक्र है कि जितनी भी आई0टी0आई0 बनी हुई हैं, उनका उच्चीकरण आप करेंगे, उनमें सुविधा आप दिलावायेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हालत क्या है ? कुछ आई0टी0आई0 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आपने चिन्हित की थी, कोई समीक्षा आपने की या नहीं कि कितनी आई0टी0आई0 स्थापित हुई है ? पैसा चला गया, प्राविधान यह कर दिया कि उसके लिए स्थान उपलब्ध होना चाहिए, कभी आपने इसकी जानकारी की कि कितने जिलों में आपको इसके लिए स्थान उपलब्ध हुआ या नहीं ? अल्पसंख्यकों के बच्चे बेरोजगार न रहें, प्राथमिकता के आधार पर उनको स्थान मिले, उनको प्रशिक्षण मिले। पैसा आज भी पड़ा है, स्थान के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। मंत्री जी कभी इसकी समीक्षा कर ले कि स्थान उपलब्ध हुआ या नहीं हुआ ? मैं अपने जनपद के विषय में बता रहा हूं, आई0टी0आई0 स्वीकृत हुई, मैं बराबर प्रयास करता रहा कि जगह मिल जाए लेकिन अधिकारी स्तर पर कोई प्रयास नहीं हुआ। मैंने स्वयं प्रयास करके आपको भवन दिलवा दिया, निःशुल्क दिलवा दिया, बिना किराये का दिलवा दिया लेकिन जब वहां के प्रिंसिपल से बात हुई तो कहा कि मान्यवर, क्या करूं ऐसे आई0टी0आई0 का, 12 इन्स्ट्रेक्टर की जगहें हैं, दो की नियुक्ति हुई है और उन दो को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। इस आई0टी0आई0 के लिए केन्द्र से पैसा भी आया है, केवल आपकी निष्क्रियता की वजह से, आपकी उदासीनता की वजह से स्थिति यह है कि पैसा आ गया, एडमिशन हो गए और एडमिशन वहां हो गये, जहां भवन नहीं है, पुरानी आई0टी0आई0 चल रही है। तो क्या प्राथमिकताएं हैं पैसा कहां जा रहा है, म्यूजियम बनते रहेंगे, न जाने कितनी चीजें बनती रहेंगी लेकिन जो प्रदेश के भविष्य को बनाने वाली हैं, उन योजनाओं की ओर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। छोटा सा उदाहरण देता हूं, योजना केन्द्र सरकार की है कि ग्रामीण बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए ग्रामीण व्यायामशालाओं का निर्माण हो। जिलाधिकारियों को चिट्ठी चली गयी कि इतनी व्यायामशालाएं खोली जानी है, उनके लिए जगह उपलब्ध करा दी जाए, एक भी नहीं बनी पूरे प्रदेश में। क्यों नहीं बनी, क्योंकि जिलाधिकारियों को रुचि नहीं है, जिलाधिकारी की प्राथमिकता यह है कि कैसे किसानों की जमीनों पर जबर्दस्ती पट्टों पर कब्जे दिलवा दिए जायें, मान्यवर, शासन और प्रशासन केवल एक काम पर लग गया। किसान की जमीन पर पट्टा था या नहीं था, वहां पर उसका शोषण करके कब्जा दिलाने की बात कर दी, लेकिन जो विकास के कार्य थे, कहीं आपका ध्यान गया ? क्या मा0 मंत्री जी जानकारी करके बतायेंगे कि पिछले 6 महीने में एक भी व्यायामशाला के लिए आपको जमीन उपलब्ध हो सकी ? एक भी व्यायामशाला का निर्माण हो सका ? शिक्षा के उत्थान के बारे में आपने लिखा है।

मान्यवर, कितनी ही राजकीय शिक्षण संस्थाएं ऐसी है जहां पर 6 महीनों से जगह खाली पड़ी है। 6 महीने में आपने उच्च शिक्षा या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नियुक्ति नहीं की है। ग्रामीण अंचलों में जितने भी स्वास्थ्य केन्द्र है उनमें से 90 प्रतिशत में डाक्टर नहीं हैं। आप अनुपूरक ले आए लेकिन मान्यवर, अनुपूरक आना चाहिए लोगों की सुविधा के लिए। आप जनता को क्या दे रहे हैं। अनुपूरक सबके लिए आना चाहिए। मैं गन्ना के बारे में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि इस सम्बन्ध में नियम-311 में मैंने नोटिस दी है और आपने कहा है कि आप उसे सुनेंगे। गन्ना मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था तो उस आश्वासन को आप स्वयं भी पढ़ लेते। मान्यवर, जब आप अवसर देंगे तो मैं इस पर बोलूंगा। खाद्य के बारे में भी मैं बोलूंगा। मान्यवर, आई0टी0आई0 में, शिक्षण संस्थाओं में प्रदेश के लिए आश्वासन दिया गया था कि कोई भी छात्र प्रवेश से वंचित नहीं रहेगा लेकिन आज

स्थिति यह है कि आज छात्र प्रवेश के अभाव में आन्दोलित ही नहीं हुए हैं बल्कि सड़कों पर घूम रहे हैं। छोटा सा लोकतंत्र था छात्रों का। वह अपनी यूनियन बना लेते थे, उनका भी हौसला बुलंद होता था कि हमें भी आगे जाना है। मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय ने लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार चुनाव कराने की बात कही थी, उसे भी समाप्त कर दिया। मान्यवर, मैंने संक्षेप में कुछ बिन्दु रखे हैं और वह इस उम्मीद से रखे हैं कि आप उसमें कुछ ध्यान देंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बड़ी कृपा की आपने और थोड़ी कृपा उन्होंने की जब उन्होंने सबकुछ पारित करा दिया तब बोलने के लिए हम लोगों को मौका मिला है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जब सबकुछ पारित हो चुका है तो हम किस विषय पर बोलें। उचित तो यही होता कि आज जब अनुपूरक अनुदान आ रहा है तो उसमें एक समय निर्धारित होता है। मान्यवर, यह 12.20 बजे अपराह्न का समय निर्धारित होता है। मैं अपने को बड़ा विद्वान नहीं मानता। मान्यवर, 150 पेज का यह अनुपूरक अनुदान इतने कम समय में हो गया और इसलिए भाई हुकुम सिंह जी व्यायाम और यूनियन तक सीमित रह गये।

श्री हुकुम सिंह-

मैंने व्यायाम के बारे में नहीं कहा, वह आपके लिए छोड़ दिया।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण बजट था अगर इसमें हमें बोलने का मौका मिलता तो हम लोग अपने बेहतर सुझाव दे पाते। मान्यवर, 12.20 का समय निर्धारित था लेकिन जब देख लिया कि 3/4 बजट पारित हो जाए तो जाएं। अगर इन्हें जाना ही था तो पहले चले जाते तो कम से कम हम लोग चर्चा कर लेते। जो हुआ उन्होंने अपने हिसाब से किया।

श्री अध्यक्ष-

आपको पहले बात कर लेनी चाहिए थी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जब मैंने देखा कि जब आपके बात करने का असर नहीं हुआ है तो मेरे से कैसे हो जाता ?

श्री अध्यक्ष-

कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वह हमारी बात नहीं मानते और आपकी बात मान जाते है।

श्री प्रमोद तिवारी-

जब आपका अनुरोध शिरोधार्य नहीं हो रहा है तो मेरा अनुरोध कैसे स्वीकार्य होता ? तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि उचित तो यह होता कि बजट पारित होने से पहले हमें बोलने का मौका मिलता तो हम अपने सुझाव देते और बाद में यह सरकार पर निर्भर करता कि वह इन सुझावों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वीकार करे या न करे। लेकिन हम अपनी बात तो कह लेते। मान्यवर, इस समय फसल का अंतिम चरण है। पश्चिम में सामान्य से कम बारिश हुयी है। मान्यवर, वहां कहीं-कहीं सिंचाई की आवश्यकता है। जहां पर बाढ़ है वहां पर पानी की आवश्यकता नहीं है लेकिन जहां पर सूखा है वहां पर पानी की आवश्यकता है। इसलिए माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, बिजली के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है जिससे सिंचाई की जा सके, ट्रांसफारमर को बदलने में समय लग रहा है तो कुछ ऐसी व्यवस्था करके और ट्रांसफारमर देकर, जो ट्रांसफारमर बदलने हैं, जो सिंचाई से जुड़े हैं, वह चौबीस घंटे में अगर न बदले जा सकें तो अड़तालीस घंटे में बदल दें, जिससे कम से कम जो सिंचाई का अंतिम दौर चल रहा है वह पूरा किया जा सके।

मान्यवर, पूर्वांचल में जो बीमारियों का जोर है, इनका अरबों रुपये का बजट है, उसका मुख्य अंश वहां लगा होगा यह मेरा अनुमान था, मगर इसमें दस हजार रुपया दिया गया है। चिकित्सा के बारे में देखें, स्वास्थ्य के बारे में देखें जहां इन्सेफ्लाइटिस के बारे में बात हो सकती थी, आपने तो देखा होगा, कैबिनेट से पास हुआ है तो आपने पढ़ा होगा, मुझे तो अवसर अब मिल रहा है, तो जो बड़े-बड़े विभाग थे उसमें इतना कम पैसा दिया गया है। कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें अरबों रुपये है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जो यह सप्लीमेंटरी बजट आया है यह किसानों के हित में है या नहीं है, जन सामान्य के लिए है या नहीं है। कुछ सड़कों और पुलों को पैसा दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। स्वास्थ्य के सम्बन्ध में और अधिक पैसा दिया जाता जिससे जो पूर्वांचल में बीमारी फैल रही है उसपर प्रभावी अंकुश लगता। ट्रांसफारमर के सम्बन्ध में, बिजली के सम्बन्ध में मैंने कहा। पी0डब्ल्यू0डी0 को और पैसा सड़कों और पुलों के लिए दिये जाने की जरूरत है, जिससे जो वायदा किया था जिसके लिए खड़े हैं, तो इससे कम से कम दस किलोमीटर सड़क विधायकों के क्षेत्र में हो जाती तो अच्छा रहता और इससे समुचित रूप से विकास होता।

मान्यवर, एक अनुरोध विशेष रूप से करना चाहूंगा, नेताओं की बैठक में भी मैंने कहा था, हैण्ड पम्प का जो शासनादेश आया है, जो पहले से था उसमें विधायकों को केवल हस्ताक्षर करना था, सुझाव नहीं देना था, दूसरा जो आया है उसमें पचास प्रतिशत तक हमारी थोड़ी बहुत सुनी जायेगी। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि जो विधायकों का कोटा है उसे तो पूरी तरह से बंधन से मुक्त कर दें। वह विधायक की इच्छा पर छोड़ दें। उसे मालूम है कहां देना है कहां नहीं देना है, इसके अलावा जिन क्षेत्रों में आपको देना है वहां दें। लेकिन जो विधायकों को मिल रहा है वह जहां वह आवश्यकता महसूस करते है वहां पर दें यह व्यवस्था हो आप इसको शिथिल कर लें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो अनुपूरक अनुदान में अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए थी वह नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में हैण्ड पम्प के लिए कौन पैसा देगा यह तय नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ग्राम्य विकास लगायेगा। मा0 नेताओं की बैठक में यह मैंने उठाया था, हुकुम सिंह जी भी वहां पर थे। शहरों के लिए एजेन्सी तो तय हो सकती है, जल निगम हो सकती है लेकिन वह पैसा नहीं देगी, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब वित्त मंत्री जी या संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दें तो यह बतायें कि नगरीय क्षेत्रों में जहा टाउन एरियाज हैं, अरबन एरियाज हैं वहां पैसा की व्यवस्था कौन करेगा ?

इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं, चूंकि यह पारित हो चुका है अब उसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन यह गौर करने की आवश्यकता है कि जब सप्लीमेंटरी बजट आये तो थोड़ा समय मिल जाय जिससे हम सुझाव दे सकें। वातावरण तो उचित हो जाये कि जहां पर हम सुझाव देने लायक तो रहें। मान्यवर, इतनी देर में हम यह नहीं समझ पाये कि हमें क्या सुझाव देने चाहिए जैसे कि मान्यवर, इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अगर तत्काल चीनी मिलें नहीं चालू की गई तो गन्ना किसान अपना गन्ना कोल्हू में बेचने के लिये मजबूर होगा जिससे उसे उचित दाम नहीं मिलेगा। उस दिन बात हो रही थी, सभी दलीय नेताओं की बैठक में, माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि उनका एक कैलेण्डर बनाया गया है लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वहां पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी तो उसका प्राविधान इस बजट में हो जाना चाहिये था, जहां पर कार्य धन के अभाव में रुका हुआ है, उसके बारे में इसमें जिक्र होना चाहिये था। मैं देख रहा था पूरी तरह से मौन है यह मान्यवर, और इन सुझावों के साथ मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सप्लीमेण्ट्री बजट में उचित यही होता कि पूरे प्रदेश में खासतौर से चिकित्सा, स्वास्थ्य और मान्यवर, विद्युत, सम्पर्क मार्गों के बारे में और किसानों से जुड़ी समस्याओं के बारे में क्योंकि मान्यवर, मैं उन विषयों को छीन नहीं लेना चाहता हूं जो इसके बाद आयेंगे लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि उर्वरक के लिये सब्सिडी दी जानी चाहिये थी क्योंकि उर्वरक का भयंकर संकट है। आप सभी अवसर देंगे तो हम सब उस पर बोलेंगे मान्यवर, इसलिये मैं अभी नहीं कहना चाहता लेकिन इस पर विस्तृत रूप से मैं जरूर कहना चाहता हूं और आपसे एक अनुरोध करूंगा मान्यवर कि कृपापूर्वक वह जो शासनादेश हैण्डपम्प का निर्गत हुआ है उस पर एक बार पुनर्विचार कर लें कि वह विधायकों की संस्तुति के अनुसार ही है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठ जायें।

*श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं काफी जमाने से यहां हूं और हमेशा ही यह देखा गया कि जब आप सप्लीमेण्ट्री लाते हैं तो सप्लीमेण्ट्री लाने की कोई वजह तो होती ही है, धन का चूंकि अभाव होता है इसलिये आप यह प्राविजन करते हैं पैसा मिले। तो यकीनीतौर पर मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा वित्त मंत्री जी से कि इस सप्लीमेण्ट्री को लाने में उनकी कौन सी प्राथमिकता थी ? कौन सी है ? 17 करोड़ की आबादी का यह प्रदेश बिजली का संकट है मैं यह नहीं कहता कि बिजली क्यूं नहीं आ रही है, मगर जहां ओवर लोडेड है इस वजह से है कि बिजली मौजूद है, मगर सप्लाई नहीं हो रही है चूंकि ओवर लोडेड हैं, जहां प्लांट लोड फैक्टर आपका पूरा नहीं हो पा रहा है कोशिश आप कर रहे हैं मगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए प्रॉविजन करना चाहिए था मान्यवर, आखिर इसीलिए ही तो यह पैसा है मान्यवर, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, आने वाले समय में जब शुगर फैक्ट्री चल नहीं पायेंगी, मंत्री जी ने कहा है, पूछिये, हम भी चाहते हैं चल जाय तो गन्ने का सीजन हो जायेगा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शुरू और आप दे पायेंगे नहीं और आपके गेहूं की बुवाई नहीं हो पायेगी। इसके बारे में कोई न कोई तरीका बनाना चाहिए था। आपकी नहरों के अन्दर टेल में आज तक पानी नहीं आ रहा है उसके लिए पैसा देकर उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए थी। सिर्फ इसलिए कि गन्ना का भुगतान ऐसे भी कर सकते थे, जो और चीजें आप कर रहे हैं करिये, हमें कोई ऐतराज नहीं है और न हो सकता है, मगर सिर्फ संख्या बल पर उसको आप यहां पारित करवाना चाहें और 17 करोड़ की आबादी के प्रदेश को नकार दें यह कोई तरीके की बात नहीं थी मान्यवर, यह पैसा सप्लीमेण्ट्री इसलिए लाया जाता है कि आप के पास पैसे की जो कमी है और आपको अपने काम पूरे करने हैं उनके लिए आप उस पैसे का प्रॉविजन करें मान्यवर, मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, हमारी तरफ एक कहावत होती है "खिसियानी बिल्ली, खम्भा नोचे" मुझे लगता है कि माननीय हुकुम सिंह जी को जब प्रदेश की जनता ने और माननीय सामने जो बैठे हुए हैं बड़े विद्वान लोग जो लोकतंत्र के हत्यारों की बात कहने वाले लोग जो वास्तव में जिनको लोकतंत्र से कोई लगाव ही नहीं है, केवल जिनको अपराधों से लगाव है, अपराधियों से लगाव है ऐसे लोगों का जो इस तरह की बात आयी है चूंकि इसमें कहने को तो इनके पास और कुछ था नहीं इसलिए मान्यवर, अपनी बात को घुमाफिरा कर कहने का प्रयास किया। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय सदन को कि जो हमारा मूल बजट प्रस्तुत किया गया वह 1 लाख, 911.41 करोड़ रुपये का था और जो हम अनुपूरक लाये हैं मान्यवर, यह 1999.85 करोड़ रुपये का है। मूल बजट का केवल मात्र दो प्रतिशत है। मान्यवर, इसमें तमाम महत्वपूर्ण कार्य ऐसे हैं जो जनहित में प्रदेश की आवश्यकताओं के लिए आवश्यकता थी उसके लिए यह अनुपूरक लाना मान्यवर आवश्यक था।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

इसमें आकस्मिकता निधि से 9.94 करोड़ रुपये लिये गये थे उसकी पूर्ति के लिए है। मान्यवर, इसके साथ सिंचाई विभाग के विद्युत देयों के भुगतान हेतु 150 करोड़ रुपया, गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 133 करोड़ रुपया सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि के लिए 100 करोड़ रुपया, इसके अतिरिक्त मिड डे मील योजना के अन्तर्गत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गर्म पका-पकाया भोजन दिये जाने हेतु 436 करोड़ रुपया, अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं बुकबैंक की स्थापना हेतु 332 करोड़ रुपया, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु 35 करोड़ रुपया, पुलिस आरक्षियों के लिए प्री-प्रीक्केटेड स्ट्रक्चर आवास, बैंकों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपया, पूंजीगत पारियों हेतु जिलाधिकारी के निवर्तन पर धनराशि के व्यवस्था हेतु 35 करोड़ रुपया, प्रदेश के भूमिहीन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना हेतु 30 करोड़ रुपया, बुन्देलखण्ड विकास पैकेज हेतु 50 करोड़ रुपया, बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम हेतु 25 करोड़ रुपया।

मान्यवर, यह प्रदेश की आम जनता के हितों के लिए यह बजट प्राविधान आवश्यक था जिसके लिए मान्यवर, यह अनुपूरक लाने का कार्य किया गया। जहां तक उर्जा से सम्बन्धित हमारे सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने जिक्र किया तो मान्यवर, इस वर्ष मूल बजट में उर्जा विभाग का बजट

9 हजार करोड़ रुपये का रखा गया जो पिछले वर्ष का दूना था। इसके बाद भी जहां तक माननीय हुकुम सिंह जी ने लखनऊ को सीमित करने की बात किया है। मान्यवर, माननीय कांशीराम जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने इस देश के उस समाज को जिस समाज को कोई अपने बगल भी खड़े होने देने का प्रयास नहीं करता था उस समाज को इस देश की मुख्य धारा में शामिल करके इस देश को मजबूत बनाने के लिए कार्य किया है अगर उनका भी स्मारक बनाने के लिए हम 472 करोड़ रुपया खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश की आम जनता, जिस जनता ने बहुमत देकर हमें इस तरफ भेजने का काम किया है उसके आंकाक्षाओं के अनुरूप करने का काम किया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए इस तरह का रोना रोने का काम इन लोगों ने किया है। मान्यवर, तमाम फिजूल का खर्च इन लोगों ने करने का काम किया। आज यह सरकार वित्तीय प्रवन्धन करके प्रदेश के विकास के लिए चौमुखी विकास के लिए प्रयासरत है और निश्चित रूप से चाहे वह सड़क की व्यवस्था का लिया हो, 6 हजार करोड़ रुपया सड़क के निर्माण के लिए रखने का कार्य किया गया है जो पिछले साल से एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रखने का काम किया है तो निश्चित रूप से आज बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में बनी हुई सरकार प्रदेश के आम जनता के दरवाजे तक विकास की किरणें पहुंचाने का काम करना चाहती है। प्रदेश के उन चेहरों को जो मुरझाया रहता था, उनमें लालिमा देखने का काम करना चाहती है। इसलिए इन सारी आकांक्षाओं के अनुरूप जो तमाम कमियां रह गयी थीं जो मूल बजट में जो प्राविधान नहीं जोड़ा गया था उसको पूरा करने के लिए यह अनुपूरक लाया गया है और जो मूल बजट का मात्र 2 प्रतिशत है। इसके लिए निश्चित रूप से इसकी सराहना होनी चाहिए थी। इसमें हमारे काबिल साथी माननीय हुकुम सिंह जी को तो और अधिक सराहना करनी चाहिए थी कि हमने प्रदेश की सामाजिक समानता समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जिससे जो असमानता थी जो दूसरे लोगों ने असमानता बनाने का काम किया था उसको दूर करके समता मूलक समाज की स्थापना करके इस प्रदेश को मजबूत करना चाहते हैं। प्रदेश को एक अच्छा प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाकर इस देश के सभी सूबों से बेहतर एक नम्बर पर ले जाने की यह कल्पना है, बहन कुमारी मायावती जी की यह चाहत है उसके अनुरूप यह अनुपूरक प्रस्तुत किया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो विनियोग विधेयक आया है सर्वसम्मति से इसको पास करने की कृपा करें।

*श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जब संसदीय भाषा में कोई बात कही जाय तो उसके लिए अगर लांछन और आरोप के साथ उसका समापन किया जायेगा तो यह सदन को चलाने में हम लोग भी असमर्थ हो जायेंगे। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस भाषा में बात की है, यह किसी जिम्मेदार मंत्री की भाषा नहीं हो सकती। हुकुम सिंह जी ने क्या कहा था, क्या उन्होंने किसी का नाम लेकर किसी पर आरोप लगाया था ? उन्होनें केवल यह कहा था कि प्रदेश बहुत बड़ा है लेकिन यह बजट में जो झलक दिख रही है, वह केवल गोमती नगर के आसपास का ज्यादा विकास दिख रहा है, तो इसमें कौन सी असंसदीय भाषा हो गयी, जिसके लिये आप तेवर दिखा रहे हैं, क्या यही तेवर हम नहीं दिखा सकते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं ? हम क्या आपकी भाषा का जवाब नहीं दे सकते हैं। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की मर्यादा बनाये रखना सबकी जिम्मेदारी है, यह जिम्मेदारी केवल इधर की नहीं है। यह तो इसमें विश्वास नहीं करते हैं लेकिन अगर हम सदन की मर्यादा बनाये रखना चाहते हैं तो कृपया इस प्रकार धमकी देने की जुर्रत न करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय टण्डन जी वरिष्ठ सदस्य है और हम लोगों के लिये आदर्श स्वरूप हैं। मैनें कदाचित ऐसी कोई बात नहीं कही है। जो उन्होनें गोमतीनगर का नाम लिया, उसका जो संकेत था और मैनें उसके स्पष्टीकरण करने का काम किया है और निश्चित तौर पर मैं आप सब लोगों का आदर करता हूं। जहां तक संसदीय शिष्टाचार से सम्बन्धित प्रश्न है मैं तो सबसे ज्यादा, आप सब लोगों का आदर करता हूं और जो पहली बार चुनकर सदस्य आते हैं, उनका भी मैं पूरा आदर करता हूं। मुझे लगता है कि कदाचित माननीय टण्डन जी ने कुछ अन्यथा ले लिया है या हो सकता है कि उनका ध्यान कहीं और दूसरी तरफ केन्द्रित रहा हो जो उन्होनें ऐसी कोई बात समझ लिया।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मेरा कतई ऐसा कोई विचार नहीं है, न ही ऐसी कोई सोच है कि किसी माननीय सदस्य के ऊपर व्यक्तिगत या अन्य किसी तरह का लांछन लगाने का काम किया जाय। निश्चित तौर पर जो मूल बजट में पहले वे प्राविधानित हैं, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग का हो, सिंचाई विभाग का हो या लोक निर्माण विभाग का हो। जहां तक हैण्ड पम्प का सवाल है, मैं समझता हूं कि इस बार तो पिछले बार से बढ़ाकर किया है, और पिछली बार जिस तरह का शासनादेश जारी हुआ था, उसी तरह का शासनादेश लगभग-लगभग इस बार भी है।

श्री संजय कपूर-

शहरी क्षेत्रों में हैण्ड पम्प लगे नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा ठीक है माननीय सदस्य जी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा सिर्फ यह कहना था कि जितना बजट के सन्दर्भ में मैं जानता हूं, कायदे से जब धनराशि रखी गयी थी उसी समय माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ से कोई कहता कि हम क्यों बजट ला रहे हैं, या हमें सप्लीमेंटरी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और उस समय पर ही यह बताया जाता है कि इसमें क्या-क्या है ? आप भी इससे सहमत होगें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब सब पारित हो गया तब विनियोग विधेयक के समय आपने बुलाया माननीय हुकुम सिंह जी को। जब उनको आपने बुलाया तो हम लोगों ने भी अपनी बात रखी। जो बात हम लोगों ने रखी थी वह नहीं हो पाया। इसलिये जैसा हैण्ड पम्प के सन्दर्भ में अनुरोध किया उसका स्पष्टीकरण नहीं आया। शहरी क्षेत्र के लिये कहा, नहीं आ पाया, यह आ भी नहीं सकता क्योंकि बजट तो पारित हो गया उसके बाद में

आप बोल रहे हैं, उसके बाद मैं बोल रहा हूं तो उसके बाद कह भी नहीं सकते। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि उचित तो यही होगा कि आप अभी जब 5-6 तारीख को सदन में मिले। तो जो बातें हम लोगों ने रखी हैं, उन पर आप मा0 मुख्य मंत्री जी से बात कर लें और यदि शासनादेश में कुछ परिवर्तन हो सके तो परिवर्तित करा दें। खास तौर से जो शहरी क्षेत्र की बात रह गयी है उसके सम्बन्ध में भी बात कर लें और दूसरा जो बिजली विभाग की बात कर रहे थे, थोड़ा-बहुत अनुभव इस विभाग का हमें भी रहा है मैं इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो पैसा आपने दिया है वह कहीं न कहीं, किसी न किसी फण्ड के लिए दिया है लेकिन जब सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए विशेष एलॉटमेंट किया जाता है, ट्रांसफारमर इत्यादि युद्धस्तर पर बदले जाने चाहिए। मैं तो यही चाहूंगा कि अगर आज आप न कर पायें तो पांच और छः तारीख को जब सदन चलेगा तब घोषणा कर दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

सिरोही जी, अब सारी बातें आ गई हैं आप बैठ जाएं, आपने सबसे ज्यादा तैयारी किसानों पर की है, बाद में बोल लीजिएगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्ताव व शीर्षक

### उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007

31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

### विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) अधिनियम, 2007 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2007-2008 के लिए 1999,85,24,000 रुपये का दिया जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2008 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 1999,85,24,000 रुपये (एक हजार नौ सौ निन्यानबें करोड़ पचासी लाख चौबीस हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

## अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

| अनुदान/ क्रम संख्या | सेवायें और प्रयोजन | | निमनलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | विधान सभा द्वारा स्वीकृत | राज्य की समेकित निधि पर भारित | योग |
| 1 | 2 | | | 3 | |
| 02 | आवास विभाग | राजस्व : | 1359408 | ... | 1359408 |
| | | पूंजी | 2453099 | ... | 2453099 |
| 03 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | राजस्व : | 92700 | 1084 | 93784 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 05 | उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) | राजस्व : | 1 | ... | 1 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 07 | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | राजस्व : | 2 | ... | 2 |
| | | पूंजी | 355001 | ... | 355001 |
| 09 | ऊर्जा विभाग | राजस्व : | ... | ... | ... |
| | | पूंजी | 77086 | ... | 77086 |
| 10 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) | राजस्व : | 44831 | ... | 44831 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि विभाग) | राजस्व : | 53611 | ... | 53611 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |

| 1 | 2 | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग | राजस्व : | 1000 | ... | 1000 |
| | (ग्राम्य विकास) | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग | राजस्व : | ... | ... | 0 |
| | (पशुधन) | पूंजी | 1 | ... | 1 |
| 16 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग | राजस्व : | 8703 | ... | 8703 |
| | (दुग्धशाला विकास) | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 19 | कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा | राजस्व : | 200 | ... | 200 |
| | अन्य व्यय) | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 21 | खाद्य तथा रसद विभाग | राजस्व : | ... | 2293 | 2293 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 22 | खेल विभाग | राजस्व : | 22770 | ... | 22770 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 23 | गन्ना विकास विभाग (गन्ना) | राजस्व : | 18722 | 400 | 19122 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 24 | गन्ना विकास विभाग (चीनी | राजस्व : | ... | ... | 0 |
| | उद्योग) | पूंजी | 1330000 | ... | 1330000 |
| 26 | गृह विभाग (पुलिस) | राजस्व : | 31 | ... | 31 |
| | | पूंजी | 510000 | ... | 510000 |
| 27 | गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) | राजस्व : | 40000 | ... | 40000 |
| | | पूंजी : | ... | ... | ... |
| 31 | चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा | राजस्व : | 1 | ... | 1 |
| | एवं प्रशिक्षण) | पूंजी : | 1 | ... | 1 |
| 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी | राजस्व : | 1 | ... | 1 |
| | चिकित्सा) | पूंजी : | 2 | ... | 2 |
| 33 | चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं | राजस्व : | ... | ... | 0 |
| | यूनानी चिकित्सा) | पूंजी : | 5000 | ... | 5000 |
| 34 | चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी | राजस्व : | 980 | ... | 980 |
| | चिकित्सा) | पूंजी : | 5000 | ... | 5000 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण ) | राजस्व : | 26729 | ... | 26729 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 37 | नगर विकास विभाग | राजस्व : | 52141 | ... | 52141 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 38 | नागरिक उड्डयन विभाग | राजस्व : | ... | ... | 0 |
| | | पूंजी : | 1471 | ... | 1471 |
| 39 | भाषा विभाग | राजस्व : | 10000 | ... | 10000 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 40 | नियोजन विभाग | राजस्व : | 3400 | ... | 3400 |
| | | पूंजी : | 597100 | ... | 597100 |
| 42 | न्याय विभाग | राजस्व : | 1985 | ... | 1985 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 44 | पर्यटन विभाग | राजस्व : | 200 | ... | 200 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 46 | प्रशासनिक सुधार विभाग | राजस्व : | 3078 | ... | 3078 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 47 | प्राविधिक शिक्षा विभाग | राजस्व : | 1 | ... | 1 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 48 | मुस्लिम वक्फ विभाग | राजस्व : | 1 | ... | 1 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 49 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | राजस्व : | 4655 | ... | 4655 |
| | | पूंजी : | 222 | ... | 222 |
| 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) | राजस्व : | ... | ... | 0 |
| | | पूंजी : | 5000 | ... | 5000 |
| 53 | राष्ट्रीय एकीकरण विभाग | राजस्व : | 565 | ... | 565 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 55 | लोक निर्माण विभाग (भवन) | राजस्व : | 20000 | ... | 20000 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |

| 1 | 2 | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) | राजस्व : | ... | ... | 0 |
| | | पूंजी : | 500000 | ... | 500000 |
| 59 | लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) | राजस्व : | 65850 | ... | 65850 |
| | | पूंजी : | 315051 | ... | 315051 |
| 60 | वन विभाग | राजस्व : | 645 | ... | 645 |
| | | पूंजी : | 1960 | ... | 1960 |
| 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) | राजस्व : | 1 | ... | 1 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 64 | वित्त विभाग (राज्य लाटरी) | राजस्व : | 1088 | ... | 1088 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 65 | वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) | राजस्व : | 1 | ... | 1 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 68 | विधान सभा सचिवालय | राजस्व : | ... | 400 | 400 |
| | | पूंजी : | 4390 | ... | 4390 |
| 71 | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | राजस्व : | 4363001 | ... | 4363001 |
| | | पूंजी : | 4006 | ... | 4006 |
| 72 | शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | राजस्व : | 1000000 | ... | 1000000 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 76 | श्रम विभाग (श्रम कल्याण) | राजस्व : | 15260 | ... | 15260 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 77 | श्रम विभाग (सेवायोजन) | राजस्व : | 11006 | ... | 11006 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 78 | सचिवालय प्रशासन विभाग | राजस्व : | 4000 | ... | 4000 |
| | | पूंजी : | 20000 | ... | 20000 |
| 79 | समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) | राजस्व : | 95000 | ... | 95000 |
| | | पूंजी : | 10000 | ... | 10000 |
| 81 | समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | राजस्व : | 92837 | ... | 92837 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |

| 1 | 2 | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | सतर्कता विभाग | राजस्व : | ... | 1050 | 1050 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 83 | समाज कल्याण विभाग | राजस्व : | 3335031 | ... | 3335031 |
| | (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) | पूंजी : | 97992 | ... | 97992 |
| 84 | सामान्य प्रशासन विभाग | राजस्व : | 1094 | ... | 1094 |
| | | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 86 | सूचना विभाग | राजस्व : | 75000 | ... | 75000 |
| | | पूंजी : | 25000 | ... | 25000 |
| 87 | सैनिक कल्याण विभाग | राजस्व : | ... | ... | 0 |
| | | पूंजी : | 1068 | ... | 1068 |
| 88 | संस्थागत वित्त विभाग | राजस्व : | 300000 | ... | 300000 |
| | (निदेशालय) | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 89 | संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार | राजस्व : | 2136 | ... | 2136 |
| | कर) | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 90 | संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन | राजस्व : | 93387 | ... | 93387 |
| | तथा बाजीकर) | पूंजी : | ... | ... | 0 |
| 92 | संस्कृति विभाग | राजस्व : | ... | ... | 0 |
| | | पूंजी : | 902170 | ... | 902170 |
| 95 | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | राजस्व : | ... | ... | 0 |
| | | पूंजी : | 1586 | ... | 1586 |
| 95 | सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) | राजस्व : | 1500003 | ... | 1500003 |
| | | पूंजी : | 50035 | ... | 50035 |
| | योग | राजस्व : | 12721056 | 5227 | 12726283 |
| | | पूंजी : | 7272241 | ... | 7272241 |
| | महायोग : | | 19993297 | 5227 | 19998524 |

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कमलाकान्त गौतम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की वाराणसी दक्षिणी क्षेत्रान्तर्गत पेयजल अनापूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, स्वीकृत हुई।

दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की "माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड" इलाहाबाद द्वारा चयनित लगभग एक हजार सात सौ एल0टी0 प्रवक्ताओं की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत हुई।

तीसरी सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की आगरा-समशाबाद-राजाखेड़ा मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है, स्वीकृत हुई।

चौथी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह" की प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत सभी विद्युत उपकरणों का उचित रख-रखाव एवं विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से करने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत हुई।

पांचवीं और छठी सूचना श्री सर्वेश सिंह और श्री सुन्दर लाल लोधी की है। दोनों माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

सातवीं सूचना श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' की जनपद झांसी में अनुसूचित जाति सब-प्लान के अन्तर्गत राजकीय आई0टी0 पालीटेक्निक की स्थापना कराने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत हुई।

आठवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम केरटू में स्वीकृत 33/11 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूरा कराने हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत हुई।

नवीं सूचना श्री धनीराम वर्मा की है। माननीय सदस्य अनुपस्थित है।

दसवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर स्थित बन्द पड़े वीर बहादुर सिंह तारामण्डल को पुनः प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत हुई।

ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की गांधी विचार-प्रचार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुर्रिया कलाँ, शाहजहांपुर में पूर्णकालिक प्रबन्धक एवं प्रबन्ध-तन्त्र का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत हुई।

बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं सूचना क्रमशः श्री जोखू लाल यादव, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री राम किशुन तथा श्री मदन चौहान की हैं। चारों माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

मा0 सदस्यों के नाम, जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गईं :--

1-डा0 हरगोविन्द भार्गव 2-डा0 आर0ए0 उस्मानी 3-श्री अनूप गुप्ता 4-श्री दीप नारायण सिंह 5-श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह 6-श्री आरिफ अनवर हाशमी 7-श्री सनातन पाण्डेय 8-श्री संजीव दरियाबादी 9-श्री यशपाल रावत 10-डा0 पी0के0 राय 11-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

**वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल अनापूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[ वाराणसी जल संस्थान द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला पेयजल मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत घनी आबादी वाले सकरी गलियों के अन्दर नहीं पहुंचता है अथवा अत्यन्त कम दबाव के कारण लोगों को हो रहे घोर कष्ट के निदान हेतु नलकूप स्वीकृत करने एवं लगाये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी से अपने पत्र दि0 23 मई, 2007 तथा मा0 नगर विकास मंत्री जी को पत्र दिनांक 6 जून, 2007 द्वारा अनुरोध किया था। जिसके क्रम में मा0 मुख्य मंत्री जी तथा मा0 नगर विकास मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वाराणसी जल संस्थान तथा जल निगम, वाराणसी द्वारा निर्देशों के अनुपालन में 2 नग बड़े एवं 4 नग मिनी नलकूपों के अधिष्टापन के सम्बन्ध में दिनांक 20-6-2007 को आगणन उपलब्ध कराया गया साथ ही महाप्रबन्धक, जल संस्थान एवं अर्धाक्षण अभियन्ता, जल निगम द्वारा पेय जलापूर्ति समस्या से ग्रस्त पाण्डेय हवेली तथा खोजवां क्षेत्र में बड़े नलकूप एवं शीश महल कालोनी, अवध गर्बी, बाग हाडा तथा चौक क्षेत्र में मिनी नलकूप लगाये जाने पर सहमति व्यक्त करने हुए आगणन अनुसार स्वीकृति एवं धनावंटन की मांग की गयी। यदि जनहित में आगणन पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान एवं आवश्यक धनराशि आवंटित कर नलकूप नहीं लगाये गये एवं जलापूर्ति सुचारू नहीं किया गया तो आगामी गर्मी के दिनों में लोगों को पेयजल के लिये तरसना पड़ेगा। जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनीयूअल मिशन योजना के अन्तर्गत जो भी कार्य होने हैं उसका लाभ आगामी 5 वर्ष के पहले जनता को नहीं मिलने वाला है, उक्त परिस्थिति में भी नलकूप का लगाया जाना लोकहित में आवश्यक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के गंभीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये आवश्यक प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

**माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा चयनित एल0टी0 प्रवक्ताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय "माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड" इलाहाबाद द्वारा चयनित लगभग 1700 एल0टी0 और प्रवक्ताओं की नियुक्ति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

लगभग 5 माह पूर्व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद के अध्यक्ष को हटा दिया गया, अभी तक किसी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गयी, और न ही किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। लगभग 1700 चयनित शिक्षक अध्यक्ष के न होने से अपनी नियुक्ति हेतु परेशान हैं और हजारों अभ्यर्थी रिजल्ट न घोषित किये जाने से परेशान हैं। मा0 उच्च न्यायालय में चयनित शिक्षकों के नियुक्ति हेतु चयन बोर्ड को निर्देशित किया है परन्तु अध्यक्ष न होने से मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालत नहीं हो पा रहा है। इन चयनित शिक्षकों में लगभग 70% अनुसूचित जाति के शिक्षक हैं जिनकी आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है, इन चयनित शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग सभी अधिकारियों तथा विभाग के सम्बन्धित मंत्री से मिलकर प्रार्थना की, किन्तु इन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिल सकी है। इन चयनित शिक्षकों ने दो बार आमरण अनशन भी किया और अब यह 62 दिनों से चयन बोर्ड के समक्ष अनवरत क्रमिक अनशन पर हैं। यह शिक्षक हताशा और कुण्ठा के कारण कोई भी आत्मघाती कदम उठा सकते हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद के अध्यक्ष को तत्काल नियुक्त कर इन चयनित शिक्षकों की अविलम्ब नियुक्ति की मांग करता हूं।]

**आगरा शमसाबाद राजाखेड़ा मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

डा0 राजेन्द्र सिंह-

[महोदय, आगरा शमसाबाद राजाखेड़ा मार्ग एक अन्तर्जातीय मार्ग है यह आगरा महानगर को नगर पालिका शमसाबाद व राजस्थान की टाउन एरिया राजाखेड़ा को जोड़ता है। आवागमन की दृष्टि से यह बहुत ही व्यस्त व महत्वपूर्ण मार्ग है। मार्ग की दुर्दशा अवर्णनीय है-मार्ग सकरा है, बड़े-बड़े गड्ढे हैं, रेलवे पुल बनने के कारण 1 कि0मी0 मार्ग पूरी तरह टूटा पड़ा है। इस मार्ग के चौड़ीकरण व दुबारा बनाने की तुरन्त आवश्यकता है।

अतः शासन का इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत सभी विद्युत उपकेन्द्रों का उचित रख-रखाव एवं विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में उपलब्ध कुल 14 विद्युत उपकेन्द्र कार्यरत हैं परन्तु प्रत्येक उपकेन्द्र के सभी इनकमिंग एवं आउट गोइंग फीडर कार्य नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ-साथ प्रत्येक विद्युत उपकेन्द्र की चहार दीवारी सहित उसके रख-रखाव तथा अपेक्षित कर्मचारियों की तैनाती की स्थिति अत्यन्त दयनीय है जिससे विद्युत आपूर्ति भी उचित ढंग से नहीं हो पा रही है। उपखण्ड अधिकारी पट्टी द्वारा भी उदासीनता सम्भवतः बरती जा रही है। उपलब्ध विद्युत लाइनों के तार आदि जर्जर हो गये हैं जिनके बदलने की भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। पट्टी नगर पंचायत में लो-वोल्टेज की भी समस्या है जिसके निदान में भी उपखण्ड कार्यालय पट्टी पूरी तरह से उदासीन है। कई हजार लोगों की जन सुविधा प्रभावित हो रही है।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

**जनपद झांसी में अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत राजकीय आई0टी0 पालीटेक्निक की स्थापना करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री प्रदीप जैन आदित्य-

[महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान जनपद झांसी में अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत राजकीय आई0टी0 पालीटेक्निक, झांसी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद झांसी में राजकीय आई0टी0 पालीटेक्निक, झांसी की स्थापना करायी जानी है और इसके लिए भवन निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2006-2007 में तीन करोड़ रु0 की धनराशि की स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है, किन्तु अभी तक उक्त पालीटेक्निक का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है। प्रदेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र अत्यन्त ही पिछड़ा क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद झांसी अन्य स्थानों की अपेक्षा काफी पिछड़ा है। शिक्षा के लिए समुचित पॉलीटेक्निक, स्कूल, कालेज एवं इंजीनियरिंग संस्थान न होने के कारण जनपद झांसी के छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु सुदूर जाना पड़ता है। वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है, जिससे शिक्षा में आने वाले खर्च को आम आदमी वहन करने में पूर्णतया असमर्थ है और वह अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दिला पा रहे है। बच्चों की शिक्षा न होने के कारण बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जनपद झांसी में अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत राजकीय आई0टी0 पॉलीटेक्निक बन जाने से क्षेत्र के गरीब और असहाय परिवार के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था मुहैया हो जायेगी। उक्त पालीटेक्निक का निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय जनमानस में काफी असंतोष व्याप्त है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने हेतु अनुज्ञा प्रदान करें।]

**जनपद मुजफ्फर नगर के थाना भवन के ग्राम केरटू में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूरा कराने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री अब्दुल वारिस खां-

[महोदय, मैं एक जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद मु0 नगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम केरटू में 33/11 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण होना स्वीकृत हुआ था। जिसके अनुसार ग्राम केरटू में विद्युत उपकेन्द्र के लिये जमीन का अधिग्रहण व कन्ट्रोल रूम का निर्माण व इसकी चहार दीवारी पूर्ण हो चुकी है परन्तु विद्युत विभाग द्वारा लिकेंज का कार्य व ट्रांसफार्मर की स्थापना नही की जा रही है। जब इस सन्दर्भ में विभाग द्वारा पूछा गया विभाग द्वारा जानकारी दी गयी की शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त न करने का कारण विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है।

इस विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण होना क्षेत्रीय लोगों के विद्युत समस्या काफी हद तक निदान मिल सकता है। क्योंकि वर्तमान में इस क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की व्यवस्था काफी खराब है। विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण को पूरा कराने के लिये धनराशि को अवमुक्त कराया जाना अति आवश्यक है।]

**गोरखपुर महानगर में बन्द पड़े वीर बहादुर सिंह तारामण्डल को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[महोदय गोरखपुर महानगर में स्थित वीर बहादुर सिंह तारामण्डल के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था वर्तमान मुख्य मंत्री सुश्री मायावती ने 2002-2003 के शासन में की गयी थी। 23 जनवरी, 2006 को तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। 3 माह तक संचालित होने के बाद जनरेटर तथा ए0 सी0 खराब होने के नाम पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इसे बन्द कर दिया और इस बन्द तारामण्डल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के हवाले कर दिया तब से यह तारामण्डल बन्द पड़ा है।

यदि इसका संचालन तुरन्त प्रारम्भ नहीं किया गया तो इस बात की पूरी सम्भावना है कि इसकी मशीनें खराब हो जाये और जनता की गाढ़ी कमाई का रुपये 23 करोड़ डूब जाये। मशीनों की गारन्टी के 3 वर्ष में से करीब डेढ़ वर्ष बीत भी चुके हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक प्रमुख सचिव जब तक इस तारामण्डल के बारे में बैठक प्रारम्भ करते हैं और तारामण्डल का निरीक्षण करते हैं, तब तक उनका स्थानान्तरण हो जाता है (ध्यान दें ? करा लेते हैं) और दूसरे प्रमुख सचिव पुनः निरीक्षण एवं बैठक प्रारम्भ कर देते हैं। एक पूर्व प्रमुख

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सचिव ने तो अपनी लड़की की शादी के दिन में अपने पूरे सचिवालय को यहां निरीक्षण के लिये भेज दिया। एक प्रमुख सचिव ने निरीक्षण करके इसे प्रारम्भ करने की योजना बनाई और उनकी परवर्ती प्रमुख सचिव माननीया नीता चौधरी जी ने उनके सारे निर्णय पलट दिये।

इस प्रकार 5 प्रमुख सचिव विभाग में आकर चले गये और अपने इस छोटे से विभाग की अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना को अभी तक ठीक नहीं करा सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित विषय पर विधान सभा कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री को सदन के पटल पर जवाब देने हेतु निर्देशित करें। ]

**गांधी विचार प्रचार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुर्रियाकलां शाहजहांपुर में पूर्णकालिक प्रबन्धक एवं प्रबन्धतंत्र का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय, गांधी विचार प्रचार उ0 मा0 विद्यालय, कुर्रियाकलां, शाहजहांपुर में साधिकार नियंत्रक नियुक्त है। जिसके कारण विद्यालय की देखरेख तथा अनुरक्षण व शिक्षण की गुणवत्ता ठीक नहीं है। जो भी साधिकार नियंत्रक हैं वे शिक्षण कार्य में भी कोई रुचि नहीं लेते हैं जिससे विद्यालय में न कोई अनुशासन है न ही शिक्षण। साधिकार नियंत्रक अपने रूटीन के कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण इस ओर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं जिससे विद्यालय में हर प्रकार की अव्यवस्था दिखाई देती है। जनहित में विद्यालय में साधिकार नियंत्रक के स्थान पर पूर्णकालिक प्रबन्धक तथा प्रबन्ध समिति की आवश्यकता है।

इस प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय ने भी साधिकार नियंत्रक को हटाकर विद्यालय प्रबन्ध समिति का चुनाव कराने का आदेश 11-5-2006 को रिट सं0 21746/03 में दिया है। परन्तु आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि विद्यालय के शिक्षण कार्य के हित में प्रबन्ध समिति का तत्काल चुनाव कराया जाये। ]

**बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चण्डीगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति की गई टिप्पणी से भावनायें आहत होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सात सूचनायें प्राप्त हुई, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी की है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है, गांधी जी के सम्बन्ध में है।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह बाहर का बयान है इसको आप सदन में कहां ला रहे हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, महात्मा गांधी जी के नीचे आप बैठे हुये हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उनके लिये किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। उनके मान-सम्मान के बारे में अगर कही भी कहा गया है तो उसको आप अनुमति दें। महात्मा गांधी जी के सम्मान का मामला है। मेरा अनुरोध तो स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

गांधी जी का सम्मान है, स्वागत है, उनका सम्मान पूरी दुनिया करती है, उनकी अवमानना की कोई बात नहीं है, वह तो सर्वोपरि हैं। दूसरे सदन में ऐसी कोई बात नहीं आयी है।

प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपके पीछे गांधी जी का चित्र है, उन गांधी जी के सम्मान का प्रश्न है, आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

इसमें सुनने की कोई बात नहीं हैं, सदन के अन्दर ऐसी कोई बात नहीं आयी है। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये इसको अस्वीकार करता हूं।

प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह सरकार गांधी जी का सम्मान नहीं करती है इसलिये हम अपने दल के माननीय सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये।)

**मा0 मुख्य मंत्री द्वारा प्रदेश को तीन भागों में बांटे जाने के पक्ष में बयान दिये जाने तथा नये राज्यों के गठन एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री हुकुम सिंह जी की है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी सूचना के बारे में कहना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद-3 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मान्यवर, आपके पास संविधान की पुस्तक होगी आप देखें-अनुच्छेद-3 में नये राज्यों का निर्माण या राज्यों की सीमा का निर्धारण का उल्लेख किया गया है। उसमें दिया गया है, उसे मैं पढ़कर सुना रहा हूं -

फार्मेशन आफ न्यू स्टेट्स एण्ड अल्टरेशन आफ एरियाज, बाउन्ड्रीज आर नेम्ज आफ एक्जिस्टिंग स्टेट्स-पार्लियामेन्ट मे बाई ला-

(अ) फ्राम ए न्यू स्टेट बाई सेपरेशन आफ टेरिटरी फ्राम एनी स्टेट आफ बाई यूनिटिंग टू आर मोर स्टेट्स आर पार्ट्स आफ स्टेट्स आर बाई यूनिटिंग एनी टेरिटोरी टू ए पार्ट आफ एनी स्टेट ;

(ब) इन्क्रीज द एरिया आफ एनी स्टेट ;

(स) डिमिनिश द एरिया आफ एनी स्टेट ;

(द) आल्टर द बाउन्ड्रीज आफ एनी स्टेट ;

कहने का आशय मेरा यह है कि पार्लियामेण्ट को अधिकार दिया गया है और आगे प्रोसीजर दिया गया है-

"प्रोवाइडेड दैट नो बिल फार द परपज शैल बी इन्ट्रोड्यूज्ड इन आइदर हाउस आफ पार्लियामेन्ट इक्सेप्ट आन द रिक्मान्डेशन आफ द प्रेसिडेन्ट एण्ड अन्लेस क्वेयर द प्रपोजल कन्टेन्ड इन द बिल अफेक्ट्स द एरिया, बाउन्ड्रीज आर नेम आफ एनि आफ द स्टेट्स, द बिल हैज बीन रिफर्ड बाई द प्रेसीडेन्ट आफ दि लेजिस्लेचर आफ टैट स्टेट फार एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूस देयरआन विदइन सच पीरियड एज मे बी स्पेस्फिाइड इन द रिफरेंस आर विदइन सच फरदर पीरियड एज द प्रेसीडेन्ट मे एलाऊ एण्ड द पीरियड सो स्पेस्फिाइड आर एलाउड हैज एक्सपायर्ड"।

आगे इसका एक्सप्लानेशन दिया गया है। अभी नेता सदन का बयान आया, नेता सदन का बयान न होता तो मैं कुछ कहने वाला नहीं था। नेता सदन ने भी संविधान की शपथ ली है। संविधान के अनुच्छेद-163 (3) में प्राविधान है कि हम संविधान के सभी उपबन्धों का पालन करेंगे। अब यह बयान नेता सदन की तरफ से आ जाना कि वह उत्तर प्रदेश के विभाजन के पक्ष में हैं यदि केन्द्र सरकार भी उससे सहमत हो तो। नेता सदन का बयान सरकार का बयान है और सरकार के बयान का जो प्राविधान है मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सहमत होंगे, भले ही न कह पाये, कम से कम मंत्रि-परिषद् में वह बात आये। मेरी जानकारी के अनुसार मंत्रि-परिषद् में जो बैठक होती है, कार्यवाही होती है महत्वपूर्ण विषयों पर उसकी ब्रीफिंग प्रेस में होती है, ब्रीफिंग में एक शब्द भी नहीं आया, तात्पर्य यह है कि मंत्रि-परिषद् में कभी विषय आया नहीं। दूसरा फोरम सदन है अपनी राय को जाहिर करने का। सदन में प्रस्ताव लायें, मैं भी हूं, आप भी हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी हैं। कोई प्रस्ताव आया नहीं, जब नहीं आया तो यह कह सकते हैं कि यह उनकी अपनी राय रही है उनकी अपनी राय होती यदि नेता सदन न रही होती, नेता सदन होने के बाद उनकी अपनी राय नहीं रह जाती, उनकी राय सरकार की राय हो जाती है। कम से कम यह जानकारी दे दें कि अगर राय है तो क्या उस राय के अनुरूप इस सदन में कोई प्रस्ताव सरकार लाने वाली है कि हम प्रदेश का विभाजन चाहते हैं या केवल उस राय का इजहार करके, बाहर कहकर कोई वाहवाही लूटने की बात है तो कम से कम इस सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिये था, यह लीगली कांस्टीट्यूटेड सदन है तो सदन के माध्यम से होना चाहिये था। मैं इस प्रश्न को ला करके और संवैधानिक बिन्दु रखकर केवल एक जानकारी चाहता हूं क्या नेता सदन या सरकार प्रदेश के विभाजन के पक्ष की है। अगर पक्ष की है तो विधिवत् इस बात का प्रस्ताव लाइये और अगर प्रस्ताव ला रही हैं तो क्या चालू सत्र में लायेंगे ? प्रदेश में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हमारे लोकदल के मित्र भी नारे लगा रहे थे। न जाने कितने दल इस पक्ष में हैं।

भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आ चुका है। हम छोटे-छोटे राज्यों के पक्ष में हैं। इसके लिये राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो और उसकी सिफारिश के बाद कोई निर्णय हो सकता है। पुनर्गठन आयोग के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव आये या कोई सुझाव मांगे जाएं या सरकार इस सम्बन्ध में प्रस्ताव सदन में लाये तभी हम इस पर अपने विचार रखें। अभी तो मेरा कहना यह है कि मुख्य मंत्री का पद संवैधानिक पद होता है, यह कान्स्टीट्यूशनल पोस्ट है उनके द्वारा अगर कोई इस तरह का बयान दिया जाय जिससे भ्रम की स्थिति बने इसीलिये यह पूर्णतया औचित्य का प्रश्न बनता है। आपने अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री हुकुम सिंह जी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जो प्रश्न उन्होंने उठाया है वह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। मान्यवर, नियमावली के नियम 300 को आप देखें :-"औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।" औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा। इसी एक बिन्दु के बाद स्पष्ट है कि जो उन्होंने प्रश्न उठाया है वह किसी भी तरह से नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। कदाचित यह अच्छा होता कि आप इसे अपने चैम्बर में निरस्त कर देते। श्री हुकुम सिंह जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की शक्ति निहित है। इसका प्रस्ताव भारत सरकार बनाती है और राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करती है। मान्यवर, जहां तक माननीय भाजपा उप नेता ने माननीया नेता सदन का जिक्र किया तो जहां तक माननीया नेता सदन का सवाल है तो माननीया नेता सदन नेता सदन भी हैं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से छोटे-छोटे राज्यों के गठन के पक्ष में रही है और बहुजन समाज पार्टी का यह मानना है कि छोटे-छोटे राज्यों का गठन जनहित में है। लेकिन मान्यवर, जैसा मैंने पहले बताया यह संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार इसके लिये भारत सरकार प्रस्ताव ला सकती है। यहां पर आम सहमति से राजनीति से ऊपर उठकर अगर कोई आम सहमति बनती है तभी आम सहमति के आधार पर ही कोई प्रस्ताव हो सकता है। इसलिये यह नियम 300 में नहीं आती है। आपसे अनुरोध है कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह-

आपने आम सहमति की बात कही तो आप कोई प्रस्ताव लायें तभी तो आम सहमति के बारे में पता चलेगा। उसमें सदन का क्या मत है तभी तो पता चलेगा।

श्री लालजी वर्मा-

जहां तक आम सहमति का सवाल है तो इस सम्बन्ध में अगर भारत सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव आयेगा और हमसे सहमति मांगी जायेगी तभी कोई प्रस्ताव आ सकता है। हम तो चाहते हैं कि इस पर सभी लोग आम सहमति बनायें। जहां तक नियम 300 की बात है निश्चित रूप से यह नियम 300 में नहीं आता है इसलिये इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री हुकुम सिंह को सुना व संसदीय कार्य मंत्री को सुना यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है इसलिये मैं इसे निरस्त करता हूं।

तीसरी सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की है। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है। यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है इसलिये यह अग्राह्य की जाती है।

चौथी सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की है। यह उपस्थित नहीं है। माननीय सदस्य की सूचना भी नियम 300 में नहीं आती है इसलिये यह अग्राह्य की जाती है।

**उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 उपाध्यक्ष का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री अध्यक्ष-

पाचवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की है। अग्रवाल साहब इस पर हमें निर्णय लेना है। यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है।

**प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की भांति पेयजल के लिये हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री अध्यक्ष-

छटी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 2001 के सेंशस के हिसाब से 3 करोड़ 45 लाख नगरीय आबादी है। जो 4 करोड़ की आबादी है उस चार करोड़ की आबादी के लिये यह सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। हैण्ड पम्प की बात डग्गामारी की तरह कांग्रेस की तरफ से की गई। मान्यवर, हैंड पम्पों के सम्बन्ध में दो शासनादेश जारी हुए। एक के द्वारा 50 प्रतिशत हमारी पावर सीमित कर दी गई। हमारी पावर को करटेल कर दिया गया। सवा दो सौ हैंड पम्पों में से 50 प्रतिशत हम जो नगरीय क्षेत्र के विधायक हैं जिनका क्षेत्र पूरी तरह से टाउन एरिया में नहीं आता है अपनी मर्जी से लगवा सकते हैं। मान्यवर, आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है। मोहल्लों, बस्तियों का विस्तार होता जा रहा है। असेवित बस्तियां बढ़ रही हैं जिसके कारण से पीने के पानी की आवश्यकता बढ़ रही है और यह पीने के पानी की आवश्यकता ऐसी है जिसको टाला नहीं जा सकता है। मान्यवर, नगर विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री दोनों बैठे हैं। आपसे अनुरोध है कि इसका उत्तर दिला दें कि नगरीय क्षेत्र में पीने के पानी के लिये क्या व्यवस्था करेंगें ? पानी की टंकी में भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है।

श्री अध्यक्ष-

आपने थोड़े में बहुत अच्छे तरीके से कहा है। इसको और बढ़ायेंगे तो गड़बड़ हो जायेगा। आपकी सूचना नियम-300 में नहीं आती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि नगरीय क्षेत्रों में इंडिया मार्का-2 हैंड पम्प की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इसको दिखवा लीजियेगा। मैंने खन्ना जी को सुना। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है। मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इतना सम्वेदनशील मामला है। सुबह से लेकर शाम तक लोग बिना पानी के रहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी हमारे शहरी और नगरीय क्षेत्र के विधायकों की कुछ समस्या है आप इसको देख लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नगर विकास मंत्री बैठे हैं, उनकी वाणी का लोकार्पण हो जाता। पता तो चले कि उनकी आवाज कैसी है ? आवाज मर्दाना है।

श्री अध्यक्ष-

आवाज अच्छी है। यहां पर रहने दीजिये। आमने-सामने मत करिये। कहीं कमरे में बैठकर पहचान लीजिये।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, एक व्यवस्था है कि अगर सदन में कोई घोषणा की जाती है तो सभी सदस्यों के लिये होती है। उसमें शहर और देहात में बांट कर नहीं की जाती है। उसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। नगरीय विधायक अगर इससे वंचित रहेंगें तो यह सदन की अवमानना बनती है क्योंकि सदन में उसकी घोषणा की गई। इसलिये आप निर्देश दें कि जैसे पहले शहरी क्षेत्र में व्यवस्था होती रही है उसी तरह से वही व्यवस्था रहेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लें।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है। माननीय टंडन जी स्वयं नगर विकास मंत्री रहे हैं। उस समय भी माननीय सदस्यों को जो अधिकार मिले थे वह केवल ग्रामीण क्षेत्र के सदस्यों को मिले थे और शहरी क्षेत्र के दूसरे थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह सच नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

यह ग्राम्य विकास विभाग का पैसा है और इससे शहरी क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो सकता है इसलिये मान्यवर पिछले शासनादेश आप उठाकर देख लें उससे पहले के भी आप देख लें और इनके समय के भी देख लें सभी में यही व्यवस्था रही है। शहरी क्षेत्र में चूंकि नगर विकास का अलग से पैसा जाता है और माननीय विधायक, विधायक निधि से शहर और देहात में हर जगह काम करा सकते हैं। इसलिये मैं यही कहूंगा कि इसमें कोई बदलाव नहीं है। करीब-करीब वही शासनादेश आज भी है कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। यह जरूर व्यवस्था की गई है कि असेवित बस्तियों को प्राथमिकता दी जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो व्यवस्था पहले थी वह लागू की जा सकती है लेकिन उसमें एक क्लाज यह जोड़ दिया गया कि इसके इतर किसी भी जल निगम के अधिशासी अभियन्ता द्वारा शासनादेश के खिलाफ एक भी बिल लगाया गया तो उसके पेंशन और वेतन से कटौती की जाएगी। इस प्रकार के शासनादेश का मान्यवर प्राविधान किया गया है। हम इस पर रोष प्रकट करते हैं और शहरी क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था न किए जाने के सम्बन्ध में मान्यवर, मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी जी आप और अजय तोमर जी जो कहना चाहते हैं यह गन्ने पर बहस होगी तो आ जाएगा।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जिस समय घोषणा की गई थी यह मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी जहां तक मुझे याद है।

श्री अध्यक्ष-

जब सूचना निरस्त हो गई तो व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक कलेक्टिव रैस्पॉनिसिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व संविधान में है मा0 मुख्य मंत्री जी की सलाह पर श्री राज्यपाल मंत्रि-परिषद् में सदस्य नियुक्त करते है और विभागों का बंटवारा करते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपनी घोषणा में यह नहीं कहा है कि यह सुविधायें सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रहेंगी या इसके लिए धन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा दिया जाएगा उन्होंने मात्र इतना कहा है कि प्रत्येक विधायक को 225 हैण्ड पम्प दिये जाएगें और उन्होंने मेरी बात का उत्तर देते हुए कहा था कि जितना पिछली बार दिया गया था उससे ज्यादा दिया जाएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमसे इससे मतलब नहीं कि पैसा ग्राम्य विकास विभाग देगा या कौन विभाग देगा। नगर विकास विभाग दे दे, हमें इसमें आपत्ति नहीं आपत्ति सिर्फ इतनी है कि इस सदन में मुख्य मंत्री जी की घोषणा का पालन किया जाना चाहिए। अगर मुख्य मंत्री जी की घोषणा का कोई पालन नहीं करता है तो उस मंत्री को मंत्रि-परिषद् में बने रहने का अधिकार संसदीय कार्य मंत्री जी का नहीं रह जाता है। आप इस समय मुख्य मंत्री जी की घोषणा का निरादर कर रहे है और अवमानना कर रहे हैं मुख्य मंत्री जी का। मान्यवर, उन्होंने यह नहीं कहा कि ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से हैण्ड पम्प लगाया जाएगा। उन्होंने यह कहा कि प्रत्येक विधायक को पहले से अधिक हैण्ड पम्प दिए जाएंगे। तो हम यह नहीं कहते कि आप ग्राम्य विकास विभाग से नगर विकास विभाग को पैसा दीजिए। बल्कि हम तो यह कहते है कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है सदन में, उसका अनुपालन कराने के लिए जिस भी विभाग से धन आवंटित हो उस विभाग से धन लाकर मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा का अनुमोदन करायें। क्योंकि मान्यवर, सारे विभाग मा0 मुख्य मंत्री जी के अधीन हैं अगर यह यह घोषणा ग्राम्य विकास मंत्री करते तो वह नगरों पर नहीं लागू होती। अगर यह घोषणा नगर विकास विभाग मंत्री करते तो ग्राम्य विकास पर लागू नहीं होती लेकिन अगर मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी तो मान्यवर, आप सहमत है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

आप इतना बोले हैं तो क्या इतनी देर से हम खाली बैठे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जब आप सहमत, हम सहमत तो इनको क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब आप बैठें।

**मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान न किये जाने पर उनके विरुद्ध आर0सी0 जारी न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी जी, आप अभी गन्ना वाला होगा तो बहस हो जाएगी।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मैं मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्री जी ने 30 अगस्त तक पेमेन्ट करने का आश्वासन दिया था। मेरे क्षेत्र में जो चीनी मिल हैं किसान की पहली पर्ची का भुगतान हुआ है ऐसे किसान हैं जिनको पूरे सीजन में पहली पर्ची का भुगतान हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी जी अभी विस्तृत तौर पर इस पर मंत्री जी कहेंगे।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

बजाज किनौनी जो शुगर मिल मेरठ के अन्दर है ऐसे तमाम किसान हैं जिनको केवल एक पर्ची का भुगतान हुआ है। किसानों की आर0सी0 जारी हो रही है। विद्युत विभाग के कर्मचारी रिपोर्ट लिखवाने का काम कर रहे हैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह वहां के गन्ना किसान से जुड़ा मामला है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। उसकी लड़की की शादी करने के लिए पैसा नहीं है। ट्रैक्टर लिया है उसकी किश्त के लिए पैसा नहीं है। बिजली बिल के भुगतान के लिए पैसा नहीं है और मिल मालिक भुगतान करने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अभी गन्ना किसानों पर आएंगे तो सुन लेंगे। मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है।

**उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2007***

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2007†**

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2007†**

समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2007†**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* छापा नहीं गया।

**उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2007[†]**

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अध्यादेश, 2007†**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2007†**

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण एवं कृषि विपणन मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 24 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2007†**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2007†**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2007***

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 27 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2007***

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 28 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

[†] छापा नहीं गया।

**उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007***

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 29 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007†**

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 30 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007†**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 31 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007†**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 32 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007†**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 33 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007†**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 34 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2007†**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 35 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* छापा नहीं गया।

## उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 2006†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अधिसूचना संख्या-1666/सात-सं-1-2006/77सं/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 2006 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारण सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 2006 से संबधित शुद्धि-पत्र ††

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अधिसूचना संख्या-2399/सात-सं-1-2006/77सं/2005, दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 2006 से संबधित शुद्धि-पत्र को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (बीसवां संशोधन) नियमावली, 2007†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अधिसूचना संख्या-1586/79-सं0-1-2007-77सं/2005, दिनांक 22 अगस्त, 2007 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (बीसवां संशोधन) नियमावली, 2007 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2007 को पारित

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 27 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था और जिसे पारित किए जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकृत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 जुलाई, 2007 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा उसी रूप, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2007 को पुनः पारित किया गया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 27 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था और जिसे पारित किए जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकृत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 जुलाई, 2007 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनाक 17 जुलाई, 2007 को पुनः पारित किया गया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 27 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था और जिसे पारित किए जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकृत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 जुलाई, 2007 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को

मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा उसी रूप, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2007 को पुनः पारित किया गया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 27 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 27 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150(1) के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था और जिसे पारित किए जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 24 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघो का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 जुलाई, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 जुलाई, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जून, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 02 जुलाई, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

## उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 जुलाई, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 जुलाई, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

## उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 जुलाई, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

## किंग जार्ज चिकित्सा, विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मई, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 जुलाई, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

## उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 जुलाई, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 जुलाई, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 अगस्त, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

## उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 05 जुलाई, 2007 के उपवेशन में

पारित किया था जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकृत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 जुलाई, 2007 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 जुलाई, 2007 की बैठक में, उसी रूप में जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2007 को पुनः पारित किया गया था, पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 अगस्त, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 05 जुलाई, 2007 के उपवेशन में पारित किया था जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकृत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 जुलाई, 2007 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 जुलाई, 2007 की बैठक में, उसी रूप में जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2007 को पुनः पारित किया गया था, पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 अगस्त, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 05 जुलाई, 2007 के उपवेशन में पारित किया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकृत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 जुलाई, 2007 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 जुलाई, 2007 की बैठक में, उसी रूप में जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2007 को पुनः पारित किया गया था, पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 अगस्त, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 जुलाई, 2007 को उपवेशन में

पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 जुलाई, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 अगस्त, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का तेइसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2007**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 फरवरी, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 27 फरवरी, 2007 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 अगस्त, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

मद संख्या-33-34

श्री अध्यक्ष-

कुछ नहीं है।

**विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 30 अक्टूबर, 2007 से 07 नवम्बर, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 30 अक्टूबर, 2007 को केवल निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें की जायें।

2-दिनांक 30 अक्टूबर, 2007 को प्रश्नकाल न हो।

3-दिनांक 30 अक्टूबर, 2007 को असरकारी दिवस (आधा दिन) न हो।

4-दिनांक 1, 2 व 7 नवम्बर, 2007 को सदन की बैठक न हो।

5-दिनांक 30 अक्टूबर, 2007 से दिनांक 7 नवम्बर, 2007 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

**<u>अक्टूबर, 2007</u>**

| | |
|---|---|
| 30 मंगलवार | निधन का निर्देश अर्थात् निधन की सूचना। |
| 31 बुधवार | **<u>1-12.20 बजे अपराह्न</u>** |
| | 1-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण। |

**अक्टूबर, 2007**

2-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

3-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि।

**नवम्बर, 2007**

| | |
|---|---|
| 01 गुरुवार<br>02 शुक्रवार<br>03 शनिवार<br>04 रविवार | बैठक नहीं होगी। |
| 05 सोमवार | 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं।<br>2-विधायी कार्य। |
| 06 मंगलवार | विधायी कार्य। |
| 07 बुधवार | बैठक नहीं होगी। |

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष जी द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

**पिराई सत्र 2007-2008 में चीनी मिलों द्वारा व्यय किये जाने वाले गन्ना मूल्य के निर्धारण की जानकारी**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय गन्ना मंत्री जी, मद संख्या-36 के अन्तर्गत एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सदन को अवगत कराना चाहता हू कि पिराई सत्र 2007-2008 के लिये श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ने समस्त चीनी मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ना मूल्य का निम्नवत् निर्धारण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की हैं :-

1-अनुपयुक्त घोषित प्रजातियों के लिये रुपया 122.50 प्रति कुन्तल।

2-साधारण प्रजातियों के लिये रुपया 125 प्रति कुन्तल।

3-अगैती प्रजातियों के लिये रुपया 130 प्रति कुन्तल।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक मिनट का समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं पहले 66 (क) लिये ले रहा हूं जो विधेयक का पुरःस्थापन है, इसके बाद आप अपनी बात कह लें।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं जो खुशी की लहर देख रहा था चेहरे पर, मुझे उम्मीद थी कि पांच-सात रुपया बढ़ायेंगे। इसमें सहर्ष स्वीकृति क्या प्रदान कर दी। यह तो पहले से रेट था ही, वही आपने दोहरा दिया। चलिये फिर भी आपने कुछ तो कहा आज लेकिन मुझे तब अच्छा लगता जब पांच-सात रुपया आप और बढ़ा देते। तब हम भी तालियां बजाते ओर अभी भी यह मौका है, यदि आप हमें भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कर दीजिये मान्यवर, पिछले 10 साल में यह पहला अवसर है जब कोई सरकार एक पैसा भी गन्ने का दाम नहीं बढ़ा पा रही है। ऐसी निरीह सरकार जिसकी कोई हिम्मत मिल वालों के सामने खड़े होने की न हो, जिसने मिल वालों के सामने बिल्कुल घुटने टेक दिये हों, यह पहली सरकार है मान्यवर, इस समय, वरना हर वर्ष गन्ने का दाम बढ़ता रहा और किसानों को कुछ न कुछ मिलता रहा। बाकी बातें तो मैं तब कहूंगा जब गन्ने की बात आयेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं अभी उसी पर आ रहा हूं। मैं पहले 66 (क) ले लूं।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत कर दीजिये।

## उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 30-11-07 के साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007††**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007†††**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†† दिनांक 29-11-07 के साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

††† दिनांक 16-11-07 के साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

**छत्रपति शाहू जी महाराज, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007†**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से छत्रपति शाहू जी महाराज उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि छत्रपति शाहू जी महाराज उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से छत्रपति शाहू जी महाराज उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007††**

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007†**

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 16-11-07 के साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

†† दिनाक 29-11-07 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007†**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007†**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007†**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 28-11-07 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007[††]**

भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री अशोक कुमार दोहरे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अशोक कुमार दोहरे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007[†††]**

नगर विकास पर्यावरण व संस्कृति मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

[††] दिनांक 29-11-07 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[†††] दिनांक 16-11-07 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

## उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007†

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सदल प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सदल प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

## उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007††

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

## छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 29-11-07 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।
†† दिनांक 30-11-07 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।
† दिनांक 16-11-07 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007††**

नगर विकास, पर्यावरण एवं संस्कृति मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2097†**

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†† दिनांक 28-11-07 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

† दिनांक 16-11-07 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

## नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को नियम-311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना (1) श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्रीमती अमिता सिंह, श्री प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री आर0 पी0 एन0 सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री माधव पासवान, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला तथा श्री संजय कपूर, (2) श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा श्री गौरी शंकर, (3) श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री उदयभान करवरिया, श्री यशपाल सिंह चौहान तथा श्री छत्रपाल सिंह (4) श्री जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह, (5) श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (6) श्री उदयराज एवं श्री दीपक कुमार की प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाये मूल्य का भुगतान न होने एवं रबी की बुआई के समय डी0ए0पी0 खाद की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना (1) श्री कौकब हमीद, डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर, श्री पूरन प्रकाश, श्री कादिर राणा, चौ0 सतपाल सिंह, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री विमलेश सिंह तथा श्री मदन भैया (2) श्री पंकज मलिक की उत्तर प्रदेश के विशाल आकार को देखते हुए उसको चार भागों में बांटने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की प्रदेश के गोरखपुर व बस्ती मण्डलों में बड़े पैमाने पर फैले मस्तिष्क ज्वर व हैजा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री लाल जी यादव की जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विधान सभा क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री अम्बिका चौधरी, श्री अनिल कुमार सिंह, श्री आलोक कुमार, श्री जोखू लाल यादव एवं श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद की जनपद-लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी के विधायक श्री अरविन्द गिरि एवं पार्टी के कार्यकताओं के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई अतः अस्वीकृत हुई :-

1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह, 2-श्री शम्भू चौधरी, 3-श्री धनीराम वर्मा, 4-डा0 आर0 ए0 उस्मानी तथा श्री रियाज अहमद, 5-डा0 राजेन्द्र सिंह, 6-डा0 वकार अहमद शाह, 7-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, 8-श्री राम किशुन, 9-श्री दीप नारायण सिंह, 10-डा0 पी0 के0 राय, 11-श्री अनूप सण्डा (दो सूचनाएं प्राप्त), 12-डा0 आर0 ए0 उस्मानी तथा 13-श्री यशपाल सिंह चौहान।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जो माननीय सदस्य अनुपस्थित है उनके स्थान पर हम लोगों की सूचनाओं को जोड़ लीजिए।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहिए कि क्या तिवारी जी को सुनने के बाद हम लोगों की बातों को सुन लेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

हां, सुन लेंगे।

**भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक श्री माधव पासवान पर हुए प्राणघातक हमले तथा भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मोबाइल पर हत्या की धमकी दिये जाने विषयक प्रकरण**

* श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है, चूंकि मुख्य विरोधी दल, समाजवादी पार्टी चला गया है तो हम लोगों की सूचनाएं है, सबका सामूहिक है, हुकुम सिंह जी का, हमारा, भारतीय जनता पार्टी और माननीय कौकब हमीद जी का है। मान्यवर, हम सबसे पहले जैसी कि सदन की परम्परा रही है अगर किसी विधायक का व्यक्तिगत प्रकरण रहा है तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती रही है और उसे 300 के पहले सुना जाता रहा है। मान्यवर, हमारे विधायक श्री माधव पासवान जी है, जिन पर जानलेवा हमला हुआ है वह सिर्फ दो मिनट में अपनी बात रखना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि हम लोगों के नियम-56 के पहले उन्हें दो मिनट सुन लें।

* श्री माधव पासवान-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मोतीरामडुडा चौराहा थाना गोरखपुर रात्रि आठ बजे अपने जनसम्पर्क कार्यालय में बैठकर मैं लोगों की समस्याओं को सुन रहा था। उसी समय एक स्कार्पियो गाड़ी आई और अपनी हेडलाइट हम लोगों पर फेंककर गाड़ी पर सवार लोगों ने हम लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। हम लोग घबराकर भागे और फायरिंग से बचने के लिए अपने घर में जाकर छिप गये। हम लोगों की जान बच गयी, मेरे एक रिश्तेदार श्री रमाकान्त जिन्होंने सुरक्षा देने का प्रयास किया था उनके सिर पर पिस्टल लगाकर पूछा गया कि विधायक कहां हैं ? तब तक अन्य लोगों के दौड़ाने पर हमलावर भागे, कुछ भागने में सफल रहे, कुछ गिरफ्तार किये गये। मान्यवर, तब से लगातार मुझे जानमाल की कड़ी धमकी दी जा रही है और हमलावर द्वारा मुझे मारने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। मेरे साथ किसी भी समय कोई घटना घट सकती है। मैं समाज के दलित वर्ग के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक शांतिप्रिय व्यक्ति हूं। मुझे समुचित सुरक्षा उपलब्ध करायी जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि 4 अंगरक्षक उपलब्ध कराये जायं तथा मेरे परिवार की सुरक्षा हेतु मुझे शस्त्र लाइसेन्स अविलम्ब प्रदान किया जाए।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

विधायक जी के ऊपर हमला हुआ है, विधायक जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि पुलिस ने कार्यवाही की है और गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। जहां तक सुरक्षा की बात है तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूरे प्रदेश की आम जनता की सुरक्षा निश्चित रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय विधायक जी की सुरक्षा के लिए जो बात होगी मान्यवर, आपसे बैठकर बात हो जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमारी पार्टी के विधायक शम्भू चौधरी जी का भी व्यक्तिगत मामला है। उन्होंने लिखकर भी दिया है, इनको भी सुन लीजिए।

श्री शम्भू चौधरी-

मान्यवर, हमारे नौरंगिया विधान सभा क्षेत्र में कुख्यात जंगल दस्युओं द्वारा घटनायें पर घटनायें घटित की जा रही है। 5-6 व 7-8 सितम्बर, 2007 की मध्य रात्रि में दो अलग-अलग ग्राम के ग्रामीणों की हत्यायें होती हैं फिर भी पुलिस मौन रहती है। लगातार 8 सितम्बर को तुर्क पटही थानान्तर्गत दो हत्या होती हैं इन सारी घटनाओं को हम लोगों के द्वारा उजागर विरोध किया गया था। 30 सितम्बर, 2007 को दिन में 2.54 बजे पर मेरी मोबाइल फोन पर चिथड़े-चिथड़े उड़ा देने की धमकी आती है और ठीक 28 दिन बाद कार्यवाही की जाती है। पता नहीं किस व्यक्ति को ले जाकर धारा 504-506 में चालान करके छोड़ दिया जाता है और इसको गम्भीरता से नहीं लिया जाता है तथा कुशीनगर जनपद में कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे सकता है। जब एक जनप्रतिनिधि को मोबाइल से हत्या करने की धमकी दी जाती है। चिथड़े-चिथड़े उड़ाने की धमकी दी जा रही है तो आम जनजीवन किस तरह से होगा। मैं इस जंगल दस्यु क्षेत्र में अपने सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग करता हूं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि नौरंगिया विधान सभा की आम जनता की क्या स्थिति होगी ? मान्यवर, मुझे जानमाल का खतरा है इसलिए मुझे पर्याप्त सुरक्षा दिये जाने की मांग मैं करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय विधायक पासवान जी व शम्भू चौधरी जी का प्रकरण है इसलिए इस पर आज ही बैठक कर ली जाए। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि जैसा होगा आपके कक्ष में बैठ करके निर्णय हो जायेगा। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आज ही बैठ लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(इस समय 2 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल पीठासीन हुए।)

**नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)**

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने गन्ना कृषकों की समस्या के बारे में कहा है। गन्ना कृषकों की जो समस्या है, आपको स्मरण होगा तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय गन्ना विकास मंत्री जी ने सदन में खड़े होकर यह आश्वासन दिया था। मेरी मांग थी कि विगत पेराई सत्र गया है उसमें गन्ना मूल्य का भुगतान 31 जुलाई तक कर दिया जाय। उस समय सम्भवतः आपने असमर्थता व्यक्त की थी आपने कहा था कि 31 जुलाई तक सम्भव नहीं है लेकिन हर हालत में 31 अगस्त तक भुगतान कर दिया जायेगा। यह

सदन की कार्यवाही पर है। मंत्री जी जहां पर विराजमान हैं उसी आसन पर खड़े होकर आपने सदस्यों को आश्वासन दिया था। यह प्रकरण कई बार उठाया गया सदस्यों की मांग यह थी कि क्या जो विलम्ब से भुगतान हो रहा है उसके लिए गन्ना अधिनियम में शुगर केन ऐक्ट में प्राविधान है कि 15 दिन बाद अगर भुगतान होता है तो भुगतान पर ब्याज भी वाजिब होता है। आपने इसके उत्तर में यह कहा था कि इस तारीख के बाद भुगतान होता है तो निश्चित रूप से ब्याज का भुगतान किया जायेगा। हम 31 अक्टूबर को खड़े हैं। 30 सितम्बर चला गया, अक्टूबर पूरा चला गया लेकिन आज तक किसानों का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। अगर प्रदेश सरकार का वरिष्ट मंत्री आश्वासन दे भारसाधक मंत्री सदन में आश्वासन दे और उस आश्वासन की धज्जियां उड़ाई जायं उसका पालन न हो उस पर कोई विचार न हो तो सरकार कितनी प्रभावी है। किसानों की कितनी हितैषी है। इसका एक सबूत हमारे सामने आ जाता है। हमारे मन में पीड़ा है। आज 1500 करोड़ से अधिक किसानों का मिल मालिकों पर बकाया है। उन किसानों की क्या दुर्दशा रही होगी वह अपने घर का खर्चा कैसे चला रहा होगा। इस बात की चिन्ता सरकार को होनी चाहिए। आपने सरकारी फैक्ट्री के लिए 60 करोड़ का प्राविधान किया लेकिन मेरे लिए तो सरकारी, असरकारी, निजी क्षेत्र की मिलों में अन्तर नहीं है। हमारे किसानों ने जो गन्ना सप्लाई किया है उसका अगर पूरा भुगतान नहीं होता है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। एक अच्छा खासा विभाग बना हुआ है। विभागीय मंत्री है, अधिकारी वर्ग है, केन कमिश्नर हैं क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है।

आज मैं एक किसान होते हुए किसानों का प्रतिनिधि होते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूं। आखिर क्या पाप हम लोगों ने किया है किसानों ने क्या पाप किया है। आज की तिथि में क्या आप किसानों को आश्वासन देंगे कि केवल ब्याज ही नहीं बल्कि हम मिलों पर पेनाल्टी लगाकर एक निश्चित तारीख तक भुगतान करेंगे। सदन आज के बाद 5 व 6 तारीख को और बैठेगा आखिर उसके बाद हम कहां जायेंगे और हमारे सदन में बैठने का क्या औचित्य रह जायेगा ? अगर इसी प्रकार आश्वासन दिए जायेंगे और कोई कार्यवाही नहीं होगी। आज भाव की घोषणा की गई यह वही भाव है जो पिछले वर्ष थे यह कहां से वाजिब है। जो किसानों के रोजाना जीवन में इस्तेमाल होता है उनके भावों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। चाहे खाद की बात हो डी0ए0पी0 के दामों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई, एन0पी0के0 के दाम कितने बढ़े हैं यूरिया के दाम कितने बढ़े हैं। कीटनाशकों के दाम कितने बढ़े हैं। बिजली की क्या स्थिति है ? डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी हुई है जब हर उन चीजों के दाम बढ़े जिनसे किसान गन्ने का उत्पादन करता है तो आपने गन्ने के भाव क्यों नहीं बढ़ाए ? एक बात आती है मिल मालिक पर्चा छपवा रहे हैं कि चीनी के दाम नहीं बढ़ रहे हैं तो चीनी तो एक हिस्सा है। आज वह मुख्य पैदावार न होकर बाइ प्रोडक्ट के रूप में रह गई है। आज बैगास कागज बनाने के काम आती है, बिजली बनाने के काम आती है जो बैगास पहले जला दी जाती थी आज उससे बिजली बनाकर विद्युत विभाग को बेच रहे हैं। वह अलग बेच रहे हैं मान्यवर, मैली प्रेस मणी जिसको बोलते हैं जो पहले मिल मालिकों के यहां से उठाने के लिये खर्च करना पड़ता था आज केक की तरह से बिक रही हैं लाइन लगा करके बिक रही है। मान्यवर, शीरा कभी 7 रुपये क्विंटल उसको उठाने वाला कोई नहीं था और आज वही शीरे से एल्कोहल बन रही है और कई डिस्टीलरीज को सप्लाई की जा रही

है। मान्यवर, अधिकांश चीनी मिल वालों ने अपनी डिस्टीलरी लगा ली है और वहां पर शीरे का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं।

हमारे किसान के सामने एक तर्क रखा जाता है कि चीनी के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़े। चीनी तो एक आइटम रह गया और बतायें तो किसके अनुपात में बढ़े हैं। शराब के मंत्री मेरे ख्याल से आप ही हैं। आबकारी विभाग आपके ही पास है आप अंदाजा लगा लें कि एल्कोहल के दाम बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। और एल्कोहल का रॉ मैटेरियल है क्या ? शीरे से बन रही है कि नहीं बन रही है। ऐसी स्थिति में मान्यवर, हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि वह चले गये हमारे दांये बैठने वाले पुरानी सरकार उनकी अपनी गलत नीति के कारण जो उन्होंने पक्षपात करके कुछ घरानों को छूट दी मान्यवर। उसकी वजह से शेष मिलों के ऊपर उद्योगों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा यह मैं मानकर चलता हूं और उसी का प्रभाव यह हुआ कि जो वैकल्पिक व्यवस्था थी हमारी खाण्डसारी इकाइयों की आज प्रदेश भर से खाण्डसारी इकाइयां समाप्त हो गयी। आज हमारे किसान की हालत क्या है ? 125 रुपये मूल्य आपने घोषित किया हैं आज 40 रुपये गन्ना बिक रहा है। 40 रुपये से लेकर 50 रुपये गन्ना फेंकना पड़ रहा है। बिकने की बात मैं नहीं करता हूं और जिस किसान को मजबूर होकर के 40 रुपये से 50 रुपये के बीच गन्ना बेचना पड़ रहा हैं उसका गुजारा कहां से होगा जब उसको गन्ने की लागत ही वसूल नहीं होगी तो कर्जा चढ़ेगा। आज उसकी हालत भी ऐसी हो रही है जैसी और जगह किसान आत्म हत्या के लिये मजबूर हो रहा है। अगर गन्ना किसान जिसके लिये हम सोचते थे कि इसका गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है उसको भी आत्महत्या के लिये विवश होना पड़ेगा तो किसान कहां जायेगा। ऐसी स्थिति में मान्यवर, मैं तो आशा करता था कि आप साथ-साथ घोषणा यह भी करेंगे कि 125 रुपये से ज्यादा रेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो 10 दिन के अन्दर या हफ्ते भर के अन्दर फैक्ट्रियों को चलवा देंगे। क्या यह मिल मालिकों की एक मॉनोपॉली हो गयी है कि जब वे चाहेंगे तब ही फैक्ट्री चलेगी किसानों की उसमें कुछ हिस्सेदारी नहीं रह गई। मैं यह भी चाहता हूं कि जब आप उत्तर दें तो यह भी स्पष्ट करें कि आप जल्दी ही मिल चलवा देंगे।

अपनी बात समाप्त करने से पहले में दो बातें और कहना चाहता हूं। आपने कभी किसानों की पीड़ा को समझा है ? खाली बयान दे देने से कि टेल तक पानी जा रहा है। आपने आज भी कहा कि टेल तक पानी जा रहा है। अरे टेल तो छोड़ दीजिये कभी दर्शन कर लीजिये टेल के जाकर। पांच रजवाहे आप अपनी च्वाइस के पूरे प्रदेश में से कोई ले लें। मैं भी आपके साथ चलने के लिये तैयार हूं। आप देख लें सफाई किसी रजवाहे की हुई है कि नहीं हुई है। पानी कहां से चला जायेगा। बिजली की हालत यह है कि ट्रांसफार्मर किसी कीमत पर किसानों को नहीं मिल रहे है दो-दो महीने तक तड़पना पड़ता है किसानों को और अगर मिलेंगे भी तो स्टोर में ऐसे अधिकारी बैठा दिये। माननीय उपाध्यक्ष जी कभी जाकर देखिये। चेकिंग तो आप बहुत करते हैं कभी मुजफ्फरनगर क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं जाकर देखते हैं अपने स्टोर को ? पांच-पांच हजार रुपये घूस लेकर किसानों का शोषण किया जा रहा हैं सुनने वाला कोई है नहीं। खण्ड अधिकारी को कहिये सहारनपुर में बैठेगे। स्टोर मुजफ्फरनगर में होगा। किसान कहां जायगा शिकायत लेकर। मान्यवर, इनका समाधान होना चाहिए था। इतने हल्के फुल्के तरीके से मत लीजिये। मैं तारीफ नहीं करना चाहता। ऐसी भी सरकार रही है जिसने

72 घंटे के अन्दर फुंके ट्रांसफार्मर बदलवाये हैं। आज क्या हो गया ? तीन-तीन महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जायेगा तो विद्युत आपूर्ति कहां से होगी। बिजली का कनेक्शन किसानों को क्यों नहीं दे रहे हैं। उद्योगपति अगर कोई सुबह आवेदन करेगा तो अगले दिन ही उसको कनेक्शन मिल जायेगा लेकिन किसान आवेदन कर रहा है उसको तीन साल तक कनेक्शन नहीं मिल रहा है दोषी कोई और भी है उसमें। मैं केवल आपको नहीं मानता लेकिन आपका दोष इतना तो है कि 6 महीने में आप कोई व्यवस्था तो बनाते। आपने अपने बजट में कहा था कि हम इसकी व्यवस्था ठीक करेंगे। आपके बजट में इसके लिये प्राविधान भी था कहां चले गये वह कनेक्शन ? हर जिले के लिये बराबर क्यों नहीं बांटा ? यह सारी की सारी बातें हैं इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो उत्तर प्रदेश भी उन दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेशों में एक होगा जहां किसानों को आत्म हत्या करने के लिये विवश होना पड़ेगा। मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

(श्री प्रमोद तिवारी का नाम पुकारने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरे भी हस्ताक्षर हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा। अभी आप बैठ जाय।

* श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आज जो विषय है इससे और महत्वपूर्ण विषय और कोई नहीं हो सकता। जिसको कार्य-स्थगन के रूप में उठाया हैं जो विचार में इसकी ग्राह्यता के बारे में रख रहा हूं वही विचार सभी साथियों के हैं जिनको आप बोलने का अवसर देंगे। लेकिन कांग्रेस की ओर से मैं यह कहना चाहता हूं कहने को तो भारत देश कृषि प्रधान हैं उत्तर प्रदेश अगर किसी बात पर निर्भर है तो किसान के हालात पर निर्भर है। अगर किसान कुछ नहीं मान्यवर, तो उत्तर प्रदेश कुछ नहीं हो सकता हैं अगर किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं मान्यवर, तो उत्तर प्रदेश मुस्करा सकता है इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, अभी बात चल रही थी गन्ने की मान्यवर, आज घोषणा हुई 125 रुपये के आसपास, तीन वैरायटीज की, मैं उम्मीद कर रहा था कि कम से कम 150 रुपये घोषित किया जाएगा। इसके लिए समय है मान्यवर, विचार कर लें अगर उचित समझें तो 150 रुपये किया जाना चाहिए। क्योंकि खाद का दाम बढ़ा है, बिजली का दाम बढ़ा है, मजदूरी का दाम बढ़ा है, पानी का दाम बढ़ा है, अगर हर चीज का दाम बढ़ा है जो किसान खरीदता जा रहा है उस हर चीज का दाम बढ़ा है जो फिर किसान जो बेचने जा रहा है उसका दाम क्यों न बढ़े यह बहुत बड़ा सवाल है जो सरकार के सामने है एक बात जरूर कहना चाहूंगा मान्यवर, दो तरह की मिलें हैं एक तो सहकारी मिल जो सरकार के नियंत्रण में हैं। एक पूंजीपतियों के हाथों में हैं मान्यवर, पिछले तीन साल हमारे इसी में बीत गए कि हम उन मिलों को कुछ पूंजीपतियों, एक पूंजीपति घराने को बेचने की साजिश पिछली सरकार ने की थी और उसको सारी मिलें दी जा रही थी उसका विरोध सदन में हुआ हमने भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया और आपने भी किया मान्यवर, बेचने वाले भी चले गए, खरीदने वाले भी चले गए वह मिलें बच गई हैं उनकी रक्षा की जानी चाहिए।

मान्यवर, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन अर्जीब सी स्थिति है गन्ना किसान का जो बकाया है रिकवरी का, सरकार का, उसे तो हवालात में भेजा जा रहा है। वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, बच्चे की पढ़ाई की फीस नहीं दे पा रहा है लेकिन किसानों का जो बकाया है उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया जा रहा है। इसमें मान्यवर, दो तरह के लोग हो सकते हैं एक तो वह जहां न्यायालय का स्थगन आदेश हो, और एक वह जहां न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। मेरा कहना यह है मान्यवर, मिल मालिक अगर न्यायालय की शरण में नहीं है, न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं है तो उस मिल मालिक को मिल के अन्दर नहीं होना चाहिए बल्कि जेल के सींखचों के पीछे होना चाहिए यह मैं आपसे आग्रह करता हूं और विश्वास करता हूं कि यह आप करेंगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक कैलेन्डर जरूर घोषित कर दें। चाहे जबाव बाद में दें या आज दें कि कौन सी मिलें कब चलेंगी। क्योंकि अभी मैं गया था मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर मान्यवर, अभी मिलें चली नहीं। अगर मिलें चली नहीं तो किसान गन्ना ले कहां जाएगा वह गन्ना कोल्हू पर ले जा रहा है वहां 40 रुपये रेट पर बिक रहा है। मान्यवर, अगर किसान 40 पर जब बेच देगा तो जो आपने 125 रुपये घोषित किया है जो आपकी मंशा है किसान को लाभ मिले तो उसका किसान को लाभ कहां से मिलेगा। उसका लाभ उसे तभी मिलेगा जब यह तत्काल चला दें मेरा आपसे आग्रह है कि कैलेन्डर घोषित कर दें कि कौन मिलें कब से चलेंगी। आप इसका कुछ जिक्र कर रहे थे वह सार्वजनिक हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा।

मान्यवर, नहरों के बारे में हमारी भी शिकायत है। नहरों की टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है जिससे पानी का संकट है अगर फसल को बचाना है तो युद्ध स्तर पर इसमें पानी देना होगा। बिजली मंत्री जी से कहना चाहूंगा आप देहात में चाहे जितनी घोषणा कर दें थोड़ा बहुत अनुभव मुझे है जितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है और जितनी बिजली आप खरीद रहे हैं आपकी पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। आपका सारा पैसा बिजली के खरीदने में चला जा रहा है उसका एक कारण केवल आप दोषी नहीं है, जितनी सरकारें आई 1979 के बाद से जितनी सरकारें आई हैं यह सब दोषी हैं इन्होंने आवश्यकता के अनुसार बिजली के उत्पादन की व्यवस्था नहीं की। आज नतीजा यह है कि मांग और आपूर्ति के बीच में इतना लम्बा फासला है अगर सबसे दुखद स्थिति अगर किसी प्रदेश की है तो वह उत्तर प्रदेश की है। जहां 1979 के बाद से नियोजित ढंग से बिजली लगाई नहीं गई है और इसलिए बिजली का संकट है आप घोषणा कर दें हम देंगे 16 घंटे, लेकिन इससे मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं यह हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जितनी बिजली पैदा हो रही है जितनी बिजली आपके हिस्से की मिलेगी उसका एक फार्मूला है उस फार्मूले के तहत बिजली मिलती है। अगर पूरी की पूरी बिजली भी आपको मिल जाए तो भी आप 16 घंटे बिजली दे ही नहीं सकते हैं। कहां से किसान जिए, मान्यवर, और इसीलिए अखबारों में यह खबरें पढ़ने को मिल रही है किसान कर्ज से डूबकर आत्महत्या कर रहा है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आत्महत्या आदमी तब करता है जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है।

मान्यवर, तो हम आयें, रास्ता ढूढें। किसान को ऐसा रास्ता न दिखायें जिससे वह अपना जीवन ही समाप्त कर ले। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, सम्भवतः इससे सभी मा0 सदस्य सहमत होंगे। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो सरकार का जवाब आए, मैं विश्वास करूंगा, लेकिन सच्चाई आज यह है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में किसानों को डी0ए0पी0 खाद नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। यह सच्चाई है, हकीकत है। यदि सदन को गुमराह करने के लिए यह कहा जाता है कि डी0ए0पी0 खाद उपलब्ध है तो मैं मान कर चलूंगा कि यह बिल्कुल गलत है। यदि नहीं मानते हैं तो चार दिन के लिए सदन स्थगित हो रहा है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, वरिष्ठतम् मंत्री हैं, आप जैसे काबिल मंत्री के होते हुए, आप दिखवा लीजिए। मैं विश्वासपूर्वक कह रहा हूं, शायद ही इनको कोई जिला मिलेगा जहां पर डी0ए0पी0 खाद उचित दर पर किसानों को मिल रही हो। मान्यवर, यदि डी0ए0पी0 खाद उपलब्ध नहीं है तो किसान की दयनीय स्थिति का अन्दाजा आप लगा सकते हैं। मैं एक दिन गुजर रहा था, लोगों की लाइन लगी हुई थी। एक साधन सहकारी समिति की बिल्डिंग थी, उसके सामने एक दिन पहले से ही लाइन में लोग चादर बिछाकर सो रहे थे। उन्हें सम्भावना थी कि दूसरे दिन डी0ए0पी0 खाद का वहां से बंटवारा होना है, इसलिए लाइन लगी हुई थी। यह सच्चाई मैंने स्वयं देखी है। इसमें आपकी गलती नहीं है, पिछले 3-4 सालों से जो होता रहा है, जो गुनाह होता रहा है, लेकिन आप भी उसके गुनहगार बन जायेंगे तो उचित नहीं है। अधिकतर सहकारी समितियां पूरी तरह डिफेक्ट हो गयी हैं। सहकारी समिति से आपको डी0ए0पी0 खाद नहीं मिलेगी, बगल की दुकान में आपको धड़ल्ले के साथ वही डी0ए0पी0 मिल जायेगी। एक पैरलर व्यवस्था चल रही है। यह पिछले 4-5 सालों से चल रहा है अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो उसे रोका जा सकता है। इस समय सारा ध्यान आप डी0ए0पी0 खाद के वितरण में लगा दें, रासायनिक खाद के वितरण में लगा दें और आप इसको युद्ध स्तर पर कर दें कि जो भी दुकानदार ऐसा करते हुए पाया जायेगा वह जेल के अन्दर रहेगा, बाहर नहीं आयेगा। यदि आप डी0ए0पी0 का वितरण 60-70 प्रतिशत भी करा दें, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 प्रतिशत भी डी0ए0पी0 का वितरण नहीं हो रहा है। जिस जनपद में आप चलना चाहें, मैं चलने को तैयार हूं। आप किसी भी किसान से बात कर लें, सच्चाई सामने आ जायेगी। एक और रासायनिक उर्वरक की बात सरकार बार-बार करती है कि यह बेहतर है, आप किसान की मनः स्थिति तो समझें। जब वह यूरिया खरीदता था, आपने चाहा कि वह डी0ए0पी0 का प्रयोग करे तो बहुत दिनों तक उसने उसे नहीं खरीदा लेकिन आज उसके दिमाग में है कि डी0ए0पी0 ही पैदावार बढ़ा सकती है। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः विनम्र निवेदन करना चाहता हूं यदि उत्तर प्रदेश का किसान खुश नहीं तो उत्तर प्रदेश भी खुश नहीं रह सकता है, यदि उत्तर प्रदेश खुश नहीं रह सकता तो आपको भी यहां बैठने का अधिकार नहीं है। आपको यह विरासत में मिला है, मैं इस सदन में कहता हूं कि भ्रष्टाचार बहुत जमकर फैला है, पिछले 3-4 साल यहां पैरलल व्यवस्था चली है। मान्यवर, यह अविलम्बनीय, लोकमहत्व का प्रश्न है, करोड़ों किसानों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है. इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों का भुगतान न होने के कारण पूरे प्रदेश के किसान तबाह हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र रामकोला में किसान सबसे ज्यादा तबाह हैं। मान्यवर, हमारे यहां 5 चीनी मिलें हैं जिसमें 2 निगम की हैं। मान्यवर, हमारे यहां कप्तानगंज और सरदार नगर, रामकोला पंजाब एवं खेतान और लक्ष्मीगंज चीनी मिलें वहां के किसानों को प्रभावित करती हैं। हमारे क्षेत्र में किसान धान और गेहूं केवल इतना बोते हैं कि उनके भोजन का काम चल सके। शेष सब कुछ गन्ने की फसल पर आधारित है। आज मेरे क्षेत्र के किसानों का करोड़ों रुपया इन 5 चीनी मिलों पर बाकी है। आज वहां के किसान भुखमरी की कगार पर हैं। स्थिति यह है कि रबी की बुआई शुरू होने वाली है और किसानों के पास कुछ भी नहीं है। न वह खाद खरीद सकते हैं और न बीज। ज्ञात हुआ है कि सरकार ने चीनी मिलों पर आर0सी0 जारी की है लेकिन केवल आर0सी0 जारी करने से किसानों की समस्या का हल नहीं निकलेगा। हमारे क्षेत्र में किसान आन्दोलन का मन बना लिये हैं और कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। अभी कुछ दिनों पूर्व हमने कप्तानगंज चीनी मिल पर विशाल धरना प्रदर्शन किया और हमारे बीच में प्रशासन और वहां के प्रबन्धतंत्र ने आश्वासन दिया कि हम भुगतान शुरू कर रहे हैं और तब तक भुगतान करेंगे जब तक सबका भुगतान नहीं हो जाता। लेकिन मात्र एक दिन का भुगतान करके उन्होंने भुगतान करना बन्द कर दिया और प्रशासन ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। मैं आपसे मांग करता हूं कि रामकोला विधान सभा क्षेत्र के किसानों की स्थिति को देखते हुए तत्काल वहां के किसानों को गन्ने के बकाये का भुगतान कराया जाये।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम-56 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जो बातें आ चुकी हैं मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा। मान्यवर, चीनी मिलों में गन्ने की पर्ची के आधार पर काश्तकारों को यह अवसर मिलता है कि वह अपना गन्ना डाले। हमारे शाहजहांपुर में माई टइज राइट है। जिसके पास ताकत है वही वहां गन्ने की पर्ची लेने के लिए सक्षम है और जिस-जिस के पास पावर है वह 5-10 पर्ची ले लेता है और उसी का गन्ना पड़ता है। बिचौलियों का गन्ना पड़ता है। जो काश्तकार हैं वह मुंह देखता रहता है और उसे गन्ना डालने का अवसर नहीं मिलता है। मैंने पिछले सत्र में भी यह कहा था और मैंने मंत्री जी से बात की थी और अनुरोध किया था कि इसमें पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए और उसे लागू किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि राजस्व रिकार्ड के आधार पर गन्ने का निर्धारण होना चाहिए और उसी के अनुसार छोटे काश्तकारों को प्राथमिकता के आधार पर पर्ची देने का सिस्टम होना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि निजी नलकूपों की व्यवस्था पिछली सरकारों में चलती आई। कुछ काश्तकारों को निजी नलकूप कनेक्शन दिए जाते रहे हैं। पहली बार इस सरकार ने एक नया शासनादेश जारी किया जो लोग निजी नलकूप कनेक्शन लेना चाहते हैं उन्हें 43 हजार रुपये की व्यवस्था कर दी। मान्यवर, जो लोग इंजीनियर से साठगांठ कर लेते हैं तो उनका इस्टीमेट कम बनता है और जो सीधे काश्तकार हैं जो लोग यह कहते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं कि उन्हें निजी नलकूप का कनेक्शन दिया जाए तो उनका मनमाने ढंग से इस्टीमेट बना दिया जाता है। आज की स्थिति में निजी नलकूप में दो से ढाई लाख का इस्टीमेट बनता है और सरकार की ओर से जो 8 से 10 हजार रुपये मिलता था उसका चौगुना दाम हो गया और उसका जो इस्टीमेट बनता है वह लगभग उसका 10 गुना हो गया। तो कुल मिलाकर निजी नलकूपों को हतोत्साहित करने वाली पालिसी है इस पर सरकार विचार करे। यह सब्सिडी जो 43 हजार रुपये सरकार दे रही है, तो जो पूर्व में व्यवस्था थी वही लागू की जाय। तीसरी बात गन्ने के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश की गन्ने की औसत पैदावार छः सौ कुन्तल प्रति हैक्टेयर है जबकि तमिलनाडु में एक हैक्टेयर में बारह सौ कुन्तल गन्ना पैदा होता है। जब बी0जे0पी0 की सरकार थी तो गन्ना शोध परिषद् के लोगों ने अपेक्षा की थी कि पचहत्तर लाख रुपया आप हमें दे दें तो इसे बढ़ाकर एक हजार कुन्तल प्रति हैक्टेयर कर देंगे। कुछ नयी प्रजातियां पैदा कीं, कुछ पंजाब की थीं और कुछ तामिलनाडु की थीं। लेकिन आज तक भी हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाये हैं। यह हमारा नेशनल लास हो रहा है। हम छः सौ कुन्तल पैदा करते हैं और तामिलनाडु बारह सौ कुन्तल पैदा करता है। तो मैं आपके माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि किस प्रकार गन्ने की औसत पैदावार बढ़ायी जाय। एक अन्तिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि आज स्थान-स्थान पर भूमि का अधिग्रहण हो रहा है और आन्दोलन हो रहे हैं। जो इसकी पालिसी है उसे बदलना चाहिए। सर्किल रेट का दो गुना रेट किसानों को मिले तो इससे आन्दोलन नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

* श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, आपने मुझे लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के अन्दर जहां गन्ना किसानों के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी है वहीं खाद भी नहीं मिल रही है। बुन्देलखण्ड में तो अकाल की स्थिति है। वहां पर पहले से ही जो भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचा है, 68 फसीदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे, आज वर्तमान में सूखा घोषित हो गया हैं राहत के नाम पर केवल दो तीन करोड़ ही दिये गये हैं जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान हैं जिला प्रशासन यह तय नहीं कर पा रहा है कि कैसे हम इस राशि को लाखों की संख्या में प्रभावित किसानों तक पहुंचायें। पानी का जल स्तर भी चार पांच फिट नीचे चला गया है। जो केन नदी है, उसके बारे में आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि वह सूख गयी है। बुन्देलखण्ड में नहरें चल नहीं रही हैं और अधिकांश मजदूर पलायन कर रहे हैं। लोग महानगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। उरई में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी यह तो आपने सुना ही होगा, इसके पूर्व महोबा में कई किसानों में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि हम हथियार उठायें या मर जायें। जिसके पास जमीन नहीं है और जो प्राकृतिक विपदा से जूझ रहा है वह मरने पर मजबूर होगा या मारने पर मजबूर होगा। जो वहां की अकाल की स्थिति है और प्रदेश में जो रोजगार की स्थिति है, तो केवल 36 फीसदी लोगों के पास रोजगार है। बाकी के लोग महानगरों की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ओर पलायन कर रहे हैं। किसी भी रेलवे स्टेशन पर आप देखें कीड़े मकोड़े की तरह लोग बैठे हैं और महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हम अपने परिवार को भूख से मरते हुए नहीं देख सकते हैं।

हमारे यहां जो बुन्देलखण्ड का एक मेडिकल कालेज है पहले लोग सल्फास खाकर आत्महत्या करते थे, आज हेयर डाई पीकर के आत्महत्या कर रहे हैं। प्रतिदिन कम से कम चार से लेकर पांच लोग, क्योंकि उनकी जमीनें सूखी हैं, ऐसी सूखी जमीन जिसमें कुछ पैदा नहीं हो सकता और चार-पांच साल से जो स्थिति है उस स्थिति में जहां दैवी आपदा भी है और सरकार का प्रबन्धन भी नहीं है जहां पर थोड़ा-बहुत पानी है वहां पर जो खेती प्रतिबन्धित होना चाहिए अनेक क्षेत्र ऐसे हैं बुन्देलखण्ड के वहां पिपरमिण्ट की खेती कर रहे हैं। पिपरमिण्ट की खेती से जल स्तर पूरा का पूरा सूख जाता है। एक तरफ जो हमारी चन्देल कालीन व्यवस्था थी, तालाब के द्वारा भूमि का सिंचन करना, वह व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गयी। वर्तमान में नहरें चल नहीं रही हैं, बरसात हुई नहीं है लोग पलायन कर रहे हैं। जो रोजगार गारण्टी योजना है, उस रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन में भी अधिकारियों द्वारा व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। गांव के गांव खाली हो गये हैं, गांव की आबादी नहीं है उनके जॉब कार्ड बने हुए हैं। पूरे के पूरे जॉब कार्ड पर उनका काम चढ़ जाता है, गांव का व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है, जॉब कार्ड पर काम चढ़ गया, उसका पैसा निकल गया जिन गांवों में अगर कुछ लोग हैं वहां पर स्थिति यह है कि अगर जिला पंचायत ने प्रधानों के खाते में पैसे जमा करवा लिये जो जिला पंचायत के पास जूनियर इंजीनियर नहीं है कि वह इसका इस्टीमेट बनाकर कार्य प्रारम्भ करें। चारों तरफ जो स्थिति है ऐसी स्थिति में मैं लोक महत्व के इस प्रश्न में आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड की जो स्थिति है, बुन्देलखण्ड के किसानों पर जो ऋण है, उस ऋण के बकाये के लिए हमें किसी दूसरे की ओर नहीं देखना चाहिए, उन्हें हम हवालात में बन्द कर रहे हैं, वह मरना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं मारना चाहते हैं, नहरें चल नहीं रही है उनके सामने दीपावली के दीपक जलाने के लिए एक रुपया भी नहीं है। जिस स्थिति में कल महोबा के लोगों ने प्रदर्शन किया आपने भी समाचार प्रत्रों में पढ़ा होगा चाहे महोबा हो, उरई हो, जालौन हो, ललितपुर हो, झांसी हो ललितपुर के अन्दर जो पूरे देश के अन्दर आदिवासी हैं उस आदिवासी संख्या का 30 फीसदी व्यक्ति ललितपुर के अन्दर रहता है।

आज जो स्थिति है कि पूरे देश के अन्दर जो कुपोषण से शिकार हुए बच्चों की संख्या है, बच्चे जिन्होंने चार-चार दिन से खाना नहीं खाया है अगर आप उनकी आकृति देख लें ललितपुर के अन्दर एक टालबेट जगह है, मेहरौली एक जगह है वहां उनका पेट फूला, अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जहां अकाल पड़ा होगा, वहां हमने वैसे बच्चे देखे होंगे, वह 30 फीसदी कुपोषण के बच्चे बुन्देलखण्ड में मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम जो राहत सामग्री या राहत के नाम पर दो-तीन करोड़ रुपये भेजे जा रहे हैं, इसकी संख्या बढ़ाई जाय, जिससे सीधे किसानों को लाभ हो। दूसरा हमारा एक आग्रह और है, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि जो रोजगार गारण्टी योजना है उसके क्रियान्वयन में जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कार्य कर रहे हैं, मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति की हत्या कर देने से बड़ा अपराध है, आर्थिक अपराध और जो लोग इसके क्रियान्वयन में

अपराध कर रहे हैं उनके ऊपर इतनी गम्भीर धारा के अन्तर्गत कार्यवाही होनी चाहिए कि वह जघन्य कृत्य करने का साहस न कर सकें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य मैं आपसे आग्रह करूंगा, हम लोग इसकी ग्राह्यता पर विचार कर रहे हैं, अब आप अपनी बातें कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं लोक महत्व के प्रश्न पर आपसे यह सारी परिस्थिति बताते हुए कि जब राज्य का एक प्रमुख स्थान बुन्देलखण्ड पूरी तरह से प्रभावित है, लोग मर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं ऐसे में हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करायें ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके।

श्री यशपाल सिंह चौहान-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं क्योंकि लोक महत्व के विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे माननीय हुकुम सिंह जी ने गन्ने पर बिजली पर काफी विस्तृतरूप से चर्चा की, इसलिए मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा किन्तु मैं हाथरस जनपद में खाद के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पिछली 23 तारीख को जनपद हाथरस में माननीय ऊर्जा मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं ऐसी शर्मनाक घटना हुई आप जांच करा लें और दोबारा सदन होगा, उसमें आप बता दें, यदि दोषी हैं तो उन्हें सजा दें कि महिलाओं के साथ मण्डी समिति पर किसानों के साथ मारा ही नहीं जूतों से मारा, चप्पलों से पीटा, बड़ी दयनीय स्थिति हुई किसान रुपये लेकर घूम रहा है लेकिन खाद नहीं मिल रही है। यही घटना सिकदराराहू में 22 तारीख को हुई। वहां भी यही स्थिति रही, जाम लगा, लाठीचार्ज हुआ। खाद, बोने के लिए नहीं मिल रही है। आलू का क्षेत्र है, पांच नवम्बर तक आलू का सीजन समाप्त हो जाता है। यहां माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उन्होंने तो यहां तक किया कि आमरण अनशन तक की धमकी दी डा0 अनिल जी ने तो उनके साथ जब हम उस समय माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले खाद की बात कही, मैं सरकार का जो प्रशासन बैठा है पीछे कितना उदासीन है उस समय के जवाब से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि खाद हमारा कोई मुद्दा नहीं है, लॉ-एण्ड आर्डर हमारा मुद्दा है। इस तरह की उदासीनता का बरताव अधिकारियों का बड़ा ही शर्मनांक है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पहले यह चाहता हूं कि इस तरह के अधिकारियों को निर्देश है क्या, क्यों उदासीन हैं किसानों के प्रति ? यदि लाठीचार्ज हुआ महिलाओं के साथ किसानों को लेकर बद्तमीजी हुई तो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करूंगा कि खाद उपलब्ध करावें।

(कुछ सदस्यों द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य शम्भू चौधरी जी, माननीय सदस्य पंकज मलिक जी, आप लोगों ने कोई नोटिस नहीं दिया है आपकी नोटिस उत्तर प्रदेश के विशाल आकार को देखते हुए उसको 4 भागों में बांटने के सन्दर्भ में है, इस विषय पर नहीं है। यह ग्राह्यता पर विचार हो रहा है। जिन माननीय

सदस्यों ने नोटिस पर दस्तखत नहीं किये हैं, माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा कि जिन लोगों के हस्ताक्षर नहीं है ग्राह्यता के विषय पर उन लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिल सकता।

कृषि मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

माननीय अधिष्ठाता जी, डी0ए0पी0 खाद के सम्बन्ध में हमारे सभी माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता, माननीय कांग्रेस के हमारे सभी साथियों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि निश्चित रूप से जिस मात्रा में डी0ए0पी0 किसानों को मिलनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी रही है। लेकिन यदि यह बात कही जाय कि प्रदेश में डी0ए0पी0 का इतना अभाव है या प्रदेश में डी0ए0पी0 ब्लैक में बिक रही है, मैं माननीय हुकुम सिंह जी और माननीय प्रमोद तिवारी जी से और सदस्य माननीय सिकन्दराराऊ जी से अनुरोध करना चाहता हूं। गत वर्षों की भांति इस माह में भी अक्टूबर में डी0ए0पी0 का जो लक्ष्य था वह 3 लाख 30 हजार मीट्रिक टन था, यही पिछली बार लक्ष्य था। इसमें जो आपूर्ति हुई है वह 3 लाख 20 हजार मीट्रिक टन डी0ए0पी0 की आपूर्ति अक्टूबर माह में हुई है। एन0पी0के0 का जो लक्ष्य था वह एक लाख 82 हजार मीट्रिक टन था। एन0पी0के0 की जो सप्लाई हुई है वह एक लाख 32 हजार मीट्रिक टन हुई है। एन0ओ0पी0 का निश्चित रूप से 40 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य था जो 8 हजार मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है। यूरिया का लक्ष्य था 2 लाख 75 हजार मीट्रिक टन और हमको प्राप्त हुआ है एक लाख 93 हजार मीट्रिक टन। मान्यवर, कुल उत्तर प्रदेश को, हमारे किसानों को, हमारा जो लक्ष्य है वह 10 लाख 50 हजार मीट्रिक टन डी0ए0पी0 का लक्ष्य रहता है। इसमें निःसन्देह कमी की पूर्ति करने के लिए अभी एक एम0ए0पी0 खाद आई है। उस एम0ए0पी0 खाद में टैक्स की छूट दी गयी है। डी0ए0पी0 की आपूर्ति एम0ए0पी0 के द्वारा भी कम से कम 25 प्रतिशत आपूर्ति डी0ए0पी0 की एम0ए0पी0 के द्वारा भी हो जायेगी, मान्यवर, हमारे प्रदेश की अलग-अलग परिस्थिति है जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद यहां आम तौर से नवम्बर के आखिर में और दिसम्बर में गन्ना काटकर किसान गेहूं करता है। आलू की बुआई निश्चित रूप से अब तक प्रदेश में जहां-जहां आलू होता है चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे आगरा की बेल्ट हो या पूरब की बेल्ट हो उसमें डी0ए0पी0 की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं इतना कह सकता हूं वैसे तो माननीय तिवारी जी चले गये हैं चूंकि डी0ए0पी0 इम्पोर्ट होती है। हमारी जो बैठके हैं, फर्टिलाइजर मिनिस्टर माननीय पासवान जी के साथ हमारी व्यक्तिगत बैठक उनके साथ हो चुकी है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने भी प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है। हमारे प्रमुख सचिव अब तक कम से कम 5 बार केन्द्र के अधिकारियों के साथ जा-जाकर बैठक कर चुके हैं। लगातार हमारा प्रयास जारी है और अब पिछले एक सप्ताह से कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कम से कम 12 हजार मीट्रिक टन से लेकर 18 हजार मीट्रिक टन डी0ए0पी0 हमको रोजाना प्राप्त न हो रहा हो। स्थिति हमने सुधारने का पूरा प्रयास किया है। जहां तक ब्लैक की बात है मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की बहुत सी सहकारी समितियां डिफेक्ट है। जहां सहकारी समितियां बकायेदार हैं वहां मान्यवर, निश्चित रूप से हमको प्राइवेट सेक्टर में भी खाद की आपूर्ति करानी पड़ती है क्योंकि यदि प्राइवेट सेक्टर में खाद नहीं होगी तो जिन सहकारी समितियों को खाद की आपूर्ति नहीं होती उन क्षेत्र के किसानों को खाद मिल नहीं सकती। लेकिन इसके बावजूद भी हमने अधिकांश पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों को और पी0सी0एफ0 को ही खाद दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि सदन के भीतर से हम पत्रकार दीर्घा को कागज का लेन-देन नहीं कर सकते।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, खन्ना जी तो कुछ विशेष अधिकार प्राप्त सदस्य हैं, ब्रह्मचारी भी हैं। तो मान्यवर, मैं यह अनुरोध कर रहा था कि प्राइवेट सेक्टर में भी इसलिये दिया जाता है कि सभी सहकारी समितियों को खाद नहीं दिया जाता। मैं सही रिकार्ड तो आज नहीं बता सकता हूं लेकिन इतना कह सकता हूं कि प्रदेश में माननीय खन्ना जी के जिले में ही अब तक 5 एफ0आई0आर0 दुकानदारों के खिलाफ हो चुकी है और उनकी दुकानें सील भी हो चुकी हैं। जहां अमानक डी0ए0पी0 मिला है, जहां ब्लैक में बेचने की बात है अब तक कम से कम सौ दुकानें मान्यवर, प्रदेश में सील की जा चुकी हैं। एफ0आई0आर0 की जा चुकी है पूरा प्रयास हमारा यह है कि हम डी0ए0पी0 खाद को ब्लैक में बिकने नहीं देंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से आई0पी0एल0 के एम0डी0 और आई0पी0एल0 के अधिकारियों से अनेक बार सम्पर्क स्थापित किया है मैं इतना कह सकता हूं और मैंने सदन में स्वयं घोषणा की थी कि अबकि हम डेढ़ लाख मीट्रिक टन का भण्डारण पहले ही डी0ए0पी0 का करेंगे। अब डेढ़ लाख का बढ़ाकर कैबिनेट से साढ़े 4 लाख का प्रस्ताव कर दिया गया लेकिन चूंकि खाद उपलब्ध नहीं है इम्पोर्ट होता है खाद। इसलिये मैं तो तिवारी जी से कहना चाहूंगा वह चले गये, केन्द्र में उनकी सरकार बैठी है, हम तो एडवांस पैसा दे रहे हैं, हम कोई उधार थोड़े ले रहे हैं। हम तो आज भी एडवांस पैसा देने को तैयार हैं। तिवारी जी यदि उपलब्ध करा दें प्राइम मिनिस्टर से कह करके। वहां तो उनकी कांग्रेस की सरकार है। प्रदेश में यदि इस तरह की स्थिति उनको कहीं महसूस हो रही हो तो जितना वह खाद दिलवा सकें, हमारी सरकार तो एडवांस पैसा देने को तैयार है। मैं इतना कह सकता हूं जैसा माननीय सदस्य सिकन्दराराऊ ने कहा, महिलाओं के प्रति वह बड़े संवेदनशील हैं। इसलिये वह भी खन्ना जी के ही छोटे भाई हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलायें खाद लेने तो नहीं जाया करती है लेकिन सिकन्दराराऊ में लेने चली गयी हों तो बात अलग है। लेकिन यदि इस तरह की कहीं घटना हुयी है तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी वरिष्ठ मंत्री हैं हमारी सरकार के, निश्चित रूप से यदि इस तरह की कोई बात हुयी है तो वह उसकी जांच करायेंगे और मैं इतना कह सकता हूं कि यदि किसी जिले में या किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र में खाद की आपूर्ति की बहुत आवश्यकता हो, वैसे तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन यदि कहीं कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हो तो उसके लिए हम तैयार हैं और यदि कोई बहुत ही शीघ्रता की बात होगी तो हम वहां और जल्दी खाद उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। किसी भी कीमत में खाद ब्लैक में नहीं बिकने देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कृषि मंत्री जी ने दो बार हमारा नाम लिया है, मान्यवर, यह देश और प्रदेश कृषि मंत्री जी का बहुत-बहुत आभारी है कि इन्होंने तमाम देश और प्रदेश की समस्याओं को सुलझाने में बहुत

सहयोग दिया है। आबादी बढ़ाने में जितना सहयोग माननीय कृषि मंत्री ने दिया है शायद हमारे मंत्रिमण्डल में कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा, जिसने उनके बराबर दिया हो।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय खन्ना साहब की जमीन बिल्कुल पानी से भीगी रहती है और उपजाऊ नहीं है। मैंने इनकी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए अपने विभाग से 12 किलोमीटर लम्बा नाला दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, माननीय प्रदीप जैन "आदित्य" जी, माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय यशपाल सिंह चौहान जी को सुना।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह विषय कार्य-स्थगन का तो नहीं था क्योंकि कार्य-स्थगन में तीन इश्यू थे लेकिन फिर भी आपने अनुमति दिया है और माननीय गन्ना विकास मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री यहां पर हैं तो दोनों लोगों की बात भी आ जाए और जो इश्यू आये हैं उनका उत्तर भी आ जाए।

(इस समय 3 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपको बाद में मौका मिल जाएगा।

ऊर्जा एवं ग्रामीण समग्र विकास मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 हुकुम सिंह जी ने, मा0 खन्ना साहब ने और मा0 प्रमोद तिवारी जी ने बिजली के संकट के बारे में कुछ प्रकाश डाला है। मैं इस बारे में आपके माध्यम से मा0 हुकुम सिंह जी और खन्ना साहब को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें रहीं जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार साढ़े तीन साल रही, तमाम ढिंढोरा पीटते रहे, यहां से भाषण देते रहे लेकिन साढ़े तीन साल में साढ़े तीन मेगावाट का भी पावर हाउस लगाने का काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया और मा0 हुकुम सिंह जी भी ऊर्जा मंत्री रहे हैं, इनके शासनकाल में भी एक मेगावाट का भी पावर हाउस नहीं लगाया गया। वर्ष 2002 में हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पारीछा में 420 मेगावाट का एक पावर हाउस लगाया था जिसकी एक इकाई काम करने लगी है और दूसरी इकाई भी काम करने लगी थी लेकिन कुछ कमी हो गई थी, वह भी 10-12 दिन में काम करना शुरू कर देगी। पिछले साल जो बजट था वह तैंतालीस सौ तीस करोड़ रुपये का बजट था। इस वर्ष हमारी मुख्य मंत्री जी ने ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को स्वावलम्बी बनाने के लिए इस बजट को बढ़ा करके नौ हजार दो सौ नौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और उसका नतीजा यह हुआ है कि मात्र पांच महीने में मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार पारीछा में पांच सौ मेगावाट का पावर हाउस बनाने का काम शुरू हो चुका है और हरदुआगंज में जो डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में है, वहां पर भी पांच सौ मेगावाट का पावर हाउस बनाने का काम शुरू हो चुका है और पिछले दिनों अनपरा-डी में एक हजार मेगावाट का पावर हाउस लगाने के लिए बी0एच0ई0एल0 को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं

और इसी पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश बिजली के क्षेत्र में स्वावलम्बी हो जाए, इसलिए कम से कम 10 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन की हमारी योजना है, उसके लिए हम प्रयासरत् हैं। समस्या यह है कि पिछली सरकारों ने पिछले 15-16 सालों में एक भी पावर हाउस लगाने का काम नहीं किया है और बड़े पैमाने पर पिछले दिनों, साढ़े तीन चार साल में बिजली का दुरुपयोग हुआ है, चोरी हुई है, हजारों करोड़ रुपये पावर कारपोरेशन को घाटा है उसे दूर करने के लिए हम लगातार लगे हुये हैं। जब बहिन जी ने ऊर्जा विभाग मुझे दिया था उस वक्त 500 करोड़ रुपये का राजस्व आता था। आज हम उसे पौने सात सौ करोड़ पर ले आये हैं।

मान्यवर, 1100 करोड़ रुपये में हम सेण्ट्रल सेक्टर से व उत्पादन निगम से खरीदते हैं, 400, 500 करोड़ रुपये हर महीने का घाटा हो रहा है, उसको दूर करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। जहां तक ट्यूबवेल की बात कही है, 43 हजार रुपये प्रति टयूबवेल की गवर्नमेण्ट से सब्सिडी मिलती थी, इसमें यू0पी0पी0सी0एल0 लगातार घाटे में जा रहा है। पिछले तीन साल से लगातार विद्युत नियामक आयोग ने यह कहा है कि कुल 72 हजार खर्च आता है, इसको बढ़ा दिया जाए, इस चक्कर में विलम्ब हुआ है। इसको जल्दी ठीक कर रहे हैं और जहां तक ट्रांसफार्मर बात है ट्रांसफार्मर हर जगह उपलब्ध है। जहां तक मुजफ्फरनगर की बात है, कोई समस्या है तो व्यक्तिगत रूप से मैं आज ही देखूंगा अगर कोई ट्रांसफार्मर की समस्या या इस तरह की समस्या सुनने को मिलती है तो उसका समाधान हम कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है उनको दण्डित करने का काम कर रहे हैं लेकिन मांग और आपूर्ति में बहुत बड़ा अन्तर है और हमारा उत्पादन 2500 से 3000 मेगावाट है। सेण्ट्रल सेक्टर से हमें 3500 मेगावाट बिजली मिल नहीं पाती है। हम पिछले 10-12 दिन से 1500 मेगावाट बिजली सेण्ट्रल सेक्टर से 6 से 7.50 रुपये में हम खरीद रहे है। पिछले 3-4 सालों में जो विद्युत सप्लाई थी उससे बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा किया है। हम किसानों को पूरी बिजली देने का प्रयास कर रहे है, उद्योगपतियों को पूरी बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मांग और आपूर्ति में बहुत बड़ा अन्तर है उसे ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा।...

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, गन्ना के सम्बन्ध में जो भी बातें माननीय हुकुम सिंह जी ने, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने, माननीय खन्ना जी ने रखी हैं उसको मैंने नोट किया है। मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा है कि अन्तिम भुगतान की तिथि 31 अगस्त रखी गयी थी, यह सही है। जो मिल हैं, उन मिलों को अन्तिम भुगतान की तिथि 31 अगस्त दी गयी थी और इतना ही नहीं मा0 हुकुम सिंह जी भी इस बात के गवाह हैं कि बहिन कु0 मायावती जी की सरकार कितनी गम्भीर है किसानों के प्रति। मैं स्वयं आपके जिले में गन्ना किसानों के भुगतान के सम्बन्ध में तीन बार गया हूं, मेरठ में चार बार गया हूं, सहारनपुर में तीन बार गया हूं, बागपत भी गया हूं। इधर मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, फैजाबाद, गोरखपुर में गया हूं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में स्वयं गया और अपने अधिकारियों को ले करके चाहे प्रशासन के प्रमुख सचिव जी हो, गन्ना आयुक्त हो या दूसरे, एम0डी0 हों, हर हफ्ते किसी न किसी को भेजने का काम किया हैं हम मानते हैं कि समस्या है, आप भी मानते हैं कि समस्या है और उस

बात को दोहराने से कोई फायदा नहीं कि समस्या हमें विरासत में मिली है, हमारी पैदा की हुई नहीं है। इसको छोड़कर भाग जाएं यह सवाल ही नहीं है। सरकार इससे निपटेगी और निदान निकालेगी। जिन मिलों ने कमिटमेंट करने के बाद 31 अगस्त तक भुगतान नहीं किया उन 64 चीनी मिलों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने आर0सी0 जारी की है केवल आर0सी0 ही जारी नहीं की, उसके बाद निरन्तर हर चीनी मिलों के मालिकों पर दबाव बनाते रहे।

इस सरकार के ऊपर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि चीनी मिल मालिकों को भुगतान न करने के लिए छूट दी गयी है, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। बहन कुमारी मायावती की सरकार गन्ना किसानों के हितों के लिए गम्भीर है। इतना ही नहीं इनका भुगतान कराने के लिए जब यह देखा कि दिक्कत हो रही है तो मिल मालिकों से हमने बात की उन्होंने बताया कि हमें ऋण नहीं मिल रहा है। बैंक हमें ऋण नहीं दे रहे हैं हमने कहा कि क्यों नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि चीनी के मूल्य बहुत घट गये हैं। उनके अनुसार लागत 1700 रुपये प्रति कुंतल है और बिक रही है, 1200 रुपये प्रति कुन्तल। उसके बाद हम चार बार भारत सरकार में गये बहन कुमारी मायावती जी ने भारत सरकार में पत्र लिखा और प्रधान मंत्री जी से भी फोन पर बात की। मैं भारत सरकार में जाकर केन्द्रीय मंत्री मा0 प्रणव मुखर्जी से मिला, केन्द्रीय कृषि मंत्री मा0 शरद पवार से मिले एक बार नहीं कई बार कि किस तरह से भुगतान हो। मैं अभी निजी क्षेत्र की बात कर रहा हूं। भारत सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और बफर स्टाक जो होता है उसके अन्तर्गत अग्रिम ब्याज जो होता है उसके तहत लगभग एक हजार 50 करोड़ रुपये लोन देने की स्वीकृति प्रदान की। यह कैबिनेट में पास हो गया है, भारत सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया हमें उम्मीद है कि सप्ताह दस दिन में पैसा आ जाना चाहिए यह निजी मिलों के लिए है। हम चाहेंगे कि एक-एक पैसा किसानों का भुगतान हो जाए। जहां तक भुगतान का सवाल है आज 31 अक्टूबर है तो पिछले वर्ष इस तारीख तक लें, उसकी तुलना में इस वर्ष डेढ़ गुना अधिक भुगतान किया गया है। मैं मानता हूं कि भुगतान शेष है लेकिन सदन में सदस्यों ने जो बताया किसी ने बताया कि तीन हजार करोड़ रुपये बकाया है। किसी ने ढाई हजार करोड़ बताया, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि निजी क्षेत्र की मिलों पर 1074.43 करोड़ रुपये बकाया है यह 29 तारीख तक की स्थिति हैं सहकारी चीनी मिलों पर 183.04 करोड़ रुपया बकाया है। निगम की चीनी मिलों पर 154.94 करोड़ रुपया बकाया है। टोटल बकाया है 1412.41 करोड़। उत्तर प्रदेश की जो हमारी सहकारी और निगम की चीनी मिलें हैं उनके भी भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। हमें पूरा भरोसा है कि 15 नवम्बर तक किसानों का शत प्रतिशत भुगतान कराने में कामयाब होंगे। ब्याज की बात कही गई। श्री हुकुम सिंह जी हमसे उम्र में बड़े हैं सीनियर सदस्य हैं संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। माननीय हुकुम सिंह भी जानते हैं कि बहिन कुमारी मायावती जी की ही यह पहली सरकार है, इससे पहले किसी सरकार ने एक पैसा भी गन्ना किसानों को ब्याज देने का काम नहीं किया। आप भी जानते हैं यह पहली सरकार है जिससे बहिन मायावती जी के निर्देश पर गन्ना किसानों को ब्याज देने का काम कर रही हे। आपने पेनाल्टी की बात कही। आप खुद जानते हैं कि पेनाल्टी लगाना सम्भव है कि नहीं। आप सहमत हैं लेकिन आपको अपनी बात कहनी है हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे।

जहां तक गन्ना मूल्य की बात है। मान्यवर, मैंने आपकी अनुमति से घोषणा की है। आपने यह भी कहा कि जो बाई प्रोडक्ट है, साइड में जो दूसरा प्रोडक्शन होता है उसको ध्यान में रखते हुए गन्ना मूल्य निर्धारित किया जाता है। यह कार्य भारत सरकार करती है, प्रदेश सरकार भी करती है यह एस0एम0पी0 और एस0एल0पी0 के तहत होता है। मान्यवर, जो आज की स्थिति हैं हमें एक तरफ दक्षिण भारत के जो प्रान्त हैं उनसे कम्प्टीशन करना है। हमारे कम्प्टीशन है, चीनी के बारे में। हमारा जो गन्ना है उसकी रिकवरी क्या है ? साढ़े नौ परसेन्ट या पौने दस परसेन्ट लेकिन दक्षिण में महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में यह रिकवरी साढ़े ग्यारह परसेन्ट है। अब यह वहां की सॉयल या जलवायु जो भी कारण हो। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको बढ़वायें। इसकी उत्पादकता भी बढ़ायें और इसके साथ ही साथ इसकी रिकवरी भी बढ़ायें। इसके लिये हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं यह तो भारतवर्ष की बात हो गयी। भारत के बाहर माननीय हुकुम सिंह जी भी जानते हैं, मा0 टण्डन जी भी जानते हैं, कौकब साहब भी जानते हैं सभी माननीय सदस्य जानते होंगे कि ब्राजील में जो चीनी का उत्पादन हुआ है उससे पूरे विश्व में चीनी की बाढ़ आ गयी है। आज हमको वहां भी कम्प्टीशन करना है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं ऐसी स्थिति में जो भी चीनी मूल्य घोषित किये गये हैं मुझे तो उम्मीद थी कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में जो मूल्य घोषित किये गये हैं उसके लिये पूरा सदन बहिन मायावती जी को धन्यवाद देगा। लेकिन उस पर भी सवालिया निशान है। जहां तक फैक्ट्री चलाने की बात है। फैक्ट्री चलाने के लिये हमने सभी चीनी मिल मालिकों के साथ मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद हमने उन्हीं की जबां से आश्वासन लिया है और मान्यवर एक-एक चीनी मिल ने हमको आश्वस्त किया है। यह एक सूची मेरे पास है कहिये तो मैं पढ़कर सुना दूं या फिर आप सब सदस्यों को उपलब्ध करा दूं। ठीक है, मैं सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दूंगा। इन चीनी मिलों को सख्ती के साथ कहा गया है कि जो तिथि आपने बताई है उन तिथियों पर यदि यह चीनी मिल नहीं चलेंगी तो फिर यह सरकार आपको गिरफ्तार करके जेल भेजने में हिचकिचायेगी नहीं।

मान्यवर, किसानों का हित सर्वोपरि है और हम इससे कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी कोशिश है कि जो तिथियां उन्होंने दी हैं उससे पहले चीनी मिलें चल जायं लेकिन यह चीनी मिल नवम्बर माह से चलनी शुरू हो रही हैं। 2 नवम्बर से सबसे पहले मोदी चीनी मिल चलेगी। फिर क्रमशः 11 और 15 नवम्बर से चलेंगी। एक चीनी मिल सठियांव जो कि 25-12-2007 को चलाने का आश्वासन दिया गया है। इसको छोड़कर बाकी सब चीनी मिलें नवम्बर माह में चल जायेंगी। मान्यवर जिस तरीके से गन्ना किसानों के लिए मान्यवर हमारी सरकार का प्रयास है उसकी सराहना होनी चाहिए थी इधर कलैन्डर की बात कही कई कलैन्डर का मतलब यही था जो मैंने अभी बता दिया। लेकिन पहली बार मान्यवर, बहन मायावती जी की सरकार ने पहली बार एक कलैन्डर बनाया (शोर) क्या कुछ नाम लेने में तकलीफ होती है क्या ?

श्री हुकुम सिंह-

याद दिला रहे थे आपको, आपने कह दिया तो उनकी बात पूरी हो गई।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, एक तरफ गन्ना सर्वे खतौनी मिलान एवं फ्री कलैन्डर का वितरण जो हमारे गन्ना किसान बन्धुओं को किया गया है उनको पूरा उसमें एक ट्रेनिंग सी है कब उनको क्या करना है कब गन्ना बोना है, कब खाद देना है, कब बीज डालना है ? कब पानी देना है पूरा कलैन्डर बना करके और इसके साथ-साथ प्रत्येक गन्ना कृषक के राजस्व अभिलेख जिला प्रशासन के सहयोग से एकत्र कराये गये हैं जिन पर कृषकों के पास राजस्व अभिलेखों ने भूमि अंकित नहीं थी अथवा कम भूमि होते हुए भी आगे गन्ना पड़ताल करते थे उनके गन्ना सर्वे को तद्नुसार राजस्व अभिलेखों के अनुरूप किया गया जिसमें बहुत बड़ी संख्या में फर्जी सट्टे समाप्त कर दिए। इसी तरह से मान्यवर, आगामी पेराई सत्र के लिए जो किए गए सर्वेक्षण हैं उनका शत-प्रतिशत किसानों के राजस्व अभिलेख में अंकित करना, अंकित गन्ना क्षेत्रफल से मिलान कराया गया और अनियमित पाए गए। सट्टों को संशोधित कराकर वास्तविक भूमि धारक कृषक को राजस्व भू-अभिलेख में अंकित सीमा के अन्दर ही सर्वे अंकित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस तरह से मान्यवर, यह काफी लम्बा है अगर मा0 सदस्य चाहेंगे तो यह भी मा0 सदस्यों को उपलब्ध करा दूंगा जो पहली बार व्यवस्था की गई एक बात यह भी आई है गन्ना माफिया बीच में दो पर्ची, चार पर्ची लेकर चले जाते हैं। उसके लिए भी मान्यवर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है कि कहीं भी गन्ना माफियाओं के लिए जगह न हो जब प्रदेश में माफियाओं के लिए जगह नहीं तो गन्ना माफिया कैसे बच जाएंगे। पेराई सत्र में मिल संचालन की तैयारी के बारे में पूरी तरह से एक-एक मिल मालिक को बुलाकर मिलों की मरम्मत क्या पोजीशन, चलाने योग्य कैसे बनाएं, फिर उसके निरीक्षण के लिए हमने अपने अधिकारियों को भेजा।

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सरकार पूरी तरह से गन्ना किसानों को जो भी सम्भव सहूलियत है उसको देने को तैयार है और गन्ना मिलें चलने को तैयार हैं। इधर जो अक्टूबर में चीनी मिलें चलनी चाहिए थीं वह नवम्बर में चल रही हैं उसका बहुत बड़ा कारण है पिछले वर्ष या उससे पहले के वर्षों में दीपावली का त्यौहार अक्टूबर में हो जाता था और दीपावली के त्यौहार के बाद यह मिलें चलती थीं। कारण थोड़ा यह भी है आगे जाने का कि जो डेली वेजेज पर सीजनल मजदूर होते हैं वह दीपावली पर दो, चार दिनों के लिए मिलें चलेंगी फिर चार दिन के लिए मजदूर चले जाएंगे। मिल मालिकों ने साफ तौर पर यह कहा कि इसमें हमें भारी दिक्कत है। दीपावली के कारण नवम्बर में चला पाएंगे। इसलिए नवम्बर में चल रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गन्ना किसानों का गन्ना चीनी मिलें नहीं उठाएंगी एक-एक गन्ना जब तक किसान का खेत में रहेगा, मिल में नहीं पहुंचेगा, तब तक यह चीनी मिलें चलती रहेंगी किसी भी कीमत पर मिलें बन्द नहीं की जाएंगी। इसलिए जहां तक गन्ना किसानों की बात है, मैंने पूरी तरीके से बात रख दी है। मैं समझता हूं कि सदस्यगण संतुष्ट होंगे। इधर नहरों की जो बात आई है, उसके सम्बन्ध में बताना चाहूंगा। यह सही है कि वर्षा कम होने के कारण कई बन्धों में पानी कम है। बुन्देलखण्ड में अधिक समस्या है। उधर मथुरा-आगरा मण्डल भी है, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी इलाका है, पूरब को छोड़कर बाकी सभी जगह लगभग प्राब्लम है। पूरब में बनारस मण्डल में हो सकती है। मैं यह कहना चाह रहा हूं, यह सही है कि वर्षा कम होने के

कारण परेशानी है लेकिन हमारा प्रयास है कि किसानों की सहभागिता से आपस में बैठकर, जो पानी है, किसानों के बीच में जाकर हमारे अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं ताकि उनकी सहभागिता से इस तरीके से व्यवस्था कर दी जाए कि जितनी भी उपलब्धता है, उसका सही उपयोग कैसे करें ? मान्यवर, मैं हर जिले में 2, 3, 4 रजबहा की बात नहीं करता हूं, कोशिश की गई है कि अधिकतर जगह पानी पहुंचे। यदि बन्धों में पानी उपलब्ध है, हमारा प्रयास होगा कि जो भी हमारे पास संसाधन हैं, उससे पूरी व्यवस्था है, उससे पूरी व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड की नहरों में भी पानी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि उपलब्धता के आधार पर कोशिश कर रहे हैं। कौकब साहब, पूरी बात आ गई है, इस पर अब स्पष्टीकरण की कोई बात नहीं है।

मैंने इस सूचना पर श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री यशपाल सिंह चौहान, मा0 गन्ना मंत्री, मा0 ऊर्जा मंत्री और मा0 कृषि मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती। अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

दूसरी सूचना उत्तर प्रदेश के विशाल आकार को देखते हुए उसको चार भागों में बांटने के सम्बन्ध में श्री कौकब हमीद, डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर, श्री पूरन प्रकाश, श्री कादिर राणा, चौ0 सतपाल सिंह, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री विमलेश सिंह, श्री मदन भैया और श्री पंकज मलिक की है।

*श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हो, विभाजन हो। यह महत्वपूर्ण इसलिये है कि 17 18 करोड़ का यह प्रदेश है, इसको चलाना नामुमकिन हो गया है। मैं किसी को इंगित नहीं करना चाहता हूं, इसकी व्यवस्था कोई भी नहीं कर पा रहा है। इसलिये यह जरूरी हो गया है कि अब प्रदेश का बंटवारा हो जाए और अच्छी बात यह है कि पूरा सदन एक चौथाई को छोड़कर इस समर्थन में है कि छोटे राज्यों के बारे में इस पर प्रस्ताव आ जाए और पुनर्गठन हो जाय, मान्यवर,। तीन चौथाई सदन तकरीबन तैयार है। जो नहीं कह पा रहे हैं, मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा है अभी तो हम लोग कोई नहीं कह पा रहे हैं और मान्यवर, जब यह सब तैयार हो गया है तो कोई बजट नहीं है कि प्रदेश का बंटवारा न हो तरीका मान्यवर, जो भी बने। मान्यवर, यह मांग कोई पहली नहीं है। लंदन में वर्ष 1930 में भाई प्रभुनंद जी ने यह बात उठायी थी। डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने सुझाव रखा कि पश्चिमी जिलों को तैयार करके एक अलग राज्य बनना चाहिए। 1953 में जब पहला राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो चौधरी चरण सिंह जी ने 96 एम0एल0ए0 लेकर वहां एक प्रतिवेदन दिया। 1977 में उनका जो घोषणा-पत्र था उसके अन्दर जनता पार्टी ने घोषणा-पत्र में इसकी घोषणा की और हम लोग तकरीबन 9-10 साल से राष्ट्रीय लोकदल इसके लिये एकमत हैं ही और हम लोग यहां पर कई बार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके सम्बन्ध में प्रस्ताव ला चुके हैं और यह खुशी की बात है कि आज पूरा सदन यह मान गया है। जो लोग अपने-अपने क्षेत्र से जीतकर आये आते हैं वह यह मान गये हैं कि यह जरूरी ही नहीं बल्कि आवश्यक है कि इस राज्य का पुनर्गठन हो और अलग प्रदेश बनाये जायें। मान्यवर, वजह क्या है ? मान्यवर, जहां तक इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका रख-रखाव है, लॉ एण्ड आर्डर है वह आपके चाहते हुए भी इतनी बड़ी जनसंख्या में चला पाना नामुमकिन हो गया है। वह हो ही नहीं सकता। आई0 जी0 एक हुआ करता था, फिर आपने ए0डी0जी0, डी0जी00 आई0जी और न जाने कितने एस0पी0, एस0एस0पी0 कर दिये। हर पार्टी ने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन बात बन नहीं रही है। इसलिये अगर अलग-अलग प्रदेश बन जायेंगे तो आप और बेहतर तरीके से उसके लॉ एण्ड आर्डर को सम्भाल सकेंगे।

मान्यवर, औद्योगिक विकास लगभग ठप्प हो गया है कोई माने या न माने। राजनीतिक वजहों से हम लोग कुछ भी कहने लगे लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हो पा रहा। फैक्ट्रियां हरियाणा, पंजाब, गुजरात चली जाती हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं आ पातीं। यहां सिफ आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा बनाया। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि जो औद्योगिक क्षेत्र नोएडा में बना था वह खत्म होकर अब सिर्फ रेजीडेंसियल रह गया है। जो ग्रेटर नोएडा है वह औद्योगिक क्षेत्र नहीं बन पाया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मुख्य वजह है वह है जनसंख्या। इतनी बड़ी जनसंख्या में लॉ एण्ड आर्डर नहीं बन पाता है। और जब वह नहीं बनता तो आप सारी कोशिशों के बावजूद कैसे किसी उद्योगपति को यहां पर निवेश करने के लिये लाएं। आप अगर प्रति व्यक्ति आपके आंकड़े देखें तो पायेंगे कि उत्तर प्रदेश में 4,280, पंजाब में 10,856, हरियाणा में 9,609, महाराष्ट्र में 2,277 और गुजरात में 7,586 हैं। हम लोग इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसकी बेहतरी के लिये इसके टुकड़े हो जायेंगे और अलग-अलग प्रदेश बन जायेंगे। यह सबके लिये कामयाबी होगी। अगर इस सदन के अन्दर आप यह प्रस्ताव लाते हैं तो यह सदन का इतिहास बनेगा।

मान्यवर, जो साक्षरता का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश का 41,6 प्रतिशत, केरल का 90 प्रतिशत, महाराष्ट्र का 64.9 प्रतिशत तथा पंजाब को 58.5 प्रतिशत है। तो यहां पर पढ़े-लिखे लोगों की संख्या भी बहुत कम हो रही है। जो यहां पर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं वह 32 प्रतिशत हैं। पंजाब में सात प्रतिशत, हरियाणा में 12 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत हैं एवरेज पूरे हिन्दुस्तान का है, उससे ज्यादा हम हैं। हमारे दिल के अन्दर यह अहसास नहीं आना चाहिए कि आज जरूरत है, समय की जरूरत है, वक्त की जरूरत है। यह आप छोड़ दीजिए कि पालिटिकली एचीवमेंट किसे मिलेगा कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्य मंत्री बनेगा, यह अलग चीज है। एक बेहतर जिन्दगी व्यतीत करने का तरीका है नौजवानों की भर्ती, उनकी नौकरी, उद्योग बेहतर जिन्दगी,बिजली मिले, खाद मिले, कानून व्यवस्था अच्छी हो यह तभी हो पायेगा जब हम इसका पुनर्गठन करेंगे, अलग बनायेंगे। मान्यवर, जहां तक हरित प्रदेश का सवाल है, उसके नाम पर कहते हैं कि उसके हाईकोर्ट का जिक्र बहुत दिनों से चल रहा है कि एक बैन्च होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, सहारनपुर जो कि एक कोना है वहां से इलाहाबाद का रास्ता एक हजार किलोमीटर से ज्यादा है, पाकिस्तान लाहौर का तीन सौ किलोमीटर

पर हाईकोर्ट, दूसरी मुल्क का, यह नौ सौ किलोमीटर पर, तो क्या जरूरत नहीं है। सहारनपुर से इलाहाबाद आने के लिये डेढ़ दिन लगते हैं। डेढ़ दिन आना डेढ़ दिन जाना और एक दिन पेशी में चार दिन लग जाते हैं। यहां आपने इलाहाबाद में बना दिया, लखनऊ में बना दिया। वहां तो सवेरा है। मैंने यह सारी चीजें जो बतायी हैं इस बात को ठोस बल देती है कि इसका पुनर्गठन होना चाहिए। इसको तीन हिस्से में बांट दें, एक बन ही चुका है जिससे एक बेहतर अच्छा प्रदेश बने। जहां पर बिजली हो, पानी हो, खाद हो, गन्ने के दाम भी लोगों को अच्छे मिलें। छोटा प्रदेश अगर होगा तो बेहतर होगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

*डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं सर्वप्रथम छोटा प्रदेश पर बोलने के लिये, इसके विभाजन के लिये आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद देता हूं। मैं एक दो बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जो हम छोटे प्रदेश की बार-बार बात कर रहे हैं तो वह ऐसा कोई छोटा प्रदेश नहीं बनने वाला है। आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश, दुनिया के आठ देश इसके लेविल पर हैं, जो उत्तर प्रदेश का है। विभाजन होने के बाद हरित प्रदेश और पूर्वांचल इसके दो हिस्से होंगे वह राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के करीब-करीब बराबर होंगे। मान्यवर, मैं पंजाब, हरियाण या उत्तरांचल की बात नहीं कर रहा हूं। यह अपने आप में छोटा प्रदेश, प्रदेश विभाजन के बाद भी इस स्तर का होगा कि हमारा यह प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार जितना होगा। मान्यवर, यह युवाओं में, हमारी आने वाली पीढ़ी से जिनकी चिन्ता के लिये हम सब लोग अपने क्षेत्र से चुन कर आते हैं इस सदन में अनेक तरह की बहस करते हैं। हम इन सब आने वाले युवाओं के लिये आने वाली पीढ़ी के लिये हम सब उनके उज्ज्वल भविष्य के लिये प्रदेश के चार हिस्सें के रूप में बुन्देलखण्ड, रुहेलखण्ड, पूर्वांचल और हरित प्रदेश के रूप में इस प्रदेश का विभाजन चाहते हैं क्योंकि प्रदेश के मुखिया ने अभी थोड़े दिन पहले अपने सम्बोधन में कहा था तो वह इस प्रस्ताव को लायें और इस सदन से पास कराकर केन्द्र सरकार के पास भेजने का काम करे। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हरित प्रदेश के हिस्से से देश की राजधानी जाने के लिये केवल दो से चार घण्टे लगते हैं, राजस्थान की राजधानी को जाने के लिये तीन और चार घण्टे लगते हैं, हरियाणा, पंजाब और चण्डीगढ़ की राजधानी को जाने के लिये हरित प्रदेश के लोगों को केवल चार घण्टे लगते हैं, हिमांचल प्रदेश की राजधानी को जाने के लिये केवल चार घण्टे लगते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आने के लिये हमारे यहां का आदमी चार दिन पहले प्रोग्राम बनाता है, रेल के रिजर्वेशन की तैयारी करता है, इलाहाबाद जाने के लिये तो वह अनेकों बार सोचता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, आपकी सारी बात आ गई।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, हम आपके द्वारा इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रूप में हरित प्रदेश पूर्वांचल बुन्देलखण्ड और रूहेलखण्ड के रूप में यह अलग प्रदेश बनाने की मांग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हैं। इसके साथ-साथ एक बात और कहनी रह गई है। मान्यवर, प्रदेश में 70 जिले हैं। मान्यवर, डी0एम0, एस0पी0, एस0डी0एम0, सी0ओ0 के शायद अधिकतर सदस्यों को उत्तर प्रदेश के 70 जिलों के डी0एम0 और एस0एस0पी0 के नाम नहीं पता होंगे बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि सभी 70 जिलों के नाम ही नहीं पता होंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से 70 जिले हैं। हो सकता है कि याद करने पर नाम पता चल जायें लेकिन अगर सीधा-साधा नाम लेना शुरू करें तो ए, बी, सी, डी की तरह सभी 70 जिलों के नाम सुनाने मुश्किल हैं। डी0एम0 और एस0एस0पी0 के नाम सुनाने तो बहुत कठिन है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(तीन-चार सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने के प्रयास में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा नहीं हो रही है, केवल ग्राह्यता पर ही बोलना है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय कौकब साहब, दो लोग हैं केवल एक आदमी दो मिनट के लिये अपनी बात कह लें। आप चयन कर लें कि किसको बोलना है। अगर आप छोटा प्रदेश बनाना चाहते हैं तो दो में से केवल एक सदस्य बोल दें तो वह अपने आप छोटा हो जायेगा।

*श्री पंकज कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान सदन के माध्यम से पश्चिमांचल राज्य के गठित किये जाने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा गत दिनों उत्तर प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में घोषणा की गई थी यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित में है। मान्यवर, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली मण्डलों को मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गठन किया जाय इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास त्वरित गति से होगा। मान्यवर, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बगल में दो प्रदेश है उत्तरांचल प्रदेश और हरियाणा प्रदेश, मान्यवर, वहां के किसान में हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान में जमीन आसमान का अन्तर है। मान्यवर, वहां दोनों प्रदेशों में भी गन्ना होता है और पश्चिम में भी गन्ना होता है, उनको उनकी फसल का हमसे अच्छा बहुत अधिक उचित मूल्य मिलता है। लगभग 140-45 और हमें उससे बहुत कम। मान्यवर, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। हमारे क्षेत्र में प्रतिभायें होने के बावजूद उन्हें उचित स्थान नहीं मिल पाता, चूंकि मान्यवर, हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, अगर छोटा प्रदेश होता तो अपराध भी कम होंगे। हरियाणा और उत्तरांचल को देखा जाये तो उत्तर प्रदेश में उनसे चार गुना अपराध होते हैं। किसान की स्थिति बहुत दयनीय है, खिलाड़ी चूंकि प्रतिभा होने के बावजूद भी लोगों को उचित स्थान नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाता है इसलिए पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश उपेक्षित है पिछड़ा हुआ है। मान्यवर, मैं इस अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न पर पश्चिमांचल बनाने की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, एक मिनट के लिए इन्हें भी बोल लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है माननीय कौकब साहब जब इतना जोर दे रहे हैं तो आप एक मिनट में अपनी बात कह लें।

*डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 में इस सूचना पर समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में ही बोलते हुए आज की जो कार्यवाही है इस सदन की उसी में से कुछ चीजें निकाल कर लाया हूं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं और न इसे आरोप समझा जाये। इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा उसके लिए यही मुसीबतें खड़ी होगी। आज माननीय कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया कि डी0ए0पी0 की थोड़ी बहुत किल्लत जरूर है।

श्री अध्यक्ष-

प्रदेश के विभाजन सम्बन्धी प्रश्न की ग्राह्यता पर ही बोलें।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैं उसी पर ही बोल रहा हूं, हमारे मंत्री जी मथुरा जिले से आते हैं, मेरी तहसील, मेरी विधान सभा भी मथुरा जिले की बैंक से, कोआपरेटिव बैंक से फीड होती है। मथुरा जिले की कोआपरेटिव बैंक से हमारे यहां डी0ए0पी0 का एक कुन्तल माल भी उपलब्ध नहीं हो पाया और माननीय मंत्री जी को इस चीज की जानकारी भी नहीं है, कोई आरोप नहीं है मेरा यह, लेकिन यह सच है कि इस प्रदेश का इतना बड़ा आकार है, इतना बड़ा काम इन लोगों को करना पड़ता है कि छोटी-छोटी बातों की तरफ भी ध्यान नहीं दे सकते। छोटे सूबे के अन्दर यह चीजें सम्भव नहीं होती। माननीय ऊर्जा मंत्री यहां से चले गये हैं, बिजली व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छा बोले, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं मैं उन्हीं के जनपद से आता हूं, मेरे क्षेत्र के अन्दर मेरी तहसील में मई सब स्टेशन है जिसमें सिर्फ एक लाइन मैन कार्यरत था और उस लाइन मैन का भी तबादला करा दिया गया, बताइये वह सब स्टेशन कैसे चलेगा ? प्राइवेट लोग उस सब स्टेशन को चला रहे हैं। किसी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं लेकिन यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस सूबे का आकार इतना बड़ा है कि इसमें प्रशासनिक मशीनरी पर राजनीतिक लोगों की इस सदन की और सरकार की पकड़ नहीं बन पाती। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और इस विषय पर विस्तृत चर्चा की मांग करता हूं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग, अगर उनका एक शब्द निकलता है तो उससे अनेकों समस्यायें पैदा होती है, यह हरित प्रदेश की मांग मर चुकी थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कौकब हमीद-

जिन्दा है मान्यवर।

श्री लालजी टण्डन-

न यह व्यवहारिक है और न हम इसके पक्ष में हैं। हरित प्रदेश की जब मांग उठ रही थी उसी समय आज समाजवादी पार्टी के उप नेता ने यह कहा कि यह तो मुस्लिम प्रदेश होगा। क्या हम यह सदन एक बार फिर यह दुर्दिन देखेगा कि मजहब के आधार पर राज्यों का गठन हो।

(राष्ट्रीय लोकदल के कई सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बातें कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त हो जायें, आपकी बात आ गई है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी के जाने या अनजाने में यह शब्द निकलने पर कि अगर केन्द्र सरकार चाहे तो यह सदन प्रस्ताव पास कर देगा।

तो मान्यवर, केन्द्र सरकार का व्यू भी सबको मालूम है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक विवाद खड़ा करना प्रदेश में, यह देश के हित में नहीं है। मान्यवर, जब एक नये राज्य का गठन होता है तो उसमें कितना बड़ा संघर्ष होता है। उत्तरांचल राज्य बना है, उसके लिये कितना बड़ा आन्दोलन चला।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय टण्डन जी आपकी बात आ गयी है।

आप लोग बैठ जायें। अपने विचार सबको कहने का हक है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह ग्राह्यता पर आप सुन रहे थे। इस पर चर्चा नहीं हो रही थी। और, जब चर्चा नहीं हो रही है तो इसको सीमित करने की कृपा करें। अभी तो इस बात को लिया जाना है कि यह ग्राह्य है या नहीं है। माननीय सदस्यगण इस पर चर्चा करने लगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको सीमित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सही कह रहे हैं।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, यहां पर हिन्दू-मुस्लिम का सवाल नहीं है। न कोई हिन्दू-मुस्लिम के बंटवारे की बात है। एक बेहतर जिन्दगी गुजारने के लिये प्रदेश का बंटवारा जरूरी है।

श्री अध्यक्ष-

भिन्न-भिन्न विचार आते रहते हैं। टण्डन जी अपने विचार रख रहे हैं।

(व्यवधान)

उन्होंने अपने विचार रखे हैं, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं ? माननीय टण्डन जी आपकी पूरी बात आ गयी है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मुझे पूरी बात कह लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जावें। यह तो अपने विचारों को कहने की स्वतंत्रता है।

(व्यवधान)

श्री लालजी टण्डन-

सदन में ऐसा कोई प्रस्ताव पास हुआ हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है।

श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, उदाहरण हैं।

श्री लालजी टण्डन-

ऐसा नहीं है कि किसी ने स्वयं अपने राज्य का बंटवारा करने के लिये कोई प्रस्ताव किया हो या भारत सरकार के पास उसे लेकर गया हो। राज्य पुनर्गठन आयोग होता है वह इन सब मामलों पर विचार करता है।

श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

वह नहीं है।

श्री लालजी टण्डन-

अगर नहीं है तो वह बनाया जाना चाहिये। और, फिर उसकी संस्तुति के आधार पर कोई विचार करना चाहिये। यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव ग्राह्य होने योग्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्यता पर जितना मौका दिया जा सकता था। वह दिया गया है। इसमें इतना मौका दिया गया कि यह चर्चा जैसे हो गयी।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य कोकब हमीद जी ने और उनके साथियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये अलग राज्य बनाने का एक मुद्दा यहां रखा है। बड़े विस्तार से उन्होंने बताया। मान्यवर, वह पुराने सदस्य हैं। मान्यवर, 1930 में बाबा साहेब ने यह बात टाबने में कही थी। कौकब साहब भी विदेश स्वयं गये हैं। इनके नेता तो लम्बे समय तक वहां रहे हैं। हो सकता है लन्दन में प्रस्ताव हुआ हो, यू0एस0ए0 में हुआ हो। अभी तो मैं एक शब्द भी बोला नहीं हूं, आप मुझे सुन लें। (व्यवधान) जब आप इस तरह से व्यवधान करेंगे तो पेट में दर्द क्यों नहीं होगा ? आप बोलेंगे तो कमेन्ट करेंगे। अभी भाई कौकब हमीद साहब कह रहे थे कि किस पार्टी को श्रेय मिल जायेगा। कौन

मुख्य मंत्री बनेगा ? इसकी चिन्ता आप छोड़ दें। हमारे यहां कहावत है कि "तीन पाँव आटा और पुल में रसोई।"

(व्यवधान)

आपके दस एम0एल0ए0 हैं, जिनके 62 एम0एल0ए0 हैं, उनका पश्चिम में नाम नहीं होगा। कौकब साहब ने यह बात कही है कि किस दल को श्रेय मिलेगा, कौन सी वहां सरकार बनेगी ? आपने कहा कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, आप कार्यवाही को निकलवाकर देख लें मैंने ऐसा नहीं कहा था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय कौकब हमीद जी, क्यों आप आपस में विवाद कर रहे हैं। सरकार बनने या न बनने की बात कहां से आ गयी है ? माननीय कृषि मंत्री जी आप लोग सरकार के बनने की बात क्यों कर रहे हैं ? एक गांव में पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था, झगड़े की बात यह थी कि एक कह रहा था कि बेटे को डाक्टर बनायेंगे दूसरा कह रहा था कि हम इंजीनियर बनवायेंगे। मोहल्ले वालों ने बीच-बचाव किया तो पता चला कि झगड़ा डाक्टर या इंजीनियर बनाने का है जबकि अभी लड़का हुआ ही नहीं है।

(हंसी)

तो कौन सरकार बनाये कौन न बनाये, इस विवाद पर आप क्यों पड़ रहे हैं ?

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, सरकार के मंत्री की तरफ से यह बात कही गयी इसलिए आपत्ति व्यक्त की। वैसे वे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा था, आप कार्यवाही निकलवाकर देख लें। मैंने यह कहा कि अभी हमें इसकी चिन्ता नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी, नहीं बनेगी। यह कहा कि बेहतर जिन्दगी व्यतीत करने के लिये यह होना जरूरी है।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, जो बात मैंने कही उस पर माननीय सदस्य अपने आप आ गये। मैंने यह कहा था कि यह चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि किसकी सरकार बनेगी। न यह चिन्ता करनी चाहिये कि किसको श्रेय मिलेगा, वही मैंने कहा था वही आपने स्वीकार किया है। तो मान्यवर, मैं यह अनुरोध कर रहा था कि माननीय कौकब हमीद साहब बड़े चिन्तित तो रहते है प्रदेश विभाजन के लिये। लेकिन मैं यह दिन भी याद दिलाना चाहता हूं। माननीय हुकुम सिंह जी भी सदन में उस समय बैठे थे यहां लोकदल के एक सदस्य ने प्रदेश विभाजन की मांग पिछली बार उठाई और अखबारों में मोटे-मोटे में छपा कि लोकदल के जो मंत्री थे वह सदन छोड़कर ही गायब हो गये इतनी बड़ी चिन्ता माननीय कौकब हमीद साहब को रही कि पिछली सरकार में लोकदल के सदस्य के सवाल उठाने पर, जो अकेला सदस्य रह गया, उस समय एक भी लोकदल का सदस्य हाउस में नहीं रहा और यह बाहर उतरकर चले गये।

उसके बाद क्या हुआ मान्यवर, कि जिस सदस्य ने यह सवाल उठाया उसको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया इतनी बड़ी चिन्ता इनको रहती है। इनके नेता केन्द्र में सरकारों में शामिल रहे। यहां यह सरकारों में शामिल रहे, मान्यवर, तब कभी इन्हें कोई प्रस्ताव की याद नहीं आई। जब केन्द्र सरकार में यह शामिल रहे तो फिर केन्द्र से यह प्रस्ताव क्यों नहीं भिजवाया ? केन्द्र ही हमेशा बंटवारे का काम करता है, राज्य सरकार तो करती नहीं। तो इन्हें इतनी बड़ी चिन्ता रहती है और जहां इन्होंने श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया तो उनकी तो जिस दिन आंख बंद हुयी, इस संसार से वह विदा हुये, उस दिन 9 राज्यों में या तो सरकार छोड़कर गये थे यह नेता विरोधी दल छोड़कर गये थे, यह उनकी होड़ कर रहे हैं। पिद्दी न पिद्दी के शोरबा, यह 9 राज्यों से 9 एम0एल0ए0 पर आ गये। उस पार्टी का नाम लेकर, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के प्रति ऐसी भावनायें जो व्यक्त करें।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

तो मैं यह समझता हूं कि इससे ज्यादा और अपमानजनक बात इनके लिए नहीं हो सकती और फिर यह तो सब जानते हैं कि लोकदल के पास और कोई मुद्दा नहीं, कोई इनका सिद्धान्त नहीं, केवल यही राग अलापते हैं कि हमें तुम 60 एम0एल0ए0 दे दो हम अलग प्रदेश बनवा देंगे। अरे, अलग प्रदेश जिस दिन बनेगा उसे तो केवल बहन कु0 मायावती जी ही बना सकती है और कोई दूसरा बना भी नहीं सकता।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक जो प्रश्न उठाया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद-3 में दिया गया है "नये राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नये राज्य का निर्माण कर सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी।" मान्यवर, यह मुद्दा यहां पर उठाया गया है जबकि यह केन्द्र सरकार का काम है, भारत की जो संसद है, वहीं इसमें कार्य कर सकती है। तो मान्यवर, वह विषय जो यहां पर उठाया नहीं जा सकता है। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही छोटे राज्यों की पक्षधर रही है तो हमने यह बात भी आपके सामने रख दी कि हमारी पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर है लेकिन यह मुद्दा इस विधान सभा का नहीं है। हमारी चाहत है कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इसके लिए एक आम सहमति बने और छोटे राज्य बनाये जाएं लेकिन इसके लिए आम सहमति की जरूरत पड़ेगी। चूंकि आज इस विधान सभा में इस प्रस्ताव का कोई लेना देना नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

क्या सर्वसम्मति बनाने के लिए प्रस्ताव लायेंगे ?

श्री लाल जी वर्मा-

जब अलग प्रदेश यह सदन बना नहीं सकता तो निश्चित रूप से यहां पर चर्चा किये जाने की आवश्यकता नहीं है और नियम-56 के तहत यह विषय नहीं आता क्योंकि यह संसद का विषय है।

अगर संसद हमसे यह अपेक्षा करती है तो उस पर चर्चा की जा सकती है लेकिन चूंकि ऐसी अपेक्षा नहीं की गई है, इसलिए यह सूचना अग्राह्य करने योग्य है।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, इसी सदन में उत्तराखण्ड का निर्णय हुआ, निरस्त भी हुआ और तीन बार ऐसा हुआ उत्तराखण्ड आज उसी की देन है। इसलिए यह कहना कि यह इस हाउस का विषय नहीं है यह बात टीक नहीं है क्योंकि हम लोग इस प्रदेश की ही बात तो कर रहे हैं, इसके लिए कुछ तो प्रयास करने चाहिए।

श्री हुकुम सिंह-

जो बात संसदीय कार्यमंत्री जी ने कही है और जो बात नेता सदन ने कही है, दोनों में विरोधाभास है। अगर यह यहां से सम्बन्धित नहीं था तो आपको घोषणा करने की जरूरत क्या थी ? आपने दूसरी बात भी कहीं कि अगर सबकी राय बने, तो आप सत्तापक्ष के संसदीय कार्यमंत्री है, सबको राय बनाना या न बनाना आपका दायित्व है।

मान्यवर, जो संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है दोनों में विरोधाभास है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही है। अगर यह यहां से सम्बन्धित नहीं था तो आपको यह घोषणा करने की आवश्यकता क्या थी ? आपने दूसरी बात भी कही कि अगर सबकी राय बने, आप सत्तापक्ष के संसदीय कार्यमंत्री हैं, सबकी राय बनाना या न बनाना आपका दायित्व है। आप प्रस्ताव लाइये, उसके बाद देखिये राय बनती है या नहीं बनती है। प्रस्ताव लायें तो सही।

श्री लालजी वर्मा-

मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री जी ने, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के विचार को रखने काम किया है और मैं आज भी इस सदन के माध्यम से कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से छोटे राज्यों की पक्षधर रही है। छोटे राज्यों का गठन जनहित में है, परन्तु यह विषय यहां का नहीं है, यह विषय संसद का है। हमने अपनी पार्टी का विचार रख दिया। मान्यवर, कार्यस्थगन का जो प्रस्ताव आया है चूंकि यह विषय यहां का नहीं है इसलिये इसको निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस विषय पर श्री कैकब हमीद, डा0 अनिल चौधरी व कृषि मंत्री को सुना।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सबको सुन लिया मुझको ही नहीं सुना। आपसे एक जानकारी चाहता हूं, आपने कहा कि रातभर मियां-बीबी में झगड़ा हुआ लेकिन उसका नतीजा क्या निकला ? आप अधूरी रूलिंग नहीं दे सकते, आप अधूरा काम नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष-

कुछ तो आप पूरा करेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

कुछ परिणाम निकला या नहीं निकला यह तो बता दें।

श्री अध्यक्ष-

नतीजा यह निकला कि लड़के को इन्जीनियर, डाक्टर बनाने की बात हो रही थी जबकि लड़का हुआ ही नहीं था।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जिस अनुच्छेद को संसदीय कार्यमंत्री जी ने पढ़ा उसको पूरा पढ़ देना चाहिये था। जो संवैधानिक स्थिति है उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस छोटे राज्यों की पक्षधर है और मैं यह जरूर चाहूंगा कि जिस दिन पश्चिमांचल बने उसी दिन बुन्दलेखण्ड और पूर्वान्चल भी बने क्योंकि बार-बार टुकड़ों में नहीं बांटा जाना चाहिये। तीनों राज्य एक साथ बने, बंटवारा हो और जिलों का झगड़ा न हो हम बुन्देलखण्ड का भी समर्थन करते हैं, पश्चिमांचल का भी करते हैं ओर पूर्वान्चल भी बने।

श्री लालजी वर्मा-

अगर आप चाहते हैं तो क्यों नहीं केन्द्र में प्रस्ताव ले आते हैं, इनकी सरकार वहां पर है, कांग्रेस संसद में प्रस्ताव ले आये। हमारी पार्टी तो छोटे राज्यों की पक्षधर है।

श्री हुकुम सिंह-

अगर यह प्रस्ताव भेजेंगे तो निश्चित रूप से केन्द्र में यह प्रस्ताव स्वीकार हो जायेगा, प्रस्ताव तो भेजिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सर्वसम्मति बना लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं अनुच्छेद-3 के आगे पढ़ दूं। "परन्तु इस प्रयोजन के लिये विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, यहां राज्यों से मतलब होगा उत्तर प्रदेश की सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहां जब तक उस राज्य के विधान मण्डल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाय।" राज्य चुपचाप खड़ा तमाशा नहीं देख सकता, राज्य का प्रस्ताव होगा। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं तो खड़ा हुआ था इस बात को जानने के लिये आप जब भी नाम उसका रख जाय हमको बता दीजियेगा। मैं यह जरूर करना चाहता हूं कि राज्यों का जब भी बंटवारा हो तो पूरे देश को नक्शे पर रखते हुये पश्चिमांचल बने, जरूर बने तो फिर बुन्देलखण्ड भी बनना चाहिये और पूर्वान्चल भी बनना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर श्री कौकब हमीद, डा0 अनिल चौधरी, माननीय टण्डन जी को सुना, माननीय कृषि मंत्री जी को सुना, मा0 प्रमोद तिवारी जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं। तीसरी सूचना माता प्रसाद पाण्डेय

जी की है, चौथी सूचना श्री लालजी यादव, पांचवीं सूचना श्री अम्बिका चौधरी, श्री अनिल कुमार सिंह, श्री आलोक कुमार श्री जोखू लाल यादव व विश्वम्भर प्रसाद निषाद की है। ये सभी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं उनकी जगह मेरी सूचना को स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब शलाका के आधार पर सूचनाओं का चयन होता है, आप अपना मसला बता दें, चलिये इसको पुनः दे दीजियेगा।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह अपने आसन पर खड़े होकर स्वयं को सुने जाने का आग्रह करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

सिंह साहब अब आसन ग्रहण करिये। आप सूचना दे दीजियेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, छात्र संघ पर प्रतिबंध लगाने के मामले में अनुग्रह नारायण सिंह जी ने सूचना दी थी इनको दो मिनट सुन लीजिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्र संघों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 (ग) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को एसोसियेशन और यूनियन बनाने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

आप इसमें सूचना दे दीजिये। जब आप सूचना देंगे तो सरकार का जवाब आयेगा, ऐसे अपनी बात ग्राह्यता पर रखने से क्या फायदा है ? अनुग्रह नारायण जी आप इसकी लिखित सूचना दे देते तो उस पर सरकार की तरफ से उत्तर भी जाएगा।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

छात्र संघ की एक प्रभावी भूमिका रही है। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री छात्र संघ से आये हैं। आज स्थिति यह है कि विश्वविद्यालयों में अराजकता व्याप्त है। अध्यापक बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। यौन शोषण के मामले तक प्रकश में आये हैं। मेरठ में कापियां सड़कों पर मिल रही है इस तरह की तमाम अराजकताएं हैं जिनके खिलाफ छात्र संघ मुखर होकर लड़ता था। आज छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगने से छात्रों की जो लोकतांत्रिक भावना व शक्ति है वह कुंठित हो रही है। मैं चाहता हूं कि छात्र संघ पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसको हटा लिया जाय। इस सदन के पूर्व

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता सदन श्री नारायण दत्त तिवारी जी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, श्री वी0 पी0 सिंह, श्री चन्द्रशेखर जी भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। श्री शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति रहे वह भी छात्र संघ में रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार छात्रों व नौजवानों को भी संघ बनाने का अधिकार है। इस पर प्रतिबंध लगाना गैर संवैधानिक है इसको हटाया जाय व छात्र संघ चुनाव अतिशीघ्र कराये जाएं व इस पर चर्चा कराई जाय।

**श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजे जाने के सम्बन्ध में सूचना**

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या-02, दिनांक 28 मई, 2007 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :-

जिला मजिस्ट्रेट, खीरी ने अपने फैक्स दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 में यह सूचित किया है कि श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा को मुकदमा अपराध संख्या 1205/07 धारा 147, 341 आई0 पी0 सी0, मु0अ0सं0 1206/07 धारा 147, 323, 504, 506 आई0पी0सी0, मु0अ0सं0 1229/07 धारा 332, 353, 506 आई0पी0सी0 एवं मु0अ0सं0 987/07 धारा 504, 506, 3(1) 10 एस0सी0/एस0सी0 एक्ट के अभियोग में दिनांक 30 अक्टूबर, 2007 को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है।

**नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 42 सूचनायें प्राप्त हुई, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

पहली सूचना श्री अंगद यादव की जनपद आजमगढ़ के फूलपुर स्थित रजवाहा माइनर में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में है। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

दूसरी सूचना श्री भगेलू राम की जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर निवासी दुर्गा कुमार श्रीवास्तव द्वारा अनुसूचित जाति के नाम पर जमीन का बैनामा कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

तीसरी सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली स्थित स्पंज आयरन के फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

चौथी सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद उन्नाव में कार्यरत कार्यदायी संस्था जल निगम के अनैतिक कार्यों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पांचवीं सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवरा कलां स्थित स्व0 कृष्ण पाल के परिवार को सुरक्षा प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

छठीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर नगर में गरीबों व असेवित बस्तियों में विद्युतीकरण का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

सातवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की लखनऊ के कालीदास मार्ग पर स्थित राजीव चौक में स्व0 राजीव गांधी जी की मूर्ति को केन्द्र में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

आठवीं सूचना श्री दशरथ प्रसाद चौहान की जनपद सन्त कबीर नगर अन्तर्गत परिषदीय माध्यमिक विद्यालय बभनौली में बुनियादी सुविधायें एवं इंडिया मार्क टू हैण्ड पम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

नवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर नगर निगम में निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टचार की जांच मा0 मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद भी न कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

दसवीं सूचना डा0 वकार अहमद शाह जी जनपद बहराइच के रसूलपुर गांव के निगम तरबगंज पर टेढ़ी नदी पर 10 करोड़ रुपये का अनियमित तरीके से टेण्डर किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

ग्यारहवीं सूचना कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह की जनपद कुशीनगर के मुख्यालय पडरौना में परिवहन निगम के बस डिपो की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

बारहवीं सूचना श्री लल्लू सिंह की जनपद फैजाबाद के अयोध्या नगर की सीवर लाइन का कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

तेरहवीं सूचना श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' की जनपद फिरोजाबाद स्थित टूण्डला में दुकानों के ध्वस्तीकरण के उपरान्त वैश्य समाज के साथ हो रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में है। यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

चौदहवीं सूचना श्री प्रमोद सिंह की जनपद देवरिया के गौरी बाजार नगर में वर्षों से बन्द पड़ी बस स्टेशन की जर्जर भवन का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

पन्द्रहवीं सूचना श्री लाल जी यादव की जनपद सिद्धार्थ नगर में बाढ़ पीड़ित परिवारों को शासन स्तर से कोई सुविधा उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री इमरान मसूद, श्री मिथिलेश कुमार, श्री सर्वेश सिंह, श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद, श्री अनूप सण्डा, श्रीमती कृष्णा राज, श्री बैजनाथ दुबे, डा0 पी0 के0 राय, श्री जोखू लाल यादव, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह', डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री राम प्रकाश कुशवाहा, श्री उदयराज, श्री सनातन पाण्डेय, श्री धनीराम वर्मा, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, डा0 आर0 ए0 उस्मानी, श्री अशोक चन्देल, डा0 अनिल चौधरी, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी तथा डा0 अजय तोमर।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। 5 नवम्बर, 2007 को पूर्वान्ह 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 35 मिनट पर सोमवार 5 नवम्बर, 2007 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

लखनऊ :
दिनांक 31 अक्टूबर, 2007

**राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक-1

## नत्थी "क"

(देखिये अता0प्र0सं0-122 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

**वर्ष 2004-05 में पथकर से प्राप्त धनराशि से कराये गये विकास कार्यों का विवरण**

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | आगणन (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | एम0जी0 मार्ग से डा0 नवल किशोर नर्सिंग होम होते हुए आर0बी0एस0 चौराहे तक सड़क सुधार व नाली निर्माण कार्य। | 25.72 |
| 2 | मऊ चौराहे का विकास एवं एन0एच0-2 से फ्रेण्ड्स आशियाना तक श्रीमती भागीरथी देवी मार्ग का चौड़ीकरण व सेण्ट्रल वर्ज का कार्य। | 23.55 |
| 3 | बसन्त बिहार कालोनी में सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 27.93 |
| | योग : | 77.20 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**वर्ष 2005-06 में पथकर से प्राप्त धनराशि से कराये गये विकास कार्यों का विवरण**

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | आगणन (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ताजमहल रात्रि दर्शन के सम्बन्ध में पर्यटकों के आवश्यक दिशा-निर्देश देने सम्बन्धी शहर के प्रमुख स्थानों पर साइनेज बोर्ड लगाने का कार्य। | 2.04 |
| 2 | होटल ताजव्यू तिराहे से पुरानी मण्डी चौक तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण एवं फुटपाथ निर्माण। | 51.62 |
| 3 | शाहगंज-बोदला रोड के रामनगर पुलिया से शंकरगढ़ पुलिया तक मार्ग का चौड़ीकरण। | 34.10 |
| 4 | भीमनगर क्षेत्र में उपरोक्त मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 5.00 |
| 5 | ऋषि मार्ग से रामनगर पुलिया तक सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य। | 20.25 |
| 6 | हरीपर्वत चौराहे से गुरू के ताल (पुराना मथुरा रोड) सड़क चौड़ीकरण, सेन्ट्रल वर्ज, बी0एम0एस0डी0सी0 एवं नाले का निर्माण। | 610.62 |
| 7 | यमुना किनारा स्थित स्ट्रैची ब्रिज एवं आगरा फोर्ट रोड ब्रिज के नीचे सड़क सुधार कार्य। | 13.10 |
| 8 | छिपीटोला (तिकोनिया) पानी की टंकी वाले तिराहे का विकास कार्य। | 0.72 |
| 9 | आगरा-मथुरा रोड राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से कैलाश मन्दिर को जाने वाले मार्ग पर जल संस्थान के पास तक नाला निर्माण हेतु (नगर निगम, आगरा)। | 32.28 |
| 10 | आगरा नगर की पेयजल व्यवस्था हेतु गंगाजल प्रोजेक्ट तैयार करने के लिये (ऋण स्वरूप जल निगम को दिये)। | 5.00 |
| 11 | ताज महोत्सव समिति को ताज महोत्सव कार्य के भुगतान हेतु बतौर ऋण पर्यटन विभाग। | 12.50 |
| 12 | वाटर वर्क्स चौराहे से अवन्तीबाई चौराहे तक विद्युत एवं सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य। | 172.00 |
| 13 | भगवान टाकिज चौराहे से अवन्तीबाई चौराहे तक विद्युत एवं सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य। | 425.00 |
| 14 | आगरा कैन्ट से ट्राईडेन्ट पूर्वी गेट (विद्युत कार्य)। | 63.00 |
| 15 | कलेक्ट्रेट से पृथ्वीनाथ फाटक तक विद्युत एवं नाले का निर्माण कार्य। | 80.00 |
| 16 | ताज महोत्सव के अवसर पर फतेहपुर सीकरी मार्ग (एन0एच-11) की मरम्मत हेतु धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में (लोक निर्माण विभाग)। | 15.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 17 | हरीपर्वत चौराहे से बिल्लोचपुरा तक सड़क सुदृढ़ीकरण। | 80.88 |
| 18 | ऐतिहासिक इमारतों के विद्युत व्यवस्था के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य हेतु। | 9.23 |
| 19 . | ताजगंज आगरा की पेयजल समस्या के निदान हेतु पथकर से ऋण के रूप में (जल निगम को धनराशि रु0 100.00 लाख) ।<br>आगरा नगर की जल भराव की समस्या के निदान हेतु (जल निगम को ऋण स्वरूप धनराशि रु0 100.00 लाख)। | 200.00 |
| 20 | सिकन्दरा से सी0ओ0डी0 तक (बोदला-सिकन्दरा) मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण ड्रेनेज एवं पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 300.00 |
| 21 | जल संस्थान द्वितीय सिकन्दरा के वेस्ट वाटर को अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में डायवर्जन हेतु धन उपलब्ध कराया जाना। | 32.37 |
| 22 | वी0आई0पी0 रोड ताजमहल के पहुंच मार्गों आगरा किला अम्बेडकर पार्क आदि की प्रकाश व्यवस्था का संचालन एवं रख-रखाव तथा बैटरी बस डिपो के विद्युत देयकों का भुगतान। | 22.00 |
| 23 | सेण्ट जोन्स कालेज भवन को प्रकाशित (इलूमिनेट) करने का कार्य। | 25.00 |
| 24 | ताज वर्ष 2005 के समापन समारोह सम्बन्धी कार्य। | 29.00 |
| 25 | नगर निगम आगरा को प्रस्ताव 17.80 लाख, 820.00 रु0 की श्रीराम बारात शोभा यात्रा एवं जनकपुरी 2005 के आयोजन में पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु रु0 5.00 लाख की स्वीकृति दी गयी यह कार्य जनकपुरी क्षेत्र में नहीं कराये जायेंगे बल्कि रामबरात रूट पर कराये जायेंगे जो पर्यटकों के लिये भी प्रयोग होता है। | 5.00 |
| 26 | होटल ट्राईडेन्ट तिराहे से पहले पुरानी चुंगी पर पर्यटक सूचना बोर्ड (हेल्थ सेण्टर की स्थापना), टूरिज्म सहायता केन्द्र की स्थापना। | 10.00 |
| 27 | ताजगंज क्षेत्र की पेयजल समस्या एवं नगर में जलभराव की समस्या के संदर्भ में जल निगम को रु0 475.00 लाख ऋण दिये जाने एवं रु0 55.00 लाख के शेष राशि भुगतान किये जाने का अनुमोदन। | 55.00 |
| 28 | पर्यटन विभाग द्वारा गुलिस्ता कॉम्पलेक्स फतेहपुर सीकरी में कराये गये विविध कार्यों का भुगतान। | 8.81 |
| 29 | शहर के प्रमुख चौराहों मुख्य स्मारकों एवं शहर के अन्य मुख्य स्थलों पर भव्य प्रकाश व्यवस्था | 2.50 |
| 30 | ताजवर्ष समापन के दौरान माधवगढ़ मैदान में अस्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु उ0 प्र0 पावर कार्पो0। | 1.02 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 31 | माधवगढ़ मैदान पर उद्यानीकरण कार्यों हेतु ए0एस0आई0 के उद्यानविद को रु0 120.00 लाख प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव पथकर में रखा गया था परन्तु वर्तमान में संयुक्त निदेशक पर्यटन ने संशोधित धनराशि रु0 152500.00 का प्रेषित किया है। | 1.53 |
| 32 | संयुक्त निदेशक पर्यटन द्वारा स्थल पर दिये गये निर्देशों के क्रम में माधवगढ़ पार्क के मुख्य द्वार का पुनः निर्माण एवं गेट के मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य। | 3.00 |
| 33 | शिल्पग्राम में 300 के0वी0ए0 लोड की व्यवस्था हेतु। | 9.00 |
| 34 | स्थाई स्टोलों में विद्युत अधिभार हेतु केबिल की व्यवस्था। | 8.00 |
| 35 | ताज महोत्सव 2006 के संदर्भ में अग्निशमन व्यवस्था के सम्बन्ध में फायर हाईड्रेन्ट निर्माण हेतु आगरा जन संस्थान को भुगतान। | 3.00 |
| 36 | ताज महोत्सव 2006 के संदर्भ में शिल्पग्राम परिसर में रंगाई पुताई का कार्य। | 2.00 |
| 37 | नगर निगम के मुख्य मार्गों की नवीन प्रकाश व्यवस्था के प्रभावी अनुरक्षण हेतु हाईड्रोलिक एलिवेंटर का क्रय। | 15.00 |
| 38 | रामबरात 2005 में प्रकाश व्यवस्था हेतु नगर निगम को धनराशि दिया जाना (अतिरिक्त रु0 5.00 लाख)। | 10.00 |
| 39 | इन्द्रपुरीगंज मोहल्ले में भगवान दास के मकान से ग्वालियर गेट तक सुधार कार्य एवं निर्माण कार्य। | 29.38 |
| 40 | फतेहपुर सीकरी से डाबर मार्ग का सुधार कार्य (किमी0 1.00 से 5.00) एवं आबादी भाग में तिहरा रावत मण्डी मिर्जा खां खेड़ा जाट डाबर ग्रामों का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य। | 94.00 |
| | योग : | 2482.95 |

**वर्ष 2006-07 में पथकर से प्राप्त धनराशि से कराये गये विकास कार्य**

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | आगणन (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | शिल्पग्राम के निकट जल संस्थान की पाईप लाईन शिफ्टिंग का कार्य (जल निगम)। | 37.00 |
| 2 | ताजगंज वार्ड शमशाबाद स्थित कावेरी बिहार से सराय पुख्ता तक नाले का कार्य। | 16.90 |
| 3 | ताजमहल गेट पर बैरियर, बैरिकेटिंग व स्पीड ब्रेकर का कार्य। | 14.01 |
| 4 | जनेसर रोड से जगदम्बा कालेज होकर कैनाल तक सड़क व नाली निर्माण (भीम नगरी)। | 30.60 |
| 5 | रामबाग चौराहे से स्ट्रेची ब्रिज तक सड़क चौड़ीकरण व नाली तथा सैन्ट्रल वर्ज का निर्माण कार्य। | 207.10 |
| 6 | दिल्ली गेट से आर0बी0एस0 चौराहे तक रोड का चौड़ीकरण एवं बी0एम0एस0डी0सी0 का कार्य। | 50.00 |
| 7 | एम0जी0 रोड से नवल किशोर जाने वाले मार्ग पर सैण्ट्रल वर्ज का निर्माण। | 0.34 |
| 8 | संजय प्लेस में आजाद पेट्रोल पम्प के पास सीवर का सुधार कार्य (आगरा नगर निगम)। | 20.00 |
| 9 | सूरसदन व देवरी रोड के नाला निर्माण हेतु (जल निगम)। | 250.00 |
| 10 | सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा ताज के पूर्वी गेट कार्यों में प्रयुक्त वन विभाग की भूमि का प्रतिकर। | 52.00 |
| 11 | जे0पी0 तिराहे से ताजमहल के पूर्वी गेट तक लाइनिंग शिफ्टिंग का कार्य (जिलाधिकारी)। | 48.43 |
| 12 | केदार नगर शंकरगढ़ पुलिया से पृथ्वीनाथ फाटक तक सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण। | 65.00 |
| 13 | तहसील से पंचकुईया चौराहा होते हुए नालबन्द तक सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था। | 80.00 |
| 14 | बिचपुरा रोड का 4 लेन चौड़ीकरण व नाला निर्माण कुल लागत रु0 525.00 लाख। | 100.00 |
| 15 | अवन्तीबाई चौराहे से सदर थाना होते हुए ग्वालियर रोड तक सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य। | 84.38 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 16 | वाटर वर्क्स चौराहे से ताजव्यू होटल तक यमुना किनारा मार्ग के रख-रखाव का कार्य। | 15.00 |
| 17 | हाथी घाट रेलवे ब्रिज के पास किले के पीछे पत्थर की ईंटों का खड़न्जा लगाने का कार्य। | 4.52 |
| 18 | बिजलीघर चौराहे से बुद्ध बिहार बस स्टैन्ड होते हुए ऑलिया रोड तक सड़क व नाली सुधार कार्य। | 126.34 |
| 19 | महात्मा गांधी मार्ग पर हरीपर्वत चौराहे से भगवान सिनेमा तक जल संस्थान के रख-रखाव गैल हॉल उठाने का कार्य। | 2.15 |
| 20 | महात्मा गांधी मार्ग व अन्य के वार्षिक रख-रखाव का कार्य। | 15.00 |
| 21 | बिजलीघर चौराहे से काठ की पुलिया का सुदृढ़ीकरण। | 50.00 |
| 22 | पृथ्वीनाथ फाटक से शंकरगढ़ पुलिया केदारनाथ तक प्रकाश व्यवस्था एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य। | 25.00 |
| 23 | टी0डी0आई0 सिटी से ट्राईडेन्ट तिराहा, शास्त्री चौराहे से ए0डी0आर0डी0आई0 चौराहा आर0ओ0बी0 से खेरिया एयरपोर्ट तक निर्माणाधीन मार्ग विभाजक पर प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 199.00 |
| 24 | महात्मा गांधी मार्ग यमुना किनारा मार्ग, शमशाबाद मार्ग पर कैट आई एवं डेलीनेटर पोस्ट, केन्टीलीवर एवं ओवर हेड रैक्टो रिफलैक्टिव बोर्ड लगाने का कार्य। | 75.00 |
| 25 | सदर स्थित लाइब्रेरी की बाउण्ड्रीवाल का कार्य (लोक निर्माण विभाग)। | 1.20 |
| 26 | बैटरी बस डिपो में शेड की मरम्मत नये शेड का निर्माण, मरम्मत सम्बन्धी उपकरणों की व्यवस्था वर्कशाप फ्लोर का निर्माण, टाइम आफिस का निर्माण, विद्युत शवदाह गृह एवं बैटरी बस डिपो के मध्य पार्टीशन वाल का निर्माण। | 20.00 |
| 27 | आगरा परिक्षेत्र में देशी/विदेशी पर्यटकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु होर्डिंग्स लगाने का कार्य। | 38.00 |
| 28 | सुरक्षा एजेन्सियों की आवश्यकता पूर्ति हेतु दशहरा घाट एवं ताजमहल के पार्श्व भाग में अतिरिक्त प्रकाश बिन्दु लगाने का कार्य। | 5.00 |
| 29 | ग्यारह सीडी स्मारक निकट महताब बाग तक सड़क सुधार व सौन्दर्यीकरण मार्ग प्रकाश एवं प्राचीन मस्जिद कच्छपुरा का सुधार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य एवं पर्यटक सुविधा। | 25.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 30 | मरियम टाम्ब की सम्पर्क मार्ग सुधार एवं पर्यटक सुविधायें। | 10.00 |
| 31 | ताज रोड पर पर्यटन कार्यालय में पर्यटन केन्द्र का विकास कार्य। | 5.00 |
| 32 | आगरा किला में आधुनिक शौचालय का निर्माण ए0एस0आई0 एवं ए0डी0ए0 की वित्तीय सहभागिता के आधार पर (13+13=26 लाख)। | 26.00 |
| 33 | स्मारकों पर नये आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना हेतु ए0एस0आई0 को भुगतान। | 20.00 |
| | योग : | 1716.97 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**वर्ष 2004-05 में अवस्थापना निधि से कराये गये विकास कार्यों का विवरण**

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | आगणन (धनराशि लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | भदावर हाउस से बैंक हाउस (सिद्धार्थ अपार्टमेन्ट तक) नाली निर्माण तथा सड़क सुधार कार्य। | 3.21 |
| 2 | कमला नगर में सड़क सुदृढ़ीकरण एवं नाली निर्माण कार्य मकान नं0 एफ-66 से कविशा मोटर्स, एन0एच0-2 तक एवं अन्य कार्य। पार्ट-1 | 15.24 |
| 3 | कमला नगर में सड़क सुदृढ़ीकरण एवं नाली निर्माण कार्य मकान नं0 एफ-66 से कविशा मोटर्स, एन0एच0-2 तक एवं अन्य कार्य। पार्ट-2 | 12.20 |
| 4 | कमला नगर में सड़क सुदृढ़ीकरण एवं नाली निर्माण कार्य मकान नं0 एफ-142 से तेजनगर मोड़ तक व साइड की अन्य सड़कें। | 24.67 |
| 5 | कमला नगर में सड़क सुदृढ़ीकरण एवं नाली निर्माण कार्य मकान नं0 एफ-126 से ई-74 तक भोले बाबा पार्क के चारों ओर सड़क निर्माण। | 19.52 |
| 6 | कमला नगर में सड़क सुदृढ़ीकरण एवं नाली निर्माण कार्य मकान नं0 जी-681 से टंकी तक सड़क व ई-43 से डी-24 तक सड़क निर्माण। पार्ट-1 | 5.32 |
| | योग : | 80.16 |

उत्तर प्रदेश राजपत्र

**वर्ष 2005-06 में अवस्थापना निधि से कराये गये विकास कार्यों का विवरण**

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | आगणन (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | देवी नगर मरघटी चौराहे से काली मन्दिर तक नाली के सहारे नाला मरम्मत एवं फर्श का निर्माण। | 5.00 |
| 2 | तक्षशिला कालोनी की दो गलियों में सड़क एवं नालियों का सुधार कार्य। | 3.00 |
| 3 | पंचायती पंजाबा कमला नगर में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 5.00 |
| 4 | कर्मयोगी एन्क्लेव कालोनी में ब्लाक संख्या के0ए0एम0आर0 की आन्तरिक सड़कों का सुधार। | 25.00 |
| 5 | बैंक हाउस कालोनी से एन0एच0-2 तक तथा बैंक हाउस कालोनी से भदावर हाउस गेट तक सड़क का निर्माण। | 15.00 |
| 6 | शास्त्रीनगर में श्रीराम फौजदार के घर श्री विजय सिंह के घर तक सड़क निर्माण कार्य। | 1.50 |
| 7 | कटरा वजीर खां एवं सीतानगर में अवशेष गलियों का अवशेष कार्य। | 12.00 |
| 8 | पश्चिमपुरी में कोठी नं0 167 से मुख्य मार्ग तक सड़क नाली एवं क्रास का सुधार कार्य। | 25.00 |
| 9 | पश्चिमपुरी कालोनी में कोठी नं0 ए-511 के पास पार्क का सौन्दर्यीकरण। | 4.50 |
| 10 | प्रेमानन्द कुंज निकट ब्रज बिहार कालोनी में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 13.89 |
| 11 | कामायनी हॉस्पिटल के सामने मौजा बाबरपुर में सड़क एवं नाली निर्माण। | 10.00 |
| 12 | अवधेशपुरी में सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 36.00 |
| 13 | यमुनोत्री कालोनी में सड़क एवं नाली निर्माण। | 19.77 |
| 14 | देवनगर कालोनी की मुख्य सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 15.00 |
| 15 | देवरी रोड उखर्स में शहीद मोहन सिंह राजपूत की समाधि स्थल तक सड़क निर्माण। | 15.00 |
| 16 | काले का ताल मुख्य मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य। | 8.00 |
| 17 | नरोत्तमकुंज में नाला निर्माण कार्य। | 9.00 |
| 18 | नटराजपुरम एक्स0 कालोनी में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 18.18 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 19 | बाग फरजाना में डा0 राजीव किशोर की बगल से डा0 पारिख के पीछे तक सड़क व नाली निर्माण। | 4.00 |
| 20 | जगनपुर में डा0 माथुर के फार्म हाउस से पीपुल्स फार एनीमल्स सोसाइटी के गेट तक सड़क निर्माण। | 3.00 |
| 21 | बिजली घर चौराहे स्थित शिवाजी मार्केट श्याम जी मन्दिर वाली गली किरन होटल के पास सड़क निर्माण। | 2.50 |
| 22 | सैनिक बिहार देवरी रोड पर आर0पी0 सिंह राठौर से समुन्द्र सिंह के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण। | 15.00 |
| 23 | प्रकाश स्कूल से गोविन्दराम के घर से होती हुई अमर सिंह सोलंकी के घर तक सड़क व नाली निर्माण (सैनिक बिहार)। | 4.00 |
| 24 | सैनिक बिहार से सिपाही लाल से बाबू सिंह कुशवाह तक गली में सड़क एवं नाली निर्माण। | 2.00 |
| 25 | नगला मेवाती में स्कूल वाली गली व कल्लू वाली गली में नाली/सड़क का निर्माण। | 15.00 |
| 26 | ताजगंज बसई में फकीर बस्ती में नाली एवं सड़क का निर्माण। | 10.00 |
| 27 | शिल्पग्राम के पीछे वाली गली से मुरारी के घर तक नाली एवं सड़क का निर्माण। | 5.00 |
| 28 | फतेहाबाद रोड से बीमा अस्पताल तक नाली एवं सड़क का कार्य। | 4.00 |
| 29 | कटरा मदारी वाली गली में नाली एवं सड़क का कार्य। | 8.00 |
| 30 | नगला टीन में राकेश वाली गली में नाली एवं सड़क व फर्श का निर्माण। | 5.00 |
| 31 | ताजगंज दलिहाई से कोलिहाई पुलिया तक नाली एवं सड़क का निर्माण। | 4.00 |
| 32 | गुडिहाई से मदरसे के पुरानी सब्जी मण्डी में नाली एवं सड़क एवं फर्श का निर्माण। | 6.00 |
| 33 | ताजनगरी से नवाब पान वाले से बाल्मीकी बस्ती तक सड़क का निर्माण। | 8.00 |
| 34 | धांधूपुरा में बघेलों वाली बस्ती में सड़क एवं नाली तथा फर्श का निर्माण। | 5.00 |
| 35 | फतेहाबाद रोड से मुनीम जी के घर तक सड़क व नाली निर्माण। | 5.00 |
| 36 | कटरा नील में नाली एवं सड़क का निर्माण। | 8.00 |
| 37 | नई बस्ती में नाली एवं सड़क का निर्माण। | 5.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 38 | पन्नी गली, तिलक बाजार में नाली एवं सड़क का निर्माण। | 5.00 |
| 39 | पटेल नगर चौक में नाली एवं सड़क का निर्माण। | 5.00 |
| 40 | कच्ची सराय में नई आबादी में रसीद की दुकान के पास नाली एवं सड़क का निर्माण। | 4.00 |
| 41 | धांधूपुरा में अशोक फौजी वाली गली में नाली एवं सड़क का निर्माण। | 3.00 |
| 42 | यत्ती की बगीची में सरीखान से नन्हें मियां के घर तक नाली एवं सड़क का निर्माण। | 5.00 |
| 43 | सुल्तानपुरा में अताउल्ला खां से अल्ला रक्खा तक नाली एवं सड़क का निर्माण। | 4.00 |
| 44 | सुल्तानपुरा में अहमद मुहाना मस्जिद से पुलिया तक नाली एवं सड़क का निर्माण। | 4.50 |
| 45 | कच्ची सराय में ताज मौ0 वाली गली तक नाली एवं सड़क का निर्माण। | 8.00 |
| 46 | कच्ची सराय में हाजी समद खां वाली गली में नाली एवं सड़क का निर्माण। | 6.50 |
| 47 | पक्की सराय में अब्दुल रज्जा खां से लाल मस्जिद तक नाली एवं सड़क का निर्माण। | 5.00 |
| 48 | ककरेठा उमर उजाला के पीछे कैलाश यादव मार्केट से लोहरा यादव के घर तक नाली एवं सड़क का निर्माण। | 4.00 |
| 49 | कचहरी घाट में हनुमान वाली गली में सड़क एवं नाली का निर्माण। | 1.00 |
| 50 | छत्ता बाजार में थाना छत्ता गली में नाली एवं सड़क का निर्माण। | 2.00 |
| 51 | पंडित पातीराम गली, कचहरी घाट में नाली एवं सड़क का निर्माण। | 1.50 |
| 52 | कचहरी घाट में मोतिया वाली गली में नाली एवं सड़क का निर्माण। | 2.00 |
| 53 | पजा मदरसा में नाली एवं सड़क का निर्माण। | 2.00 |
| 54 | कचहरी घाट में उंट वाली गली में नाली एवं सड़क का निर्माण। | 2.00 |
| 55 | आगा के मकान से लेकर सत्तो के मकान तक गली व सड़क का निर्माण (लोहा मण्डी, आलमगंज, सईदपाडा)। | 2.00 |
| 56 | वफाती साबिर के मकान से लेकर मुल्ला जी परचूनी वाले की दुकान तक टीला गजसिंह, हींग की मण्डी आगरा में सड़क का निर्माण। | 1.50 |
| 57 | टीला अजमेरी खां का चौक, घटिया मामू भांजा आगरा की सड़क का निर्माण। | 2.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 58 | छिग्गा पहलवान के मकान के सामने की गली महावीर सिनेमा आगरा तक सड़क का निर्माण। | 1.00 |
| 59 | आनन्दपुरम कालोनी पृथ्वीनाथ सड़कों का निर्माण। | 4.00 |
| 60 | सैनिक बिहार में तिलक सिंह वाली सड़क का निर्माण। | 0.50 |
| | योग : | 424.84 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**वर्ष 2006-07 में अवस्थापना निधि से कराये गये विकास कार्यों का विवरण**

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | आगणन (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ढोलीखार में मुण्डापाडा व अहमदिया स्कूल के पास की सम्पर्क गलियों व चांदनी चौक तोप सईद से रेलवे पुल तक सड़क व नाली निर्माण | 12.00 |
| 2 | ढोलीखार में चौधरी नूरआलम के मकान से रेलवे पुल तक व इमाम बाड़ा व तमोली पाडा व ढोलीखार की सभी गलियों में सड़क व नाली निर्माण | 15.00 |
| 3 | मण्टोला जमातखाने के पास व टीला अजमेरी खां कालिन वाली मस्जिद के पास सभी गलियों में सड़क व नाली निर्माण | 10.00 |
| 4 | नाला महावीर व घटिया मामू भांजा की अवशेष गलियों में सड़क व नाली निर्माण कार्य | 10.00 |
| 5 | नाला महावीर पर बाल्मीकी समाज की गलियों का निर्माण कार्य | 5.00 |
| 6 | सदर भट्टी बाल्मीकी बस्ती हेतु सड़क निर्माण | 5.50 |
| 7 | नाई की मण्डी छोटा व बड़ा गालिबपुरा व तोपखाने में सड़क व नाली निर्माण कार्य | 10.00 |
| 8 | नाई की मण्डी मेहरा गली, ढेरा सरस व कटरा इतवारी खां की गलियों में सड़क व नाली निर्माण | 10.00 |
| 9 | कटरा नील व नाला चून पचान में सड़क व नाली निर्माण | 15.00 |
| 10 | छोटी व बड़ी अथाई हल्का मदन दर्जीपाडा में सड़क व नाली निर्माण | 15.00 |
| 11 | रावली, राधिका, ट्रैवल्स के पास गलियों का निर्माण | 3.00 |
| 12 | बालूगंज दरगईया के पास सड़क सुधार कार्य | 3.00 |
| 13 | नामनेर की समस्त गलियों में सड़क व नाली निर्माण | 15.00 |
| 14 | मोहनपुरा में सड़क का निर्माण | 15.00 |
| 15 | शहीदनगर लच्छीपुरा गुरुद्वारे के पास सड़क निर्माण | 8.00 |
| 16 | यमुना पार क्षेत्रो में नुनिहाई, सीतानगर, कच्छपुरा, गौतमनगर, सुशीलनगर, प्रकाश नगर, नसबन्दी नगर, गढ़ी चांदनी आदि क्षेत्रों में सड़क/खडण्जा/नाली निर्माण | 60.00 |
| 17 | ट्रांस यमुना फेस-1 में भवन संख्या-बी-451 से भवन सं0-सी-660 तक सड़क व नाली सुधार कार्य | 8.50 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 18 | रश्मि बिहार कालोनी शमसाबाद रोड पर रतिराम के घर से हेल्थ क्लब तक सड़क का निर्माण | 3.00 |
| 19 | रश्मि बिहार में शंकर के घर से राजू दूधिया के घर तक सड़क व नाली निर्माण | 4.00 |
| 20 | संतनगर कालोनी फेज-1 दयालबाग पार्क का सौन्दर्यीकरण सड़क एवं नाली निर्माण | 5.00 |
| 21 | टीला बालूगंज रमेश कान्त लवानियां के सामने सड़क का निर्माण | 5.00 |
| 22 | सैनिक बिहार में आर0पी0 सिंह के मकान के पीछे गली का निर्माण | 5.00 |
| 23 | मारूति स्टेट में भ0सं0 1 से 50 तक सड़क का निर्माण | 5.00 |
| 24 | नगला मेवाती में सड़क व नाली का निर्माण | 10.00 |
| 25 | धाधूपुरा में बघेल बस्ती के सामने नाली व सड़क का निर्माण | 3.00 |
| 26 | वेस्ट शिवाजी नगर में मेरिया स्कूल के बराबर सड़क निर्माण | 2.00 |
| 27 | बसई खुर्द राजपूत बस्ती में नाली व खडण्जें का निर्माण | 4.50 |
| 28 | विजय टाकिज (रामबाग के सामने) प्रारम्भ होकर हनुमान मन्दिर तक गली सुदृढ़ीकरण | 5.00 |
| 29 | कलैक्ट्रेट के पास नाले पर पुल का निर्माण (कन्सलटैंसी सहित) | 60.00 |
| 30 | मंगलम स्टेट दयालबाग क्षेत्र से बूढ़ी के नगला में नाला लिंक करना | 1.50 |
| 31 | इन्द्रपुरी में पीपल वाली गली से ए-59 तक सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य | 1.50 |
| 32 | हीराकुंज कालोनी देवरी रोड में सड़क एवं नाली का निर्माण (पार्ट-ए) | 15.00 |
| 33 | मुरली मनोहर चौक बालूगंज में सड़क एवं नाली का निर्माण | 10.50 |
| 34 | कैसो मेहरा टावर के सामने एमपी पुरा बावड़ी में सिन्ध व पंजाब बैंक तक नाला निर्माण कार्य | 15.000 |
| 35 | बैकुण्ठी देवी स्कूल के सामने सैण्ट एग्सटन स्कूल के बराबर गली में सड़क व नाली का निर्माण | 5.00 |
| 36 | छिपी टोला में पुरानी सब्जी मण्डी सुनारों वाली व सुन्दर दूध वाली गली एवं पंजाबी गली में सड़क व नाली का निर्माण | 13.10 |
| 37 | पक्की सराय में कुये वाली मस्जिद के पास समस्त गलियां एवं नसीम नगर में सड़क निर्माण का कार्य | 11.50 |
| 38 | बाग राजपुर में क्वालिटी आइसक्रीम वालों की समस्त गलियों में सड़क व नाली निर्माण कार्य | 8.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 39 | सदर भट्टी पर रियाज पहलवान वाली गली का सुधार कार्य | 1.00 |
| 40 | ताजगंज नुनिहाई खत्ता लाला भाई बिरयानी वाली से लेकर संजय कालोनी तक सड़क व नाली निर्माण | 7.00 |
| 41 | ताजगंज गुडिहाई में मेमे भाई के मकान के पास समस्त गलियों का निर्माण | 6.00 |
| 42 | सराय रहमान से डा0 सिद्दीकी के मकान के पास समस्त गलियों का निर्माण | 6.50 |
| 43 | गणेश नगर में स्वीमिंग पूल से राजेन्द्र के मकान तक नाली एवं सड़क का निर्माण | 8.00 |
| 44 | कलेक्ट्रेट में इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य | 4.10 |
| 45 | पक्की सराय ज्योति नगर में सलीम खां से एम0एम0 खान के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण | 2.50 |
| 46 | मौजा ककरेठा में कैलाश यादव मार्केट से ककरेठा आबादी तक सड़क एवं नाली निर्माण | 38.70 |
| 47 | तक्षशिला कालोनी में (मलिन बस्ती) में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य | 3.60 |
| 48 | गणेश नगर आबादी स्वराज्य ट्रैक्टर एजेन्सी के पीछे गैलाना रोड में सड़क एवं नाली का निर्माण | 7.90 |
| 49 | न्यू शाहगंज कालोनी एलआईजी-1 से ए-75 तक सड़क एवं पार्क का निर्माण | 2.00 |
| 50 | नौबस्ता लोहामण्डी नाले के बराबर से सड़क एवं नाले का निर्माण | 10.00 |
| | योग : | 524.90 |

## नत्थी "ख"

(देखिये अता0प्र0सं0-133 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66-67 पर)

### थोक मांग आपूर्तकों की सूची

| क्र0सं0 | आपूर्तक का नाम व पता | संचय केन्द्र |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | सर्व श्री राजेन्द्र पराशर पुत्र श्री राम चरण पराशर निवासी-कूपा रोड, सादाबाद, हाथरस | 1-जनपद सहारनपुर में बेहट क्षेत्र, बिहारीगढ़ चिलकाना, रामपुर, छुटमलपुर, महीपुरा, देवबन्द एवं भंवादर क्षेत्र<br>2-जनपद मुजफ्फरनगर में चरथावल, थाना भवन, बुढ़ाना, रोहाना, बरला, छपार, पुरकाजी, भोपा एवं खादर क्षेत्र |
| 2 | राज कुमार अवस्थी पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद अवस्थी, निवासी 783/33 डब्लू-1 साकेत नगर, कानपुर नगर। | 1-जनपद कुशीनगर में तमकुहीराज<br>2-जनपद बलरामपुर में सुखैया कला<br>3-जनपद बिजनौर में पदास्थ, भूतपुरी अफजलगढ़।<br>4-जनपद रामपुर में बाबानगर, बिलासपुर। |
| 3 | वीरेन्द्र नाथ त्रिपाठी पुत्र श्री सूर्यबली त्रिपाठी, निवासी नवागढ़ी, निकट एल0आर0 कालोनी, जनपद बहराइच। | 1-जनपद बहराइच में कालेपुरवा, गम्भीरवा पकड़िया जगतापुर नयापुरवा क्षेत्र नानपरा।<br>2-जनपद श्रावस्ती में भिनगा, लक्ष्मनपुर बाजार क्षेत्र श्रावस्ती। |
| 4 | रुद्रप्रताप सिंह पुत्र श्री राज नारायण सिंह ग्राम व पोस्ट पूरेगोकुल सिंह, भिनगा, जनपद श्रावस्ती। | 1-जनपद श्रावस्ती में भयापुरवा, लक्षमनपुर सिरसिया। |
| 5 | प्रदीप कुमार तिवारी पुत्र श्री विभव कुमार तिवारी, निवासी-ग्राम व पो0 हड़हा, थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव। | 1-जनपद कुशीनगर में सिधुआ स्थान थाना पडरौना पूरब पट्टी पकडिहार थाना सेवरही।<br>2-भटियाराय, थाना टेकुआहार थाना रामकोला |
| 6 | कष्ण कुमार पुत्र श्री पंचम, निवासी नई बाजार, भिनगा, जनपद उन्नाव। | 1-जनपद श्रावस्ती में भिनगा (कहारनपुरवा) सिरसिया। |
| 7 | अनिल कुमार निगम पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद निगम ग्राम व पो0 हडहा, थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव। | 1-जनपद बलरामपुर परसपुर बल्देवनगर, मथुरा बाजार, जोधीपुरवा, मढ़ीपुर लखाई।<br>2-जनपद बहराइच में नयापुरवा, गोकुलपुर, चफरिया, हुजूरपुर रोड (जट्टापुर) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 3-जनपद श्रावस्ती भगहा, सिरसिया<br>4-जनपद लखीमपुर खीरी में पड़वा, पतरासी |
| 8 | पवन कुमार अष्टवाल पुत्र श्री होशियार सिंह, निवासी बेगमपुर पोस्ट बहादराबाद, जिला हरिद्वार (उत्तरांचल) | 1-जनपद सहारनपुर में नागल ब्लाक<br>2-जनपद मुजफ्फरनगर में पुरकाजी ब्लाक |
| 9 | कमलेश कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 श्री शिव नारायण जायसवाल, निवासी 117/451/एच-1 (22ए) पाण्डुनगर, कानपुर नगर | 1-जनपद बहराइच में रिसियन पुरवा, नयापुरवा शिवपुर चकरिया।<br>2-जनपद खीरी में निघासन, ढकैरवा, रामनगर, बगहा |
| 10 | नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री साधुराम, निवासी ग्राम व पोस्ट गोपिया, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच। | 1-जनपद बहराइच में गोपिया व मिहीपुरवा थाना मोती पुर क्षेत्र-2, नानपारा भरथापुर, कतनियां व बर्दिया थाना सुजौली थाना नानपारा, बेगमपुर थाना रामगांव क्षेत्र-1 |
| 11 | संदीप कुमार यादव पुत्र श्री फूल सिंह यादव निवासी ग्राम बुड्ढा खेड़ा अहीर, पोस्ट हरौड़ा जनपद सहारनपुर | 1-जनपद सहारनपुर में बुडढा खेड़ाअहीर व सहारनपुर<br>2-जनपद मुजफ्फरनगर में खतौली |
| 12 | ओंमकार जायसवाल पुत्र श्री स्व0 काली चरण जायसवाल निवासी-490/19क/1 नजीरगंज, डालीगंज, लखनऊ | 1-जनपद खीरी में बेलापरसुआ पलियाकला (सिगहिया) सम्पूर्णानगर, क्षेत्र पलिया, सिगाही सिगहा, निघासन, ढकेरवा, लखीमपुर खीरी सदर में मिलपुरवा।<br>2-जनपद बहराइच में मिहीपुरवा, क्षेत्र नानपारा। |
| 13 | विनोद कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 हनुमान प्रसाद पाण्डेय, निवासी 750 कानूनगोपुरा (उत्तरी) थाना-को0 नगर, जिला बहराइच। | 1- कानूनगोपुरा (उत्तरी) थाना-को0 नगर व मोहम्मदनगर थाना रामगांव<br>2-जनपद श्रावस्ती में लक्ष्मननगर थाना सोनवा व फतुहापुर थाना सोनवा |
| 14 | राम प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री राजकुमार गुप्ता निवासी ग्राम व पो0 अचलगंज, उन्नाव | 1-जनपद बहराइच में शिवपुर, बेहड़ा, मिहीपुरवा, क्षेत्र नानपारा, रामगांव<br>2-जनपद श्रावस्ती में भिनगा, सिरसिया क्षेत्र भिनगा |
| 15 | अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री सूर्य कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम व पो0 अचलगंज, उन्नाव | 1-जनपद खीरी में विरसिंगपुर, ढकेरवा, निघासन, तिकुनिया क्षेत्र निघासन, पलिया क्षेत्र पलिया जनपद गोण्डा क्षेत्र गोण्डा। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 16 | ज्ञानेन्द्र बहादुर सिह पुत्र स्व0 श्रीनाथ सिंह, निवासी रमईपुर पो0 धनपालपुर थाना सरेनी जनपद रायबरेली (सह आवेदक) रमेश कुमार सैनी पुत्र श्री शिव प्यार, निवासी ग्राम व पो0 सरेनी जनपद रायबरेली | 1-जनपद बलरामपुर में गुगौली, पो0 गुगौली, थाना हरैया क्षेत्र-1, इलायची नगर पो0 बल्देवनगर, थाना ललिया क्षेत्र-प्रथम<br>2-जनपद गोण्डा में ढोढेपुर (तरबगंज) क्षेत्र द्वितीय<br>3-जनपद लखनऊ में मुडपुरवा पो0 सरकौरा, थाना मडियांव तहसील बक्सी क्षेत्र-2<br>4-जनपद गोरखपर में बरईपार पो0 बेलीपार थाना बेलापीर क्षेत्र-3<br>5-जनपद सीतापुर में कुठरा थाना तम्बौर क्षेत्र-2 |
| 17 | राजेश कुमार मिश्र पुत्र स्व0 जानकी शरण मिश्र ग्राम व पो0 हडहा थाना अचलगंज, जिला उन्नाव। | 1-जनपद खीरी में बेलापरसुआ मझगई क्षेत्र पलिया, चन्द्रपुरा क्षेत्र निघासन पतरासी। |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# नत्थी "ग"

(देखिये अता0प्र0सं0-145 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर)

| क्र0सं0 | मार्ग का नाम |
|---|---|
| | **वर्ष 2001-2002** |
| 1 | पट्टी कोहडोर मार्ग पर अतरसण्ड से कोनी मार्ग |
| 2 | ढिढुई भाट पट्टी बरदहा गौसपुर अरैला सौराई मार्ग। |
| 3 | नगर नीमा देवरखा ढकवा इब्राहिमपुर अतरौरा मीरपुर मार्ग। |
| 4 | महदहा वरहूपुर ढिढुई वारीकला शेषपुर आधारगंज मार्ग। |
| 5 | जनपद प्रतापगढ़ में तहसील पट्टी के पास पट्टी राजा का बाजार मार्ग पर कठार नाला 2x9 मी0 स्पान के सेतु का निर्माण पहुंच मार्ग सहित। |
| 6 | इब्राहिमपुर सम्पर्क मार्ग। |
| 7 | बहुता सम्पर्क मार्ग। |
| 8 | भाटी कला सिकरी कानूपुर मार्ग। |
| 9 | अतरौला मीरपुर मार्ग। |
| 10 | कुकुवार सम्पर्क मार्ग। |
| 11 | रायपुर सम्पर्क मार्ग। |
| 12 | देईडीह धौरहरा मार्ग। |
| 13 | दाउदपुर लिंक मार्ग। |
| 14 | विरौती लिंक मार्ग। |
| 15 | भिवनी मंगरौरा मार्ग। |
| 16 | लाखीपुर सम्पर्क मार्ग। |
| 17 | कोनी सम्पर्क मार्ग। |
| 18 | दरछुट सम्पर्क मार्ग। |
| 19 | लाखीपुर कप्सा से धनेपुर सम्पर्क मार्ग। |
| 20 | रामगढ़ा सम्पर्क मार्ग। |
| 21 | मेहदिया सम्पर्क मार्ग। |
| 22 | महुली सम्पर्क मार्ग। |
| 23 | भीखमपुर सम्पर्क मार्ग। |
| 24 | पूरे देवजानी सम्पर्क मार्ग। |
| 25 | लौली पुरता खास सम्पर्क मार्ग। |
| 26 | रामपुर बवरिया सम्पर्क मार्ग। |
| 27 | गौरामाफी सम्पर्क मार्ग। |
| 28 | मंगरौरा सम्पर्क मार्ग। |
| 29 | मदुरा रानीगंज मार्ग। |
| 30 | ठनेपुर गोपापुर मार्ग। |
| 31 | सरसीखास मार्ग का छूटा भाग। |
| 32 | नोही सम्पर्क मार्ग का छूटा भाग। |
| 33 | दाउदपुर लबेदा सैफाबाद मार्ग का शेष भाग। |
| 34 | करैला भैसोनी मार्ग का छूटा भाग |
| 35 | भदौना लिंक मार्ग। |
| 36 | नचरौला लिंक मार्ग का छूटा भाग। |
| 37 | सपहा छत लिंक मार्ग का छूटा भाग। |
| 38 | मानापुर रामगंज मार्ग का छूटा भाग। |
| | **वर्ष 2002-03** |
| 39 | पदुमपुर सम्पर्क मार्ग। |
| 40 | सुरुवारपुर सम्पर्क मार्ग। |
| 41 | पीठापुर दरियापुर सम्पर्क मार्ग का शेष भाग। |
| 42 | जनपद प्रतापगढ़ में रामगंज बाजार से नीमा नहर मार्ग का निर्माण। |
| 43 | शोभीपुर सम्पर्क मार्ग। |

| क्र0सं0 | मार्ग का नाम |
|---|---|
| | **वर्ष 2003-04** |
| 44 | सरसतपुर रमईपुर नेवादा मार्ग। |
| 45 | अरैला भाट पट्टी महरूपुर मार्ग का निर्माण एवं पीली नदी पर पुल (4x6 मी0) का निर्माण |
| 46 | अशोकपुर असुढ़ी मार्ग पर पट्टी नाले पर सेतु के पहुंच मार्ग का निर्माण। |
| | **वर्ष 2004-05** |
| 47 | तारडीह सम्पर्क मार्ग। |
| 48 | मन्दाह सम्पर्क मार्ग। |
| 49 | भूला सम्पर्क मार्ग। |
| 50 | पूरे तिलाम सम्पर्क मार्ग। |
| 51 | कांधरपुर सराय शंकर से मलाक मार्ग। |
| 52 | शोभीपुर से बेदूपट्टी मार्ग। |
| | **वर्ष 2005-06** |
| 53 | आमापुर आसपुर देवसरा मार्ग से बिजहला सम्पर्क मार्ग। |
| 54 | लाखीपुर नरहरपुर मार्ग से पूरक पट्टी सम्पर्क मार्ग। |
| 55 | डी0आर0पी0के0 मार्ग कि0मी0 42 से ईटहरा सम्पर्क मार्ग। |
| 56 | डी0आर0पी0के0 कि0मी0 33 से असुढ़ी सम्पर्क मार्ग। |
| 57 | वी0पी0डी0 कि0मी0 35 से मदना मऊ सम्पर्क मार्ग। |
| 58 | पडरी जव्वार सम्पर्क मार्ग। |
| 59 | उमरपुर सम्पर्क मार्ग। |
| 60 | सरमा सम्पर्क मार्ग। |
| 61 | लाखीपुर कप्सा सम्पर्क मार्ग का शेष भाग। |
| 62 | बीबीपुर बंधवा भरोखन सलालपुर ठनेपुर गोपापुर नेवादा रूर मार्ग। |
| 63 | चन्दुआ पट्टी से मिश्रान बस्ती। |
| 64 | बारडीह शोभवा मार्ग। |
| 65 | बैजलपुर इण्टर कालेज से रुधौली रजवाहा मार्ग। |
| 66 | रामगंज से मानीपुर। |
| | **वर्ष 2006-07** |
| 67 | अस्थरा से भिवनी मार्ग। |
| 68 | बेलसण्डी से मुमतपुर रायपुर मार्ग। |
| 69 | चन्दुआ डीह पडरी से सिकरीकानूपुर मार्ग। |
| 70 | फैजाबाद इलाहाबाद मार्ग से बरासपुर मार्ग। |
| 71 | कान्धरपुर सराय शंकर से चिगुडा सम्पर्क मार्ग। |
| 72 | भिवनी मंगरौरा सम्पर्क मार्ग का शेष भाग। |
| 73 | बी0पी0डी0 मार्ग से डाही सम्पर्क मार्ग। |
| 74 | आमापुर आसपुर देवसरा से धरौली मार्ग। |
| 75 | गहरौली सम्पर्क मार्ग। |
| 76 | करैला भौसोनी से रथवट सम्पर्क मार्ग। |
| 77 | बरहूपुर गोठवा से चौमरी सम्पर्क मार्ग। |

| क्र0सं0 | मार्ग का नाम |
|---|---|
| 78 | गुतौली आसलपुर सम्पर्क मार्ग। |
| 79 | कोहडौर चन्दौका से कांधरपुर अनु0 बस्ती मार्ग। |
| 80 | कोहडौर चन्दौका से पूरे मनिकंठ मार्ग। |
| 81 | दीवानगंज मंगरौरा भाग से उतरास सम्पर्क मार्ग। |
| 82 | आमापुर आसपुर बेवसरा मार्ग से धौरहरा सम्पर्क मार्ग। |
| 83 | सदहा रेडीगारापुर मार्ग से मझिगवां सम्पर्क मार्ग। |
| 84 | तेलियानी नहर पटरी से पूरे धनई सम्पर्क मार्ग। |
| 85 | ए0के0सी0पी0 मार्ग से अर्जुनपुर सम्पर्क मार्ग। |

| क्र0सं0 | मार्ग का नाम |
|---|---|
| | **वर्ष 2007-08** |
| 86 | बीबीपुर महदहा कि0मी0 6 से पूरे किशुनगढ़ सम्पर्क मार्ग। |
| 87 | सैफाबाद ढिढुई वारीकला कि0मी0 5 से चांदपुर सम्पर्क मार्ग। |
| 88 | अमरगढ़ राजाबाजार से काशीपुर सम्पर्क मार्ग। |
| 89 | मामूली सम्पर्क मार्ग कि0मी0-1 से गौरी पट्टी सम्पर्क मार्ग। |
| 90 | मदाफरपुर धरौली कि0मी0-3 से कोउरी सम्पर्क मार्ग। |
| 91 | धौरहरा से तिवारी पट्टी सम्पर्क मार्ग। |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 387 विधान सभा (753)-28-1-2008-813 (डी0टी0पी0)।